

Judgements and Orders of AVNEESH DHARIWAL (Qualified DJS and UPJS)

Total achievements of Avneesh Dhariwal
- Essays, Conferences, Publications, and
Positions of Responsibility etc:

PUBLICATIONS OF ARTICLE AND RESEARCH PAPERS:

- “*Educational Status of Marginalised Groups in India*”, ‘**South Asia Politics**’ (April, 2011).
- “*Legality of Ayodhya Judgment*”, ‘**Lawz**’ (April, 2011).
- “*National Green Tribunal Act 2010: A Mockery of Environmental Jurisprudence*”, ‘**Law: Guardian of Society**’ (May, 2011).
- “*The Civil liability for nuclear Damage Bill, 2010: A Critical Review*”, ‘**The Practical Lawyer**’ (July, 2011).
- “*Need of the Hour: International Consumer Protection*”, ‘**Consumer Voice**’ (December, 2011).
- “*Social Welfare and Constitutional Responsibilities of Government: An Analysis of Current Scenario*”, **Occasional Paper, Vivekananda International Foundation** (January, 2012)
- “*Need of Creation of Legal and Regulatory Framework for Mining in India*”, ‘**Environmental and Forest Law Times**’ (January Part 1, 2012).
- “*A Critical Analysis of Emergence and implications of Doctrine of Public Trust*”, ‘**Asian Law Journal**’ (2011).
- “*Parliamentary Privileges and Need for Codification*”, ‘**Lawz**’ (October, 2011).
- “*Prohibition on Salwa Judum: Constitutional Mandate of Supreme Court*”, ‘**South Asia Politics**’ (October, 2011)

- “*Oppression and Mismanagement and Protection of Minority Shareholder: A Critical Analysis*”, ‘**Corporate law Adviser**’ (October, Part 1, 2011).
- “*Health Infrastructure in India: Critical Analysis of Policy Gaps in the Indian Healthcare Delivery*”, **Occasional Paper, Vivekananda International Foundation, (July 2012).**
- “Scope of Sovereign Immunity under International Law”, **A-38 Journal of International Law** (Vol-02, ed-01, June 2013).
- “*Contamination of Water Resources and Associated Health Hazards: The Need of a Safe Water Policy and Proper Institutional Response with Special Reference to India*”, **Occasional Paper, Vivekananda International Foundation** (April, 2013).
- “*Information Warfare: A New Emerging Problem in international Law*”, **Romanian Journal of International Law, No. 13 July- December 2011.**
- “*The Insurgent Movements and AFSPA*”, **South Asia Politics**, (February 2014).
- “*Policy Responses to the Challenge of Food Security*”, **South Asia Politics** (April 2014)

CONFERENCES

- “*Draconian Laws as a Solution to Terrorism: To Which Extent*”, National Seminar on ‘Recent Anti-Terror Legislative Changes in Criminal Justice Administration: Perceptions and Perspectives of Criminal Justice Professionals’, **Dr. Ram Manohar Lohiya National Law University, Lucknow (August 30-31, 2009).**
- “*Impact of Global meltdown on India*”, National Conference on “Global Meltdown and India”, **FORE School Of Management, New Delhi**, 30 November 2009. (I was among the five paper presentators chosen from all over India)

AWARDS:

- 1) **Bagged first prize in Giri & Giri First National Legal Research Essay Competition 2012 organised by National university of Advanced Legal Studies, Ernakulam, Kerala on the topic “Foreign Direct Investment in Retail Sector in India”.**
- 2) **Bagged 2nd Prize in National Level Essay Competition organized by Global Ethics (an International Organisation) on the topic “Towards a Corruption Free India: The Role of Individuals, Educational Institutions, and Businesses”.**
- 3) **Bagged 3rd Prize in 2nd KSOL Essay Competition conducted by School of Law, KIIT University.**
- 4) **Bagged 1st Prize in R P Anand Essay Competition 2014 Organised by Centre of International Law.**
- 5) **Bagged 2nd Prize in Indian National Bar Association “Competition Law” Essay Competition 2014 organised by Indian National Bar Association.**
- 6) **Bagged 1st Prize in Delhi Zone in All India Essay Writing Event organised by United Nations Information Centre and Sahaj Samaj**
- 7) **Was a Finalist of Indian National Bar Association- Novartis Debate 2014.**

- 8) Winner of “Best Readers View” competition of “Law Profile” in: August, 2011 on the topic of “*Blocking of Public Roads*”; October 2011 on the topic of “*What Sort of Reservation should be in India, If Any?*”

POSITIONS OF RESPONSIBILITY & OTHER ACHIEVEMENTS

- 9) **Was the Campus Associate of Thomson Reuters’ “Legal Advancement Programme” during March-April, 2012.**
- 10) **Was the Associate of Thomson Reuters for 2nd batch of “Legal Advancement Programme”, July-August, 2012.**
- 11) Was the College Evangelist of youth4work from July 2012 to August 2012.
- 12) Held the position of senior member of Legal Aid Committee, Dr. Ram Manohar Lohiya National Law University, Lucknow.
- 13) Created a blog for Social and Development Research and Action Group; maintained it (May- June, 2012).
- 14) **Publications were listed in Parliamentary Documentation:**
-“*Educational Status of Marginalised Groups in India*”, ‘South Asia Politics’ (April, 2011)- listed in **Parliamentary Documentation, Vol. XXXVII, No. 9**, page 11, entry 56,
-“*Prohibition on Salwa Judum: Constitutional Mandate of Supreme Court*”, ‘South Asia Politics’ (October, 2011)- listed in **Parliamentary Documentation, Vol. XXXVII, No. 21**, page 38, entry 192 url
-*The Insurgent Movements and the AFSPA*, South Asia Politics (February 2014)- list in **Parliamentary Documentation, Vol. XL, No. 5**, page 03, entry 14.

Preface

This book is written to help the candidates in writing the judicial and law exams. It contains different kinds of judgments, and different orders relating to criminal law. Apart from the competitive exams the book would be very useful in educating the lawyers, judges, law students, and others interested in the legal filed.

Thanking You
Avneesh Kumar

Judgments

COURT OF CIVIL JUDGE (J.D.)/ JM-FTC, KASGANJ DISTRICT COURT

Present- AVNEESH KUMAR (UP JUDICIAL SERVICES) JO CODE- UP3571

Criminal Case No. 1170/2020

Computer No. 3531/2019

CNR No.- UPKR040118612019

State

versus

1. Aakash s/o Mr.Khemkaran

2. Champadevi w/o Mr. Khemkaran

r/o village Bahoranpur, PS Ganjdundwara,

Kasganj u/s 498A/323/506 IPC & u/s 3/4

Dowry Prohibition Act 1961

JUDGMENT

- 15) The prosecution story in brief is as follows. The victim Vinita lodged an FIR on 23/11/2017 at 1:28 pm against Aakash s/o Mr. Khemkaran (husband of the victim) and Champadevi w/o Mr. Khemkaran (mother in law of the victim). (As per the contents of the FIR) The informant cum victim Vinita is a resident of village Nagla Samanti PS Sahawar (Kasganj). The father of informant has expired. Her father got her married with Aakash s/o Mr Khemkaran, resident of village Bahoranpur, PS Ganjdundwara, Kasganj around an year ago. In dowry her father gave one lakh twenty five thousand in cash, one motor cycle, neck

chain, ring as per his capacity. But after some days of marriage her husband Aakash and her mother in law Champadevi started to bother her for more dowry. They used to bother the victim for money. With regard to these issues only on 21/11/2017 at around 11pm, her husband and mother in law made her fall on the ground and put a cloth in her mouth, and crushed with bricks. They put a rope around the neck of victim cum informant and started to hang her but hearing her cries the village people saved her. They (the village people) informed her parental relatives and then her brother took her with him from her in-laws.

16) On the above FIR, a chargesheet was submitted on 31/12/2017 against Accused no 1 Aakash and accused no 2 Champadevi under sections 498A/323/506 IPC and section 3/4 of Dowry Prohibition Act.

17) Charge was framed against both the accused on 01/08/2018 u/s 498A, 323, 506 IPC and sec 3/4 of Dowry Prohibition Act 1961.

18) Thereafter, the prosecution brought PW 1 Vinita and her testimony (u/s 242 CrPC) was recorded dated 05/02/2021. In her chief it was stated by PW1 Vinita that she got married with Aakash s/o Mr Khemkaran of village Bahoranpur, PS Ganjundwara, Kasganj around four years ago. It is further stated by PW1 Vinita that her father gave the dowry as per his capacity which included one lakh twenty five thousand cash, one motor cycle, neck chain, ring, etc. It was further states by PW1 Vinita that people from her in-laws side started harassing her physically and mentally for the greed of extra dowry. It is further stated by PW1 Vinita that as she was unable to provide extra dowry she was beaten up by her husband and mother in law on 21/11/2017 at midnight and on hearing her shouts, people from village came who saved her. It is further states by PW1 Vinita that her brother was informed and due to the beating she got physical injuries which were treated at the government hospital of Sahawar. It is further stated by PW1 Vinita that she gave a written application for the purpose of complaint to the police

station which has her thumb impression and which is annexed as 5-अ/3 in the file and which is exhibited as Exhibit क-1. It is further stated by PW1 Vinita that the inspector visited the place of incident and took her statement.

19) On the same day (05/02/2021) the PW 1 Vinita was cross examined by Ld defence counsel Brahman and Shakya. It is stated by PW 1 in her cross that her husband and the people from her in-laws side did not harass or beat her regarding dowry nor they gave any threat to kill her. It is further stated by PW 1 in her cross that there were small verbal arguments between she and her husband. It is further stated by PW 1 in her cross that her in-laws did not beat her. The PW 1 admitted that she suffered some injuries but she stated that these injuries were not the result of beating by her husband or by Champadevi. It is further stated by PW 1 in her cross that she suffered these injuries because she fell in kitchen. It is further stated by PW 1 in her cross that she and her husband had done compromise and there was no quarrel between them. It is further stated by PW 1 in her cross that she made the complaint in the police station on the advise of some people of village. It is further stated by PW 1 in her cross that the inspector did not take any statement from her. The PW 1 denied the suggestion that she was giving the statement in the court under some coercion or inducement.

20) Thereafter the statement of PW 2 Ram Naresh s/o Sadharam age around 45 resident of village Ranjeetpur post Karampur PS Ganjdundwara, Kasganj was recorded dated 12/02/2021. In his chief examination it is stated by PW 2 Ram Naresh that he could not recall the day and date of the incident and Vinita was not physically and mentally harassed by her husband Aakash and her mother in law Champadevi for dowry nor did they beat her. At that stage the witness was declared hostile with the permission of the court and the prosecution was allowed to cross examine the witness.

- 21) In the cross examination the Ld APO read the statement of the witness PW 2 u/s 161 CrPC, but the witness refused to admit his statement. It is stated by the witness PW 2 that if the inspector had noted his statement then he is unable to tell why the inspector had done so. It is further stated by PW 2 in his cross that he was a distant relative of Vinita. It is further stated by PW 2 in his cross that Vinita was never asked for dowry by her husband Aakash and her mother in law Champadevi nor was she harassed by them nor was she given any death threats by them. It is further stated by PW 2 in his cross that Vinita suffered some injuries and her brother informed him (PW 2) that Vinita suffered those injuries because she fell in kitchen. It is further stated by PW 2 in his cross that a compromise has been reached between Vinita and Aakash and there is no quarrel between them now. The PW 2 denied giving the statement under some coercion and inducement.
- 22) Thereafter the statement of both the accused was recorded under sec 313, CrPC. Both the accused in their separate statements refused to say anything in their statements and further they refused to give defence evidence.
- 23) The defence counsel argued that the PW 1 has stated in her chief u/s 242 that she was harassed by her husband Aakash and her mother in law Champadevi, and further that on 21/11/2017 she was beaten up by them in relation to dowry, but PW1 stated in her cross that she was not harassed or beaten up by her husband and she suffered the injuries because she fell in kitchen and not due to beating by her husband Aakash or mother in law Champadevi. The defence counsel argued that these are major inconsistencies in the statement of the victim in her chief and her statement in the cross, and it makes the statement of PW 1 unreliable and untrustworthy.
- 24) The defence counsel further argued that the PW 2 Ram Naresh has not supported the prosecution in his chief and he was declared as hostile witness, and therefore his evidence cannot be taken into account in support of prosecution.
- 25) Arguments heard and file perused.

- 26) The PW 1 (who is also the complainant in the case) has alleged in her chief examination that she was harassed by her husband Aakash and her mother in law Champadevi and further that she was beaten up by them on 21/11/2017, but in her cross examination the PW1 stated that she was not harassed by them nor was there any beating from their side and she sustained the injuries because she fell in kitchen. These are not minor inconsistencies which can stay together, rather these two statements are obviously contradictory and they both cannot stay together. The degree of inconsistency is as such that it raises serious doubts on the veracity of the witnesses, and it makes the testimony of the witness as unreliable.
- 27) Further the PW 2 Ram Naresh has not supported the prosecution even in his chief and he was declared as a hostile witness. As this witness was declared hostile, the prosecution can hardly rely upon his testimony for support. It would be in very rare and unusual circumstances, when even the testimony of a hostile witness may be taken in account to support the side which called him, and further in the opinion of the court such rare and unusual circumstance is not present in this case.
- 28) It was opined by the Hon'ble Supreme Court in the case of Vijayee Singh And Ors vs State Of Uttar Pradesh 1990 AIR 1459:

““It will be useful to refer to some of the passages from the text books of outstanding authors on evidence and then proceed to consider the ratio laid down by the Supreme Court cases on this aspect. In Phipson on Evidence, 13th edn. page 44, a passage reads as follows:

The burden is upon the prosecution of proving a defendant's guilt beyond reasonable doubt before he is convicted. Even where the evidential burden shifts to the defendant the burden of establishing proof beyond reasonable doubt

remains upon the prosecution and never changes. If on the whole case the jury have such a doubt the defendant is entitled to be acquitted.

Another passage at page 48 reads as follows: ' "In criminal cases the prosecution discharge their evidential burden by adducing sufficient evidence to raise a prima facie case against the accused. If no evidence is called for the defence the tribunal of fact must decide whether the prosecution has succeeded in discharging its persuasive burden by proving its case beyond a reasonable doubt. In the absence of any defence evidence, the chances that the prosecution has so succeeded fare greater. Hence the accused may be said to be under an evidential burden if the prosecution has established a prima facie case. Discharge of the evidential burden by defence is not a pre-requisite to an acquittal. The accused is entitled to be acquitted if at the end of and on the whole of the case, there is a reasonable doubt created by the evidence given by either the prosecution or the prisonerNo matter what the charge the principle that the prosecution must prove the guilt of the prisoner is part of the common law of England and no attempt to whittle it down can be entertained."

- 29) A witness plays a very important role in serving the ends of justice, and the statement of witness may help the court to discover the truth. A witness deposes in the court about the facts in issue or the relevant facts, and if the the statement of witness are inconsistent in cheif and cross then it would certially raise serious question on the veracity of the witness. In this case there were two witnesses which were examined by the prosecution PW 1 Sunita and PW 2 Ram Naresh.

There are major inconsistencies in the chief examination and cross examination of PW1, and the PW 2 was declared hostile as he did not support the case of the prosecution even in his chief. Therefore considering this, there is not enough evidence which proves the guilt of the accused beyond reasonable doubt.

30) On the basis of the evidence which has been produced by the prosecution no offence has been made out against the accused Aakash and accused Champadevi, and therefore this is a fit case for acquittal.

Order

31) Accused Aakash and accused Champadevi are acquitted in criminal case no 1170/2020 u/s 498A, 323, 506 IPC and sec 3/4 Dowry Prohibition Act. The accused are on bail. The personal bonds are released and their sureties are discharged.

32) The personal bonds and surety bonds filed in compliance of sec 437A CrPC will be effective upto six months from the date of judgment.

Date-30/09/2021

(AVNEESHKUMAR)
Civil Judge (JD)/JM/FTC,
Kasganj District Court, Kasganj

33) This decision was pronounced by me in the open court on 30/09/2021 (today) after being signed and dated.

Date-30/09/2021

(AVNEESHKUMAR)
**Civil Judge (JD)/JM/FTC,
Kasganj District Court, Kasganj**

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०/एफ०टी०सी०, कासगंज।

उपस्थित: अवनीश कुमार (उ०प्र०न्यायिक सेवा),

JO Code-UP3571

दाण्डिक परिवाद सं०: 785/2020

कम्प्यूटर सं०-5894/2015

CNRNo-UPKR040010442015

श्रीमती मालती देवी पत्नी विजय कुमार, पुत्री दीन दयाल, निवासी सिनौठ, थाना
गंजडुण्डवारा, जनपद कासगंज।

-परिवादिनी

बनाम

- 1- विजय कुमार पुत्र सन्तलाल
- 2- सन्तलाल पुत्र सेवाराम
- 3- श्रीमती किताबश्री पत्नी सन्तलाल
- 4- अनवीर सिंह पुत्र सन्तलाल
- 5- अनुपम पुत्र सन्तलाल
- 6- जयकुमार पुत्र सन्तलाल
- 7- अर्चना पुत्र सन्तलाल

निवासीगण-ग्रामकवार, थाना सकीट,
जिला एटा।

-अभियुक्तगण

धारा-498 ए, 506 भा०द०सं०
व 3/4 डी०पी० एक्ट।
थाना-गंजडुण्डवारा, जनपद-कासगंज।

निर्णय

1- यह परिवाद, परिवादिनी श्रीमती मालती की ओर से अभियुक्तगण विजय कुमार, सन्तलाल, श्रीमती किताबश्री, अनवीर सिंह, अनुपम, जय कुमार एवं अर्चना के विरुद्ध थाना गंजडुण्डवारा, जिला कासगंज से न्यायालय को विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2- संक्षेप में परिवाद पत्र के अनुसार परिवादिनी का कथन इस प्रकार है कि परिवादिनी की शादी विजय कुमार पुत्र सन्तलाल निवासी ग्राम कवार, थाना- सकीट, जिला- एटा के साथ अर्सा करीब 2 वर्ष पूर्व हिन्दू रीति के अनुसार हुई थी। परिवादिनी विदा होकर अपने पति के साथ उसके घर गयी थी और पत्नी धर्म का पालन किया था। परिवादिनी के माता-पिता ने अपने सामर्थ्य के अनुसार परिवादिनी की शादी में काफी सामान कीमती करीब 2 लाख रुपये का तथा 51,000/- रुपये नकद दान के रूप में दिया था और शादी में कुल करीब 3 लाख रुपये खर्चा किया था। शादी में दिये गये सामान से परिवादिनी के पति विजय कुमार, ससुर सन्तलाल, सास श्रीमती किताबश्री, देवर अनवीर सिंह, अनुपम, जेठ जय कुमार व ननद अर्चना संतुष्ट नहीं थे और शुरु से ही अतिरिक्त दहेज में 2 लाख रुपये नकद की मांग करते थे। विदा के समय भी इन सभी लोगों ने अतिरिक्त दहेज में 2 लाख रुपये नकद की मांग की थी और बिना 2 लाख रुपये लिये विदा कराने को तैयार नहीं थे। बड़ी मुश्किल से लोगों के समझाने व खुशामद करने पर विदा कराकर ले गये थे लेकिन इन लोगों ने अतिरिक्त दहेज की मांग को नहीं छोड़ा, न मिलने पर उपरोक्त सभी लोगों ने परिवादिनी को मारना पीटना तथा खाने पीने व पहनने ओढ़ने से तंग परेशान रखना शुरु कर दिया जिसकी शिकायत परिवादिनी ने अपने माता पिता से की। परिवादिनी के माता-पिता ने इन लोगों को काफी समझाया लेकिन नहीं माने और अतिरिक्त दहेज में 2 लाख रुपये की मांग पर अड़े रहे। करीब 10 माह पूर्व उपरोक्त सभी लोगों ने 2 लाख रुपये की मांग को लेकर परिवादिनी को मारपीट कर केवल पहने कपड़ों में यह कहकर घर से निकाल दिया कि अगर बिना 2 लाख रुपये लिये हमारे यहां आयी तो तुझे जान से मार देंगे। परिवादिनी रोती पीटती अपने मायके चली आयी, तब से आज तक अपने मायके में रह रही है। इस बीच परिवादिनी के माता-पिता कई बार अपने रिश्तेदारों को लेकर परिवादिनी की ससुराल गये और खुशामद की, कि वे परिवादिनी को बुलाकर ले जाये और अपने साथ रखे तथा अतिरिक्त दहेज की मांग को छोड़ दें, लेकिन उपरोक्त लोग बिना 2 लाख रुपये लिये परिवादिनी को बुलाकर ले जाने व रखने को तैयार नहीं हुए। दिनांक 30.06.2015 को उपरोक्त सभी लोग कार द्वारा गांव में रिश्ते के सम्बन्ध में परिवादिनी के

गांव आये थे तो परिवारिनी के माता-पिता ने इन लोगों से परिवारिनी को अपने साथ ले जाने के लिए काफी खुशामद की, लेकिन उपरोक्त लोग परिवारिनी को बिना 2 लाख रूपये नकद लिये अपने साथ ले जाने को तैयार नहीं हुए और यह कहकर चले गये कि अगर बिना 2 लाख रूपये लिये इसे हमारे यहां भेजा तो हम इसे जान से मार देंगे।

3- परिवारिनी द्वारा उक्त परिवार के समर्थन में स्वयं को धारा 200 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत एवं धारा 202 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत साक्षी पी०डब्ल्यू०-1 दीनदयाल पी०डब्ल्यू०-2 भूप सिंह को परीक्षित कराया गया है।

4- जाँचोपरान्त न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण विजय कुमार, सन्तलाल, श्रीमती किताबश्री, अनवीर सिंह, अनुपम, जय कुमार एवं अर्चना को धारा- 498 ए, 506 भा०द०सं० व 3/4 डी०पी० एक्ट के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किया गया।

5- उक्त परिवार के समर्थन में अन्तर्गत धारा 244 दं०प्र०सं० में परिवारिनी श्रीमती मालती देवी द्वारा स्वयं को साक्षी पी०डब्ल्यू०-1 के रूप में, दीनदयाल को साक्षी पी०डब्ल्यू०-2 के रूप में एवं गुड्डो देवी को साक्षी पी०डब्ल्यू०-3 के रूप में परीक्षित कराया है।

6- अभियुक्तगण विजय कुमार, सन्तलाल, श्रीमती किताबश्री, अनवीर सिंह, अनुपम, जय कुमार एवं अर्चना के विरुद्ध दिनांक-17.05.2019 को आरोप अन्तर्गत धारा-498 ए, 506 भा०द०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया एवं विचारण की माँग की।

7- उक्त आरोप के समर्थन में परिवारिनी श्रीमती मालती देवी की ओर से अन्तर्गत धारा 246 दं०प्र०सं० में स्वयं को साक्षी पी०डब्ल्यू०-1 के रूप में एवं दीनदयाल को साक्षी पी०डब्ल्यू०-2 के रूप में परीक्षित कराया गया है।

8- उक्त साक्ष्य के उपरान्त अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने घटना को गलत बताया और आपसी लड़ाई की वजह से मुकदमा दायर करना बताया तथा सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया है।

9- मैंने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन

किया।

10- अभियुक्तगण पर आरोप है कि उन्होंने दिनांक 30.06.2015 को समय व स्थान अदम तहरीर में परिवादिनी श्रीमती मालती देवी से अतिरिक्त दहेज में दो लाख रुपये की मांग की और मांग न पूरा होने पर उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया एवं उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया।

11- पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा उभयपक्ष के तर्कों के आलोक में यह देखा जाना है कि अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप युक्ति-युक्ति संदेह से परे साबित होते हैं अथवा नहीं।

12- परिवादिनी श्रीमती मालती देवी ने साक्षी पी०डब्ल्यू०-1 के रूप में स्वयं को परीक्षित कराया है। उक्त साक्षी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 244 दं०प्र०सं० में परिवाद का समर्थन करते हुए कथन किया है कि " मेरी शादी 04 जून 2013 को विजय कुमार के साथ हुई थी। शादी के बाद विदा होकर मैं अपनी ससुराल गई थी, स्त्रीधर्म का पालन किया। शादी में दिये गये दान दहेज से मेरे पति विजय कुमार, ससुर संतलाल, सास किताबश्री, देवर अनवीर सिंह व देवर अनुपम, ननद अर्चना, व जय कुमार यह लोग मुझसे अतिरिक्त दहेज में दो लाख रुपये की मांग करते थे। यह बात मैंने अपने माता पिता को बतायी तो मेरे माता पिता ने असमर्थता दर्शायी तो इसी बात पर अब से करीब चार साल पूर्व मुझे मारपीट कर इन लोगों ने घर से निकाल दिया। मेरा मायका ग्राम सनैठ में है तथा अब से करीब तीन साल पूर्व मेरे मायके में भी आकर के अतिरिक्त दहेज की मांग की थी तथा न देने पर जान से मारने की धमकी दी। मेरे घर वालों ने व अन्य लोगों ने इन लोगों को काफी समझाया था, लेकिन ये लोग नहीं माने। मैं रिपोर्ट करने थाना गंजडुण्डवारा गई, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हुई थी, तब मैंने पुलिस कप्तान को प्रार्थनापत्र भेजा था। पत्रावली पर दाखिल कागज संख्या-6 अ है जिसे गवाह को दिखाया गया तो उसे गवाह ने कहा कि यह वही प्रार्थनापत्र की प्रति है, जो मेरे द्वारा एस.पी. साहब कासगंज भेजी थी तथा उस पर बने हस्ताक्षर की शिनाख्त करती हूँ तथा गवाह ने प्रपत्र सं०-5 अ को देखकर कहा कि यह वही रजिस्ट्री रसीद है, जो मेरे द्वारा दाखिल की गई है। "

13- इस साक्षी से बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत धारा-244 दं०प्र०सं० में प्रतिपरीक्षा की गयी। इस साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि "अंतिम बार ससुराल से कब आई थी, मुझे याद नहीं है। सर्दी का मौसम था। मेरे ससुरालीजन अब से करीब तीन साल पहले गये थे, तारीख याद नहीं

है। अतिरिक्त दहेज की मांग मेरे मायके में भी की थी व ससुराल में भी की थी। मारपीट में खून नहीं निकला था, चोट नहीं लगी थी। इसलिए मेडिकल नहीं कराया था। थाने किस तारीख को गयी थी, मुझे याद नहीं है। यह कहना गलत है कि अपनी स्वेच्छा से अपने मायके में रह रही हूँ। मुझे मालूम है कि मेरे पति शादी के पूर्व से ही विकलांग थे। मेरी शादी विजय के साथ स्वेच्छा से हुई थी। ”

14- साक्षी पी0 डब्ल्यू0-1 श्रीमती मालती देवी, जो कि मामले की परिवादिनी है एवं घटना की मजरूब साक्षी है, द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा अंतर्गत धारा 246 दं0 प्र0 सं0 (दिनांक 15.07.2019) में स्पष्ट कथन किया गया है कि “ इस फाइल में मेरे बयान पहली बार हो रहे हैं। फिर कहा कि दुबारा हो रहे हैं। मेरी शादी को लगभग छः-सात साल हो गयी । मेरी शादी में तीन लाख रूपया खर्च हुआ था। क्या लिया था, क्या दिया था, मुझे नहीं मालूम। विदा होकर मैं अपनी ससुराल गयी। मैं जब विदा होकर गयी थी, उसके बाद से ही मेरी मारपीट शुरू कर दी थी। विजय कुमार ने मेरी मारपीट शुरू कर दी थी। आज खुद कहा घरवालों ने भी मेरी मारपीट की थी। मेरा पति विजय कुमार विकलांग है। मैंने विजय कुमार के खिलाफ खर्चा का दावा डाला था। मुकदमा वह खत्म हो गया। खर्चा वाला मुकदमा न्यायालय से खारिज कर दिया गया है।.. दावा दायर किये हुए मुझे तीन चार साल हो गये हैं। अनवीर, अनुपम मेरे देवर हैं। इनकी शादी हो गयी है। मेरी शादी हुई थी, उस समय जय कुमार शादीशुदा थे। जय कुमार एटा में सिलाई कार्य करते हैं और वहीं एटा में रहते हैं। अनवीर व अनुपम क्या करते हैं, मुझे जानकारी नहीं है। अनवीर और अनुपम भी एटा में रहते हैं। गांव में नहीं रहते हैं और मेरा पति एटा में ही रहता है। गांव में नहीं रहता है। यह मुझे जानकारी नहीं है अनवीर, अनुपम, जय कुमार व विजय कुमार मेरी शादी पर गांव में रहते थे, कहां रहते थे, मुझे जानकारी नहीं है। अर्चना जब मेरी शादी हुई थी तब वह कवार में रहती थी। अर्चना की शादी हो गयी है, लेकिन मैं यह नहीं बता सकती हूँ कि शादी कहां से हुई, किसके साथ हुई है।... मेरी शादी हुई थी, उस समय अर्चना एटा में बी.टी.सी. कर रही थी। अर्चना एटा में व गांव में दोनों जगह रहती थी। यह कहना गलत है कि मैं एक साल से अपनी ससुराल में सही सलामत रही हूँ। मैंने 246 सी-आर.पी.सी. के बयान में यह बात नहीं कही है कि मैं शादी के बाद एक वर्ष तक सही सलामत रही हूँ। ऊपर यह बात अनजाने में लिख गयी हो तो मैं नहीं बता सकती। जिस समय मेरी शादी हुई थी, उस समय जय कुमार एटा में ही रहते थे और इस समय भी एटा में रहते हैं। मैं जब शादी के बाद गयी हूँ, तब से मुझे मेरे ससुरावालों ने सही तरीके से नहीं रखा। शादी के दूसरे दिन मुझे घर से निकाल दिया था, तब से मैं नहीं गयी और उसके बाद से मैं मायके में रह रही हूँ। मैंने अपने दावा में यह बात लिखी है कि मुझे शादी के

एक दिन बाद ही घर से निकाल दिया था। यह u/s 246 CrPC बात मैंने अपने दावा में घर से अर्थात् अपनी ससुराल से निकाला था, यह बात दावा में लिखी है, या नहीं, इस मुझे ध्यान नहीं है। मैं अपने मायके में चार वर्ष से हूँ। मेरा पति इस चार वर्षों के दौरान बुलाने नहीं गये थे। अगर मेरा पति मुझे बुलाकर ले जाते हैं तो मैं उनके साथ जाने को तैयार हूँ। मेरा परिवार न्यायालय में खर्चा का मुकदमा चला था, इस मुकदमा में मेरा बयान हुआ था। जिस समय मेरा परिवार न्यायालय में बयान हुआ, उस समय मेरी तवियत खराब थी। इस लिए मुझे ध्यान नहीं है कि उस समय मैंने क्या बोला था। तवियत खराब होने वाली बात लिखायी होगी, उस समय मेरा मूड सही नहीं था। जो परिवार न्यायालय में मैंने अपने पति का 80 प्रतिशत विकलांग होने का बयान दिया था, मैं यह बात जानती नहीं थी। मैंने अपने 125 सी-आर.पी.सी. के मुकदमा में मैंने अपने बयान में यह बात नहीं कही थी कि मेरा पति विजय कुमार विकलांग है, इसलिए मैं उससे नफरत करती हूँ। मैंने अपने भरण-पोषण के मुकदमा में यह बात नहीं कही है कि विजय कुमार मुझे पसंद नहीं है। इस कारण स्वेच्छा से मायके में रह रही हूँ। मैंने अपने भरण-पोषण के मुकदमा में यह बात नहीं कही है कि विजय कुमार अपनी जमीन बेचकर एटा में रहे तो मैं रहने को तैयार हूँ। मैंने दहेज का दावा दायर किया है। मैंने दहेज के अलावा कोई बात नहीं लिखाई है। दहेज के अलावा मेरे दावा में कोई बात लिखी गयी है तो वो बात गलत है। मुझे ध्यान नहीं है कि कितने दिन पहले अपने मायके आयी थी। मुझे मेरे पति रात को दस बजे मारपीट कर मेरे घर पर छोड़कर गये थे। मैंने उसी समय गंजडुण्डवारा थाना में रिपोर्ट की थी। जब मुझे घर पर छोड़कर गये थे, उसके 04-06 दिन बाद रिपोर्ट करने गंजडुण्डवारा थाना गयी थी। यह बात मैंने अपने दावा में लिखायी थी। थाने में मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। उसके बाद मैं कोर्ट में आयी थी और उसके बाद मैंने दावा कर दिया। मेरा खर्चा वाला मुकदमा खारिज हो गया या मंजूर हो गया, मुझे जानकारी नहीं है। यह कहना गलत है कि अनवीर और अनुपम मेरी शादी के समय एटा में रहते हो। यह कहना गलत है कि मेरे पति व अर्चना मेरा शादी के समय एटा रहते थे या नहीं। यह कहना गलत है कि मुल्जिमानों द्वारा मुझसे अतिरिक्त दहेज की मांग न की गयी हो। इस कारण स्वेच्छा से मैं अपने मायके में रह रही हूँ। **प्रश्न-** गवाह से पूछा गया कि तुम्हें मुल्जिमानों द्वारा शारीरिक व मानसिक यातनाएं दी गयी या नहीं ? **उत्तर:-** यह प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया, इसलिए इसका उत्तर नहीं दे सकती। मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने अपना दावा में शारीरिक व मानसिक यातनाओ वाली बात लिखाई है या नहीं। यह कहना गलत है कि मैं स्वेच्छा से अपने मायके में रह रही हूँ। यह कहना गलत है कि मैंने अपने पति से यह कहा हो कि तुम एटा में रहो तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं आज पूर्ण होश हवास में बयान दे रही हूँ। यह कहना गलत है कि मेरे सास-ससुर गांव में न रहते हों और यह कहना भी गलत है कि शेष मुल्जिमान बाहर रहते

हों। मुझे यह पता नहीं कि मैंने जो भरण-पोषण के मुकदमा में बयान दिया था, वो सही है या यह बयान सही है। यह कहना गलत है कि मैं झूठा बयान दे रही हूँ। ”

15- साक्षी पी०डब्ल्यू०-2 दीनदयाल के रूप में अपने बयान अन्तर्गत धारा 244 दं०प्र०सं० में परिवाद का समर्थन करते हुए कथन किया है कि “ मैंने अपनी पुत्री मालती की शादी 04 जून 2013 को विजय कुमार पुत्र सन्तलाल, निवासी ग्राम कवार, थाना सकीट, जिला एटा के साथ की थी। शादी में मैंने करीब तीन लाख रुपया खर्च किया था, जिसमें काफी घरेलू सामान, कपड़ा, जेवरात व 51,000/- रुपये नकद दिये थे। शादी के बाद विदा होकर मेरी पुत्री मालती अपनी ससुराल ग्राम कवार गयी तो मेरी पुत्री मालती से अतिरिक्त दहेज में दो लाख रुपये की मांग विजय कुमार, उनके पिता सन्तलाल, मां किताबश्री, अनुपम, जय कुमार, अर्चना और अनवीर मांग को लेकर मेरी पुत्री की मारपीट व तंग परेशान करते थे। इन लोगों ने मालती देवी को बड़ी मुश्किल से भेजा था और दो लाख रुपये की मांग करते थे। हमने विजय कुमार पति उपरोक्त को काफी समझाया, लेकिन नहीं माने। मेरी पुत्री मालती देवी को चार साल पहले दहेज की खातिर मारपीट कर घर से निकाल दिया। उपरोक्त सभी लोग मेरे गांव लगभग साढ़े तीन साल पहले आये और आते ही दो लाख रुपये की मांग की और सभी लोग जाते समय बिना दो लाख रुपये लाये कवार आने पर जान से मारने की धमकी देकर चले गये। घटना के समय मेरी चाची, मेरी पत्नी और मेरे भाई और मौहल्ले के लोग मौजूद थे। ”

16- इस साक्षी से बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत धारा-244 दं०प्र०सं० में प्रतिपरीक्षा की गयी। इस साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि “ मालती की शादी 04 जून 2013 को विजय कुमार के साथ की थी। मैं खेती करता हूँ। मेरे पास पांच-छः बीघा जमीन है। मैं दो सौ-तीन सौ रुपये कमा लेता हूँ। दूसरे तीसरे दिन काम मिल जाता है। मैंने शादी में तीन लाख रुपया खर्च किया था। मैंने दहेज दिया था, उसकी कोई लिस्ट दाखिल नहीं की है। दहेज की मांग कवार में की थी। मैं फाइल में दूसरी बार गवाही देने आया हूँ। मेरी लड़की की मारपीट का कोई मेडिकल नहीं हुआ है। थाने में रिपोर्ट की थी। शादी में वीडियो कैसेट बनाई थी, लेकिन हम लोगों को नहीं दिखाई थी। शादी के समय विकलांग थे, यह जानकारी हम सभी लोगों को थी। यह कहना गलत है कि विजय कुमार विकलांग होने की वजह से मैं अपनी लड़की को न भेज रहा हूँ। अंतिम बार उपरोक्त लोग कब आये थे, तारीख याद नहीं है।

17- साक्षी पी०डब्ल्यू०-2 दीनदयाल, जो कि मामले की परिवादिनी का पिता है, द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा अंतर्गत धारा 246 दं० प्र० सं० (दिनांक 17.09.2019) में स्पष्ट कथन किया गया है कि “

मालती मेरी बेटी है। इसकी शादी 04 जून सन् 2013 को विजय कुमार के साथ की थी। शादी मेरे गांव सिनौठ से हुई थी। विजय को मैंने शादी से पहले देखा था। शादी से पहले भी विजय विकलांग थे। मालती विदा होकर अपनी ससुराल गयी। शादी के बाद पहली बार 15 दिन केवल अपनी ससुराल रही। उसके बाद मैं लेकर आया। उसके सात-आठ दिन बाद विजय मातली को बुलाकर ले गये। यह मुझे नहीं मालूम कि विजय बुलाकर ले गये तब अपनी ससुराल कितने दिन तक रही, मैं नहीं बता सकता। मुझे नहीं मालूम कि इन दोनों बार मालती और विजय कैसे रहे, मैं नहीं बता सकता। मैं आदर्श शादी नहीं जानता हूँ। शादी में मैंने सामान बहुत दिया था। मैं दुबारा जाने के बाद विजय ने मालती की मार तोड़ की थी। मैं व दो अन्य लोग मालती की ससुराल खैर खबर लेने गये थे। हमने इन लोगों से यह कहा था, आप मालती को क्यों मारते तोड़ते हो, तो इन लोगों ने कहा हमें दो लाख रुपये चाहिए। सूचना मिलने के दो दिन बाद गया था। मालती के चोटें थी। मैं आज से लगभग पांच साल पहले मालती की ससुराल गया था। उस समय मारपीट की हम लोगों ने रिपोर्ट नहीं की थी। समझा बुझाकर छोड़ आये थे। मालती हाईस्कूल फेल है। मेरे गांव के पास कर्मपुर में पढ़ी थी। ससुराल में रहकर के इसने हाईस्कूल नहीं किया था। यह दावा मैंने दायर किया है। मालती मेरे घर पर शादी के दो साल बाद अंतिम बार आयी थी। मुझे मालती के आने का दिन, तारीख, महीना नहीं मालूम है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अंगूठा छाप हूँ। मालती देवी मेरे घर पर लगभग पांच वर्ष से रह रही है। आखिरी बार मालती देवी मेरे घर पर लगभग साढ़े पांच साल पहले आयी थी, तब से मेरे घर पर रह रही है। साढ़े पांच साल पहले मालती देवी मेरे घर पर अकेली आयी थी। साढ़े पांच साल पहले मेरे घर पर वह आयी थी तब मैंने गंजडुण्डवारा थाना में रिपोर्ट की थी। रिपोर्ट पर मैंने अंगूठा लगाया था या दस्तखत किये थे, मुझे ध्यान नहीं है। उसके बाद मैं कासगंज वकील साहब के पास आया। वकील साहब से मैंने रिपोर्ट लिखवाई। उस रिपोर्ट पर मैंने अंगूठा लगाया था या दस्तखत किये थे, ध्यान नहीं है। वह रिपोर्ट मैंने कप्तान साहब को भेजी थी। जब वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई तब मैंने न्यायालय में दावा दायर किया है। जो मैंने इस न्यायालय में जो दावा दायर किया है, उस पर मैंने अंगूठा लगाया था या दस्तखत किये। आज खुद कहा मैंने दावा पर हस्ताक्षर किये वकील साहब ने यह दावा स्वयं लिखने पढ़ने के बाद में मुझसे दस्तखत केवल कराये थे। जबसे मालती देवी मेरे घर पर रह रही है, तब से विजय सिंह बुलाने नहीं आया है। मालती देवी यदि अपनी ससुराल जाना चाहे तो वह जा सकती है। न्यायालय से भी जाना चाहे तो जा सकती है। इस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह सकता। शादी के समय सिलाई का काम जय कुमार, विजय कुमार करते थे। ये उस समय एटा में रहते थे और गांव में भी रहते थे। अनुपम और अनवीर शादी के समय कहां रहते थे, मुझे जानकारी नहीं है। अर्चना शादी के समय पढ़ाई कर रही होगी, मुझे जानकारी

नहीं है। हाजिर अदालत मेरी पत्नी जो मेरा बयान सुन रही थी, उसका नाम गुड्डो देवी, उनके इस मुकदमा में बयान हो चुके हैं। मालती देवी अपनी ससुराल में कुल छः माह रह थी। छः माह सही सलामत रही है। मालती देवी के साथ किसी प्राकर की घटना मेरे सामने नहीं हुई है। विजय कुमार विकलांग है। यह मुझे नहीं पता कि कितने प्रतिशत है। मेरी लड़की ने खर्चा का दावा दायर किया था, वह दावा खारिज हो गया या नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। इस दावा के अलावा मैंने एक दावा खर्चा का डाला है। उसमें मेरे बयान नहीं हुए हैं। यह कहना गलत है कि विजय सिंह मालती देवी को दो-तीन बार बुलाने गया हो और मैंने न भेजा हो। यह भी कहना गलत है कि मैं और मेरी पत्नी मालती देवी को जाने से रोक रहे हैं। मुझे यह जानकारी नहीं है कि विजय सिंह के नाम कोई जमीन जायदाद है या नहीं। यह कहना गलत है कि मेरी पुत्री के साथ घटना न हुई हो और मैंने झूठा मुकदमा दायर किया हो। यह कहना गलत है कि मालती विजय कुमार के विकलांग होने के कारण उसके साथ रहना चाहती है अथवा नहीं। यह कहना गलत है कि मैं झूठी गवाही दे रहा हूँ।

18- साक्षी पी० डब्ल्यू०-३ गुड्डो देवी जो कि परिवादिनी की मां है, द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा अंतर्गत धारा 244 दं० प्र० सं० (दिनांक 16.03.2019) में स्पष्ट कथन किया गया है कि "मैंने अपनी बेटी मालती की शादी अब से करीब पांच साल पहले की थी। शादी में मैंने करीब तीन लाख रुपया खर्च किया था। शादी के बाद मेरी बेटी विदा होकर अपनी ससुराल गयी तथा शादी के बाद मेरी बेटी के पति विजय कुमार व उनके घर वाले सन्तलाल, किताबश्री, अनवीर, अनुपम, जय कुमार, अर्चना अतिरिक्त दहेज में दो लाख रुपये की मांग करते थे, मारते पीटते थे तथा दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर निकाल दिया। इन सभी लोगों ने मेरे गांव पर भी आकर अतिरिक्त दहेज की मांग की, गाली गलौज की व जान से मारने की धमकी दी। तब मजबूरन मेरी बेटी ने यह मुकदमा न्यायालय में दायर किया था। मैंने अपनी बेटी के पति व घर वालों को काफी समझाया था, लेकिन नहीं माने"।

19- इस साक्षी से बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत धारा-244 दं० प्र० सं० में प्रतिपरीक्षा की गयी। इस साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि "इस केस में तीन बार गवाही देने आ चुकी हूँ। दहेज मांगने वाली तारीख मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तीन लाख रुपये सौ-सौ रुपये की कितनी गड्डी होती है, मैं नहीं जानती हूँ। शादी में वीडियो कैसेट भी बनी थी। मेरी लड़की ने खर्चा लेने का मुकदमा डाला था, मेरी लड़की का खर्चा नहीं बधा। मुझे अपनी बेटी की शादी की तारीख महीना सन मालूम नहीं है। मैं अपनी लड़की को भेजना चाहती हूँ, घर जाकर बतायेंगे।"

20- न्यायालय द्वारा परिवादिनी को साक्षी पी० डब्ल्यू०-३ के साक्ष्य अन्तर्गत धारा-246 सी-आर.पी.सी. में कराये जाने हेतु कई बार अवसर देने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस कारण उसके साक्ष्य का अवसर दिनांक 07.06.2022 को समाप्त किया जा चुका है। क्योंकि साक्षी की प्रति परीक्षा अंतर्गत धारा 246 दंड प्रक्रिया संहिता "वादी द्वारा साक्षी को प्रस्तुत ना करने के कारण" नहीं हुई है अतः साक्षी पी० डब्ल्यू०-३ गुड्डो देवी का साक्ष्य इस निर्णय हेतु पढ़ा नहीं जाएगा।

21- प्रस्तुत परिवाद में अभियोजन पक्ष द्वारा श्रीमती मालती देवी की गवाही पी० डब्ल्यू०-१ के रूप में करायी गयी जो प्रस्तुत मामले में पीड़िता भी है। मालती देवी ने अपनी मुख्यपरीक्षा में यह कथन किया है कि "मेरी शादी 04 जून 2013 को विजय कुमार के साथ हुई थी। शादी के बाद विदा होकर मैं अपनी ससुराल गई थी, सभी स्त्रीधर्म का पालन किया। शादी में दिये गये दान दहेज से मेरे पति विजय कुमार, ससुर संतलाल, सास किताबश्री, देवर अनवीर सिंह व देवर अनुपम, ननद अर्चना, जय कुमार यह लोग मुझसे अतिरिक्त दहेज में दो लाख रुपये की मांग करते थे", पर साक्षी मालती द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा अन्तर्गत धारा-246 सी-आर.पी.सी. में यह बयान किया गया कि मैं जब शादी के बाद गयी हूँ, तब से मेरी ससुराल वालों ने मुझे सही तरीके से नहीं रखा और शादी दूसरे दिन मुझे घर से निकाल दिया था और उसके बाद से मैं मायके में रह रही हूँ।

22- परिवादी की शादी दिनांक 04 जून 2013 को हुई थी और परिवादी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा अन्तर्गत धारा-246 सी-आर.पी.सी. में किये गये कथन के अनुसार उसे अगले ही दिन घर से निकाल दिया गया था, पर परिवादिनी द्वारा यह परिवाद 20.07.2015 को दायर किया गया। दोनों तिथियों में लगभग ढाई वर्ष का अन्तर है और यदि परिवादिनी अपने पति के साथ रह रही होती तब यह माना जा सकता था कि उसने अपनी शादी को बचाये रखने के लिए बहुत बहुत सी यातनाएं सही एवं पुलिस रिपोर्ट नहीं की, पर जब एक स्त्री को उसके शादी के अगले ही दिन घर से निकाल दिया जावे तब निश्चित रूप से यह विचित्र है कि परिवादिनी द्वारा वाद ढाई वर्ष बाद डाला गया। ऐसी स्थिति में एक स्त्री सामान्य रूप से शादी के तुरन्त बाद यदि घर से निकाली गयी तो वह तुरन्त थाने जायेगी या न्यायालय में वाद दायर करेगी। शादी के तुरन्त बाद घर से निकाले जाने के बाद परिवादिनी द्वारा ढाई साल बाद वाद डाला गया तो निश्चित रूप यह अभियोजन के इस संस्करण को कमजोर करता है कि परिवादी को दहेज हेतु उत्पीड़ित किया गया।

23- साक्षी पी० डब्ल्यू०-२ दीन दयाल जो कि परिवादी का पिता है, के द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में यह

बयान दिया गया है कि अभियुक्तगण उसके गांव साढ़े तीन साल पहले आये और दो लाख रुपये की मांग करने लगे और जान से मारने की धमकी देकर चले गये, और इनके द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा अन्तर्गत धारा-246 सी-आर.पी.सी. में कहा गया है कि मालती विदा होकर अपनी ससुराल गयी और शादी के बाद पहली बार 15 दिन अपनी ससुराल में रही और उसके बाद 7-8 दिन अपने मायके में रही। पुनः इस साक्षी द्वारा भी अपनी मुख्यपरीक्षा में कहीं पर भी यह बयान नहीं दिया गया है कि उसने अभियुक्तगण को कभी स्वयं मालती को प्रताड़ित करते हुए देखा। अपितु अपनी प्रतिपरीक्षा में साक्षी दीनदयाल द्वारा यह कहा गया है कि "मालती देवी के साथ किसी प्राकर की घटना मेरे सामने नहीं हुई है", जिससे स्पष्ट होता है कि साक्षी दीनदयाल मालती के साथ उसके ससुराल में हुए किसी भी प्रकार के उत्पीड़न का चक्षुदर्शी नहीं है और साक्षी दीनदयाल के द्वारा इस संबंध में दिया गया कोई भी बयान अनुश्रुत साक्ष्य की श्रेणी में आएगा।

24- यद्यपि साक्षी पी०डब्ल्यू०-2 दीन दयाल द्वारा अपने बयान में यह जरूर कहा है कि सभी अभियुक्त गांव लगभग साढ़े तीन साल पहले आये और आते ही दो लाख रुपये की मांग की और सभी लोग जाते समय बिना दो लाख रुपये लाये कवार आने पर जान से मारने की धमकी देकर चले गये और घटना के समय उसकी चाची, मेरी पत्नी और मेरे भाई और मोहल्ले के लोग मौजूद थे", यह घटना परिवादी के मायके में हुई थी जहां पर रहने वाले व्यक्ति परिवादी को अच्छे प्रकार से जानते थे और उन में बहुत से लोग परिवादी के सगे संबंधी भी होंगे पर इसके बावजूद भी परिवादी के द्वारा इस घटना विशेष को साबित करने के लिए कोई भी स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि साक्षी दीनदयाल द्वारा अपनी गवाही में कहा गया है कि घटना के समय मोहल्ले के लोग मौजूद थे, जो निश्चित रूप से अभियोजन पक्ष के संस्करण पर संदेह उत्पन्न करता है।

25- साक्षी पी०डब्ल्यू०-1 मालती देवी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा अंतर्गत धारा 246 दंड प्र० सं० में कहा गया है कि "जय कुमार एटा में सिलाई कार्य करते हैं और वहीं एटा में रहते हैं। अनवीर व अनुपम क्या करते हैं, मुझे जानकारी नहीं है। अनवीर और अनुपम भी एटा में रहते हैं। गांव में नहीं रहते हैं और मेरा पति एटा में ही रहता है। गांव में नहीं रहता है"। इसी प्रकार से साक्षी पी०डब्ल्यू०-2 दीन दयाल द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा अन्तर्गत धारा-246 सी-आर.पी.सी. में कहा गया है कि "शादी के समय सिलाई का काम जय कुमार, विजय कुमार करते थे। ये उस समय एटा में रहते थे और गांव में भी रहते थे। अनुपम और अनवीर शादी के समय कहां रहते थे, मुझे जानकारी नहीं है"। दोनों साक्षियों के कथन से

स्पष्ट है कि कम से कम अभियुक्त विजय एवं अभियुक्त जयकुमार एटा में रहते थे। यदि पीड़िता एवं अभियुक्त गण एक ही घर में रहते हैं तब यह संभव है कि अभियुक्त गण द्वारा पीड़िता का उत्पीड़न किया गया हो पर यहां पर पीड़िता अपनी शादी के बाद गांव में रहती थी और उसका पति विजय और उसका जेठ विजय एटा में रहते थे अतः यहां प्रश्न उठता है की जब वे एक दूसरे स्थान पर रहते थे तब यह कैसे संभव था कि इन अभियुक्तों द्वारा पीड़िता का उत्पीड़न किया गया । ऐसी स्थिति में इस बात की संभावनाएं बहुत कम है कि अभियुक्त विजय एवं जयकुमार ने एक दूसरे स्थान पर रहते हुए पीड़िता का उत्पीड़न किया हो । ऐसी स्थिति में यदि अभियोजन द्वारा ऐसे अभियुक्तों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया जाता है तो अभियोजन को अपने संस्करण में विशिष्ट रूप से यह उल्लेख करना होगा कि किस प्रकार से इन अभियुक्तों ने एक दूसरे स्थान पर रहते हुए पीड़िता का उत्पीड़न किया। यहां पर अभियोजन द्वारा सभी अभियुक्त गुणों पर आरोप सामान्य रूप से लगाए गए हैं और उन आरोपों में किसी भी अभियुक्त की विशिष्ट भूमिका का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है जिससे अभियोजन पक्ष के पूरे संस्करण पर संदेह उत्पन्न होता है । इसी प्रकार से दोनों साक्षियों के उल्लेखित कथनों को ध्यान में रखने पर यह प्रतीत होता है कि अनवीर और अनुपम भी एटा में रहते थे, और उनके बारे में भी अभियोजन द्वारा अपने संस्करण में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि एक दूसरे स्थान पर रहते हुए किस प्रकार अभियुक्त अनवीर व अनुपम ने पीड़िता का उत्पीड़न किया ।

26- प्रस्तुत मामले में दोष सिद्धि यां दोष मुक्ति के निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले यह उचित होगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कुछ विधि व्यवस्थाओं का अवलोकन किया जावे ।

27- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *Rajesh Sharma v. The State Of Uttar Pradesh on 27 July, 2017, 2017 SCC 821* वाद में निम्न विधि व्यवस्था पारित की गई है-

“14. Section 498A was inserted in the statute with the laudable object of punishing cruelty at the hands of husband or his relatives against a wife particularly when such cruelty had potential to result in suicide or murder of a woman as mentioned in the Statement of Objects and Reasons of the Act 46 of 1983. The expression ‘cruelty’ in Section 498A covers conduct which may drive the women to commit suicide or cause grave injury (mental or physical) or danger to life or harassment with a view to coerce her to meet unlawful demand.

It is a matter of serious concern that large number of cases continue to be filed under Section 498A alleging harassment of married women. We have already referred to some of the statistics from the Crime Records Bureau. This Court had earlier noticed the fact that most of such complaints are filed in the heat of the moment over trivial issues. Many of such complaints are not bona fide. At the time of filing of the complaint, implications and consequences are not visualized. At times such complaints lead to uncalled for harassment not only to the accused but also to the complainant. Uncalled for arrest may ruin the chances of settlement. This Court had earlier observed that a serious review of the provision was warranted. The matter also appears to have been considered by the Law Commission, the Malimath Committee, the Committee on Petitions in the Rajya Sabha, the Home Ministry, which have been referred to in the earlier part of the Judgment. The abuse of the 8 Explanation to Section 498A 9 Preeti Gupta (supra) provision was also noted in the judgments of this Court referred to earlier. Some High Courts have issued directions to check such abuse. In Arnesh Kumar (supra) this Court gave directions to safeguard uncalled for arrests. Recommendation has also been made by the Law Commission to make the offence compoundable.

..... 16. Function of this Court is not to legislate but only to interpret the law. No doubt in doing so laying down of norms is sometimes unavoidable. Just and fair procedure being part of fundamental right to life, interpretation is required to be placed on a penal provision so that its working is not unjust, unfair or unreasonable".

28- इसी प्रकार से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *Kahkashan Kausar @ Sonam vs The State Of Bihar on 8 February, 2022, 2022 SCC OnLine SC 162, decided on 08.02.2022*, वाद में निम्न विधि व्यवस्था पारित की गई है-

“this court has at numerous instances expressed concern over the misuse of section 498A IPC and the increased tendency of implicating relatives of the husband in matrimonial disputes, without analysing the long term ramifications of a trial on the complainant as well as the accused. It is further manifest from the said judgments that false implication by way of general omnibus allegations made in the course of matrimonial dispute, if left unchecked would result in misuse of the process of law. Therefore, this court by way of its judgments has warned the courts from proceeding against the relatives and in-laws of the husband when no prima facie case is made out against them”.

29- माननीय उच्चतम न्यायालय ने बार-बार इस बात पर चिंता जताई है कि धारा 498 ए दंड प्रक्रिया संहिता का बहुतायत में दुष्प्रयोग किया जाता है और इस संबंध में बार-बार दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं जिनमें अधीनस्थ न्यायालयों को बहुत सावधानी से ऐसे मामलों से निपटने को कहा गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह दिशानिर्देश भी विशेष रूप से जारी किया गया है कि जब पति के परिवार जनों एवं रिश्तेदारों पर सामान्य रूप से उत्पीड़न का आरोप लगाया गया हो तब अन्य साक्ष्य के अभाव में यह उचित नहीं होगा कि न्यायालय उन परिवारजनों या रिश्तेदारों के विरुद्ध मामले में कार्यवाही करें। प्रस्तुत मामले में भी वादिया द्वारा पति, सास-ससुर, देवर, जेठ, और नन्द को अभियुक्त बनाया गया है। और सभी अभियुक्त गणों पर सामान्य रूप से ही उत्पीड़न एवं दहेज मांगने का आरोप लगाया गया है। साक्षी मालती देवी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है "अभियुक्तगण उपरोक्त कम दहेज लाने का ताना देते थे। खाने कपड़े से परेशान करते थे तथा मारपीट करते थे तथा अतिरिक्त दहेज में अभियुक्तगण एक मकान आगरा में अथवा एक फ्लैट आगरा में लेने की मांग करते थे।" यह सभी आरोप सामान्य प्रवृत्ति के हैं जो कि सभी अभियुक्तगण पर समान रूप से आरोपित किए गए हैं। साक्षी मालती देवी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कहीं पर भी यह नहीं बताया गया है कि यदि उसके साथ मारपीट की गई तो वह किस प्रकार की गई और उसे खाने और कपड़े से किस प्रकार परेशान किया गया। यदि किसी स्त्री का उत्पीड़न उसके ससुराल में किया जाता है तो निश्चित रूप से वह उत्पीड़न बहुत सी घटनाओं का परिणाम होगा एवं उनमें से कुछ घटनाएं ऐसी जरूर होंगी जो पीड़िता को याद रही होंगी, पर अपनी गवाही में मालती देवी द्वारा ऐसी किसी भी घटना का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया।

30- वादिया द्वारा ना तो किसी अभियुक्त गण की विशेष भूमिका का कोई उल्लेख किया गया है और ना ही किसी अभियुक्त गण द्वारा कारित की गई किसी विशिष्ट घटना का वर्णन किया गया है। इससे निश्चित रूप से अभियोजन का पक्ष कमजोर होता है और अभियोजन के संस्करण की सत्यता पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं ।

31- किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उचित होगा कि **भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 114** का परिशीलन किया जावे-

“114 न्यायालय किन्हीं तथ्यों का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा - न्यायालय ऐसे किसी तथ्य का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा जिसका घटित होना उस विशिष्ट मामले के तथ्यों के सम्बन्ध में प्राकृतिक घटनाओं, मानवीय आचरण तथा लोक और प्राइवेट कारोबार के सामान्य अनुक्रम को ध्यान में रखते हुए वह सम्भाव्य समझता है।”

32- भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 को ध्यान में रखते हुए न्यायालय इस बात का संज्ञान ले सकता है कि यदि एक व्यक्ति दिव्यांग है तो निश्चित रूप से उसके जीवन में एक आम व्यक्ति की तुलना में अधिक परेशानियां होंगी और विशेषकर जब शादी विवाह का सवाल हो तो निश्चित रूप से एक दिव्यांग को शादी के उतने अवसर उपलब्ध नहीं होंगे जितने एक आम व्यक्ति को सामान्य रूप से उपलब्ध होते हैं । एक दिव्यांग को समाज बहुत सी दृष्टि से शादी योग्य नहीं समझता है और ज्यादातर स्त्रियां एक दिव्यांग व्यक्ति से शादी करना नहीं चाहेंगी जब तक कि वे स्वयं दिव्यांग ना हो। एक दिव्यांग का विवाह होना समाज में एक कठिन कार्य है। इस संबंध में उचित होगा कि कुछ शोध जर्नल के शोध आलेखों का अध्ययन किया जावे।

33- इस संबंध में विख्यात शोध जर्नल *International Journal of Sociology* में छपे शोध आलेख *Macinnes MD. Altar-Bound? The Effect of Disability on the Hazard of Entry into a First Marriage. Int J Sociol. 2011 Spring;41(1):87-103. doi: 10.2753/IJS0020-7659410105* के अनुसार-

“Though it is less well researched, disability, it is reasonable to suspect, might also influence the likelihood and timing of entry into marriage. Several perspectives might lead us to predict that individuals with disabilities will be at a

lower chance of entry into a first marriage than will their peers without disability. Though a large percent of individuals, roughly 12–18 percent, have a disability, it is still a largely stigmatized characteristic. For instance, individuals with disabilities are often perceived as asexual (Milligan and Neufeldt 2001; Zola 1982). This perception could clearly serve to limit access to potential intimate partners. Other scholars argue that social isolation may play a role; for example, individuals with physical disabilities might be limited in their ability to enter into social spaces where they might meet potential partners due to physical barriers such as staircases (Shakespeare, Gillespie–Sells, and Davies 1996). Further, we might expect a lower hazard of entry into marriage for those with disabilities if we take a life–course perspective. Entry into marriage is one of many transitions into adulthood. While there is considerable variability, a normative ordering of events can be identified: Individuals typically enter into marriage subsequent to making other transitions—in particular, finishing school and holding a job (Hogan 1978; Marini 1984). Insofar as having a disability might limit or slow one’s ability to make these other transitions, we might anticipate a related decrease in the hazard of entry into a first marriage”.

34– इसी संबंध में विख्यात शोध जर्नल *Life Sciences, Society and Policy* में छपे शोध आलेख– *Zewude, B., Habtegiorgis, T. “Willingness of youth without disabilities to have romantic love and marital relationships with persons with disabilities”*. *Life Sci Soc Policy* 17, 5 (2021). <https://doi.org/10.1186/s40504-021-00114-w> के अनुसार

“People with disabilities tend to be disempowered and deprived of economic and social opportunities and security because of social and physical barriers in society (Wiman et al. 2002). The images of people with disabilities in both Eastern and Western cultures provide the bias for negative attitudes. Current assumptions combined with historical social portrayals of people with disabilities as “sick and

suffering” make it difficult for these individuals to meet the standards of social norms and to be viewed independent of these images (Almaz, 2011). Moreover, persons with disabilities are the most marginalized groups when it comes to sexual and reproductive health issues (WHO 2009; Tanabe et al. 2015; Meza et al., 2017). In fact, many persons with disabilities enjoy the experience of marriage and family life. However, because of stigma and discrimination, lack of access to information and services, especially those on sexual and reproductive health, many do not marry and have children. ... Persons with disabilities face various hindrances to their sexuality which includes lack of sexual self-esteem, failure to enjoy pleasurable sex, and failure to get sexual partners (Tepper 2000). The stereotype that ascribes asexuality to persons with disabilities is a general phenomenon in most societies. The stigma of asexuality will depend on the kind and extent of disability (Miller et al. (2009). It is not merely that the disabled body may not be aesthetically appealing according to social meanings of attractiveness, though that may be part of the reason persons with disabilities experience stigma. However, a major determining factor of the stigma is the extent to which the physical or mental disability has the potential to, or actually challenges the dominant norms governing sexuality. Experiencing a limiting long-term illness, impairment or significant health problem is associated with an increased likelihood for disabled adults of being single/unmarried and an increased likelihood of being divorced or separated: the potential implications of impairment for relationship status have additionally been shown to be different for men and women at different points in the life span (Clarke and McKay 2008). ...Across the world, people with disabilities face attitudinal barriers including prejudice, stereotypes, and low expectations (Division for Social Policy and Development, 2016). Communities may believe that people with disabilities lack the necessary qualities to make successful marriage partners, and beliefs around

disability being related to bad family spirits can lead to concerns that they will bring evil or misfortune with them if they marry into the family (Aley 2016). According to Haage (2017), the marital chances of people with disabilities are significantly smaller compared to their non-disabled counterparts”.

35- इसी संबंध में विख्यात शोध जर्नल *Disability and Health Journal* में छपे शोध आलेख- *Tumin D. Marriage trends among Americans with childhood-onset disabilities, 1997-2013. Disabil Health J. 2016 Oct;9(4):713-8. doi: 10.1016/j.dhjo.2016.05.004* के अनुसार

“Growing up with a disability influences people’s transition to adulthood, a period characterized by completing formal education, beginning full-time work, entering a committed romantic relationship, and having children. People growing up with a disability are less likely to marry compared to people without disabilities. For example, among American young adults, disability was associated with 14% lower hazard of entry into first marriage.⁷ This delay of marriage among young adults with disabilities may delay transitions to other adult roles, including employment, parenthood, and independent living. Diverse barriers to romantic relationships have been identified among people growing up with disabilities. People with disabilities experience limited opportunities to meet romantic partners, discrimination by potential partners, and negative self-perceptions of their body and sexuality. According to a recent synthesis of the literature, relationship formation among people with disabilities may also be subject to criticism from their families, their partner’s families, or healthcare providers”.

36- इन सभी शोध जर्नल में किए गए शोध से यह स्पष्ट है कि एक दिव्यांग व्यक्ति की शादी होना समाज में एक मुश्किल कार्य है और एक दिव्यांग व्यक्ति की शादी किसी ऐसी स्त्री से होना जो दिव्यांग नहीं है निश्चित रूप से बहुत कम ही देखने को मिलता है । एक सामान्य स्त्री निश्चित रूप से यह नहीं

चाहेगी कि उसका विवाह किसी हो दिव्यांग से हो और ना ही उसका परिवार ही ऐसा चाहेगा। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त विजय एक दिव्यांग है और उसकी पत्नी जो कि इस वाद में पीड़िता है वह एक सामान्य स्त्री है और इन परिस्थितियों में इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि एक दिव्यांग व्यक्ति जिसकी शादी एक सामान्य स्त्री से हुई है वह उस स्त्री को दहेज के प्रलोभन में आकर प्रताड़ित करेगा। अपितु ऐसी स्थिति में वह दिव्यांग पति निश्चित रूप से प्रयास करेगा कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर ना जाए क्योंकि निश्चित रूप से उस दिव्यांग पति के लिए दूसरा विवाह करना एक अत्यंत जटिल कार्य होगा ।

37- उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में जो मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य दाखिल किये गये हैं, उसके आधार पर अभियुक्तगण विजय कुमार, सन्तलाल, श्रीमती किताबश्री, अनवीर सिंह, अनुपम, जयकुमार एवं अर्चना के विरुद्ध कोई भी आरोप संदेह से परे साबित नहीं होता है। अतः साक्ष्य के अभाव में अभियुक्तगण दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं।

आदेश

38- अभियुक्तगण विजय कुमार, सन्तलाल, श्रीमती किताबश्री, अनवीर सिंह, अनुपम, जयकुमार एवं अर्चना को अन्तर्गत धारा- 498 ए, 506 भारतीय दंड संहिता व 3/4 डी०पी० एक्ट के आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं, उनके व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

39- अभियुक्तगण द्वारा धारा-437 ए दं० प्र० सं० के अनुपालन में दाखिल किये गये व्यक्तिगत बंधपत्र व प्रतिभू निर्णय की तिथि से छः माह तक प्रभावी रहेंगे।

(अवनीश

कुमार)

दिनांक: 20.02.2023

सिविल जज(जू०डि०)/

जे०एम०-एफ०टी०सी०,

कासगंज।

40- आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवनीश कुमार)

दिनांक: 20.02.2023

सिविल जज(जू०डि०)/

जे०एम०-एफ०टी०सी०,

कासगंज।

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०/एफ०टी०सी०, कासगंज।

उपस्थित: अवनीश कुमार

(उ०प्र०न्यायिक सेवा),

JO Code-UP3571

दाण्डिक वाद सं०-06/2021

कम्प्यूटर संख्या-976/2021

CNRNo.UPKR040030592021

राज्य

बनाम

- 1- शिवम यादव पुत्र मोहर सिंह
- 2- श्रीमती सुनीता पत्नी मोहर सिंह
- 3- मोहर सिंह पुत्र स्व० रामचन्द्र

निवासीगण नागर कंचनपुर, थाना सुन्नगढ़ी
जिला कासगंज।

धारा-498 ए, 494 भा०दं०सं०
व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम।
अपराध सं०-196/2014
थाना-सुन्नगढ़ी, जनपद-कासगंज।

निर्णय

1- यह आरोप पत्र अभियुक्तगण शिवम यादव, श्रीमती सुनीता एवं मोहर सिंह के विरुद्ध धारा-498 ए, 494 भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना कासगंज द्वारा प्रेषित किया गया, जिसका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया गया है।

2- संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थिया सीमा पत्नी शिवम यादव पुत्र जगताराम निवासी ग्राम पीतम नगर हड़ौरा, थाना सिकन्दरपुर वैश्य, जनपद कासगंज की मूल निवासी है। प्रार्थिया का विवाह लगभग 3 वर्ष पूर्व हुआ था। प्रार्थिया के पिता जगताराम ने अपनी हैसियत से ज्यादा धन दहेज भी दिया था। शादी के बाद से प्रार्थिया को दहेज में दो लाख रुपये की अतिरिक्त मांग करते थे और प्रार्थिया को शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना देते रहे। प्रार्थिया लगभग ढाई वर्ष अपने पति शिवम के साथ रही लेकिन ससुरालीजन मुझे परेशान करते रहे। उसी दौरान मुझे मेरे पति व ससुरालीजन प्रताड़ना देते रहे। मेरे पति गांव में रिश्तेदारी में अपनी बुआ के यहां इलाहाबाद से युवती खुशबू को साथ भगा ले गया जिसको लगभग 5 माह हो चुके हैं। अब प्रार्थिया को उसके सास सुनीता देवी व ससुर मोहर सिंह निवासी नागर कंचनपुर, थाना सुन्नगढ़ी ने भी घर से बाहर निकाल दिया है। अब प्रार्थिया दर-दर ठोकरे खाने को मजबूर है।

3- उक्त तहरीर के आधार पर दिनांक-28.12.2014 को समय 10.30 बजे ए०एम०, सम्बन्धित थाना सुन्नगढ़ी पर अभियुक्तगण शिवम यादव, श्रीमती सुनीता एवं मोहर सिंह के विरुद्ध अपराध सं०-

53/2014 अन्तर्गत धारा-498 ए भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में पंजीकृत की गयी।

4- विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण शिवम यादव, श्रीमती सुनीता एवं मोहर सिंह के विरुद्ध दिनांक 28.04.2015 को आरोप पत्र अन्तर्गत धारा- 498 ए, 494 भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किया गया।

5- अभियुक्तगण को न्यायालय द्वारा आहूत किया गया। बाद उपस्थिति अभियुक्तगण को सभी सम्बन्धित कागजात की नकलें प्रदान की गईं एवं उनके विरुद्ध आरोप दिनांक 06.08.2016 को अन्तर्गत धारा- 498 ए, 494 भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने लगाये गये आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

6- अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डब्लू०-1 सीमा, पी०डब्ल्यू०-2 मोहर सिंह, पी०डब्ल्यू०-3 कमलेश एवं पी०डब्ल्यू०-4 एस०आई० धनुष कुमारी को परीक्षित कराया गया है। अभियोजन की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य में प्रथम सूचना रिपोर्ट, नकल तहरीर, नक्शानजरी, आरोप पत्र, जी०डी० कायमी मुकदमा तथा केस डायरी प्रस्तुत किये गये हैं। बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन प्रपत्रों के निष्पादन की औपचारिकता सत्यता को स्वीकार किया गया।

7- उक्त साक्ष्य के उपरान्त अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने घटना को गलत बताया और कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

8- उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया।

9- अभियुक्तगण पर आरोप है कि दिनांक, समय व स्थान अदम तहरीर थाना सुन्नगढ़ी, जनपद कासगंज में वादिनी मुकदमा सीमा से अतिरिक्त दहेज में 2,00,000/- रुपये की मांग की। उक्त मांग पूरी न हो पाने के कारण उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया एवं वादिनी मुकदमा सीमा के जीवनकाल में ही शिवम का पुनः विवाह कर दिया गया।

10- विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा है कि इस प्रकरण में परीक्षित गवाहान ने घटना को साबित किया है। अभियुक्त के विरुद्ध आरोप संदेह से परे साबित हुआ। ऐसी स्थिति में अभियुक्त दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

11- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त के द्वारा कोई भी अपराध कारित नहीं किया गया है। उसके विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। अतः अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

12- पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा उभयपक्ष के तर्कों के आलोक में यह देखा जाना है कि अभियुक्त पर लगाये गये आरोप युक्ति-युक्ति संदेह से परे साबित होते हैं अथवा नहीं।

13- अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गये साक्षी पी0 डब्ल्यू01- सीमा द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया गया है कि "मेरी शादी पांच वर्ष पूर्व शिवम यादव पुत्र मोहर सिंह के साथ ग्राम कंचनपुर नागर थाना सुन्नगढ़ी में हुई थी। शादी में मेरे पिता श्री जगताराम ने लर, अंगूठी, मोटरसाइकिल, बेड, आलमारी, फ्रीज, कूलर, एक भैंस व नकद एक लाख रूपया दिया था। शादी के बाद से ही मेरे पति शिवम यादव व मोहर सिंह, सास सुनीता अतिरिक्त दहेज में दो लाख रूपये की मांग करते थे और दहेज की इस मांग के लिए मेरे साथ मारपीट करते थे और मुझे भूखा रखते थे। यह बात मैंने अपने घरवालों को बताई थी और मेरे पिता जी द्वारा समझाने के बाद भी यह लोग नहीं माने और मुझे दहेज के लिए मारते पीटते रहे और आज से करीब दो साल पूर्व मेरे पति इलाहाबाद से एक युवती खुशबू को अपने साथ भगाकर लाए और मेरी ससुराल में बुआ के घर रहकर शादी कर ली थी और मुझे इस शादी के चार पांच दिन बाद घर से निकाल दिया और दहेज में दिया गया सामान व स्त्रीधन भी वापस नहीं किया। मैंने इस बात की रिपोर्ट थाने पर गई तो मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई तब मैंने एक प्रार्थनापत्र टाइप कराकर कप्तान साहब को दिया था जिसपर मेरे हस्ताक्षर हैं। गवाह को कागज सं० 4 अ/3 दिखाया, पढ़कर सुनाया गया, गवाह ने उसकी तस्दीक की, जिस पर प्रदर्श क-1 डाला गया। घटना के बाद दरोगा जी ने मेरे बयान एक माह बाद और मेरी निशानदेही पर नक्शानजरी बनाया था।"

14- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षा की तो साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि "मेरी शादी दो साल पहले हुई थी। मुझे दिन, तारीख, महीना, वर्ष शादी का याद नहीं है। मैं शादी के बाद ससुराल में दो वर्ष तक रही थी। मैं अपने पति के साथ जाना नहीं चाहती। आज मैं अपने भाई कमलेश के साथ आई हूँ। मेरे भाई कमलेश इस समय मेरे साथ खड़े हुए हैं। गवाही मैं अपने भाई के कहने पर नहीं दे रही हूँ, अपने कहने पर दे रही हूँ। मेरी ससुराल में ससुर मोहर सिंह, सास सुनीता, पति शिवम, ननद शालिनी, देवर चन्दकीराम बलमेदर, सौरभ देवर, हरबू देवर, शिवानी ननद, और खुशबू जिनको मेरे पति भगाकर ले आए। खुशबू शिवम की पत्नी लगती है। मैं भी शिवम की पत्नी हूँ। मैंने खुशबू के साथ शिवम के फेरे होते हुए देखे थे। मुझे फेरे की तारीख नहीं पता है। मुझे फेरे का तारीख, महीना, साल नहीं पता है। मैंने फेरों को रोकने का प्रयास किया। मेरे सामने पूरे सात फेरे लगे थे। मैंने रोकने का प्रयास किया था, मैं थाने भी गई थी लेकिन पुलिस मौके पर नहीं आई। पण्डित जी कौन थे, मैं नहीं जानती हूँ। वह गांव के ही थे। मैंने पण्डित का नाम पता जानने का प्रयास नहीं किया। लड़की की बुआ, फूफा सभी लोग मौजूद थे। मेरे परिवार में मेरे अलावा मेरा एक भाई कमलेश रहता है। मेरे पास कितने बीघा जमीन है, मुझे ध्यान नहीं है। उस जमीन को मेरे भाई कमलेश जोत रहे हैं। उसी से मेरा खर्चा चल रहा है। मैं आखिरी बार अपनी ससुराल से कब आई, मुझे ध्यान नहीं है। मैं अपनी ससुराल में एक माह रही थी। एक माह बाद ही इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था। एक माह तक मुझे सही रखा लेकिन मारते पीटते भी रहे। उसके बाद मैं ससुराल गई थी लेकिन वह मुझे मारते पीटते रहे थे। मैं ससुराल ढाई वर्ष तक साथ रही थी लेकिन सही एक माह तक ही रखा था। मुझे अपने ससुर से भी शिकायत है। मैंने मुकदमा कप्तान साहब के आदेश से लिखाया था। मुझे ध्यान नहीं है कि वह आदेश किस दिनांक, महीना का था। मैंने तहरीर कप्तान साहब को अपने हाथ से लिखकर दी थी, मैं पढ़ी लिखी हूँ। मैं हिन्दी में लिखा-पढ़ी कर लेती हूँ। मुकदमा कप्तान साहब से आदेश कराने के सात-आठ दिन बाद लिखा गया था। मेरे बयान दरोगा जी ने लिये थे। मेरे बयान दरोगा जी ने एक माह के अन्दर लिए थे। मेरे पति मुझसे प्रेम करते थे लेकिन इस समय नहीं कर रहे हैं। अगर मेरे पति हाथ पैर जोड़कर माफी मांगकर भी जाये तब भी मैं नहीं जाऊंगी। अगर मेरे पति मेरे नाम

जमीन कर दे तो मैं उनके साथ चली जाऊंगी। मुझे अपने पति से ज्यादा जमीन से लगाव है, इसी वजह से मैं उनके साथ जाना नहीं चाहती हूँ। मेरे पति घर पर रहते हैं, परचूनी की दुकान चलाते हैं। गांव में दूकान अच्छी चलती है। मैंने जो घटना की तहरीर दी थी उसके घटना का समय साल दिनांक लिखाया था, वह क्यों नहीं लिखा, उसकी वजह मैं नहीं बता सकती हूँ। मुझे घटना का समय, साल दिनांक आज भी ध्यान नहीं है, इसलिए बता नहीं सकती हूँ, इसीलिए मेरे साथ कोई घटना भी नहीं हुई, बाद में कहा कि घटना हुई थी। यह कहना गलत है कि मैंने अपने मुकदमे में जो अतिरिक्त दहेज में दो लाख रुपये होने की बात लिखाई है, वह सही है। मेरे मायके में मकान नहीं है, मढइया है। ससुराल में मेरे तीन मकान है। मैं पुराने वाले मकान में रहती थी। मेरे सास ससुर भी पुराने मकान में रहते थे। उन दोनों मकानों में हमारी सास व ससुर रहते थे, फिर कहा ससुर रहते थे। यह कहना गलत है कि हमारे ससुर व सास साथ नहीं रहते थे। मेरी तहरीर में जो लिखा है कि मुझे पति व ससुराल वाले मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना देते रहे हैं, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। यह कहना भी गलत है कि मेरे साथ मेरे पति व ससुराल वाले ने मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना न की है। यह कहना गलत है कि मेरे पति ने खुशबू नाम की लड़की से शादी न की हो और मैं जमीन के लालच में अपने पति के साथ न रह रही हूँ। मेरे मां-बाप मेरे गांव में ही रहते हैं। यह कहना गलत है कि इस समय मैं अपने भाई कमलेश जो मेरे बराबर में खड़े हैं, के कहने पर झूठा बयान दे रही हूँ। ”

15- साक्षी पी0 डब्ल्यू0-2 मोहर सिंह द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया गया है कि “ आज से करीब साढ़े पांच वर्ष पहले सीमा की शादी शिवम के साथ हुई थी। मैं शादी में शामिल था। सीमा के पिता ने अपनी हैसियत के हिसाब से दान दहेज देकर शादी में विदा किया था। सीमा से उसके पति व सास -ससुर अतिरिक्त दहेज के रूप में दो लाख रूपयों की मांग करते थे। सीमा ने दो लाख रुपये न देने की असमर्थता जताई तब उसके ससुरालीजन उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। उसी दौरान सीमा के पति शिवम ने खुशबू नाम की एक लड़की से दूसरा विवाह कर लिया तथा सीमा को शिवम व उसके मां-बाप ने घर से निकाल दिया। आज भी सीमा मायके में जीवन यापन कर रही है। सीमा ने इस सम्बन्ध में मुकदमा दर्ज कराया है। इस सम्बन्ध में पुलिस ने मेरा बयान लिया था। ”

16- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षा की तो साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि “मेरा गांव म्योहाला है जो जनपद कासगंज में ही है। सीमा मेरी कोई नहीं लगती है, पड़ोस की लड़की है। मैं सीमा को दस-पन्द्रह साल से जानता हूँ। मेरा उनके यहां काफी समय से आना जाना है। हम व सीमा के परिवारीजन एक ही जाति के हैं। मेरा सीमा के परिवार से घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं है। मेरे पास गवाही के लिए सम्मन गया था लेकिन पुलिस ने मुझे कोई सम्मन नहीं दिया था। मुझे उपरोक्त प्रकरण की घटना का समय व दिनांक कुछ याद नहीं है क्योंकि काफी समय हो गया है। घटना दिनांक 28.12.2014 को हुई थी। 28.12.2014 को लड़की को तंग व परेशान कर रहे थे, इसकी रिपोर्ट हुई थी। मैं रिपोर्ट लिखाने नहीं गया। मेरे सामने सीमा को ससुराल वालों ने तंग व परेशान नहीं किया। मेरे सामने सीमा से शिवम, सुनीता व मोहर सिंह ने कोई अतिरिक्त दहेज की मांग नहीं की। मेरे सामने सीमा मुल्जिमानों ने मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न किया था, तारीख, दिन, सन्, महीना मुझे याद नहीं है। इन्होंने तंग परेशान अपने यहां गांव नागर(ससुराल) में किया था। मैं उस समय वहां उनके घर पर था। बहुत ज्यादा शोरगुल उनके घर पर हो रहा था, मैं भी सुनकर वहां

चला गया और कितने लोग मौजूद थे, मैं नहीं बता सकता। घर के अन्दर मोहर सिंह व शिवम मौजूद थे। मैं भी गेट के अन्दर था। मेरे साथ गेट के अन्दर चार-छः लोग मौजूद थे। हम उपरोक्त लोगों के अलावा, दस-पन्द्रह के अलावा और कोई घर में मौजूद नहीं था। मैं दो तीन घण्टे तक वहां रुका था। मैं दो-तीन घण्टे उनके दरवाजे पर खड़ा रहा था। मैंने पुलिस को कोई सूचना नहीं दी और न ही किसी गांव वालों ने दी। उस समय पुलिस भी नहीं आई थी। मैंने सीमा के परिवार वालों के सूचना दी। सीमा के पिता जगताराम को दी। मैंने यह सूचना अपने मोबाइल से अपने घर म्योहाला जाकर दी थी। मेरा मोबाइल नम्बर मुझे याद नहीं है। जगताराम का भी मोबाइल नम्बर मुझे याद नहीं है। मैंने सूचना दूसरे दिन दी है, उस दूसरे दिन का तारीख, समय, महीना नहीं याद। जगताराम ने यह कहा कि मैं जाकर देखूंगा। जगताराम मेरे साथ शोगगुल के स्थान पर नहीं गये, स्वयं अकेले गये थे। सीमा के पिता जगताराम ने मुझे कुछ नहीं बताया। हो सकता है कि बाद में उन्होंने रिपोर्ट की हो। मुझे उस पन्द्रह दिन बाद पता चला था कि जगताराम ने मुल्जिमानों के खिलाफ दहेज सम्बन्धी रिपोर्ट कर दी है। मुझसे जगताराम ने यह नहीं कहा कि घटना वाली बात आपको पुलिस को बतानी है। पुलिस ने मुझसे मेरे घर म्योहाला आकर शोरगुल वाली बात पूछी थी, लगभग चार-पांच महीने बाद पुलिस ने पूछा था। मैं दरोगा जी के साथ घटनास्थल पर नहीं गया था। मेरे गांव के अलावा पुलिस ने मेरा कहीं कोई बयान नहीं लिया। मैंने विवेचक को शोरगुल वाली बात बताई थी। मेरे गांव से नागर दस कि०मीटर दूर है। मैं शिवम और उसके परिवारीजन को पहले से नहीं जानता हूँ। शोरगुल वाली बात के बाद सीधे एफ०आई०आर० हो गई थी। उसके बाद कोई घटना इस सम्बन्ध में नहीं हुई।"

17- (दिनांक 15.12.2017 को जिरह जारी) "शिवम की पत्नी का नाम सीमा है। शिवम अपनी पत्नी से अलग रहकर दूसरी पत्नी के साथ रह रहा है। उस पत्नी का नाम खुशबू है। वह घर में रहती है, उसके एक शिवम से बच्चा भी है। मैंने खुशबू और शिवम की शादी होते हुए नहीं देखा और न ही मुझे यह मालूम कि शिवम और खुशबू की शादी कब हुई। मैं रिश्तेदारी में जाता हूँ, मैंने उनको वहां साथ रहते हुए देखा है। मुझे यह दिन तारीख नहीं मालूम कि मैंने खुशबू और शिवम को रहते हुए कब देखा और न ही मुझे महीना व साल याद है। खुशबू के पिता ने शिवम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी और रिपोर्ट में भी यह लिखा है कि शिवम खुशबू को ले गया था। कॉपी मुझे इलाहाबाद से मिली थी। मैं उस कॉपी का दाखिल नहीं कर सकता, वह पत्रावली में मौजूद है। कॉपी लड़की के पिता ने दाखिल की है, मैंने नहीं की है, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि कौन सी कॉपी है। यह बात मैं लड़की के पिता के कहने पर ही बता रहा हूँ कि पत्रावली में दाखिल है। मैंने अग्नि के समक्ष सात फेरे होते हुए शिवम को खुशबू के साथ कभी नहीं देखा। यह बात सही है कि जब दूसरी शादी होती है तब वरमाला पति-पत्नी एक दूसरे को पहनाते हैं और तभी शादी होती है, उसके फेरे नहीं होते हैं। मैं खुशबू के पिता को नहीं जानता हूँ क्योंकि वह इलाहाबाद से होकर आया है। मैं खुशबू का फोटू भी दाखिल नहीं कर सकता। दूसरी शादी की बात मुझे 28.12.2014 को पता चली थी क्योंकि तभी रिपोर्ट हुई थी। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया। रिपोर्ट लिखने के पांच-छः महीना बाद लिया था। मैं रिपोर्ट लिखाने साथ में नहीं गया। यह कहना गलत है कि शिवम ने दूसरा विवाह न किया हो, ये लोगों के कहने पर बता रहा हूँ। यह कहना सही है कि शिवम ने अतिरिक्त दहेज में दो लाख रुपये की मांग की थी। यह कहना गलत है कि मैं झूठा बयान दे रहा हूँ।"

18- साक्षी पी० डब्ल्यू०-३ कमलेश द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया गया है कि "मेरी बहन सीमा की शादी शिवम यादव पुत्र मोहर सिंह निवासी नागर कंचनपुर थाना सुननगढ़ी के साथ सन 2011 में हुई थी। शादी में अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज भी दिया था। शादी होने के कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा

लेकिन उसके बाद पति शिवम, सास सुनीता देवी व ससुर मोहर सिंह उससे दो लाख रुपये की मांग करने लगे जिसकी सूचना उसने मुझे दी थी। दो लाख रुपये की मांग न पूरी करने पर पति, सास, ससुर द्वारा उत्पीड़न किया जाना शुरू किया गया जो कि शारीरिक व मानसिक रूप से असहनीय था। मेरी बहिन सीमा ने मुझे बताया था कि मेरा पति शिवम किसी लड़की को भगा कर लाया है। मेरी बहन को ससुराल वालों ने घर से बाहर निकाल दिया था तब से वो हमारे घर पर ही रह रही है। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।”

19- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षा की तो साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि "सीमा मेरी बहन है। शादी मेरी बहन की सन 2011 में हुई थी। तारीख व महीना मुझे याद नहीं है। मेरी बहन सीमा इस समय मेरे घर पर है। हम दो बहन भाई है। मेरी शादी हो चुकी है। मेरी शादी सन 2005 में हुई थी। मैं अपनी बहन से बड़ा हूँ। मैं अपनी बहन के साथ रिपोर्ट लिखाने गया था। एफ०आई०आर० उसी दिन हो गई थी। हम दो लोग ही थाने गये थे, मैं और मेरी बहन। एफ०आई०आर० की तहरीर लिखकर मैंने स्वयं अपने हाथ से लिख कर दी थी। तहरीर मैंने थाने में ही लिखी थी। उस तहरीर पर मेरे हस्ताक्षर नहीं थे। तहरीर पर मैंने हस्ताक्षर नहीं किये थे और किसी ने भी हस्ताक्षर नहीं किये थे। तहरीर हमने दीवान जी को दे दी थी। दीवान जी का नाम नहीं मालूम। तहरीर देने के बाद मैं अपनी बहन के साथ प्रोजेक्ट दीदी में आ गये थे। प्रोजेक्ट दीदी में सुलहनामा होता है। प्रोजेक्ट दीदी में शिवम आए थे लेकिन सुलहनामा नहीं हुआ था। मैं तहरीर थाने में देकर चला गया था, मेरा मुकदमा दर्ज हुआ था या नहीं मुझे इसका पता नहीं। मेरा दरोगा जी ने बयान एफ०आई०आर० होने के 3-4 महीने बाद लिये थे। मैंने दरोगा जी को बयान किस तारीख को दिये मुझे तारीख व दिन का पता नहीं। दरोगा जी को बयान मैंने अपने घर पर दिये थे। गवाह को 161 सी-आर.पी.सी. का बयान पढ़कर सुनाया तो गवाह ने बताया कि मेरे बयान की आखिरी लाइन में "मेरी बहन" की जगह मेरी लड़की को लिखा दिया, यह बात गलत है कि उन्होंने ऐसा कैसे लिख दिया, मैं इसकी वजह नहीं बता सकता। यह बात सही है कि मेरे 161 सी-आर.पी.सी. के बयान में "अतिरिक्त दहेज" शब्द नहीं है। यह बात भी सही है कि मेरे 161 सी-आर.पी.सी. के बयान में मेरी बहन की शादी की तारीख, दिन, महीना एवं घटना का समय व घटनास्थल नहीं लिखा है। मैंने दरोगा जी को घटना का समय, दिन, घटनास्थल बताया था, उन्होंने ने नहीं लिखा, इसकी वजह मैं नहीं बता सकता। मैं दरोगा जी को बहन की शादी की तारीख भी बताई थी, अगर नहीं लिखी है तो मैं वजह नहीं बता सकता। हम लोग शिवम के परिवार वालों को दो लाख रुपये नहीं दे पाए थे और शिवम इलाहाबाद से खुशबू नाम की लड़की को भगाकर ले आया था, इसलिए मेरी बहन को घर से निकाल दिया था। मैंने दरोगा जी को खुशबू को भगा लाने की बात बताई थी, अगर उन्होंने मेरे बयान में यह बात नहीं लिखी है तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकता हूँ। अगर शिवम अतिरिक्त दहेज में दो लाख रुपये ना मांगते और खुशबू को न भगाकर लाया होता और हमने पैसा दे दिये होते तो मेरी बहन अपनी ससुराल में अच्छी तरह से रह रही होती। लड़की को भगाकर लाने की वजह से ही यह मुकदमा आज चल रहा है। खुशबू शिवम के घर पर रह रही है। खुशबू शिवम की पत्नी की हैसियत से रह रही है। प्रश्न- आपको कैसे मालूम कि खुशबू, शिवम की पत्नी है ? उत्तर:- इनके मां-बाप ने स्वीकृत किया है कि हमारा लड़का हमारे सब परिवार की मर्जी से खुशबू नाम की लड़की से शादी कर रहा है। मैं अपनी आंखों से खुशबू और शिवम की शादी होते नहीं देखा है। खुशबू और शिवम की किस तारीख को शादी हुई, मुझे तारीख नहीं मालूम। खुशबू और शिवम की शादी शिवम के घर पर हुई थी। हमें इन लोगों की शादी होने के बाद पता चला था। उस समय मेरी बहन मेरे घर पर थी। हम दूसरी शादी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गए थे। दरोगा जी ने एफ०आई०आर० की कॉपी मांगी थी वो मैंने उन्हें दी

थी। इस मामले में दरोगा जी ने नक्शा स्वयं जाकर बनाया होगा। मेरे सामने नहीं बनाया था। मेरी बहन अपने पति शिवम से 2014 से अलग रह रही है। यह कहना गलत है कि शिवम के परिवार वालों ने दो लाख रुपये की मांग न की हो और मारापीटा न हो। यह कहना गलत है कि शिवम ने खुशबू से दूसरी शादी न की हो। यह कहना गलत है कि शिवम के माता पिता की जमीन हड़पने की वजह से अपनी बहन को उसके पति शिवम के पास न भेज रहे हो"।

20- साक्षी पी० डब्ल्यू०-४ धनुष कुमारी द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया गया है कि "दिनांक 31.12.2014 को मैं बतौर एस०आई० थाना कासगंज पर तैनात थी। मु०अ०सं०-196/14 धारा 498 ए आई०पी०सी० व 3/4 डी०पी० एक्ट की विवेचना पूर्व विवेचक एस०आई० अजय कुमार थाना सुन्नगढ़ी से स्थानान्तरित होकर मुझे प्राप्त हुई थी। मेरे द्वारा 31.12.2014 को ही विवेचना ग्रहण की गई तथा प्राप्त प्रपत्रों का अवलोकन किया। विवेचना के क्रम में दिनांक 27.01.2015 को पर्चा सं०-3 किता किया जिसमें बयान वादिया सीमा अंकित किया गया तथा वादिया की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा नक्शानजरी बनाया गया जो कि पत्रावली पर कागज सं०-7 अ के रूप में संलग्न है जो कि मेरे लेख एवं हस्ताक्षर में है जिसकी मैं पुष्टि करती हूँ जिस पर प्रदर्श क-2 डाला गया है। दिनांक 07.02.2015 को उक्त मुकदमे की रिपोर्ट मध्यस्थता के लिए मा० न्यायालय परिवार परामर्श केन्द्र जनपद कासगंज के द्वारा भेजी गई जिसकी कार्बन कापी सी०डी० संलग्न की गई। दिनांक 12.02.2015 को अभियुक्त शिवम पुत्र मौहर सिंह न्यायालय में हाजिर हुए। रोबकार हाजिर व जमानत सूचनार्थ प्रेषित किया गया। दिनांक 20.02.2015 को बयान जगताराम पुत्र रूपराम अंकित किया गया। दिनांक 02.03.2015 को उक्त मुकदमे से सम्बन्धित डी०एल०एस०ए० कासगंज का नोटिस प्राप्त हुआ। डी०एल०एस०ए० केन्द्र कासगंज के नोटिस के आधार पर उक्त मुकदमे में धारा 494 की बढोत्तरी की गई। दिनांक 22.03.2015 को गवाह मौहर सिंह पुत्र लखपत सिंह, सीताराम पुत्र रूपराम के बयान अंकित किये गये। दिनांक 28.04.2015 को अभियुक्तगण सुनीता देवी, शिवम यादव एवं मौहर सिंह के बयान अंकित किये गये। तमामी विवेचना के आधार पर उक्त अभियुक्तगण सुनीता देवी, मौहर सिंह एवं शिवम यादव के विरुद्ध 498 ए, 494 आई०पी०सी० व 3/4 डी०पी० एक्ट में आरोप पत्र सं०-12/15 दिनांकित 28.04.2015 न्यायालय में प्रेषित किया गया जो कि पत्रावली पर कागज सं०-3 अ के रूप में संलग्न है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिस पर प्रदर्श क-3 डाला गया है"।

21- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षा की तो साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि "इस केस की विवेचना मुझे 31.12.2014 को मिली थी। मैं घटनास्थल पर 27.01.2014 को गई थी। घटनास्थल विपक्षा का मकान था। घटनास्थल के दक्षिण में मेन दरवाजा है। मदनलाल का मकान किस दिशा में है, मुझे मालूम नहीं। मकान की सीढ़ियां छत वाली उत्तर में हैं। यह बात सही है कि वादिया के बयानों में घटना का दिनांक, समय एवं घटनास्थल अंकित नहीं है। मैंने वादिया से घटना का दिनांक, समय एवं घटनास्थल क्यों नहीं पूछा, इसकी वजह नहीं बता सकती। वादिया के पिता व भाई का बयान 20.02.2014 को लिया था। यह बात भी सही है कि मैंने गवाह जगताराम मौहर सिंह व सीताराम से भी घटना का दिनांक, समय नहीं अंकित किया है, क्योंकि इन मुकदमों में घटना का समय एवं दिनांक नहीं होता है। यह मैं मानती हूँ कि यह मामला आपराधिक प्रकृति का है। सीमा ने अपने बयान में घटना का समय एवं दिनांक के सम्बन्ध में जो कथन किया है उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। मैंने 494 आई०पी०सी० की बढोत्तरी मदस्ता व साक्षियों के आधार पर की थी। 494 आई०पी०सी० (दूसरी शादी) कोई भी लिखित दस्तावेज साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है।

जिससे उसने शादी की थी, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। शिवम ने जिस लड़की से दूसरी शादी की है, उसका नाम, पिता का नाम और निवास मुझे नहीं मालूम है। वादी के घर वालों को भी उसके दूसरी शादी के निवास स्थान पता नहीं था इसलिए मुझे भी पता नहीं तथा मुल्जिमानों के बयान मैंने लिए थे लेकिन तारीख मुझे याद नहीं है। मुल्जिमानों ने जो बात मुझे बताई वो मैंने लिख दी थी। मैंने मुल्जिमानों के घर वालों से उसके दूसरी शादी के बारे में पूछा था, लेकिन कुछ नहीं बताया था। यह कहना गलत है कि मैंने सही तरीके से विवेचना न की हो और गलत तरीके से आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया हो। ये बात सही है कि वादी मुकदमा ने एफ०आई०आर० में घटना का समय, घटनास्थल नहीं लिखाया है, उसके बावजूद भी मैंने न्यायालय मुल्जिमानों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया था"।

22- साक्षी सी० डब्ल्यू०-1 एच.सी. राकेश बाबू पैरोकार द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया गया है कि "एच.सी.पी. 61 श्री रामदास सिंह मेरे साथ थाना सहावर में तैनात थे। मैंने रामदास सिंह को लिखत-पढ़ते हुए देखा है। मैं उनके लेख व हस्ताक्षर को भलीभाँति पहचानता हूँ। पत्रावली में संलग्न एफ०आई०आर नं०-53/14 दिनांक 28.12.2014 को रामदास सिंह द्वारा लिखी गयी थी जो कि पत्रावली में कागज सं०-4 अ/1 के रूप में संलग्न है जो रामदास सिंह के लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी मैं पहचान व तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क-3 डाला गया है जिसका खुलासा जी०डी० में रपट नं०-20 समय 10.30 दिनांक 28.12.2014 किया गया जो कि मैं कागज सं०-6 अ/1 के रूप में संलग्न है। जी०डी० एच.सी.पी. रामदास के लेख व हस्ताक्षर में है। जी०डी० की एक ही प्रक्रिया द्वारा तैयार की गयी है जिसकी कार्बन प्रति संलग्न है, जिस पर प्रदर्श क-4 डाला गया है। जिसकी मैं पहचान व तस्दीक करता हूँ"।

23- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षा की तो साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि "मैं रामदास को जानता हूँ। ये तहरीर किस दिनांक की लिखी गयी, मुझे जानकारी नहीं, कितने समय लिखी गयी, ये भी जानकारी नहीं है, ना ही इस मुकदमे की कार्यवाही मेरे सामने हुई है। रामदास मेरे साथ थाना सहावर में तैनात रहे, मैं उस समय थाना सहावर पर पैरोकार था। रामदास थाना सहावर एच.सी./मोरिन के पद पर तैनात थे। उस समय मैंने इन्हें थाना सहावर में पढ़ते-लिखते देखा है। नकल तहरीर पर उन्हीं के हस्ताक्षर हैं। नकल तहरीर मेरे सामने नहीं उतारी थी। इससे पूर्व किसी वीट सूचना की मुझे कोई जानकारी नहीं ह, ना ही किसी वीट सूचना का जिक्र तहरीर पर है। यह कहना सही है कि मेरे सामने उपरोक्त मुकदमे की कार्यवाही नहीं हुई है। यह कहना गलत है कि रामदास मेरे साथ नहीं रहे, यह कहना भी गलत है कि मैं आज न्यायालय में झूठा बयान दे रहा हूँ।

24- विद्वान् सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा यह तर्क दिया गया है इस मामले में परीक्षण कराए गए सभी साक्षियों ने अभियोजन पक्ष का समर्थन किया है, एवं सभी गवाहों के बयान सुसंगत हैं जो कि अभियुक्त जो कि अभियुक्तगण के अपराध को संदेश से परे सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है ।

25- दूसरी तरफ बचाव पक्ष के द्वारा यह तर्क दिया गया है की प्रस्तुत गवाहों एवं साक्ष्य के आधार पर आरोप सन्देह से परे सिद्ध नहीं होता। अतः आरोपियों को दोषमुक्त किया जाना चाहिए ।

26- प्रस्तुत मामले में साक्षी पी० डब्ल्यू०1- सीमा स्वयं पीड़िता है, अतः उनकी गवाही इस वाद का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है । साक्षी पी० डब्ल्यू०1- सीमा द्वारा अपनी मुख्या परीक्षा में निम्न कथन किया गया

है- "...शादी के बाद से ही मेरे पति शिवम यादव व मौहर सिंह, सास सुनीता अतिरिक्त दहेज में दो लाख रुपये की मांग करते थे और दहेज की इस मांग के लिए मेरे साथ मारपीट करते थे और मुझे भूखा रखते थे..", पर साक्षी पी०डब्ल्यू०१- सीमा द्वारा अपनी गवाही में जो भी आरोप अभियुक्तगण पर लगाये गये हैं, वो आरोप सामान्य प्रवृत्ति के हैं एवं पीड़िता द्वारा अपनी गवाही में ऐसी किसी विशिष्ट घटना का जिक्र नहीं किया गया जो अभियुक्तगण द्वारा पीड़िता के साथ कारित की गयी हो। यदि एक स्त्री का उत्पीड़न उसके पति या ससुरालीजनों द्वारा किया जायेगा तो उसके साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं कारित की गयी होंगी जिससे पीड़िता को मानसिक व शारीरिक रूप से कष्ट पहुंचा हो और निश्चित रूप से उनमें से कुछ घटनाएं पीड़िता को याद रही होंगी, पर अपनी गवाही में पीड़िता द्वारा ऐसी किसी घटना का जिक्र नहीं किया गया जिससे पीड़िता द्वारा लगाये गये उत्पीड़न के आरोप पर संदेह उत्पन्न होता है, ।

27- पर पीड़िता द्वारा एक बहुत विशिष्ट आरोप अपने पति पर लगाया गया है और वह आरोप यह है कि उसका पति इलाहाबाद से एक युवती को भगाकर अपने साथ ले आया है और अपनी बुआ के घर रहकर उससे शादी कर ली है। इस सम्बन्ध में पीड़िता ने यह भी कहा है कि उसे इस शादी के 4-5 दिन बाद घर (ससुराल) से निकाल दिया गया और दहेज में दिया गया सामान व स्त्रीधन भी वापस नहीं किया गया। यह आरोप बहुत विशिष्ट किस्म का है और पीड़िता ने उस युवती का नाम खुशबू बताया है। अतः गवाही से प्रतीत होता है कि पीड़िता द्वारा लगाये गये आरोप में सत्यता है। अपनी प्रतिपरीक्षा में भी पीड़िता ने बयान किया है कि खुशबू शिवम की पत्नी है, इससे पुनः प्रतीत होता है कि साक्षी द्वारा दिये गये कथन में सत्यता है और खुशबू नाम की कोई स्त्री शिवम के साथ पत्नी की हैसियत से रह रही है।

28- साक्षी पी०डब्ल्यू०-2 मौहर सिंह द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में कहा गया है कि सीमा के पति व सास-ससुर अतिरिक्त दहेज में एक लाख रुपये की मांग करते हैं और मांग पूरी न होने पर वो उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। पुनः साक्षी द्वारा लगाये गये आरोप सामान्य किस्म के हैं और साक्षी ने ऐसी किसी विशिष्ट घटना का उल्लेख नहीं किया है जिससे पता चल सके कि अभियुक्तगण द्वारा पीड़िता सीमा का उत्पीड़न किया गया हो, पर पुनः इस साक्षी ने भी कथन किया कि शिवम ने खुशबू नाम की लड़की से दूसरा विवाह कर लिया है। अतः पीड़िता द्वारा लगाये गये विशिष्ट आरोप कि शिवम खुशबू नाम की लड़की से विवाह कर चुका है, की पुष्टि साक्षी पी०डब्ल्यू०-2 मौहर सिंह द्वारा की गयी। अपनी प्रतिपरीक्षा में भी पी०डब्ल्यू०-2 मौहर सिंह ने यह कथन किया है कि शिवम अपनी पत्नी से अलग रहकर दूसरी पत्नी के साथ रह रहा है एवं उस पत्नी का नाम खुशबू है और उसके व शिवम से एक बच्चा भी है। पुनः साक्षी मौहर सिंह द्वारा एक विस्तृत कथन किया गया जिसमें कि यह भी बताया कि शिवम का उसकी दूसरी पत्नी से एक बच्चा भी है जिससे पुनः प्रतीत होता है कि पीड़िता पी०डब्ल्यू०-1 द्वारा लगाये गये विशिष्ट आरोप कि शिवम किसी अन्य स्त्री खुशबू के साथ रह रहा है, सत्य प्रतीत होता है।

29- साक्षी पी०डब्ल्यू०-3 कमलेश द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में बयान दिया गया कि उसकी बहन सीमा ने बताया कि उसका पति किसी लड़की को भगा लाया है। अपनी प्रतिपरीक्षा में भी साक्षी पी०डब्ल्यू०-3 कमलेश ने यह कथन किया है कि शिवम इलाहाबाद से खुशबू नाम की लड़की को भगा कर ले आया था, इसलिए उसकी बहन को घर से निकाल दिया।

30- इन सभी गवाहों के बयानों के अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि पीड़िता सीमा का उत्पीड़न दहेज हेतु अभियुक्तगण द्वारा नहीं किया गया, पर अभियुक्त शिवम किसी खुशबू नाम की स्त्री को अपने घर लेकर आया जो उसके साथ पत्नी की हैसियत से रह रही है।

31- भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अंतर्गत निम्न प्रावधान वर्णित है

“494-पति या पत्नी के जीवन काल में पुनर्विवाह करना – जो कोई पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी ऐसी दशा में विवाह करेगा जिसमें ऐसा विवाह इस कारण शून्य है कि वह ऐसे पति या पत्नी के जीवन काल में होता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा”।

32- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *Pashaura Singh vs State Of Punjab & Anr, AIR 2010 SC 922* वाद में निम्न विधि व्यवस्था प्रपादित की गई है-

“8 Section 494, IPC, inter-alia, requires the following ingredients to be satisfied, namely, (i) the accused must have contracted first marriage; (ii) he must have married again; (iii) the first marriage must be subsisting and (iv) the spouse must be living”

33- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *Bhaurao Shankar Lokhande & Anr v. State Of Maharashtra & Anr AIR 1965 SC 1564*, वाद में निम्न विधि व्यवस्था प्रपादित की गई है-

“Section 5 of the Hindu Marriage Act provides that a marriage may be solemnized between any two Hindus if the conditions mentioned in that section are fulfilled and one of those conditions is that neither party has a spouse living at the time of the marriage.

Section 17 provides that any marriage between two Hindus solemnized after the commencement of the Act is void if at the date of such marriage either party had a husband or wife living, and that the provisions of ss. 494 and 495 I.P.C. shall apply accordingly. The marriage between two Hindus is void in view of s. 17 if two conditions are satisfied : (i) the marriage is solemnized after the commencement of the Act; (ii) at the date of such marriage, either party had a spouse living. If the marriage which took place between the appellant and Kamlabai in February 1962 cannot be said to be 'solemnized', that marriage will not be void by virtue of s. 17 of the Act and s. 494 I.P.C. will not apply to such parties to the marriage as had a spouse living.

The word 'solemnize' means, in connection with a marriage, 'to celebrate the marriage with proper ceremonies and in due form', according to the Shorter Oxford Dictionary. It follows, therefore, that unless the marriage is 'celebrated or

performed with proper ceremonies and due form' it cannot be said to be 'solemnized'”

34- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *Gopal Lal v. State of Rajasthan AIR 1979 SC 713* वाद में निम्न विधि व्यवस्था प्रपादित की गई है,

“...where a spouse contracts a second marriage while the first marriage is still subsisting the spouse would be guilty of bigamy under Section 494 if it is proved that the second marriage was a valid one in the sense that the necessary ceremonies required by law or by custom have been actually performed”

35- अब प्रश्न यह उठता है कि प्रस्तुत पत्रावली में उपस्थित साक्ष्यों के आधार पर क्या अभियोजन द्वारा यह स्थापित किया गया है कि शिवम द्वारा विधिवत रूप से खुशबू के साथ दूसरी शादी की गई?

36- साक्षी पी० डब्ल्यू०१- सीमा के द्वारा यह बयान दिया गया है कि उसने शिवम की शादी को स्वयं होते हुए देखा था, पर वह शादी की तिथि या माह या साल नहीं बता पाई थी। अन्य किसी साक्षी द्वारा शिवम एवं खुशबू की शादी को होते हुए देखने का कथन नहीं किया गया है। अभियोजन द्वारा इस संबंध में कोई ऐसा अभिलेखीय साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जो यह सिद्ध कर सके कि शिवम के द्वारा खुशबू के साथ पारंपरिक रूप से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बताई गई प्रथा का पालन करते हुए विवाह किया गया।

37- किसी स्त्री को पत्नी की हैसियत से रखने के लिए उससे विधिवत शादी करना एक अनिवार्य आवश्यकता नहीं है, और यह स्वाभाविक ही है कि जो व्यक्ति एक शादी पहले कर चुका है वह दूसरी शादी खुले रूप से करने से बचेगा, और ऐसी स्थिति में अभियोजन के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वह दूसरी शादी का कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करें जिससे कि दूसरी शादी सिद्ध हो सके।

38- किस संबंध में उचित होगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 114 का परिशीलन किया जावे-

“114 न्यायालय किन्हीं तथ्यों का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा - न्यायालय ऐसे किसी तथ्य का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा जिसका घटित होना उस विशिष्ट मामले के तथ्यों के सम्बन्ध में प्राकृतिक घटनाओं, मानवीय आचरण तथा लोक और प्राइवेट कारोबार के सामान्य अनुक्रम को ध्यान में रखते हुए वह सम्भाव्य समझता है”।

39- अपितु पत्रावली पर केवल सीमा द्वारा ही यह कथन किया गया कि उसने शिवम को दूसरी लड़की खुशबू से शादी करते देखा है, पर अन्य साक्षियों ने उस शादी का चक्षुदर्शी होने का दावा नहीं किया गया है, पर साक्षी पी० डब्ल्यू०-2 मौहर सिंह द्वारा भी यह बयान दिया गया कि शिवम अपनी दूसरी पत्नी खुशबू के साथ रह रहा है और उनका एक बच्चा भी है एवं साक्षी पी० डब्ल्यू०-3 द्वारा भी यह बयान दिया गया कि शिवम इलाहाबाद से खुशबू नाम की लड़की को भगा कर ले आया था, इन सब बयानों के आधार पर यह तो स्पष्ट नहीं है कि शिवम ने खुशबू से दूसरा विवाह किया था या नहीं, पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 114 को

ध्यान में रखते हुए इन सब बयानों से यह स्पष्ट है कि शिवम निश्चित रूप से किसी दूसरी स्त्री खुशबू के साथ पति-पत्नी की हैसियत से रह रहा है। सारे बयानों को देखने के बाद अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा -494 भा०दं०सं० का अपराध सिद्ध नहीं होता ।

40- यहां प्रश्न उठता है कि "अपनी पहली पत्नी सीमा के होते हुए एक दूसरी स्त्री खुशबू को अपने घर लेकर आना और उसे पत्नी की हैसियत से रखना", क्या यह किसी अपराध की श्रेणी में आता है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सबसे पहले उचित होगा भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए का परिशीलन किया जावे ।

41- 498 ए. किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना -

जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "क्रूरता" से निम्नलिखित अभिप्रेत है:-

(क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की संभावना है; या

(ख) किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसको या उसके किसी नातेदार को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिए प्रपीड़ित किया जाए या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है।

42- अब यह प्रश्न उठता है कि क्या धारा 498 ए के अंतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा अपनी पहली पत्नी के होते हुए दूसरी किसी स्त्री को पत्नी की हैसियत से रखना क्या ऐसा क्रूरता का कृत्य माना जा सकता है जिससे पहली पत्नी आत्महत्या हेतु प्रेरित हो या पहली पत्नी के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को मानसिक व शारीरिक रूप से गंभीर क्षति या खतरा कार्य करने की संभावना है?

43- इस संबंध में है उल्लेखनीय होगा कि कनाडा की संसद के द्वारा तलाक पर गठित की गई एक संयुक्त विशेष समिति [Special Joint Committee of the Senate and House of Commons on Divorce (Canada), 13, 1967] के द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह टिप्पणी की गई -

"Cruelty by one spouse towards another is a violation of the marriage undertaking. Cruel conduct on the part of one spouse may create intolerable conditions in the home that are highly detrimental to the children and dangerous to the life and health of the victim spouse.

Cruelty is so abhorrent in the matrimonial relationship that it has been made a ground for the dissolution of marriage in most civilized countries included in

England Australia and United States a comprehensive and satisfactory definition of marital cruelty is not possible, nor is it desirable for the good reason that acceptable conduct within the home differs from time to time and place to place and among different classes in society. On the other hand a competent judge has no difficulty in recognising cruelty for what it is when the circumstances are before him"

44- उपरोक्त उल्लेखित समिति के द्वारा की गई यह टिप्पणियां आज के समय में भी उतनी ही प्रसांगिक है जितनी वह 1967 में थी। यह निश्चित रूप से सत्य है कि पति-पत्नी के मध्य एक दूसरे के प्रति किया गया कृत्य क्रूरता की श्रेणी में आएगा या नहीं यह इस बात पर निर्भर करेगा की वह समाज की किस श्रेणी से संबंध रखते हैं, और उस समय समाज में उस स्थान पर उस कृत्य के प्रति क्या दृष्टिकोण है। यदि एक स्त्री एक गांव में रहती है और वह घर का कामकाज करती है तो यदि उसका पति उससे अपेक्षा करता है कि वो उसके लिए रोज खाना बनाएगी तो यह कृत्य क्रूरता की श्रेणी में नहीं आएगा पर यदि एक स्त्री शहर में रहकर नौकरी करती है और शाम को 8:00 बजे दफ्तर से घर आती है और इस स्थिति में उसका पति उससे यह अपेक्षा करता है कि वह उसके लिए दफ्तर से आकर खाना बनाए तब यह कृत्य क्रूरता की श्रेणी में आ सकता है।

45- इसी प्रकार से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *V. Bhagat vs D. Bhagat on 19 November, 1993 [1994 AIR 710, 1994 SCC (1) 337]* -वाद में निम्न विधि व्यवस्था पारित की गई

" 13. It is not possible to define 'mental cruelty' exhaustively. As observed by Lord Reid in Gollins v. Gollins1: "No one has ever attempted to give a comprehensive definition of cruelty and I do not intend to try to do so. Much must depend on the knowledge and intention of the respondent, on the nature of his (or her) conduct, and on the character and physical or mental weaknesses of the spouses, and probably no general statement is equally applicable in all cases except the requirement that the party seeking relief must show actual or probable injury to life, limb or health....To the same effect are the observations of Lord Pearce (at p. 695; All ER p. 992): "It is impossible to give a comprehensive definition of cruelty, but when reprehensible conduct or departure from the normal standards of conjugal kindness causes injury to health or an apprehension of it, it is, I think, cruelty if a reasonable person, after taking due account of the temperament and all the other particular circumstances would consider that the conduct complained of is such that this spouse should not be called on to endure it".

46- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *Parveen Mehta vs Inderjit Mehta, AIR [(2002) 5 SCC. 706 : AIR 2002 SC 2582]* वाद में निम्न विधि व्यवस्था पारित की गई-

“This Court in the case of Dastane vs. Dastane, AIR 1975 SC 1534, examined the matrimonial ground of cruelty as it was stated in the old Section 10(1)(b) and observed that any inquiry covered by that provision had to be whether the conduct charged as cruelty is of such a character as to cause in the mind of the petitioner a reasonable apprehension that it will be harmful or injurious to live with the respondent. It was further observed that it was not necessary, as under the English law that the cruelty must be of such a character as to cause danger to life, limb or health, or as to give rise to a reasonable apprehension of such a danger though, of course, harm or injury to health, reputation, the working character or the like would be an important consideration in determining whether the conduct of the respondent amounts to cruelty or not. In essence what must be taken as fairly settled position is that though the clause does not in terms say so it is abundantly clear that the application of the rule must depend on the circumstances of each case; that 'cruelty' contemplated is conduct of such type that the petitioner cannot reasonably be expected to live with the respondent. The treatment accorded to the petitioner must be such as to cause an apprehension in the mind of the petitioner that cohabitation will be so harmful or injurious that she or he cannot reasonably be expected to live with the respondent having regard to the circumstances of each case, keeping always in view the character and condition of the parties, their status environments and social values, as also the customs and traditions governing them”.

47- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त वाद में यह विधि व्यवस्था भी पारित की गई-

“It was formerly thought that actual physical harm or reasonable apprehension of it was the prime ingredient of this matrimonial offence. That doctrine is now repudiated and the modern view has been that mental cruelty can cause even more grievous injury and create in the mind of the injured spouse reasonable apprehension that it will be harmful or unsafe to live with the other party. The principle that cruelty may be inferred from the whole facts and matrimonial relations of the parties and interactions in their daily life disclosed by the evidence is of greater cogency in cases falling under the head of mental cruelty. Thus mental cruelty has to be established from the facts (Mulla Hindu Law, 17th Edition, Volume II, page 91)”.

48- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त वाद में यह विधि व्यवस्था भी पारित की गई-

Mental cruelty is a state of mind and feeling with one of the spouses due to the behavior or behavioral pattern by the other. Unlike the case of physical cruelty the mental cruelty is difficult to establish by direct evidence. It is necessarily a matter of inference to be drawn from the facts and circumstances of the case. A feeling of anguish, disappointment and frustration in one spouse caused by the conduct of the other can only be appreciated on assessing the attending facts and circumstances in which the two partners of matrimonial life have been living. The inference has to be drawn from the attending facts and circumstances taken cumulatively. In case of mental cruelty it will not be a correct approach to take an instance of misbehavior in isolation and then pose the question whether such behaviour is sufficient by itself to cause mental cruelty. The approach should be to take the cumulative effect of the facts and circumstances emerging from the evidence on record and then draw a fair inference whether the petitioner in the divorce petition has been subjected to mental cruelty due to conduct of the other.

49- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित इन विधि व्यवस्थाओं से यह स्पष्ट है कि यह निश्चय करने के लिए कि एक कृत्य क्रूरता की श्रेणी में आएगा या नहीं, न्यायालय को उस कृत्य से जुड़े सभी पहलुओं पर विचार करता होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित इन विधि व्यवस्थाओं से यह भी स्पष्ट है कि क्रूरता केवल शारीरिक नहीं होती है अपितु बहुत सी बार क्रूरता मानसिक भी हो सकती है एवं मानसिक क्रूरता का प्रभाव भी बहुत सी बार पीड़ित पक्ष पर बहुत प्रबल होगा ।

50- हिंदू विवाह अधिनियम के द्वारा यह विधि स्थापित की गई है, कि विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से, न तो वर की कोई जीवित पत्नी हो और न वधू का कोई जीवित पति हो । हिंदू विवाह अधिनियम को पारित हुए 65 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं और आज के हिंदू समाज में कोई भी स्त्री यह नहीं चाहेगी कि उसका पति किसी और स्त्री के साथ रहे और निश्चित रूप से यदि कोई व्यक्ति अपने घर में अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी स्त्री को लाकर पत्नी की हैसियत से रखता है तो उसकी पत्नी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह उचित रूप से अपने पति के साथ रह सकती है। निश्चित रूप से पति के द्वारा किसी दूसरी स्त्री को पत्नी की हैसियत से रखना उसकी पत्नी के प्रति क्रूरता होगी और इस वाद में अभियुक्त शिवम द्वारा खुशबू को अपने घर में पत्नी की हैसियत से रखना निश्चित रूप से उसकी पत्नी सीमा के प्रति मानसिक क्रूरता थी ।

51- भारतीय दंड संहिता की धारा '498 ए' के अंतर्गत अपराध कार्य करने के लिए केवल यह पर्याप्त नहीं है कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता के प्रति मानसिक क्रूरता का कृत्य कारित किया गया है, अपितु इस धारा में वर्णित प्रावधान के अनुसार- "क्रूरता" से निम्नलिखित अभिप्रेत है:-

(क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो

या शारीरिक) गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की संभावना है; या

(ख) किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसको या उसके किसी नातेदार को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिए प्रपीड़ित किया जाए या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है।

52- प्रस्तुत मामले में घटित मानसिक क्रूरता दहेज से संबंधित नहीं है अतः धारा 498 ए के स्पष्टीकरण का भाग 'ख' इस मामले में प्रयोज्य नहीं होगा, पर यह संभव है कि धारा 498 ए के स्पष्टीकरण का भाग 'क' प्रस्तुत मामले में प्रयोज्य हो। अतः इस स्तर पर प्रश्न उठता है कि क्या अभियुक्त शिवम के द्वारा एक दूसरी स्त्री खुशबू को पत्नी की हैसियत से रखना उसकी पत्नी सीमा के प्रति ऐसी क्रूरता थी जिससे सीमा को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या सीमा के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की संभावना थी? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए यह आवश्यक है कि इस बात का विश्लेषण किया जावे कि यदि एक पति अपनी पत्नी के अलावा किसी और स्त्री को पत्नी की हैसियत में अपने घर रखता है तो इसका उसकी पत्नी के मस्तिष्क एवं मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

53- समाज में शादी की एक आधारभूत शर्त यह है कि पति-पत्नी एक-दूसरे के प्रति वफादार रहेंगे एवं जब तक वह विवाह कायम है तब तक वह किसी और व्यक्ति को वैवाहिक साथी की हैसियत से नहीं रखेंगे। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार जब पति या पत्नी दोनों हिंदू रीति-रिवाज से विवाह करते हैं तो वह एक से अधिक व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकते हैं। प्रसिद्ध मामले में दोनों पक्ष हिंदू हैं एवं उनका विवाह हिंदू रीति के अनुसार हुआ था। अतः कोई भी स्त्री जो हिंदू धर्म से संबंध रखती हो उससे अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह इस बात को सह सकती है कि उसका पति किसी और स्त्री को पत्नी की हैसियत से उसके घर में रख रहा है। यदि शादी में एक पक्ष व्यभिचारी है तो इस तथ्य का एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव दूसरे पक्ष पर पड़ेगा और निश्चित रूप से यह दूसरे पक्ष की मानसिक स्थिति को विकृत करेगा।

54- प्रस्तुत मामले में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ही है उचित होगा कि व्यभिचार से संबंधित कुछ शोध पत्रों का अध्ययन किया जावे एवं व्यभिचार के प्रभाव का आकलन किया जाए।

55- मनोविज्ञान के क्षेत्र में विख्यात " **Journal of Family Psychology** " में छपे शोध आलेख (Russell VM, Baker LR, McNulty JK. *Attachment insecurity and infidelity in marriage: do studies of dating relationships really inform us about marriage?* J Fam Psychol. 2013 Apr;27(2):242-51. doi: 10.1037/a0032118) में व्यभिचार का प्रभाव निम्न रूप से अंकित किया गया है -

"Although marital relationships can be the source of some of life's most enjoyable experiences, they are also the source of one of life's most painful experiences—infidelity....Such infidelities can have serious negative consequences for those involved. Not only may infidelity lead to relationship distress and thus decreased relationship satisfaction in both partners. it is also a

strong predictor of divorce. Further, the victims and perpetrators of infidelity also frequently experience negative intrapersonal outcomes, such as decreased self-esteem, increased risk of mental health problems, guilt, and depression”.

56- सामाजिक एवं व्यक्तिगत संबंधों के क्षेत्र में विख्यात **Journal of Social and Personal Relationships**, में छपे शोध आलेख [Shrout, M. R., & Weigel, D. J. (2018) *Infidelity’s aftermath: Appraisals, mental health, and health-compromising behaviors following a partner’s infidelity*. *Journal of Social and Personal Relationships*, 35(8), 1067–1091.] में व्यभिचार के प्रभाव को निम्न रूप से अंकित किया गया है-

“Infidelity, which is an emotional, sexual, or romantic involvement that violates an existing relationship’s commitment norms, can have damaging effects on the relationship and both partners. In particular, noninvolved partners (i.e., the partners who were cheated on in the relationship) often experience a range of emotional and psychological distress following infidelity, including depression, anxiety, decreased personal and sexual confidence, and decreased self-esteem”.

57- मनोविज्ञान के क्षेत्र में विख्यात **Journal of Family Psychology** में छपे एक अन्य शोध आलेख [Whisman, M. A., Gordon, K. C., & Chatav, Y. (2007). *Predicting sexual infidelity in a population-based sample of married individuals*. *Journal of Family Psychology*, 21(2), 320–324.] में व्यभिचार के भयावह दुष्प्रभाव को इस प्रकार अंकित किया गया है-

“Couples therapists view extramarital affairs as one of the most damaging relationship events and one of the most difficult problems to treat in couples therapy. Further, a review of ethnographic accounts of conjugal dissolution across 160 societies found that infidelity was the single most common cause of marital dissolution”.

58- इन सभी विख्यात जर्नल्स में छपे शोध आलेखों के आधार पर यह कहना उचित होगा कि व्यभिचार का प्रभाव एक पीड़ित शादीशुदा पक्ष पर अत्यंत घातक होता है और व्यभिचार की वजह से पीड़ित पक्ष को बहुत सारी मानसिक समस्याएं हो सकती हैं जैसे कि अवसाद, मानसिक पीड़ा, आत्मविश्वास की कमी, चिंता इत्यादि, और इन समस्याओं का प्रभाव कई बार जीवन पर्यंत पीड़ित पक्ष पर बना रह सकता है ।

59- जब दो पक्ष एक दूसरे के साथ वैवाहिक जीवन में कदम रखते हैं तब निश्चित रूप से दोनों पक्षों की आपसी अपेक्षा यह जरूर रहती है कि दूसरा पक्ष उसके साथ सदैव निष्ठावान रहेगा पर जब यह अपेक्षा टूटती है तब निश्चित रूप से पीड़ित पक्ष का विश्वास खंडित होता है और उस विश्वास को दोबारा पैदा होने में बहुत समय लगेगा, और यह भी संभव है कि यदि शादी के बाद एक पक्ष द्वारा व्यभिचार किया जाता है तो पीड़ित पक्ष शायद

जीवन पर्यंत उस सदमे से बाहर ना आ सके । यदि एक बार पीड़ित पक्ष के साथ दूसरे पक्ष द्वारा विश्वासघात किया गया हो तो निश्चित रूप से अगली बार जब भी पीड़ित पक्ष किसी और व्यक्ति के साथ विवाह के बंधन में बंधेगा तब उसके लिए उस दूसरे व्यक्ति पर विश्वास करना भी बहुत मुश्किल होगा। यह भी संभव है कि वह दोबारा किसी व्यक्ति के साथ अपना सामान्य वैवाहिक जीवन व्यतीत ना कर पाए। एक बार विश्वासघात होने के बाद यह संभव है कि पीड़ित पक्ष दोबारा जब भी विवाह के बंधन में बंधे तब उसके मन मस्तिष्क में बार –बार अपने नए जीवन साथी के प्रति भी शक एवं संदेह के विचार आवे, जो निश्चित रूप से उस विवाह की दृढ़ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे ।

60- उपरोक्त उल्लेखित सभी शोध जर्नल पाश्चात्य देशों में प्रकाशित किए जाते हैं एवं उन में दिए गए शोध भी प्रधानतः पाश्चात्य समाज और संस्कृति को ध्यान में रखकर किए गए हैं। यहां पर यह समझना जरूरी है कि भारतीय संस्कृति एवं समाज, पाश्चात्य समाज से भिन्न है । भारतीय समाज शादी एवं रिश्तो को लेकर आज भी बहुत हद तक रूढ़ीवादी है । एक तरफ जहां पाश्चात्य देशों में एक विवाह का खंडन होने के पश्चात दूसरा विवाह सरलता एवं सुगमता के साथ कर लिया जाता है वहीं भारतीय संस्कृति में आज भी यह समझा जाता है कि एक व्यक्ति एक बार विवाह के बंधन में बंधने के बाद उसे आजीवन निभावेगा । आज भी भारतीय समाज में दूसरा विवाह या विवाह खंडन की घटनाएं पाश्चात्य देशों की तुलना में बहुत कम है । अतः यह निश्चित है कि भारतीय परिवेश में व्यभिचार का प्रभाव एक पीड़ित पक्ष पर पाश्चात्य देशों के परिवेश में किए गए व्यभिचार से अधिक होगा।

61- यदि पति के द्वारा व्यभिचार कारित किया जाता है तो निश्चित रूप यह एक ऐसा कृत्य है, जो वैवाहिक जीवन की नींव को खोखला करने की क्षमता रखता है, और यदि एक पति अपनी पत्नी के होते हुए किसी दूसरी स्त्री को भी अपने घर में पत्नी की हैसियत से रखता है तो यह कृत्य निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन की बुनियाद को आहत करेगा । कोई भी ऐसी स्त्री जिसका विवाह हिंदू रीति के अनुसार हुआ है यह स्वीकार नहीं कर सकती कि उसका पति किसी और स्त्री के साथ व्यभिचारी संबंध रखें या किसी दूसरी स्त्री को पत्नी की हैसियत से अपने घर में रखें । और यदि पति द्वारा ऐसा किया जाता है तो यह कृत्य पत्नी को घोर मानसिक क्षति पहुंचाने हेतु पर्याप्त है।

62- प्रस्तुत मामले में शिवम द्वारा न केवल व्यभिचार कारित किया गया परंतु शिवम एक दूसरी स्त्री को अपने घर लेकर आया जिसे उसने अपनी पत्नी की हैसियत से अपने घर रखा । उपरोक्त वर्णित प्रावधानों एवं शोध से यह स्पष्ट है कि शिवम द्वारा कारित कृत्य निश्चित रूप से उसकी पत्नी सीमा को गंभीर मानसिक क्षति पहुंचाने हेतु पर्याप्त था और यह धारा 498 ए भा०दं०सं० के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आएगा ।

63- यद्यपि यह स्पष्ट नहीं है कि इस पूरे प्रकरण में खुशबू को घर लाने में शिवम के माता –पिता अर्थात् अभियुक्तगण मौहर सिंह एवं श्रीमती सुनीता की क्या भूमिका है । यहाँ पर यह तथ्य भी गौर करने योग्य है कि शिवम द्वारा खुशबू को घर लाने के लिए किसी भी साक्षी द्वारा उसके माता –पिता को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। किसी भी साक्षी द्वारा अपने बयान में यह नहीं कहा गया की खुशबू और शिवम की शादी उनके माता –पिता के द्वारा करवाई गई थी, अपितु साक्षी पी० डब्ल्यू ०१ सीमा एवं पी० डब्ल्यू ०३ कमलेश द्वारा अपने बयानों में यह कथन किया है कि शिवम खुशबू को भगा कर लाया था जिससे पुनः यह स्थापित होता है कि शिवम द्वारा

खुशबू को अपने घर लाने में उसके माता-पिता द्वारा कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई गई।

64- अतः यह उचित होगा कि शिवम के माता पिता (अभियुक्तगण श्रीमती सुनीता व मौहर सिंह) को संदेह का लाभ दिया जावे। अतः अभियुक्तगण श्रीमती सुनीता व मौहर सिंह विरुद्ध लगाये गये आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होते हैं।

65- उपर्युक्त सम्प्रेक्षण से परिवादिनी की ओर से अपने परिवाद के समर्थन में परीक्षित कराये गये साक्षीगण एवं प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण सुनीता एवं मोहर सिंह के विरुद्ध धारा-498 ए, 494 भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का कोई आरोप संदेह से परे साबित नहीं होता है। अतः अभियुक्तगण सुनीता एवं मोहर सिंह साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

66- उपर्युक्त सम्प्रेक्षण से परिवादिनी की ओर से अपने परिवाद के समर्थन में परीक्षित कराये गये साक्षीगण एवं प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त शिवम यादव के विरुद्ध 498 ए का अपराध संदेह से परे साबित है, किंतु अभियुक्त शिवम यादव के विरुद्ध 494 भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध संदेश से परे साबित नहीं होता। अतः अभियुक्त शिवम यादव धारा-498 ए भा०दं०सं० के अन्तर्गत दोषसिद्ध किये जाने योग्य है। अभियुक्त शिवम यादव को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए।

(अवनीश कुमार)

दिनांक: 11.11.2022

सिविल जज (जू०डि०)
जे०एम०/एफ०टी०सी०,
कासगंज

67- दण्ड के प्रश्न पर सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

68- अभियुक्त व उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया कि अभियुक्त गरीब व्यक्ति है। अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। अतः अभियुक्त को परिवीक्षा पर छोड़ दिया जाये अथवा कम से कम सजा से दण्डित किया जाये।

69- दूसरी ओर अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त को अधिकतम दण्ड दिये जाने की याचना की है, जिससे समाज में उचित संदेश प्रेषण हो।

70- उभयपक्ष को सुनने व पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त शिवम यादव द्वारा व्यभिचार कारित किया गया है, जिससे उनके द्वारा अपनी पत्नी सीमा के साथ गंभीर मानसिक क्रूरता कारित की गई है। अतः अभियुक्त शिवम यादव पर धारा-498 ए भारतीय दण्ड संहिता का अपराध सिद्ध हुआ है। व्यभिचार एक सामाजिक कुरीति है, जिससे सामाजिक मूल्यों का हास होता है। अतः ऐसे मामले में अभियुक्त को परिवीक्षा पर छोड़ने से एक सामाजिक बुराई को बढ़ावा मिलेगा। अतः न्यायालय की राय में अभियुक्त को परिवीक्षा पर छोड़ा जाना समीचीन नहीं होगा।

71- इस न्यायालय की राय में अभियुक्त शिवम यादव को धारा -498 ए भा०दं०सं० के अन्तर्गत निम्नलिखित दंडादेश से दण्डित किये जाने से न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति होगी।

आदेश

72- अभियुक्तगण मौहर सिंह एवं श्रीमती सुनीता को धारा 498 ए, 494 भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में वर्णित अपराध के आरोप में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं एवं प्रतिभूगण उन्मोचित किए जाते हैं।

73- अभियुक्त शिवम यादव को धारा-494 भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में वर्णित अपराध के आरोप में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

74- अभियुक्त शिवम यादव को धारा-498 ए भा०दं०सं० के में वर्णित अपराध के आरोप में दोष सिद्ध करते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है । अर्थदण्ड अदा ना किए जाने की दशा में अभियुक्त को पंद्रह दिवस का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियुक्त जमानत पर हैं। उसके व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं एवं प्रतिभूगण को उन्मोचित किया जाता है।

75- अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत मामले में जेल में बितायी गयी अवधि (यदि कोई हो) उसकी मौलिक सजा में समायोजित की जायेगी। अभियुक्त का सजायावी वारण्ट अविलम्ब जिला कारागार, कासगंज भेजा जाये। अभियुक्त को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क प्राप्त करायी जाये।

दिनांक: 11.11.2022

(अवनीश कुमार)
सिविल जज (जू०डि०)
जे०एम०/एफ०टी०सी०,
कासगंज

आज यह निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित करने के उपरान्त उद्घोषित किया गया।

दिनांक: 11.11.2022

(अवनीश कुमार)
सिविल जज (जू०डि०)
जे०एम०/एफ०टी०सी०,
कासगंज

न्यायालय सिविल जज (जूंडि०)/जे०एम०/एफ०टी०सी०, कासगंज।

उपस्थित: अवनीश कुमार

(उ०प्र०न्यायिक सेवा),

JO Code-UP3571

दाण्डिक वाद सं०-886/2020

कम्प्यूटर संख्या-3381/2020

CNRNo.UPKR040084222020

राज्य

बनाम

- 1- फहीम अख्तर पुत्र अब्दुल हमीद
- 2- शाहिद पुत्र अलीम उल्लाह
- 3- शाहीन पत्नी शाहिद
- 4- अबूजर उर्फ सुहेल पुत्र साहिद
- 5- गजाला पत्नी पुत्र शाहिद
- 6- शमशुल हसन पुत्र हसन अली

धारा-498 ए, 323, 504, 506, 494 भा०दं०सं०
अपराध सं०-07/2010
थाना-महिला, कासगंज, जनपद-कासगंज।

निर्णय

1- यह आरोप पत्र अभियुक्तगण फहीम अख्तर, शाहिद, शाहीन, अबूजर उर्फ सुहेल, गजाला एवं शमशुल हसन के विरुद्ध अंतर्गत धारा-498 ए, 323, 504, 506, 494 भा०दं०सं०, थाना महिला कासगंज द्वारा प्रेषित किया गया, जिसका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया गया है।

2- संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा की शादी दिनांक 25.10.1998 में मुस्लिम रीति रिवाज के मुताबिक फहीम अख्तर पुत्र श्री अब्दुल हमीद, निवासी मौहल्ला काजी, पानी टंकी के सामने कस्बा व थाना सहसवान, जनपद बदायूँ के साथ सम्पन्न हुई थी। शादी में वादिनी के पिता ने काफी दान दहेज व कपड़ा जेवर आदि दिया था। शादी के बाद वादिनी अपने ससुराल गयी थी। वादिनी के ससुरालीजन पति फहीम अख्तर, नदोई शाहिद व ननद शाहीन, अबुजर उर्फ सुहेल व गजाला निवासीगण मौहल्ला सरायतरीन कब्रिस्तान के पास सम्भल, जिला मुरादाबाद व शमशुल हसन ननदोई निवासी मौहल्ला नवादा सहसवान दिये गये दान दहेज से खुश नहीं थे और वादिनी को शादी के कुछ दिन बाद से ही 06 लाख रुपये की मांग करते थे। जब वादिनी ने इस पर इन्कार किया तो वादिनी का मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न शुरू कर दिया तथा उसे उक्त लोगों ने अतिरिक्त दहेज के खातिर घर से निकाल दिया व वादिनी ने उक्त ससुरालीजनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी थी जिससे बचने की नीयत से वादिनी का पति व अन्य ससुरालीजनों ने वादिनी से अतिरिक्त दहेज में 06 लाख रुपये वसूलने के लिये उत्पीड़न शुरू कर दिया और वादिनी को धमकी दी कि अगर अतिरिक्त दहेज में 06 लाख रुपये नहीं दिया तो तुझे जलाकर मार देंगे। फहीम अख्तर की दूसरी शादी कर लेंगे। वादिनी व उसके मायके वालों द्वारा

मजबूरी जताने पर आज से करीब 02 माह पूर्व वादिनी के पति ने हुमैरा नाज नाम की उक्त महिला से उक्त ससुरालीजनों के षडयंत्र के तहत वादिनी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी कर ली और वादिनी का अतिरिक्त दहेज के लिए उत्पीड़न जारी रखा और वादिनी का पति वादिनी को किसी कीमत पर रखने को तैयार नहीं हुआ। वादिनी के पति, ननदोई शाहिद ने उपरोक्त शाहीन, अबूजर उर्फ सुहेल, गजाला, हुमेरा नाज व शमशुल के षडयंत्र के तहत वादिनी से कहा उसकी मां की तबियत खराब है, मुंह देखना है तो कासगंज चलते हैं। इस पर वादिनी कासगंज आने को तैयार हो गयी तो वादिनी का पति, शाहिद की पत्नी शाहीन, शाहिद, अबूजर उर्फ सुहेल, हुमेरा नाज, गजाला एकराय मशवरा होकर वादिनी को जान से मारने की नीयत से एक कार में बैठाकर दिनांक 02.05.2010 लगभग 12.30 बजे बारह पत्थर के सामने उपरोक्त कार में बैठे लोगों ने वादिनी को जान से मारने की नीयत से शाहीन व गजाला ने बाल पकड़ कर घसीटते हुए लात घूसे व थप्पड़ों से वादिनी की मारपीट की और फहीम अख्तर ने वादिनी के गले में प्लास्टिक की रस्सी डाल कर जान से मारने की नीयत से उपरोक्त ससुरालीजनों के षडयंत्र के तहत खींचकर बारह पत्थर के सामने मैदान में फेंक दिया और वादिनी को मरा जान कर मय उसकी पुत्री अरीवा को छोड़कर जा रहे थे कि सोरों ब्लाक की तरफ से आ रहे मौहम्मद शाकिर पुत्र मौहम्मद शकी व आविद पुत्र अब्दुल रहूफ व आसपास के स्थानीय लोगों ने ललकारा तो उक्त लोग वादिनी को छोड़कर भाग गये तब उक्त लोगों ने वादिनी के घर सूचना दी तब वादिनी के परिवारीजन वादिनी को बेहोशी की हालत में उठाकर लाये।

3- उक्त तहरीर के आधार पर दिनांक-02.05.2010 को समय 21.05 बजे, सम्बन्धित थाना कासगंज पर अभियुक्तगण फहीम अख्तर, शाहिद, शाहीन, अबूजर उर्फ सुहेल, गजाला एवं शमशुल हसन के विरुद्ध अपराध सं०-07/2010 अन्तर्गत धारा-498 ए, 323, 504, 506, 494 भा०दं०सं० में पंजीकृत की गयी।

4- विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण फहीम अख्तर, शाहिद, शाहीन, अबूजर उर्फ सुहेल, गजाला एवं शमशुल हसन के विरुद्ध दिनांक 21.10.2010 को आरोप पत्र अन्तर्गत धारा-498 ए, 323, 504, 506, 494 भा०दं०सं० न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किया गया।

5- अभियुक्तगण को न्यायालय द्वारा आहूत किया गया। बाद उपस्थिति अभियुक्तगण को सभी सम्बन्धित कागजात की नकलें प्रदान की गईं एवं उनके विरुद्ध आरोप दिनांक 28.02.2012 को अन्तर्गत धारा- 498 ए, 323, 504, 506, 494 भा०दं०सं० में विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने लगाये गये आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

6- अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डब्लू०-1 श्रीमती रिजवाना बेगम, पी०डब्ल्यू०-2 मौ० शाकिर, पी०डब्ल्यू०-3 मौहम्मद आविद, पी०डब्ल्यू०-4 डा० डी.वी. शाक्य, पी०डब्ल्यू०-5 इंस्पेक्टर संतोष कुमार आर्य, पी०डब्ल्यू०-6 तेजस्वरी सिंह(रिटायर्ड निरीक्षक) एवं पी०डब्ल्यू०-7 चन्द्रपाल सिंह (रिटायर्ड एस.आई.) को परीक्षित कराया गया है। अभियोजन की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य में प्रथम सूचना रिपोर्ट, नकल तहरीर, नक्शानजरी, आरोप पत्र, जी०डी० कायमी मुकदमा तथा केस डायरी प्रस्तुत

किये गये हैं। बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन प्रपत्रों के निष्पादन की औपचारिकता सत्यता को स्वीकार किया गया।

7- उक्त साक्ष्य के उपरान्त अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने कथित घटना को झूठ बताया और सफाई साक्ष्य प्रस्तुत किया।

8- उल्लेखनीय है कि अभियुक्त शमशुल हसन की दौरान वाद मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरुद्ध वाद की कार्यवाही दिनांक 06.02.2023 को उपशमित की गयी।

9- मैंने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

10- अभियुक्तगण पर आरोप है कि दिनांक 25.10.1998 से 02.05.2010 तक समय व स्थान अदम तहरीर में आप अभियुक्तगण ने वादिनी मुकदमा श्रीमती रिजवाना बेगम से दहेज की मांग को लेकर उसके साथ क्रूरता का व्यवहार करते हुए मानसिक व शारीरिक रूप से उत्पीड़न किया एवं मारपीट कर उपहति कारित की एवं वादिनी मुकदमा के साथ गाली गलौज कर साशय अपमानित किया एवं जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया तथा पहली पत्नी (पीड़िता) के जीवित होते हुए दूसरी शादी की।

11- विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा है कि इस प्रकरण में परीक्षित गवाहान के कथनों एवं प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप संदेह से परे साबित हुआ। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

12- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण के द्वारा कोई भी अपराध कारित नहीं किया गया है। उनके विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रस्तुत किए गए गवाहों एवं साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई भी आरोप संदेह से परे सिद्ध नहीं होता, अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

13- पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा उभयपक्ष के तर्कों के आलोक में यह देखा जाना है कि अभियुक्त पर लगाये गये आरोप युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित होते हैं अथवा नहीं।

14- अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई पहली साक्षी पी० डब्ल्यू०१-श्रीमती रिजवाना द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया गया है कि "मेरी शादी दिनांक 25.10.1998 को मुस्लिम रीति रिवाज से फहीम अख्तर पुत्र अब्दुल हमीद के साथ सम्पन्न हुई थी। शादी में मेरे पिता द्वारा दान दहेज, कपड़ा, जेवर आदि बतौर मेरे पति को दिया गया था जो इस समय उसके कब्जे में है। शादी में ही मेरी विदाई हो गई थी। तब मेरे पति फहीम अख्तर, ननद शाहीन, ननदोई शाहिद, ननद का लड़का अबूजर, ननद की लड़की गजाला मेरे पिता द्वारा दिये गये दान दहेज से संतुष्ट नहीं थे और अतिरिक्त दहेज में छः लाख रुपये की मांग

करते थे तथा मारपीट करते थे, तब मैंने रिपोर्ट थाने में दर्ज करायी, जिसमें मेरे ससुरालीजन थाना कासगंज पर अतिरिक्त दहेज की मांग न करने तथा भविष्य में कोई शारीरिक व मानसिक क्रूरता न करने के सम्बन्ध में आश्वासन देकर दिनांक 10.07.2006 को थाना कासगंज में फैसलानामा दाखिल करते हुए ससुराल बुलाकर ले गये। शामिल पत्रावली 10 अ/1 लगायत 10 अ/4 को देखकर गवाह ने कहा यह वही फैसलानामा है, जो थाने पर लिया गया था तथा इसके बाद में न्यायालय में दाखिल किया। इस पेपर पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिसकी मैं पुष्टि करती हूँ। उसके बाद कुछ दिन तक सही रखा, लेकिन फिर से मेरे ससुरालीजन उपरोक्त अतिरिक्त दहेज के रूप में छः लाख रुपये की मांग करने लगे तथा इसी वजह से मेरे साथ गाली गलौज व मारपीट करने लगे। जब मेरे मायकेवालों ने इतने रुपये देने में असमर्थता जताई तो मेरे पति ने हुमेरा नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली तथा मुझे मेरी मां की तबियत खराब होने के बहाने से दिनांक 02.05.2010 को मेरे पति फहीम अख्तर, ननदोई शाहिद, ननद शाहीन, अबूजर उर्फ सुहेल, गजाला, हुमेरा नाज, शमशुल हसन मुझे दिन में 12.30 बजे कार में बिठाकर लेकर गये और जान से मारने की नीयत से कासगंज बारह पत्थर के सामने उक्त सभी मुल्जिमान ने मारापीटा तथा फहीम अख्तर ने मुझे जान से मारने की नीयत से गले में प्लास्टिक की रस्सी डाल कर उपरोक्त लोगों के कहने से जान से मारने का प्रयास किया। मुझे मरा जानकर छोड़कर चले गये। मेरी लड़की अरीवा को छोड़कर जा रहे थे। तब घटना के समय ही मौहम्मद शाकिर पुत्र मौहम्मद शकील व आविद पुत्र अब्दुल रहूफ निवासी गण कासगंज व आसपास के लोगों ने ललकारा तो उक्त मुल्जिमान भाग गये। तब मेरे घर पर सूचना उपरोक्त लोगों ने की, तब मेरे घरवाले उठाकर ले गये, तब मैंने घटना की रिपोर्ट दिनांक 02.05.2010 को थाना कासगंज में टाइपशुदा तहरीर देकर पढ़कर थाना कासगंज में दी व मुकदमा पंजीकृत कराया व गवाह को कागज संख्या-5 अ/1 व 5 अ/2 पढ़कर सुनाया व दिखाया तो उसने कहा कि यह वही रिपोर्ट है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जो मेरे द्वारा दर्ज करायी गयी थी, जिस पर प्रदर्शक-1 डाला गया। दरोगा जी ने मेरा बयान उपरोक्त प्रकरण में लिया था। मेरा चिकित्सीय परीक्षण चिड्डी मजरूबी के आधार पर सरकारी अस्पताल कासगंज में मेरे शरीर पर आई चोटों का हुआ था"।

15- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षा की तो साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि "यह कहना गलत है कि शादी के आठ वर्ष तक मैं अपने पति के साथ ठीक ठाक रही हूँ। इस सम्बन्ध में मैंने 2006 में भी थाने पर रिपोर्ट की थी। इससे पहले अपने साथ होने वाली मारपीट की कोई शिकायत थाने पर नहीं की थी। परिवार में बातचीत होती थी। उस मुकदमे में हम लोगों का फैसला हो गया था और मैं फहीम के साथ चली गयी थी। मेरी एक बेटी का भी इस बीच में ससुराल में जन्म हुआ। यह कहना सही है कि सन् 2006 से पुनः इस मामले के लिखाने तक ससुराल में रही और मायके आती जाती रही। इस मुकदमे में, जिसमें मैं आज बयान दे रही हूँ, हमारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सुलह समझौता हुआ था। इस समझौते में यह तय था कि फहीम कासगंज में मेरे व मेरी लड़की के साथ मकान लेकर अलग रहेगा, लेकिन इसने यह समझौता नहीं माना और समझौते के अगले दिन ही फोन पर मुझे गालियां दी। यह शर्त फहीम ने रखी थी। यह दूसरी शादी कर चुका है और उसके दो बच्चे हैं। मैं इसके साथ इसीलिए नहीं रही क्योंकि इसने मेरे साथ मारपीट की थी। यह कहना गलत है कि जब फहीम मकान खरीदने कासगंज आया तो मेरे भाइयों ने इसके साथ मारपीट की हो। यह कहना भी गलत है कि इसी

मारपीट का कोई मुकदमा मेरे भाइयों के खिलाफ चल रहा हो। यदि ऐसा मुकदमा चल रहा है तो मुझे नहीं पता। फहीम अख्तर व उसके भाई अलग-अलग मकान में रहते हैं। सभी का रहन-सहन और खाना-पीना अलग है, सबके कारोबार भी अलग-अलग हैं। शाहीन मेरी ननद है। इनकी शादी मेरी शादी से पहले हुई है। जब मैं ससुराल सहसवान में रहती थी तो वह भी मेरे घर पर सहसवान में रहने के लिए आ गई थी। मेरी मां की तबियत खराब होने की सूचना मुझे फहीम अख्तर ने दी थी। यह कहा था कि तेरी मां की बहुत तबियत खराब है, यदि मुंह देखना हो तो अभी मेरे साथ चल। यह सूचना घटना वाली दिनांक पर ही मिली थी। सूचना करीब सात बजे सुबह दी थी। यह कहना सही है कि यह सूचना मिलने पर मैं परिवार के किसी सदस्य या मां से फोन पर बात नहीं की थी, क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं है। मैंने अपने पति से फोन पर बात कराने के लिए कहा था, लेकिन इन्होंने बात नहीं करवाई। यह कह कर मना किया था कि वहीं चल कर देख लेना। करीब साढ़े नौ-दस बजे चले थे। टाटा सूमो से चले थे। यदि प्रार्थनापत्र में कार से आने की बात है तो उसका मतलब टाटा सूमो से ही है। मेरे साथ मेरे पति फहीम अख्तर, फहीम की दूसरी पत्नी हुमैरा, ननद शाहीन, ननद की लड़की गजाला, ननद का लड़का सुहेल उर्फ अबुजर, ननदोई शाहिद, ननदोई शमशुल हसन थे। मुझे गाड़ी का नम्बर याद नहीं है। गाड़ी सफेद रंग की थी। कछला रेलवे क्रासिंग बन्द होने के कारण वहाँ थोड़ा टाइम लगा था। सहसवान से कासगंज की दूरी मुझे ज्ञात नहीं। हमें सहसवान से कासगंज पहुंचने में दो-ढाई घण्टा लगभग लगा होगा। यह कहना सही है कि घटनास्थल आबादी वाली जगह है। कासगंज सोरो रोड पर स्थित है, जहां वाहनों का अवागमन लगा रहता है। गाड़ी के आते समय ये लोग आपस में बातें कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे जालसाजी से लाये हैं तो मैंने शोर मचाया तो ये लोग चलती गाड़ी में ही मुझे मारने लगे। मैं और मेरी लड़की रोने चीखने लगे तो इन्होंने मेरे गले में प्लास्टिक की रस्सी डालकर खींचने लगे और लोगों के द्वारा हमारे चीखने की आवाजे सुनकर इन्होंने तुरन्त बारह पत्थर पर गाड़ी रोक कर मुझे घसीट कर उतार कर व मेरी लड़की को भी वहीं छोड़कर चले गये। इनकी आपसी बातों से षडयंत्र की जानकारी मुझे सोरो से निकलने के बाद हुई। तभी मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। पहले गाड़ी में ही मारना शुरू किया, फिर गाड़ी में ही गले में फंदा डाला। यह घटना गाड़ी में ही सोरो से कासगंज आते हुए हुई। मुझे गाड़ी रोक कर फेंका था। उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी। मुझे घर पर होश आया था। मुझे याद नहीं जब होश आया, कितने बजे थे। उसी दिन होश आ गया था। मौके से मेरे परिवार के लोग लेकर आये थे। मौके पर दो लोगों ने देखा था जिन्होंने परिवार वालों को सूचना दी थी। मेरे होश में आने के बाद परिवार वालों ने मुझसे सारी बातें पूछी। तब मेरे घर पर मेरे भाई मुजम्मिल हुसैन, ताहिर हुसैन, आरिफ हुसैन और भी बहुत से लोग थे। आपस में यह विचार विमर्श हुआ कि इस घटना कि रिपोर्ट लिखायी जानी चाहिए, तब मैं, भाई मुजम्मिल हुसैन, ताहिर हुसैन, वाहिद हुसैन, जाहिर हुसैन, राशिद हुसैन, आरिफ हुसैन और दो लोग आविद व शाकिर थाने गये। थाने पर रिपोर्ट मैंने बोलकर लिखवाई थी। दरोगा जी ने थाने पर मुझसे प्रश्न किये थे, मैंने उनके उत्तर दिये थे। फिर मेरी रिपोर्ट दर्ज हो गई। पहले वो घटनास्थल देखने गये थे और वहीं से डाक्टरी चैकप के लिए गये। फिर डाक्टरी चैकप के बाद रिपोर्ट लिखी। घटना वाले दिन शाम के 8-8½ बजे थाने पहुंचे थे। उसके बाद मेरे दूसरे बयान लिये थे और रिपोर्ट लिखी थी। डाक्टरी मुआयना कराने मेरे साथ एक पुलिस वाला और भाई लोग गये थे। थाने पहुंचने के थोड़ी देकर बाद ही अस्पताल लेकर गये थे। अस्पताल पहुंचने के कुछ देर बाद ही 10-15 मिनट बाद, डाक्टरी मुआयना हो गया था। थाने से अस्पताल पहुंचने में 15-20 मिनट ही लगे होंगे। यह कहना गलत है कि

घटना की दिनांक पर ननद शाहीन एवं उनके पति शाहिद सहसवान में ना हों और संभल में हों। यह कहना गलत है कि शाहीन की पुत्री गजाला का घटना की दिनांक पर पेपर था और घटना के समय वह पेपर दे रही थी। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान ने मुझसे अतिरिक्त दहेज की मांग न की हो। यह कहना गलत है कि मैं फहीम के साथ कासगंज में रहना चाहती थी, इसीलिए उसके मना करने पर यह झूठा मुकदमा किया हो। यह कहना गलत है कि मैंने अपने भाई के साथ जाकर डाक्टर से सांठ-गांठ करके यह फर्जी डाक्टरी मुआयना तैयार कराकर यह झूठी घटना बनाई हो। यह कहना भी गलत है कि मैं झूठा बयान दे रही हूँ।"

16- साक्षी पी0 डब्ल्यू0-2 मौहम्मद शाकिर द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया गया है कि "रिजवाना की शादी सन 1998 में फहीम अख्तर के साथ हुई थी। रिजवाना के घरवालों ने ससुराल पक्ष को स्त्रीधन के रूप में काफी दान दहेज दिया था लेकिन शादी के बाद अक्सर सुनने में आता था कि रिजवाना को उसकी ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज में छः लाख रुपये की मांग करते थे। मांग पूरी न होने पर उसे मारते पीटते थे तथा प्रताड़ित करते थे। रिजवाना ने पहले भी ससुराल वालों के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न का मुकदमा लिखाया था। बाद में इस मुकदमे में दोनों पक्षों में फैसला हो गया था। सन् 2010 में फहीम अख्तर ने अपनी दूसरी शादी कर ली। दिनांक 02.05.2010 को मैं तथा मेरे साथ आविद कासगंज अपने घर आ रहे थे। साढ़े बारह बजे दिन के लगभग बारह पत्थर मैदान के सामने पहुंचे तो देखा कि फहीम अख्तर, शाहिद, शाहीन, अबूजर उर्फ सुहेल, गजाला, शमशुल हसन आदि लोग रिजवाना को मारपीट कर कह रहे थे इतने सालों से तुम्हारे घर वालों ने दहेज की मांग पूरी नहीं की। इन लोगों ने रिजवाना के गले में प्लास्टिक की रस्सी डालकर की थी। मैंने व आविद तथा आसपास बहुत से लोगों ने उन्हें ललकारा तो पास में खड़ी एक गाड़ी में बैठकर भाग गये। रिजवाना व उसकी पुत्री को वहीं पर छोड़ गये, तब हमने मुजम्मिल को खबर दी थी, जिसे सुनकर मुजम्मिल आदि लोग मौके पर आ गये थे। रिजवाना व उसकी पुत्री को अपने साथ ले गये। मुल्जिमानों ने रिजवाना को गालियां भी दी व जान से मारने की धमकी भी दी थी। मांग पूरी नहीं हुई तो जान से मार देंगे। दरोगा जी ने मेरे बयान लिये थे"।

17- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षा की तो साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि "घटना वाले दिन मैं अपने घर से सोरों गये थे। मेरे साथ आविद थे। मैं सोरों पर्सनल काम से गया था। मैं अपने बहनोई रऊफ के पास सोरों गया था। सोरों मैं आधा घंटे में पहुंच गया था। मैं ट्रेन से गया था। मैं सोरों में अपने बहनोई के यहाँ ढाई-तीन घंटे रुका था, उसके बाद कासगंज आ रहा था। मैं सोरों से वापस टैम्पू से आया था और ब्लाक के पास उतर गया था। सोरों में टैम्पू का इंतजार नहीं करना पड़ा था। टैम्पू तुरन्त मिल गया था। कितनी देर में सोरों से टैम्पू ब्लाक तक आ गया, यह ध्यान नहीं है। आविद मेरे साथ आये थे। रिजवाना मौहल्ले के नाते मेरी बहिन है, इसलिए मेरे रिजवाना के परिवार से काफी अच्छे ताल्लुक है। मुझसे गवाही देने के लिए किसी ने नहीं कहा। मुझे एफ.आई.आर. दर्ज होने काफी दिनों बाद इस बात की जानकारी हुई कि मुझे इस केस में गवाही देनी है। उससे पहले मुझे जानकारी नहीं थी, खुद कहा कि गवाही मैंने अपना नाम लिखवाया था। मुझे इतना ध्यान नहीं है कि कितनी बार गया, लेकिन एक बार तो गया। मैं रिजवाना की ससुराल अकेला गया था। शादी के दो-ढाई साल बाद रिजवाना की ससुराल गया था। मेरी रिजवाना से उसकी ससुराल में कोई बातचीत नहीं हुई थी।

ब्लाक कासगंज पर टैम्पू स्टैण्ड नहीं है। मैं भी ब्लाक कासगंज पर एक काम से उतर गया था। एक व्यक्ति से मिलना था, वो नहीं मिला, वह व्यक्ति ब्लाक पर ही रहते हैं, ड्राईवर है। उस व्यक्ति का नाम मुझे इस वक्त ध्यान नहीं है। उस व्यक्ति को दूढ़न में पाँच मिनट भी नहीं लगे थे। ब्लाक बारह पत्थर पर भीड़ भाड़ नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि वहां कोई आता जाता भी न हो। यह बात सही है कि रिजवाना व फहीम अख्तर के बीच न्यायालय में मुकदमा दहेज का चला था, जिसमें फैसला हो गया था। मुझे यह जानकारी नहीं है कि फहीम अख्तर ने रिजवाना के नाम कोई प्लाट सहसवान में खरीदवाया हो। इस घटना की एफ.आई.आर. जिसमें मैं आज गवाही देने आया हूँ, वह किस-किस के नाम दर्ज हुई थी, मुझे मालूम नहीं है। यह कहना गलत है कि मेरे सामने कोई घटना न हुई हो और यह कहना भी गलत है कि घटना मैंने न देखी हो और यह कहना भी गलत है कि मौके पर नहीं हो और यह कहना गलत है कि मैं झूठा बयान दे रहा हूँ।

18- साक्षी पी0 डब्ल्यू0-3 आविद द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया गया है कि "घटना दिनांक 02.05.2010 समय लगभग 12.30 बजे दिन की है। मैं सोरों से मौहम्मद शाकिर के साथ आ रहे थे और ब्लाक कासगंज के पास उतर गये थे। बारह पत्थर मैदान कासगंज के सामने हाजिर अदालत रिजवाना के पति फहीम अख्तर और ननदोई शाहिद व उसकी पत्नी शाहीन व अबूजर उर्फ सुहेल जो ननद का लड़का है तथा गजाला ननद की लड़की व शमशुल हसन व हुमेरा नाज ने एकराय मशवरा होकर रिजवाना बेगम को जान से मारने की नीयत से बाल पकड़कर उसको घसीटते हुए उसे लात घूसों व थप्पड़ों से मारपीट रहे थे। फहीम अख्तर ने रिजवाना बेगम के गले में प्लास्टिक की रस्सी डालकर जान से मारने का प्रयास किया। इतने में मैं व मौहम्मद शाकिर पहुंच गये थे। हम लोगों ने घटना देखी। मैंने मुल्जिमानों को ललकारा और कहा कि क्या हरकत कर रहे हो, फिर उपरोक्त सभी मुल्जिमान कार में बैठकर भाग गये। दरोगा जी मेरे घर पर आये थे और मेरे बयान लिये थे। मेरे सामने मारपीट कर रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे व जान से मारने की धमकी दे रहे थे और मुल्जिमान छः लाख रुपये की मांग कर रहे थे। दहेज के लिए छः लाख रुपये की मांग कर रहे थे"।

19- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षा की तो साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि "सोरों से मैं साढ़े ग्यारह बजे 11.30 बजे चले थे। रिजवाना बेगम मेरे मौहल्ले की है। मेरा इनके घर पर आना जाना नहीं है। मैं कभी इनके घर पर नहीं गया। मैं कभी रिजवाना की ससुराल भी नहीं गया हूँ। रिजवाना के ससुरालीजन फहीम, शाहिद, शाहीन, अबुजर, समसुल हसन यह लोग मेरे घर के सामने गाड़ी खड़ी करते थे, जब भी ससुराल आते थे, इसलिए मैं इनको जानता हूँ। यह लोग एक दूसरे का नाम लेते हैं, इसलिए मैं इनके नाम जानता हूँ। जब गाड़ी से उतरते थे, सभी एक दूसरे के नाम से पुकारते थे, इसलिए मैं उनको नाम से जानता हूँ। शाहीन की उम्र 24 साल है। शाहिद की उम्र कितनी है, मैं नहीं बता सकता हूँ। फिर कहा कि शाहिद की उम्र 25-26 साल है। मैं नहीं बता सकता हूँ कि शाहिन शादीशुदा है या नहीं। मैंने शाहिन के साथ किसी बच्चे को नहीं देखा है। गजाला फहीम की पत्नी है, उसकी उम्र 24-25 साल होगी। जिस दिन घटना हुई थी, उसी दिन मैं गजाला को देखा था, इससे पहले कभी नहीं देखा था। शमशुल हसन की उम्र करीब 40-45 साल के लगभग होगी। अबुजर की उम्र करीब 22-23 साल है। इस घटना से पहले मैंने उपरोक्त मुल्जिमानों को करीब एक वर्ष पहले देखा था। घटना

वाले दिन मैं सोरों से आ रहा था। मौहम्मद शाकिर उर्फ भूरा जो इस केस में गवाह है, मेरे साथ सोरों गये थे। घटना वाले दिन हम करीब 10.00- 9-45 बजे के लगभग सोरों के लिए टैम्पू से गये थे। घर से निकलने के आधा घण्टे बाद बड्डनगर से टैम्पू मिल गया था। मौहम्मद शाकिर मेरे साथ घर से ही गये थे। 11.15 बजे या 11.30 बजे सोरों पहुंच गये थे। सोरों में शाकिर के बहनोई रऊफ हैं। उनके पास काम से गये थे। रऊफ खां का घर बदरिया में है। हम रऊफ खां की दुकान पर गये। दुकान पर हम करीब आधा घण्टा बैठे थे। वहां से हमें तुरन्त टैम्पू मिल गया था। सोरों से टैम्पू कासगंज रोडवेज बस स्टैण्ड तक आता है। आज खुद कहा कि ब्लाक पर उतर गये। मेरा घर तहसील रोड पर है। मेरा घर बड्डनगर से पास में है। सोरों की तरफ से आने पर ब्लाक से आगे बड्डनगर है। बड्डनगर पर नहीं उतरे थे। ब्लाक पर एक आदमी से काम था। बी.डी.ओ. साहब के ड्राइवर से काम था, मैं ब्लाक में ड्राइवर साहब को देखने गया था लेकिन ड्राइवर साहब ब्लाक में नहीं मिले। हम लोग ब्लाक में 4-5 मिनट रुके होंगे। ब्लाक से पैदल-2 चलकर घर आ रहे थे। ब्लाक से बड्डनगर के लिए वाहन नहीं मिलते थे। टैम्पू चलते रहते हैं। टैम्पू में ब्लाक से नहीं बैठे थे। ब्लाक से मेरा घर करीब आधा पौन कि.मी. पड़ता है। बारह पत्थर मैदान के सामने जो कब्रिस्तान है, वहां पर मुल्जिमान मिले थे, वहां पर भीड़ लग रही थी। भीड़ देखकर मैं नहीं वहां पहुंच गया था। भीड़ में 15-20 लोग मौजूद होंगे। रिजवाना वहां पर बेहोश पड़ी हुई थी। सभी मुल्जिमान उधम मचा रहे थे। जब मैं पहुंचा तब रिजवाना बेहोश थी, रिजवाना के साथ में उसकी लड़की थी। मुल्जिमान आपस में भगने के लिए उधम कर रहे थे। जैसे ही हम पहुंचे वैसे ही मुल्जिमान कार में बैठकर भाग गये। कब्रिस्तान बारह पत्थर मैदान के कासगंज सोरों मार्ग के पार है। रिजवाना सड़क से 4-5 कदम की दूरी पर कब्रिस्तानों की तरफ बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। वहां पर मौजूद लोग व हम लोगों ने मुल्जिमानों को पकड़ने की कोशिश नहीं की थी। मैंने रिजवाना की सूचना अपने दोस्त मुजम्मिल को दी थी। मुजम्मिल रिजवाना के भाई है। मैंने मौहल्ले में आकर स्वयं मुजम्मिल को सूचना दी थी। मेरे साथ शाकिर भी था। सूचना देने के बाद मैं मौके पर नहीं आया था। तब तक रिजवाना मौके पर ही पड़ी रही। इसके बाद मुजम्मिल रिजवाना को लेकर गये, मुझे नहीं पता। रिपोर्ट मुजम्मिल ने करायी थी, मुझे नहीं पता कि रिपोर्ट कब और किस किस के खिलाफ करायी थी। 10-15 दिन के बाद मुझे मुजम्मिल ने बताया की मैंने तुम्हे गवाह बना दिया है, तुम्हे गवाही देनी है। तभी मुझे जानकारी हुई थी कि फहीम, शाहिद आदि के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। मुझे जानकारी नहीं है कि इस घटना से पहले फहीम का मुजम्मिल, आरिफ आदि का झगड़ा हुआ हो। मुझे जानकारी नहीं है कि इस झगड़े की रिपोर्ट में बन्द हुए हो। शायद रिजवाना को फहीम ने सहसवान में प्लाट दिलवाया होगा, मुझे जानकारी नहीं है। यह कहना गलत है कि मैंने कोई घटना न देखी हो। यह कहना गलत है कि मैं मुजम्मिल का दोस्त होने की वजह से झूठी गवाही दे रहा हूँ।

20- साक्षी पी0 डब्ल्यू0-4 डी0पी0 शाक्य स्वेच्छिक सेवानिवृत्त (VRS), हड्डी रोग विशेषज्ञ द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया गया है कि "दिनांक 02.05.2010 को मैं सी.एच.सी. कासगंज जनपद कांशीराम नगर में तैनात था। उस दिन मैंने 9.20 ए.एम. पर मजरूबा श्रीमती रिजवाना बेगम आयु 28 वर्ष पत्नी फहीम अख्तर D/o हाजी तजम्बुल हुसैन निवासी मौहल्ला नवाब तहसील रोड कासगंज जनपद कांशीराम नगर का चिकित्सीय परीक्षण किया, जिसे मुजम्मिल हुसैन मजरूबा का भाई द्वारा लाया गया था। मजरूबा के शरीर पर आयी निम्न चोटें पायी गयी। चोट नं० -1 एक नीलगू 3x1 cm, माथे पर दाहिनी

तरफ 0.5 cm दाहिनी भों से ऊपर, चोट का रंग लाल था। चोट नं०-2 एक Ligature निशान 25x1.5cm गर्दन पर दाहिनी तरफ पिछली सतह पर और गर्दन के बायीं तरफ 7 वीं Cervical गुरिया से 5cm ऊपर स्थित था। जिसका रंग लाला था। चोट नं०-3 एक नीलगू 12x1.5 cm पीठ पर दोनों पखों के बीच में दाहिनी तरफ स्थित था। जो Vertically था। चोट नं०-4 एक नीलगू 10x1.5cm पीठ पर दोनों पखों के बीच में बांयी तरफ लम्बवत (Vertically)स्थित था, जिसका रंग लाल था। मेरी राय में चोट नं०-1, 3, 4 किसी सख्त एवं कुन्द से कारित की गयी। चोट नं०-2 किसी वस्तु या रगड़ से आयी। उपरोक्त सभी चोटें साधारण प्रकृति की और सभी ताजा हैं। परीक्षण Report पत्रावली पर कागज सं०-8 अ/1 संलग्न है, जो मेरे हस्ताक्षर व हस्तलेख में है, जिसकी पहचान व तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्शक-2 डाला गया। Injury Report पर मजरूबा का निशानी अंगूठा है, जो मेरे द्वारा प्रमाणित किया गया है।

21- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षा की तो साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि "चुटैल रिजवाना बेगम को उसके भाई मुजम्मिल हुसैन मेरे पास लेकर आये थे। पुलिस का कोई व्यक्ति इनके साथ नहीं आया था। मैं मुजम्मिल हुसैन को पहले से नहीं जानता था। मजरूबी चिड्डी के साथ आयी थी, इसलिए Identified किया। ये चोट नं०-1 का size देखते हुए गिरकर आने से संभव नहीं है। ये चोट Self Made भी नहीं है। ये चोट ताजा था, ये चोटें 6 घंटे पहले की हो सकती हैं। चोट नं०-2 दुपट्टा अथवा साड़ी की रगड़ से भी आ सकती है। चोट नं०-2 भी ताजा थी। ये सभी चोटें साधारण थी। यह कहना सही है कि किसी भी चुटैल की चिड्डी मजरूबी सम्बन्धित थाने से कोई पुलिस वाला लेकर आता है। चिड्डी मजरूबी पर चिड्डी मजरूबी ले जाने वाले सिपाही का नाम व नम्बर लिखा रहता है। मजरूबा रिजवाना बेगम की चिड्डी मजरूबी पर किसी भी सिपाही व पुलिसकर्मी का नाम अंकित नहीं है और ना ही मैंने अपने चिकित्सीय परीक्षण में किसी पुलिस कर्मी का नाम नहीं लिखा। मैंने सिर्फ चिड्डी मजरूबी के आधार पर जो उसके भाई मुजम्मिल हुसैन के द्वारा मुझे दी गयी थी, उसी के आधार पर मैंने रिजवाना का चिकित्सीय परीक्षण किया था। मजरूबा रिजवाना बेगम की शिनाख्त उसके भाई मुजम्मिल हुसैन के द्वारा की गयी थी। मैंने इस चिड्डी मजरूबी को पुलिस द्वारा ना लेकर आने का कोई कारण ना तो लिखा था और ना ही पूछा था। विवेचक ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। चोट आने के समय से लेकर छः घण्टे तक के समय में चिकित्सीय परीक्षण किये जाने पर हम चोटों की अवधि फ्रेश लिखते हैं, जिसमें दोनों तरफ 2 घण्टे का अंतराल हो सकता है। मजरूबा के शरीर पर आयी चोटें 6 से 8 घंटे पहले की आयी हो सकती हैं। मैं इन चोटों को सेल्फ स्फैक्टेड इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि शरीर के सीधे हाथ से कारित की जायेगी तो चुटैल के शरीर पर ज्यादातर चोटें बांये हाथ या शरीर के बांये हिस्से पर आनी चाहिए। लेकिन यह कहना सही है कि मैंने अपने चिकित्सीय परीक्षण में यह कहीं नहीं लिखा है कि मजरूबा सीधे हाथ का प्रयोग करने वाली थी। मैं यह नहीं बता सकता कि मजरूबा के शरीर पर आई चोटें उसके परिवार द्वारा बनायी गयी हो सकती हैं। अगर किसी व्यक्ति के गले में रस्सी डालकर और फन्दा डाल कर अगर उसकी हत्या का प्रयास किया जाये तो लिंगेचर मार्क नाट वाले स्थान को छोड़कर लिंगेचर मार्क पूरे स्थान पर आयेगा। मजरूबा की सभी चोटें साधारण प्रकृति की थी। यह कहना गलत है कि मैंने फर्जी डाक्टरी मुआयना तैयार किया। यह कहना भी गलत है मैं आज न्यायालय में झूठा बयान दे रहा हूँ।

22- साक्षी पी0 डब्ल्यू0-5 इंस्पेक्टर संतोष कुमार आर्य द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया गया है कि "दिनांक 02.08.2010 को कासगंज कोतवाली में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात थे। उपरोक्त वाद की विवेचना पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार एस.एच.ओ. कासगंज के आदेश से मुझे सौंपी गई। पर्चा नं०-09 मेरे द्वारा किता गया। जिसमें विवेचना हेतु उच्चाधिकारियों द्वारा आदेश ग्रहण किया गया। तत्पश्चात् मेरा स्थानान्तरण अन्य थाने में हो गया था"।

23- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षा की तो साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि "मुझे उक्त प्रकरण की विवेचना 02.08.2010 को मिली थी। उक्त मामले की घटना की दिनांक के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। उक्त मामले के गवाहों के बारे में कोई जानकारी नहीं है और ना ही मैंने कोई गवाहों के बयान लिये और ना ही मैंने गवाहों के बयानों का अवलोकन किया। मुझे तथ्यात्मक कोई जानकारी नहीं है। आरोप पत्र मेरे द्वारा नहीं लगाया गया और ना ही आरोप पत्र लगाने वाले विवेचक ने मुझसे पूछताछ की और ना ही मेरा कोई बयान लिया। यह कहना सही है कि मैंने उक्त मामले में पूर्ण विवेचना नहीं करी। मुझे अभियुक्तों के नाम की जानकारी नहीं है। यह कहना गलत है कि मैं आज न्यायालय में झूठा बयान दे रहा हूँ"।

24- साक्षी पी0 डब्ल्यू0-6 रिटायर्ड निरीक्षक तेजेस्वरी सिंह द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया गया है कि "दिनांक 02.05.2010 को मैं उपनिरीक्षक के पद पर महिला थाना में तैनात थी। क्षेत्राधिकारी महोदय के आदेश से मु०अ०सं०-07/10 अन्तर्गत धारा-498 ए, 323, 504, 506, 494 आई०पी०सी० बनाम फहीम अख्तर, शाहिद, शाहीन, अबूजर उर्फ सोहेल, गजाला, शमशुल हसन की विवेचना मुझे सुपुर्द की गयी। विवेचना के अनुक्रम में पहला पर्चा दिनांक 05.05.2010 को किता किया जिसमें नकल तहरीर, नकल रपट, बयान लेखक एफ.आई.आर. लिये गये एवं पर्चा नं०-2 दिनांक 03.05.2010 को किता किया गया जिसमें वादिया की डाक्टरी रिपोर्ट एवं वादिया के बयान एवं वादिया की निशानदेही पर घटना का मौका मुआयना किया एवं घटनास्थल का नक्शानजरी बनाया। नक्शानजरी में वादिया के साथ जिस जगह मारपीट हुई, उस जगह को मेरे द्वारा स्पष्ट रूप से चिन्हित किया गया, बयान सफाई साक्ष्य राजबहादुर, महाराज तथा वादिया द्वारा पूर्व में अंकित कराये गये विवरण, सी०डी० संलग्न किये गये। पर्चा नं०-3 दिनांक 27.05.2010 को किता किया। जिसमें गवाह मुजम्मिल का बयान अंकित किया गया। पर्चा नं०-4 दिनांक 30.05.2010 को जिसमें गवाह मौ० शाकिर के बयान एवं पर्चा नं०-5 दिनांक 31.05.2010 को जिसमें गवाह आविद के बयान अंकित हैं। दिनांक 07.06.2010 को पर्चा नं०-6 जिसमें नकल शपथ पत्र वादिया एवं शपथ पत्र गवाह मौ० आविद एवं शपथ पत्र गवाह मौ० शाकिर अंकित किये गये। पर्चा नं०-7 दिनांक 29.06.2010 को किता किया एवं पर्चा नं०-8 दिनांक 23.07.2010 को किता किया गया जिसमें मेरे द्वारा की जा रही उक्त विवेचना स्थानान्तरित करने का आदेश था"।

25- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षा की तो साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि "डा० साहब का बयान मैंने नहीं लिया था। मैंने वादिया रिजवाना का व गवाह आविद व शाकिर का बयान लिया था। मैंने वादिया का बयान 03.05.2010 को लिया था। मैंने वादिया की निशानदेही पर नक्शानजरी बनाया था। घटनास्थल के पूर्व में इण्टर कॉलेज का फील्ड है। मैंने

घटनास्थल पर दो गवाहों को राजबहादुर और महाराज सिंह से पूछताछ की और उनके बयान उसी दिन अंकित किये थे। जो नक्शानजरी मैंने बनाया था वो पत्रावली में मौजूद नहीं है। नक्शा न होने की वजह से मैं घटनास्थल की शिखर नहीं कर सकती थी। घटनास्थल पर जिस रस्सी से वादिया को मारना बताया गया है, वो रस्सी बरामद नहीं हुई और ना ही उस रस्सी के बारे में किसी गवाह से अलग से पूछताछ नहीं की। मैं अभियुक्त के घर पर नहीं गई, ना ही मेरे द्वारा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की गयी। अभियुक्तगण जिस कार से घटना कारित करने आये थे, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है और ना ही उस कार के बारे में गवाहों से अलग से पूछताछ की। जो वादिया ने बताया वही मैंने लिखा। नक्शानजरी ना होने की वजह से मैं तस्दीक नहीं कर सकती, पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण में क्या है। 494 आई०पी०सी० की मुझे जानकारी है, वह दूसरी शादी का मामला है। मैं इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं दे सकती कि 494 आई०पी०सी० मुस्लिम पर बनती है या नहीं। वादिया का अभियुक्त से 2006 में फैसला हुआ था, उसके बारे में मुझे जानकारी है, जो वादिया ने बताया था। मैंने अपनी विवेचना 23.07.2010 को शुरू की थी। वादी व गवाहों ने इस मामले के सम्बन्ध में शपथ पत्र दिये थे, जो मुझे डाक से मिले थे। वादिया ने उत्पीड़न के सम्बन्ध में जो बयान दिये थे, उतना ही बताया था। मैं वादिया के घर पर गई थी। मैंने वादिया के माता-पिता का बयान नहीं लिया था, क्योंकि वे घर पर नहीं थे। यह कहना गलत है कि उक्त घटना के सम्बन्ध में मैंने नक्शानजरी न बनायी हो। यह कहना भी गलत है कि मैंने गवाहों के बयान न लिये हो और वाला-वाला तरीकों से लिख दिये हों। यह कहना गलत है कि मैं न्यायालय में सही बात नहीं बता रही हूँ।

26- साक्षी पी० डब्ल्यू०-7 रिटायर्ड एस.आई. चन्द्रपाल सिंह द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया गया है कि "दिनांक 17.09.2010 को मैं नगर कोतवाली कासगंज में उपनरीक्षक कासगंज के पद पर तैनात था। मु०अ०सं०-07/2010 की अन्तर्गत धारा-498 ए, 323, 504, 506 एवं 494 आई०पी०सी० की विवेचना क्षेत्राधिकारी महोदय के आदेशानुसार मुझे सौंपी गयी। पर्चा नं०-11 में मेरे द्वारा उक्त मुकदमे की विवेचना ग्रहण की गई। पर्चा नं०-12 दिनांक 23.09.2010 को किता किया गया जिसमें पूर्व किता सी०डी० का अवलोकन किया। पर्चा नं०-13 दिनांक 08.10.2010 को किता किया जिसमें गवाह मुजम्मिल, अशगरी बेगम के बयान लिये। पर्चा नं०-14 दिनांक 21.10.2010 को किता किया जिसमें वादी मुकदमा रिजवाना बेगम का मजीद बयान अंकित किया, जिन्होंने पूर्व में दिये गये बयान का भी समर्थन किया। संकलित साक्ष्यों के आदार पर अभियुक्तगण फहीम अख्तर, शाहिद, शाहीन, अबुजर, गजाला, समशुल हसन के विरुद्ध अन्तर्गत धारा-498 ए, 323, 504, 506, 494 आई०पी०सी० में आरोप पत्र दाखिल किया। आरोप पत्र मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। जिसकी मैं पहचान करता हूँ, जिस पर प्रदर्शक-3 डाला गया।"

27- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षा की तो साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि "मैंने अपनी पूरी विवेचना में दो गवाहों की गवाही ली थी। जिन गवाहों की मैंने गवाही ली थी, उनके नाम मुझे याद नहीं हैं। मैंने मौका मुआयना किया था, किस तारीख को किया था, मुझे याद नहीं है। नक्शानजरी पूर्व विवेचक द्वारा बनाई गई थी, जिसका मैंने निरीक्षण किया था। ये बात सही है कि मेरे द्वारा पुनः निरीक्षण की नक्शानजरी पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। वह नक्शानजरी मेरे द्वारा नहीं

बनायी गयी थी, पूर्व विवेचक द्वारा बनाई गई थी। मुझे जानकारी नहीं है कि मैंने आरोप पत्र लगाने से पहले पूर्व विवेचक से नक्शानजरी के बारे में पूछा था या नहीं। मैं घटनास्थल की दिशाओं के बारे में नहीं बता सकता हूँ कि किस दिशा में क्या चीज है। ये बात सही है कि मैंने दो गवाहों के अलावा अन्य गवाहों से पूछताछ नहीं की, क्योंकि अन्य गवाह मुझे नहीं मिले। मैंने पूर्व गवाहों के बयानों का अवलोकन किस तारीख को किया था, मुझे याद नहीं है। अवलोकन करने वाले गवाहों के नाम मुझे ध्यान नहीं है। मुझे नहीं पता गवाहों ने क्या कहा, पर उन्होंने पूर्व में दिये बयानों का समर्थन किया। मेरे द्वारा आरोप पत्र अन्तर्गत धारा- 498 ए, 323, 504, 506, 494 आई०पी०सी० में लगाया गया। अन्तर्गत धारा-494 आई०पी०सी० में द्वितीय विवाह की वजह से लगायी जाती है। धारा 494 आई०पी०सी० मुस्लिम विधि में लागू होती है या नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। मुल्जिमान सहसवान के रहने वाले हैं, किस मौहल्ले के मुझे पता नहीं। मैंने सहसवान में जाकर में दबिश दी थी। किस तारीख को दी थी, मुझे याद नहीं है। पूरी पत्रावली में छः मुल्जिमान हैं, उनके नाम मुझे याद नहीं हैं, सभी मुल्जिमान सहसवान के रहने वाले हैं। यह बात सही है कि मैंने छः मुल्जिमानों के बारे में जानकार करके आरोप पत्र प्रेषित किया था। मुझे विवेचना 17.09.2010 को मिली थी। डाक्टरी परीक्षण हुआ था। किसका हुआ था, मुझे याद नहीं है।, किस डाक्टर द्वारा किया गया था, मुझे ध्यान नहीं है। यह कहना गलत है कि मैंने बिना किसी जानकारी के आरोप पत्र प्रेषित कर दिया हो। यह कहना भी गलत है कि गवाहों के अवलोकन के बिना मैंने आरोप पत्र प्रेषित कर दिया हो। यह बात सही है कि पत्रावली पर नक्शानजरी नहीं है। यह कहना गलत है कि मैंने गवाहों के दबाव में आकर आरोप पत्र प्रेषित कर दिया हो"।

28- दहेज की कुरुति से नवविवाहित महिलाओं को बचाने के पवित्र उद्देश्य के साथ भारतीय दंड संहिता में 1983 में धारा 498 ए का प्रावधान लाया गया था। उस समय के परिवेश में दहेज की कुप्रथा अपने चरम पर थी और उसकी वजह से बहुत सारी नवविवाहित महिलाएं उत्पीड़न का शिकार बनती थी और कई बार दहेज हेतु उनकी हत्या भी कर दी जाती थी । आज का परिवेश उस समय के परिवेश से बहुत भिन्न है, यद्यपि दहेज की कुप्रथा आज भी समाज में मौजूद है पर उसके साथ-साथ यह भी सच है कि बहुत बार पति और उसके रिश्तेदारों पर झूठा मुकदमा चलाने के लिए पत्नी द्वारा इसका दुरुपयोग किया जाता है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी बहुत सी बार चिंता जताई गई है और कई दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं अतः यह उचित होगा की धारा 498 ए से संबंधित माननीय उच्चतम न्यायालय के कुछ निर्णयों का अवलोकन किया जावे।

29- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *G.V. Rao vs L.H.V. Prasad & Ors [Decided on 6 March, 2000; citation-(2000) 3 SCC 693]* वाद में प्रतिपादित विधि व्यवस्था के अनुसार-

"There has been an outburst of matrimonial disputes in recent times. The marriage is a sacred ceremony, the main purpose of which is to enable the young couple to settle down in life and live peacefully. But little matrimonial skirmishes suddenly erupt which often assume serious proportions resulting in commission of heinous crimes in which elders of

the family are also involved with the result that those who could have counselled and brought about rapprochement are rendered helpless on their being arrayed as accused in the criminal case. There are many other reasons which need not be mentioned here for not encouraging matrimonial litigation so that the parties may ponder over their defaults and terminate their disputes amicably by mutual agreement instead of fighting it out in a court of law where it takes years and years to conclude and in that process the parties lose their "young" days in chasing their "cases" in different courts".

30- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *Geeta Mehrotra & Anr vs State Of U.P. & Anr* [Decided on 17 October, 2012 ; citation-(2012) 10 SCC 741] वाद में प्रतिपादित विधि व्यवस्था के अनुसार -

"...mere casual reference of the names of the family members in a matrimonial dispute without allegation of active involvement in the matter would not justify taking cognizance against them overlooking the fact borne out of experience that there is a tendency to involve the entire family members of the household in the domestic quarrel taking place in a matrimonial dispute specially if it happens soon after the wedding.

However, we deem it appropriate to add by way of caution that we may not be misunderstood so as to infer that even if there are allegation of overt act indicating the complicity of the members of the family named in the FIR in a given case, cognizance would be unjustified but what we wish to emphasize by highlighting is that, if the FIR as it stands does not disclose specific allegation against accused more so against the co-accused specially in a matter arising out of matrimonial bickering, it would be clear abuse of the legal and judicial process to mechanically send the named accused in the FIR to undergo the trial unless of course the FIR discloses specific allegations which would persuade the court to take cognizance of the offence alleged against the relatives of the main accused who are prima facie not found to have indulged in physical and mental torture of the complainant-wife".

31- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *Kahkashan Kausar @ Sonam vs The State Of Bihar*

[Decided on 8 February, 2022; citation 2022 SCC OnLine SC 162] वाद में प्रतिपादित विधि व्यवस्था के अनुसार—

“The ultimate object of justice is to find out the truth and punish the guilty and protect the innocent. To find out the truth is a herculean task in majority of these complaints. The tendency of implicating husband and all his immediate relations is also not uncommon. At times, even after the conclusion of criminal trial, it is difficult to ascertain the real truth. The courts have to be extremely careful and cautious in dealing with these complaints and must take pragmatic realities into consideration while dealing with matrimonial cases. The allegations of harassment of husband's close relations who had been living in different cities and never visited or rarely visited the place where the complainant resided would have an entirely different complexion. The allegations of the complaint are required to be scrutinized with great care and circumspection.

Recently, in *K. Subba Rao v. The State of Telangana* (2018) 14 SCC 452, it was also observed that:—“The Courts should be careful in proceeding against the distant relatives in crimes pertaining to matrimonial disputes and dowry deaths. The relatives of the husband should not be roped in on the basis of omnibus allegations unless specific instances of their involvement in the crime are made out.

....this court has at numerous instances expressed concern over the misuse of section 498A IPC and the increased tendency of implicating relatives of the husband in matrimonial disputes, without analysing the long term ramifications of a trial on the complainant as well as the accused. It is further manifest from the said judgments that false implication by way of general omnibus allegations made in the course of matrimonial dispute, if left unchecked would result in misuse of the process of law. Therefore, this court by way of its judgments has warned the courts from proceeding against the relatives and in-laws of the husband when no prima facie case is made out against them”.

32— माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित इन सभी विधि व्यवस्थाओं का अवलोकन करने से स्पष्ट हो जाता है कि जब तक पति एवं पति के परिवारजन या रिश्तेदारों पर विशिष्ट आरोप ना लगाए गए हो

और उत्पीड़न में उनकी विशिष्ट भूमिका को स्पष्ट ना किया गया हो तब यह उचित नहीं होगा कि उन्हें उत्पीड़न हेतु दोषी माना जावे। इस संबंध में न्यायालय को निश्चित रूप से बहुत सतर्क रहना होगा कि पत्नी द्वारा सामान्य रूप से आरोप लगाने पर पति या उसके परिवार जनों का उत्पीड़न ना हो।

33- प्रस्तुत मामले में पीड़िता द्वारा साक्षी के रूप में सभी अभियुक्त गणों पर सामान्य रूप से आरोप लगाए गए हैं और किसी भी अभियुक्त के द्वारा कारित किए गए किसी विशिष्ट कृत्य को अपने साक्ष्य में पीड़िता द्वारा नहीं लाया गया है और ना ही किसी भी अभियुक्त की विशिष्ट भूमिका को स्पष्ट किया गया है। जब एक पीड़िता का उत्पीड़न उसके ससुराल जनों द्वारा किया जाएगा तब उसके पति, उसके सास-ससुर एवं उसके अन्य ससुराल जनों द्वारा उसे परेशान या पीड़ित करने हेतु बहुत सारे कृत्य कारित किये जायेंगे और निश्चित रूप से उस उत्पीड़न में विभिन्न जनों की भूमिका अलग अलग होगी। पीड़िता द्वारा अपनी गवाही में किसी भी ऐसे विशिष्ट कृत्य का जिक्र ना करना या किसी भी अभियुक्त की विशिष्ट भूमिका को स्पष्ट ना करना निश्चित रूप से अभियोजन पक्ष के संस्करण पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है।

34- यद्यपि अभियोजन द्वारा पीड़िता के साथ दिनांक 02.05.2010 को हुई मारपीट की घटना के साक्षी प्रस्तुत किये गए हैं, पर उससे पूर्व पीड़िता के साथ हुए कथित उत्पीड़न का कोई भी साक्षी अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह तथ्य गौर देने योग्य है कि अभियोजन द्वारा कथित तथ्यों को साबित करने के लिए तथ्य के तीन साक्षी प्रस्तुत किए गए हैं। प्रथम साक्षी स्वयं पीड़िता रिजवाना है, द्वितीय साक्षी मोहम्मद शाकिर है और, तृतीय साक्षी आबिद है। रिजवाना को छोड़कर किसी भी साक्षी द्वारा अपने बयान में यह नहीं कहा गया है कि दिनांक 02.05.2010 को हुई कथित घटना से पहले अभियुक्तगण द्वारा पीड़िता से दहेज मांगने की कोई घटना या अभियुक्त गण द्वारा पीड़िता का उत्पीड़न करने की कोई घटना उनके द्वारा देखी गई। इससे स्पष्ट है कि पीड़िता को छोड़कर अन्य साक्षी पीड़िता के साथ दिनांक 02.05.2010 से पहले अभियुक्तगण द्वारा पीड़िता के साथ कारित की गयी किसी भी घटना के चक्षुदर्शी नहीं है।

35- दिनांक 02.05.2010 को पीड़िता के साथ हुई मारपीट की घटना के संबंध में पीड़िता स्वयं एक साक्षी है एवं पीड़िता के अलावा अभियोजन द्वारा दो साक्षी और प्रस्तुत किए गए हैं। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले यह देखना आवश्यक है कि तीनों साक्षियों के बयान किस हद तक सुसंगत है और यदि उनमें विसंगतियां हैं तो वह विसंगतियां किस स्तर की हैं।

36- साक्षी पी0 डब्ल्यू01-श्रीमती रिजवाना, जो कि स्वयं पीड़िता है, द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि "गाड़ी के आते समय ये लोग आपस में बातें कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे जालसाजी से लाये हैं तो मैंने शोर मचाया तो ये लोग चलती गाड़ी में ही मुझे मारने लगे। मैं और मेरी लड़की रोने चीखने लगे तो इन्होंने मेरे गले में प्लास्टिक की रस्सी डालकर खींचने लगे और लोगों के द्वारा हमारे चीखने की आवाजे सुनकर इन्होंने तुरन्त बारह पत्थर पर गाड़ी रोक कर मुझे घसीट कर उतार कर व मेरी लड़की को भी वहीं छोड़कर चले गये। इनकी आपसी बातों से षडयंत्र की जानकारी मुझे सोंरों से निकलने के बाद हुई। तभी मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। पहले गाड़ी में ही मारना शुरू किया, फिर गाड़ी में ही

गले में फंदा डाला। यह घटना गाड़ी में ही सोरों से कासगंज आते हुए हुई। मुझे गाड़ी रोक कर फेंका था"।

37- साक्षी पी0 डब्ल्यू0-2 मौहम्मद शाकिर द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया गया है कि "साढ़े बारह बजे दिन के लगभग बारह पत्थर मैदान के सामने पहुंचे तो देखा कि फहीम अख्तर, शाहिद, शाहीन, अबूजर उर्फ सुहेल, गजाला, शमशुल हसन आदि लोग रिजवाना को मारपीट कर रहे थे, इतने सालों से तुम्हारे घर वालों ने दहेज की मांग पूरी नहीं की। इन लोगों ने रिजवाना के गले में प्लास्टिक की रस्सी डालकर की थी। मैंने व आविद तथा आसपास बहुत से लोगों ने उन्हें ललकारा तो पास में खड़ी एक गाड़ी में बैठकर भाग गये"।

38- साक्षी पी0 डब्ल्यू0-3 आविद द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया गया है कि "घटना दिनांक 02.05.2010 समय लगभग 12.30 बजे दिन की है। मैं सोरों से मौहम्मद शाकिर के साथ आ रहे थे और ब्लाक कासगंज के पास उतर गये थे। बारह पत्थर मैदान कासगंज के सामने हाजिर अदालत रिजवाना के पति फहीम अख्तर और ननदोई शाहिद व उसकी पत्नी शाहीन व अबूजर उर्फ सुहेल जो ननद का लड़का है तथा गजाला ननद की लड़की व शमशुल हसन व हुमेरा नाज ने एकराय मशवरा होकर रिजवाना बेगम को जान से मारने की नीयत से बाल पकड़कर उसको घसीटते हुए उसे लात घूसों व थप्पड़ों से मारपीट रहे थे, फहीम अख्तर ने रिजवाना बेगम के गले में प्लास्टिक की रस्सी डालकर जान से मारने की प्रयास किया। इतने में मैं व मौहम्मद शाकिर पहुंच गये थे। हम लोगों ने घटना देखी। मैंने मुल्जिमानों को ललकारा और कहा कि क्या हरकत कर रहे हो, फिर उपरोक्त सभी मुल्जिमान कार में बैठकर भाग गये।

39- तीनों साक्षियों के बयानों का अवलोकन करने से उनके बयानों में एक बहुत बड़ी विसंगति सामने आती है और वह यह है कि पीड़िता रिजवाना (साक्षी पी0 डब्ल्यू01) द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट कथन किया है कि गाड़ी में ही उसे मारा और गाड़ी में ही उसके गले में प्लास्टिक की रस्सी डाली गई जबकि साक्षी पी0 डब्ल्यू0-2 मौहम्मद शाकिर एवं साक्षी पी0 डब्ल्यू0-3 आविद द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कहा गया है कि मारपीट और गले में रस्सी डालने की घटना बारह पत्थर के सामने हुई और उनके द्वारा ललकारने पर अभियुक्तगण गाड़ी में बैठ कर भाग गए। स्वयं पीड़िता के अनुसार घटना गाड़ी के अंदर कारित की गई पर घटना के चक्षुदर्शी साक्षियों के बयान के अनुसार घटना बारह पत्थर जगह पर गाड़ी के बाहर कारित की गई। यह निश्चित रूप से संभव है कि पीड़िता या घटना के साक्षी कुछ समय बाद घटना से जुड़ी छोटी जानकारियां भूल जाएं या किसी सूक्ष्म तथ्य के संबंध में सही विवरण ना दे पाए पर "मारपीट और गले में रस्सी डालकर मारने की कोशिश करने की घटना गाड़ी के अंदर हुई या गाड़ी के बाहर हुई" यह निश्चित रूप से एक ऐसा तथ्य है कि पीड़िता स्वयं या घटना के साक्षी इस तथ्य को याद रखेंगे। पीड़िता एवं घटना के चक्षुदर्शी साक्षियों के बयानों की यह विसंगति निश्चित रूप से अभियोजन पक्ष के संस्करण पर बड़े संदेह उत्पन्न करती है।

40- साक्षी पी0 डब्ल्यू01-श्रीमती रिजवाना, जो कि स्वयं पीड़िता है, द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि "मेरे होश में आने के बाद परिवार वालों ने मुझसे सारी बातें पूछी। तब मेरे घर पर मेरे भाई मुजम्मिल हुसैन, ताहिर हुसैन, आरिफ हुसैन और भी बहुत से लोग थे। आपस में यह विचार विमर्श

हुआ कि इस घटना कि रिपोर्ट लिखायी जानी चाहिए, तब मैं, भाई मुजम्मिल हुसैन, ताहिर हुसैन, वाहिद हुसैन, जाहिर हुसैन, राशिद हुसैन, आरिफ हुसैन और दो लोग आविद व शाकिर गये। थाने पर रिपोर्ट मैंने बोलकर लिखवाई थी।"

41- साक्षी पी0 डब्ल्यू0-2 मौहम्मद शाकिर द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि "मुझे एफ.आई.आर. दर्ज होने के काफी दिनों बाद इस बात की जानकारी हुई कि मुझे इस केस में गवाही देनी है"

42- साक्षी पी0 डब्ल्यू0-3 आविद द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि "रिपोर्ट मुजम्मिल ने करायी थी, मुझे नहीं पता कि रिपोर्ट कब और किस किस के खिलाफ करायी थी। 10-15 दिन के बाद मुझे मुजम्मिल ने बताया की मैंने तुम्हे गवाह बना दिया है, तुम्हे गवाही देनी है। तभी मुझे जानकारी हुई थी कि फहीम, शाहिद आदि के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करा दी थी"।

43- पीड़िता रिजवाना द्वारा अपनी प्रीतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि रिपोर्ट लिखाने के लिए शाकिर और आबिद उसके साथ थाने गए थे पर शाकिर और आबिद के द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में दिए गए उपरोक्त कथनों से स्पष्ट है कि वह पीड़िता रिजवाना के साथ रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने नहीं गए थे अपितु उन्हें बाद में पता चला कि रिजवाना के द्वारा प्रस्तुत मामले में रिपोर्ट लिखाई गई है। फिर से यह अभियोजन पक्ष के संस्करण में एक बहुत बड़ी विसंगति है जो अभियोजन पक्ष के संस्करण की प्रामाणिकता पर संदेह उत्पन्न करती है।

44- एक और तथ्य गौर करने योग्य यह है कि साक्षी पी0 डब्ल्यू0-3 आविद द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया गया है कि "घटना दिनांक 02.05.2010 समय लगभग 12.30 बजे दिन की है। मैं सोरों से मौहम्मद शाकिर के साथ आ रहे थे और ब्लाक कासगंज के पास उतर गये थे। बारह पत्थर मैदान कासगंज के सामने हाजिर अदालत रिजवाना के पति फहीम अख्तर और ननदोई शाहिद व उसकी पत्नी शाहीन व अबूजर उर्फ सुहेल जो ननद का लड़का है तथा गजाला ननद की लड़की व शमशुल हसन व हुमेरा नाज ने एकराय मशवरा होकर रिजवाना बेगम को जान से मारने की नीयत से बाल पकड़कर उसको घसीटते हुए उसे लात घूसों व थप्पड़ों से मारपीट रहे थे, फहीम अख्तर ने रिजवाना बेगम के गले में प्लास्टिक की रस्सी डालकर जान से मारने का प्रयास किया। इतने में मैं व मौहम्मद शाकिर पहुंच गये थे। हम लोगों ने घटना देखी। मैंने मुल्जिमानों को ललकारा और कहा कि क्या हरकत कर रहे हो, फिर उपरोक्त सभी मुल्जिमान कार में बैठकर भाग गये"।

45- पर दूसरी तरफ साक्षी पी0 डब्ल्यू0-3 आविद द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि "बारह पत्थर मैदान के सामने जो कब्रिस्तान है, वहां पर मुल्जिमान मिले थे, वहां पर भीड़ लग रही थी। भीड़ देखकर मैं नहीं वहां पहुंच गया था। भीड़ में 15-20 लोग मौजूद होंगे। रिजवाना वहां पर बेहोश पड़ी हुई थी। सभी मुल्जिमान उधम मचा रहे थे। जब मैं पहुंचा तब रिजवाना बेहोश थी, रिजवाना के साथ में उसकी लड़की थी। मुल्जिमान आपस में भगने के लिए उधम कर रहे थे। जैसे ही हम पहुंचे वैसे ही मुल्जिमान कार में बैठकर भाग गये"।

46- साक्षी पी0 डब्ल्यू0-3 आविद द्वारा अपनी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा एवं प्रति परीक्षा में दिए गए उपरोक्त कथनों में एक बड़ी विसंगति है, एक तरफ साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में दिए गए बयान के अनुसार साक्षी ने देखा कि अभियुक्त गण पीड़िता रिजवाना के साथ मारपीट कर रहे थे और अभियुक्त फहीम अख्तर उसके गले में रस्सी डालकर पीड़िता को मारने की कोशिश कर रहा था। पर उसी साक्षी के द्वारा अपनी प्रति परीक्षा में दिए गए बयान के अनुसार जब वह घटना पर पहुंचा तो पीड़िता रिजवाना बेहोश पड़ी थी और अभियुक्त गण भागने का प्रयास कर रहे थे। साक्षी पी0 डब्ल्यू0-3 आविद के कथनों कि यह विसंगति एक बड़ी विसंगति है जो अभियोजन पक्ष के संस्करण पर पुनः एक बड़ा प्रश्न खड़ा करती है।

47- एक और बड़ा प्रश्न जो प्रस्तुत वाद में उत्पन्न होता है वह यह है कि पीड़िता के साथ जब घटना हुई तो साक्षी शाकिर और साक्षी आबिद के द्वारा यह बताया गया है कि घटनास्थल पर काफी भीड़ इकट्ठी हो गई थी पर दोनों साक्षी जो अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं वह दोनों पीड़िता रिजवाना के मोहल्ले के ही लोग हैं, और अभियोजन ने ऐसा कोई स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत नहीं किया जो रिजवाना के मोहल्ले से अलग किसी मोहल्ले से संबंध रखता हो इससे पुनः अभियोजन के संस्करण पर संदेह उत्पन्न होता है।

48- साक्षी पी0 डब्ल्यू0-4 डी०पी० शाक्य स्वेच्छिक सेवानिवृत्त (VRS), हड्डी रोग विशेषज्ञ द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया गया है कि "चोट नं०-2 एक Ligature निशान 25x1.5cm गर्दन पर दाहिनी तरफ पिछली सतह पर और गर्दन के बायीं तरफ 7 वी Servical गुरिया से 5cm ऊपर स्थित था। जिसका रंग लाल था"।

49- साक्षी पी0 डब्ल्यू0-4 डी०पी० शाक्य स्वेच्छिक सेवानिवृत्त (VRS), हड्डी रोग विशेषज्ञ द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि "अगर किसी व्यक्ति के गले में रस्सी डालकर और फन्दा डाल कर अगर उसकी हत्या का प्रयास किया जाये तो लिगेचर मार्क नाट वाले स्थान को छोड़कर लिगेचर मार्क पूरे स्थान पर आयेगा"।

50- साक्षी पी0 डब्ल्यू0-4 डी०पी० शाक्य के द्वारा दिए गए उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि यदि किसी व्यक्ति का किसी रस्सी के द्वारा गला घोटने का प्रयास किया जाएगा तो उसके पूरे गले पर Ligature निशान होगा। इस संदर्भ में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उचित होगा कि इस विषय से जुड़े कुछ शोध आलेखों का अध्ययन किया जावे।

51- इस संबंध में विख्यात शोध जर्नल *International Journal of Environmental Research and Public Health* में छपे शोध आलेख *Mansueto G, Feola A, Zangani P, Porzio A, Carfora A, Campobasso CP. A Clue on the Skin: A Systematic Review on Immunohistochemical Analyses of the Ligature Mark. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022; 19(4):2035. <https://doi.org/10.3390/ijerph19042035>* के अनुसार-

“In hanging, the ligature mark generally does not completely encircle the neck, and it is deepest opposite the point of suspension because the noose commonly consists of a single loop. The corresponding furrow is usually located above the larynx, running obliquely, discontinuous towards the suspension point in an inverted V configuration. In ligature strangulation, in contrast to hangings, the ligature mark completely encircles the neck in a horizontal plane often overlying the larynx or upper trachea. Therefore, it is continuous and homogeneous, since the ligature is wrapped all around the neck surface and tightened by an external force to produce neck compression. Rarely, scratch marks can be seen above and below the ligature mark, although they can occur when the victim tries to remove the ligature or relieve the pressure or when the assailant places his hands around the ligature.”

52- विख्यात शोध जर्नल *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology* में छपे शोध आलेख *Nirjhar Mathur , Ravi kantsaini, R. K. Mathur, Study of Spectrum of Various Pressure Abrasions Caused by Ligature Material in Violent Asphyxial Deaths, Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology, October–December 2020, Vol. 14, No.4* के अनुसार-

“In strangulation cases ligature material applied around the neck or less, as homicide have been perpetrated by assaulter pulling (U shaped) ligature against the front and side of neck or (turn around the neck) O shaped encircling the neck, while standing at the back. It is also well known fact that discontinuity along the course of the ligature mark is another important criterion while describing ligature mark of hanging or strangulation. Authors have mentioned that hanging mark almost never completely encircles the neck. In strangulation, unless the killer is pulling upwards, there will be no gap in the mark”.

53- इस मामले में उपरोक्त उल्लेखित साक्षी पी० डब्ल्यू०-४ डी०पी० शाक्य द्वारा अपने साक्ष्य में दिए गए कथन एवं उपरोक्त उल्लेखित शोध आलेखों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट है की जब किसी व्यक्ति को मारने के उद्देश्य से उसका गला घोटा जायेगा तो उस व्यक्ति में पूरे गले पर Ligature निशान होंगे। पर प्रस्तुत मामले में पीड़िता के पूरे गले पर कोई एक गोल Ligature निशान नहीं था अपितु पीड़िता की गर्दन पर एक Ligature निशान दाहिनी तरफ पिछली सतह पर और दूसरा गर्दन के बायीं तरफ 7 वी Servical

गुरिया से 5cm ऊपर स्थित था। यदि एक व्यक्ति का गला घोटा जाता है तो उसकी गर्दन पर एक समान लिंगेचर निशान होना चाहिए, अतः प्लास्टिक की रस्सी से गला घोटे जाने पर सामान्य रूप से पीड़ित की गर्दन पर एक ही लिंगेचर निशान होगा जो पूरी गर्दन पर अंकित होगा। प्रस्तुत मामले में पीड़िता की गर्दन पर Ligature निशान समान रूप से ना होना अपितु दो हिस्सों में बटा होना निश्चित रूप से अभियोजन पक्ष के इस संस्करण को कमजोर करता है कि अभियुक्त फहीम द्वारा प्लास्टिक की रस्सी से पीड़िता का गला घोटने का प्रयास किया गया।

54- प्रस्तुत मामले में दोनों पक्ष मुस्लिम हैं और और मुस्लिम विधि के अनुसार एक मुस्लिम पुरुष चार शादी तक कर सकता है अतः धारा 494 मुस्लिम धर्म का अनुसरण कर रहे पुरुष पर लागू नहीं होगी।

55- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *Ahmedabad Women Action Group v Union Of India* [Decided on 24 February, 1997; citation AIR 1997, 3 SCC 573] वाद में प्रतिपादित विधि व्यवस्था के अनुसार-

“In State of **Bombay vs. Narasu Appa Mali (AIR 1952 Bombay 84)**, Chagla, C.J., while considering the validity of the Bombay Prevention of Hindu Bigamous Marriages Act, 1946, observed as follows :- "A question has been raised as to whether it is for the Legislature to decide what constitutes social reform. It must not be forgotten that in democracy the Legislature is constituted by the chosen representatives of the people. They are responsible for the welfare of the State and it is for them to lay down the policy that the State should pursue Therefore. It is for them to determine what legislation to put up on the statute book in order to advance the welfare of the State. It was further observed that :- "There can be no doubt that the Muslims have been excluded from the operation of the Act in question. Even Section 494, Penal Code, Which makes bigamy an offence applies to Parsis, Christians and others, but not to Muslims because polygamy is recognised as a valid institution when a Muslim male marries more than one wife. The question that we have to consider is whether there is any reasonable basis for creating the Muslims as a separate class to which the laws prohibiting polygamy should not apply. Now. It is an historic fact that both the Muslims and the Hindus in this country have their respective religious texts and which embody their own distinctive evolution and which are coloured by their own distinctive backgrounds. Article 44 itself recognises separate and distinctive personal laws because it lays down as a directive to be achieved that within a

measurable time India should enjoy the privilege of a common uniform Civil Code applicable to all its citizens irrespective of race or religion. Therefore, what the Legislature has attempted to do by the Hindu Bigamous Marriages Act is to introduce social reform in respect of a particular community having its own personal law. The institution of marriage is differently looked upon by the Hindus and the Muslims. Whereas to the former, it is a sacrament, to the latter it is a matter of contract. That is also the reason why the question of the dissolution of marriage is differently tackled by the two religions. While the Muslim law admits of easy divorce, Hindu marriage is considered indissoluble and it is only recently that the State passed legislation permitting divorce among Hindus. The State was also entitled to consider the educational permitting divorce among Hindus. The State was also entitled to consider the educational development of the two communities. One community might be prepared to accept and work social reform; another may not yet be prepared for it: and Art. 14 does not lay down that any legislation that the State may be communitywise. From these considerations it follows that if there is a discrimination against the Hindu in the applicability of the Hindu Bigamous Marriages Act, that discrimination is not based only upon ground of religion. Equally so if the law with regard to bigamous marriages is not uniform, the difference and distinction is not arbitrary or capricious, but is based upon reasonable grounds".

56- अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी यह तथ्य स्वीकृत किया गया है कि धारा 494 भारतीय दंड संहिता 1860 मुस्लिम पुरुष पर लागू नहीं होगी क्योंकि मुस्लिम विधि के अनुसार एक मुस्लिम पुरुष चार शादियां कर सकता है अपितु धारा 494 का अवलोकन करने से भी यह स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

57- धारा 494 दंड प्रक्रिया संहिता में निम्न विधि व्यवस्था दी गयी है-

494. Marrying again during lifetime of husband or wife.—Whoever, having a husband or wife living, marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life of such husband or wife, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

(Exception) —This section does not extend to any person whose marriage with such husband or wife has been declared void by a Court of competent jurisdiction, nor to any person who contracts a marriage during the life of a former husband or wife, if such husband or wife, at the time of the subsequent marriage, shall have been continually absent from such person for the space of seven years, and shall not have been heard of by such person as being alive within that time provided the person contracting such subsequent marriage shall, before such marriage takes place, inform the person with whom such marriage is contracted of the real state of facts so far as the same are within his or her knowledge.

58- धारा 494 स्वयं इस विधि व्यवस्था को प्रतिपादित नहीं करती कि यदि एक व्यक्ति एक से अधिक शादी करेगा तो वह इस धारा के अंतर्गत अपराधी होगा अपितु धारा 494 में यह विधि व्यवस्था वर्णित है कि यदि एक व्यक्ति की दूसरी शादी अमान्य है तब वह व्यक्ति धारा 494 के अंतर्गत अपराधी होगा। यदि एक हिंदू पुरुष दूसरी शादी करता है तो उसकी दूसरी शादी हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत अमान्य होगी अतः उस पुरुष द्वारा की गयी दूसरी शादी धारा 494 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध होगी। पर मुस्लिम व्यक्तिगत विधि के अंतर्गत एक मुस्लिम पुरुष के द्वारा की गई दूसरी शादी अमान्य नहीं है अपितु एक मुस्लिम पुरुष यदि चार शादी तक करता है तो वह चार शादियां मान्य होंगी। स्पष्ट है कि धारा 494 एक मुस्लिम पुरुष पर चार शादी करने तक लागू नहीं होगी। अतः प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण पर धारा 494 लागू नहीं होगी।

59- उपर्युक्त सम्प्रेक्षण से अभियोजन की ओर से अपने संस्करण को सिद्ध करने हेतु परीक्षित कराये गये साक्षीगण और प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है। अतः अभियुक्तगण फहीम अख्तर, शाहिद, शाहीन, अबूजर उर्फ सुहेल, एवं गजाला साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

60- अभियुक्तगण फहीम अख्तर, शाहिद, शाहीन, अबूजर उर्फ सुहेल, एवं गजाला को धारा-498 ए, 323, 504, 506, 494 भा०दं०सं० के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं एवं प्रतिभूगण को उन्मोचित किया जाता है।

61- अभियुक्तगण द्वारा धारा-437 ए दं०प्र०सं० के अनुपालन में दाखिल किये गये व्यक्तिगत बंधपत्र व प्रतिभू निर्णय की तिथि से छह माह तक प्रभावी रहेंगे।

दिनांक: 06.02.2023

(अवनीश कुमार)
सिविल जज (जूंडिं)/
जे०एम०-एफ०टी०सी०,
कासगंज

62- आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक: 06.02.2023

जे०एम०-एफ०टी०सी०

(अवनीश कुमार)
सिविल जज (जूंडिं)/
कासगंज

न्यायालय सिविल जज (जूंडिं)/जे०एम०/एफ०टी०सी०, कासगंज।
उपस्थित: अवनीश कुमार

(उ०प्र०न्यायिक सेवा),

JO Code-UP3571

दाण्डिक वाद सं०-107/2021

कम्प्यूटर संख्या-2696/2019

CNRNo.UPKRO401000642019

राज्य

बनाम

1- मुकेश पुत्र शिवराज सिंह
निवासी ग्राम नगला मैया,
थाना अमांपुर, जिला कासगंज।
धारा-332,353 भा०दं०सं०

व 4/10 वन अधिनियम।

अपराध सं०-207/1988

थाना-कासगंज, जनपद-कासगंज।

निर्णय

- 1- यह आरोप पत्र अभियुक्तगण मुकेश एवं गंगाराम के विरुद्ध धारा -332,353 भा०दं०सं० व 4/1/3/28 वन अधिनियम, थाना कासगंज द्वारा प्रेषित किया गया, जिसका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया गया है।
- 2- संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि तारीख 12.04.1988 को समय लगभग 5.00 शाम जब मैं हमराह श्री विद्याराम एवं श्री महेन्द्र सिंह वनरक्षक के साथ कासगंज से अमांपुर की ओर जा रहा था तो जह हम लोग कासगंज अमांपुर मार्ग के कि०मी० 3 पर पहुंचे तो देखा कि एक ट्रैक्टर नं०-UP T 5019 आम की हरी लकड़ी से भरा अमांपुर की तरफ से कासगंज की ओर ला रहे थे। जब हम लोगों ने ट्रैक्टर को रोक कर परमिट आदि के बारे में पूछा तो इन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया और ना ही कोई परमिट आदि अभिलेख दिखा सके। ट्रैक्टर नं०-UP T 5019 को मुकेश पुत्र शिवराज सिंह निवासी ग्राम नगला मैया थाना अमांपुर चला रहा था तथा उसके साथ गंगाराम पुत्र वीर सहाय निवासी मौहल्ला सिटी कासगंज भी थे। जह हम लोगों ने उक्त लकड़ी से भरे ट्रैक्टर को पकड़ कर पुलिस थाना कासगंज लाना चाहा तो यह लोग सोरों गेट कासगंज पर स्थित गंगा सिंह की आरामशीन (प्रबन्धक) के यहाँ जबरन रुकवाकर आरा मशीन के अन्दर ले गये और लकड़ी उतारने लगे तथा झगड़ा के लिए अमादा हो गये। तभी कासगंज रेंज के वन कर्मी श्री रामबाबू माली और श्री अमर सिंह माली की सहायता से ट्रैक्टर को पकड़ कर मय उपरोक्त अपराधियों के मुकेश कुमार व गंगाराम के आपके हिरासत में दे रहा हूँ। उक्त ट्रैक्टर को अपराधियों के द्वारा जबरन छीनने पर श्री अमर सिंह माली के दायें हाथ में चोट भी आई।
- 3- उक्त तहरीर के आधार पर दिनांक-12.04.1988 को समय 19.10 बजे, सम्बन्धित थाना कासगंज पर अभियुक्तगण मुकेश एवं गंगाराम के विरुद्ध अपराध सं०-207/88 अन्तर्गत धारा-332,353 भा०दं०सं० व 4/10/3/28 वन अधिनियम में पंजीकृत की गयी।
- 4- विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण मुकेश एवं गंगाराम के विरुद्ध दिनांक 16.06.1988 को आरोप पत्र अन्तर्गत धारा- 332,353 भा०दं०सं० व 4/10/3/28 वन अधिनियम न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किया गया।
- 5- अभियुक्तगण को न्यायालय द्वारा आहूत किया गया। बाद उपस्थिति अभियुक्तगण को सभी सम्बन्धित कागजात की नकलें प्रदान की गईं एवं उनके विरुद्ध आरोप दिनांक 16.12.1993 को अन्तर्गत धारा-332,353 भा०दं०सं० व 4/10 वन अधिनियम में विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने लगाये गये आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।
- 6- उल्लेखनीय है कि अभियुक्त गंगाराम की मृत्यु दौरान वाद हो जाने के कारण दिनांक 18.01.2020

को उसके विरुद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित की जा चुकी है।

7- अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डब्लू०-1 विद्याराम, पी०डब्ल्यू०-2 महेन्द्र सिंह एवं पी०डब्ल्यू०-3 अमर सिंह को परीक्षित कराया गया है। अभियोजन की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य में प्रथम सूचना रिपोर्ट, नकल तहरीर, नक्शानजरी, आरोप पत्र, जी०डी० कायमी मुकदमा तथा केस डायरी प्रस्तुत किये गये हैं। बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन प्रपत्रों के निष्पादन की औपचारिकता सत्यता को स्वीकार किया गया।

8- उक्त साक्ष्य के उपरान्त अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने घटना को गलत बताया और कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

9- मैंने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

10- अभियुक्तगण पर आरोप है कि दिनांक 12.04.1988 को समय करीब 5.00 बजे, वहद स्थान अमांपुर रोड अन्तर्गत थानाक्षेत्र कासगंज, जनपद कासगंज में आपने बिना किसी परमिट के आम की हरी लकड़ी काटी व वन कर्मी (सरकारी कर्मचारी) को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत कर स्वेच्छया उपहति कारित की एवं वन कर्मी अमर सिंह से ट्रैक्टर जबरन छीनने से हाथ में चोट पहुंचा कर आपराधिक बल का प्रयोग किया गया और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की।

11- विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा है कि इस प्रकरण में परीक्षित गवाहान ने घटना को साबित किया है। अभियुक्त के विरुद्ध आरोप संदेह से परे साबित हुआ। ऐसी स्थिति में अभियुक्त दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

12- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त के द्वारा कोई भी अपराध कारित नहीं किया गया है। उसके विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। अतः अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

13- पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा उभयपक्ष के तर्कों के आलोक में यह देखा जाना है कि अभियुक्त पर लगाये गये आरोप युक्ति-युक्ति संदेह से परे साबित होते हैं अथवा नहीं।

14- अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गये साक्षी पी० डब्ल्यू००१-विद्याराम द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया गया है कि "दिनांक 12.04.1988 को मैं महेन्द्र सिंह, वनरक्षक, वन दरोगा हसीन अहमद के साथ समय 5.00 बजे शाम जा रहा था। कासगंज से अमांपुर जा रहा था। जैसे ही हम लोग तीसरे कि०मी० के पास पहुंचे तो देखा कि एक ट्रैक्टर UP T 5019 जिसमें हरे आम की लकड़ी लदी थी, जो अमांपुर से कासगंज की तरफ जा रहा था। हम लोगों ने ट्रैक्टर को रोका और हरी लकड़ी देखकर कहा कि आपके पास इसका परमिट है। मुकेश जो ट्रैक्टर चला रहा था, उसने कहा कि हमारे पास परमिट नहीं है, नहीं वह परमिट दिखा सका। उसके ट्रैक्टर पर गंगाराम भी था। मुकेश आज नहीं है, गंगाराम आज आये हैं। ट्रैक्टर को हम लोग थाना कासगंज लाना चाह रहे थे। रास्ते में गंगा सिंह की आरामशीन पर पहुंचे तो मुकेश, गंगाराम ने ट्रैक्टर रोक लिया तथा आरामशीन के अन्दर ट्रैक्टर खड़ा किया और लकड़ी उतारने लगे। जब मैंने मना किया तो झगड़े पर

अमादा हो गये। इतने में सूचना पाकर दो कर्मचारी रामबाबू, अमर सिंह वन कर्मचारी आ गये। इसी झगड़े में अमर सिंह, कर्मचारी के दाहिने हाथ में चोट भी आ गई। ट्रैक्टर को मय माल के थाना कासगंज ले आये। मुकेश, गंगाराम ने सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट की तथा राजकीय कार्य में बांधा पहुंचाई। हसीन अहमद ने रिपोर्ट लिखवाई थी, जिस पर मैंने भी हस्ताक्षर किये थे तथा अन्य लोगों ने भी हस्ताक्षर किये थे। पेपर नं० - 5 अ/1 पर प्रदर्शक-1 डाला गया। ”

15- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षा की तो साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि “दिनांक 12.04.1988 को हम कार्यालय से गश्त पर गये थे। ऑफिस से फील्ड ड्यूटी जाते हैं तो कहीं इन्द्राज करके नहीं जाते हैं। कार्यालय रोडवेज बस स्टैण्ड के पास है। हम सोरों गेट से कासगंज अमांपुर रोड होते हुए तीसरे कि०मी० पर पहुंचे थे। तीसरे कि०मी० जहाँ पर ट्रैक्टर देखा व पकड़ा था, आसपास खेत वगैरह किसके हैं, नाम नहीं बता सकता। झोपड़ी वगैरह हैं या नहीं, नहीं बता सकता। मुकेश को पहले से नहीं जानता था। गंगाराम को भी पहले से नहीं जानता था। मुल्जिम से जब कागजात से पूछे थे तभी अपना नाम बताया था। ट्रैक्टर पर मुकेश व गंगाराम के अलावा कोई नहीं था। गंगा सिंह की मशीन सोरों गेट पर सोरों गेट पुलिस चौकी से करीब 50-100 गज की दूरी पर है। गंगा सिंह की आरामशीन पर कौन-कौन था, नहीं बता सकता। गंगा सिंह की आरामशीन के आसपास किसके मकानात वगैरह हैं, नहीं जानता। आरामशीन के पूर्व में रोड, पश्चिम में मकान हैं। कर्मचारियों को सूचना किसने दी, नहीं बता सकता। अमर सिंह को चोट छीना-झपटी में आई थी। मुल्जिमान ने मारपीट नहीं की थी। तीसरे कि०मी० से आरामशीन तक आने में करीब 10 मिनट लगे थे। आरामशीन पर करीब 1/2-पौने घण्टा लगा था, फिर तुरन्त मुल्जिमान व ट्रैक्टर मय लकड़ी के थाने आ गये तथा मुकदमा कायम कराया। रिपोर्ट वन दरोगा हसीन अहमद ने थाने पर बैठकर लिखी थी। रिपोर्ट लिखाने के बाद मेरे तथा कर्मचारीगण के हस्ताक्षर कराये थे। अमर सिंह, रामबाबू, महेन्द्र व मेरे दस्तखत कराये थे। दस्तखत कराने के बाद रिपोर्ट थाने में दे दी। मुल्जिम व ट्रैक्टर को थाने छोड़कर अपने कार्यालय हम लोग वापस चले गये। दरोगा जी ने मेरे बयान घटनास्थल पर लिये थे। मैंने घटना स्थल तीसरा कि०मी० दरोगा जी को दिखाया। आरामशीन पर भी दरोगा जी को ले गया था। मेरी निशानदेही पर दरोगा जी ने नक्शानजरी बनाया था। आरामशीन व तीसरे कि०मी० का नक्शानजरी बनाया था। घटना के 4 दिन बाद दरोगा जी ने बयान लिये थे। उसी दिन नक्शानजरी बनाया था। अमर सिंह के अंगूठे में मामूली सी छीन झपटी में चोट आई थी। लकड़ी उठाते-रखते में चोट आ गई थी। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान ने घटना कारित न की हो। यह कहना गलत है कि गलत रिपोर्ट लिखा दी हो। यह कहना सही है कि गंगाराम लकड़ी की ठेकेदारी का काम करते हैं। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान को पहले से जानते हो। यह कहना गलत है कि ठेकेदारी के पीछे हमने झूठा मुकदमा कायम कराया है। ”

16- साक्षी पी० डब्ल्यू०-2 महेन्द्र सिंह द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया गया है कि “घटना के समय मेरी तैनाती कासगंज रेंज में रेंज फारेस्ट ऑफिस कासगंज में थी। घटना की तारीख 12.04.1988 थी। हम कासगंज से अमांपुर को मैं, वन दरोगा हसीन अहमद, विद्याराम फारेस्ट गार्ड अपने कार्यालय से दो मोटरसाइकिल पर, एक साइकिल पर जा रहे थे। विद्याराम साइकिल से थे। हरे आम की लकड़ी से भरा एक ट्रैक्टर अमांपुर की तरफ से कासगंज की तरफ आ रहा था। जब हसीन अहमद ने लकड़ी काटने की परमीशन के बारे में पूछा, जो ट्रैक्टर को चला रहा था, उसका नाम मुकेश था। दूसरा आदमी जिसका नाम ध्यान नहीं है, सामने बैठा था। दूसरा आदमी कासगंज के सिटी मौहल्ले का रहने वाला था, इतना याद है। ट्रैक्टर का नम्बर UP

T 5019 था। कटान की जगह पर हरा पानी दिखायी दे रहा था, जगह-जगह पर एक दो हरी पत्तियां भी लगी थी। कागज मांगने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और न कागज दिखाये। कागज न दिखाने पर वह लोग आरामशीन के अन्दर घुस गये और लकड़ी उतारने लगे। शोरगुल पर मौके पर अमर सिंह व रामबाबू आ गये जिनके सहयोग से हम लकड़ी से भरे ट्रैक्टर व मुल्जिम को लेकर थाना कासगंज पहुंचे। थाने में आकर अभियुक्तों के खिलाफ हसीन अहमद ने रिपोर्ट लिखायी। आरामशीन पर थाने पर ले जाते समय हाथापाई हुई तथा अमर सिंह को चोटें आईं। उनकी डाक्टररी सरकारी अस्पताल कासगंज में हुई। उस आरामशीन में यह लोग जाकर जबरदस्ती ट्रैक्टर घुसाकर ले गये, वह सोरों गेट पर गंगा सिंह की थी। घटनास्थल पर खेत थे। मुल्जिमान के पास परमिट नहीं था। ट्रैक्टर को थाने में अन्दर खड़ा कराया गया था। मुल्जिम हाजिर अदालत होंगे। मेरे सामने आने पर तुरन्त पहचान लूंगा। दूसरे अभियुक्त का मुझे नाम याद नहीं है। वह सिटी मौहल्ले में रहता है। ट्रैक्टर का रंग मुझे ध्यान नहीं है। ट्राली दो पहियों की थी। मुझे ध्यान नहीं कि लकड़ी किसकी थी। मौके पर हसीन अहमद गये थे। मैं तो जहां ट्रैक्टर पकड़ा था, वहाँ था। हसीन अहमद वहाँ गये जहाँ से लकड़ी काटी थी। लकड़ी लगभग 8-10 कुन्दाएं थीं तथा मोटे-मोटे पोटे थे। ट्राली ऊपर तक भरी थी"।

17- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षा की तो साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि " मैं अपने ऑफिस से करीब 4½-पौने पाँच बजे चले होंगे। मेरे साथ हसीन अहमद, विद्याराम भी थे। हम कासगंज से अमांपुर को गश्त पर जा रहे थे। हम सहावर रोड होत हुए अमांपुर रोड पर जिस जगह ट्रैक्टर पकड़ा था, उस जगह पहुंचे थे। उस ट्रैक्टर को मुकेश चला रहा था जिसे हम पहले से नहीं जानते थे। परमिट हसीन अहमद ने दिखाने को कहा था। उन्होंने परमिट नहीं दिखाया तो अमांपुर रोड पर आपस में काफी कहासुनी हुई। मारपीट नहीं हुई थी। जिस तरफ से हम लोग अमांपुर रोड पर गये थे, उसी तरफ से ट्रैक्टर को लेकर आये थे। ड्यूटी पर जाते समय हम कोई भी किसी तरह का इन्द्राज नहीं करते हैं। जहाँ ट्रैक्टर पकड़ा, वहाँ खेत आदि हैं, किसके हैं, नाम नहीं बता सकता। कोई झोपड़ी वगैरह नहीं है। गंगा सिंह की आरा मशीन सहावर रोड पर है, फिर कहा सोरों रोड पर है। मशीन उस समय गंगा सिंह के नाम थी, इस समय मुझे पता नहीं किसके नाम है। ट्रैक्टर पर इन दोनों के अलावा और भी मजदूर थे। सोरों गेट पर आरामशीन के आसपास क्या है, मैं नहीं बता सकता, फिर कहा कि आसपास मकान हैं, किसके मकानात हैं, पता नहीं। बाकी गवाहान इत्तिफाक से आरामशीन पर पहुंच गये थे। सड़क पर जा रहे थे। घटनास्थल आम सड़क है, लोग आते जाते हैं। मारपीट के समय काफी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, जो लोग अपने स्टाफ के अलावा जो इकट्ठे हुए थे, उनका नाम नहीं पता है। मारपीट में केवल अमर सिंह को चोटें आई थी। अमर सिंह की मारपीट इन दोनों मुल्जिमान ने की थी और किसी ने नहीं मारा था। मुझे नहीं पता कि मुल्जिमान ने अमर सिंह को किस चीज से मारा था। घटनास्थल से आरामशीन तक आने में करीब 25-30 मिनट लगे थे। आरामशीन पर करीब 5 मिनट लड़ाई हुई थी, अन्दाज से बता रहा हूँ। गवाहान मारपीट से पहले ही पहुंच गये थे, जब हम ट्रैक्टर को आरामशीन की तरफ ले जा रहे थे। घटनास्थल से सीधे हम लोग थाने आये। करीब 5 मिनट में हम घटनास्थल से थाने पहुंच गये थे। थाने पर हम सभी पांचों कर्मचारी साथ-साथ गये थे। ट्रैक्टर मय लकड़ी व मुल्जिमान को हम सभी लोग थाने ले गये थे। रिपोर्ट थाने में हसीन अहमद ने बैठकर लिखी थी। थाने हम सब लोग रिपोर्ट कराने 5-5.15 बजे करीब पहुंच गये थे। 10-5 मिनट रिपोर्ट लिखने के समय तक थाने रुके थे। इसके बाद हम सभी लोग मुलाजिमान थाने से चले आये। दरोगा जी ने मेरे बयान करीब दो माह बाद लिये थे। बयान हमारे ऑफिस में लिये थे। यह घटना तीसरे किलोमीटर की है। दरोगा जी मुझे घटनास्थल पर नहीं ले गये। मुझे नहीं पता कि मुल्जिमान लकड़ी किधर से काट कर जा रहे थे, हसीन अहमद को पता था तथा वह दरोगा जी के

साथ जहाँ से लकड़ी कटी थी, वहाँ गये थे। यह कहना गलत है कि अमर सिंह के चोट लकड़ी उठाने से आी हो बल्कि मारपीट से आई थी। यह कहना गलत है कि हम ट्रैक्टर सहावर गेट होकर लाये हों बल्कि सोरों गेट होकर लाये थे। हरे पत्ते लगने बात मैंने एफ.आई.आर. में नहीं लिखाई है। यह कहना गलत है कि सोरों गेट पर कोई गंगा सिंह की आरामशीन न हो। मुल्जिमान ने हम सभी लोगों की मारपीट की थी, चोट केवल अमर सिंह के आई थी। यह सही है कि मैं हसीन अहमद का अधीनस्थ कर्मचारी हूँ। यह कहना गलत है कि मैं उनका अधीनस्थ कर्मचारी होने के नाते झूठी गवाही दे रहा हूँ। ”

18- साक्षी पी0 डब्ल्यू0-3 अमर सिंह द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया गया है कि “दिनांक 12.08.1988 को समय 5.00 बजे शाम की घटना है। मैं कासंगज ऑफिस की तरफ से सोरों गेट की ओर जा रहा था। लकड़ी से भरा ट्रैक्टर देखा, वहाँ अपने विभाग के महेन्द्र सिंह, वन दरोगा हसीन अहमद खड़े थे। वह एक ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास करते हुए मैंने देखा और ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर को रोक नहीं रहा था। मैं ट्रैक्टर चालक का नाम तब तक नहीं जानता था। विभाग के लोगों को देखकर मैं भी वहाँ तुरन्त पहुंचा। इन लोगों ने लकड़ी उतारने से रोका। ट्रैक्टर पर मुकेश और गंगाराम थे। ट्रैक्टर में लकड़ी लदी थी। मोटी-पतली आम की हरी लकड़ी थी। मैं वन विभाग का कर्मचारी हूँ। यह जानता हूँ कि हरी लकड़ी काटना जुर्म है। कुछ प्रजाति के वृक्षों को काटने की छूट है। उस समय मुल्जिमान ने अधिकारियों के साथ शक्तिपूर्वक बात की थी। ट्रैक्टर को हमारे अधिकारी आफिस ले जा रहे थे, वह ले नहीं जा रहे थे, इस बात पर कहासुनी हुई। विभाग के हम लोगों के साथ बल प्रयोग किया। मेरे दाहिने हाथ के अंगूठे पर चोट लगी थी। काफी आदमी थे। मेरे लकड़ी हाथ में मारी थी। फिर हम लोग ट्रैक्टर को थाने ले गये और मुकदमा लिखाया था। मेरी डाक्टरी हुई थी। ट्राली लकड़ी से भरी हुई थी। ”

19- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षा की तो साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि “घटना का समय अगस्त महीना व बरसात का मौसम था। रामबाबू मेरे साथ था। अलग-अलग साइकिलों पर थे। वैसे ही घूमने हम लोग निकल आये थे। लकड़ी से भरा ट्रैक्टर सड़क पर खड़ा हुआ था। चालक की सीट पर उस समय कोई नहीं बैठा था। मैं मुल्जिमान को पहले से नहीं जानता था। मौके पर काफी भीड़ थी। उन लोगों ने मुल्जिमान के नाम बताया थे। मुझे उन लोगों के नाम नहीं पता जिन लोगों ने मुल्जिमान के नाम बताये थे। हसीन अहमद ट्रैक्टर को हाथ देकर रूकवा रहे थे। ड्राइवर ट्रैक्टर को रोक नहीं रहा था। तभी हम सभी लोगों ने ट्रैक्टर व ड्राइवर को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद मुल्जिमान ट्रैक्टर को जबरदस्ती आरामशीन के अन्दर ले जाने की कोशिश करने लगे तथा जबरदस्ती लकड़ी उतारने लगे। इसी बात पर सड़क पर जहाँ ट्रैक्टर खड़ा था, वहीं लड़ाई होने लगी। वहाँ पर आरामशीन से भी काफी मजदूर आ गये। उन मजदूरों ने भी मुल्जिमान की मारपीट में मदद की। 4-5 मजदूर आ गये थे। मुल्जिमान ने ट्रैक्टर में से लकड़ी उठाकर मारपीट की थी। मेरे अलावा और किसी के चोट आयी या नहीं मुझे नहीं पता। ट्रैक्टर को सोरों गेट से आते समय हमारे विभाग के कर्मचारियों ने हमारे सामने ही पकड़ा था। लाइसेन्स व परमिट हमारे सामने दिखाने को कहा था, परन्तु मुल्जिमान ने नहीं दिखाया। मुल्जिमान से तब ट्रैक्टर थाने लेकर चलने को कहा था, परन्तु जाने से मना कर दिया और मारपीट करने लगे। लकड़ी मेरे किसने मारी, मुझे नहीं पता, क्योंकि काफी लोग थे। खून निकलने के बाद मुझे पता चला कि मेरे लकड़ी लगी है। थाने करीब 5½ बजे हम सभी लोग पहुंचे थे। थाने जाते ही यह रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट थाने में बैठकर किसने लिखी थी, नहीं पता। मुझे नहीं पता कि रिपोर्ट लिखे जाने तक हम सभी लोग थाने में रहे या नहीं। हम लोग घटनास्थल से सीधे थाने गये थे। हमारे विभाग का

रिपोर्ट कराते समय हम पांचों के अलावा कोई मौजूद नहीं था और ना कोई पहुंचा था। हम लोग करीब 6.00 बजे थाने से चले और अस्पताल गये थे। मेरे साथ अस्पताल हसीन अहमद गये थे और कोई नहीं गया था। दरोगा जी ने मेरे बयान लिये थे। मुझे ध्यान नहीं कि दरोगा जी ने मेरे बयान कब लिये थे। घटना के बाद लिये थे। मुझे दरोगा जी मौके पर घटनास्थल पर जहाँ मारपीट हुई थी, लिवाकर गये थे। वहां मैंने सब जगह दरोगा जी को दिखायी थी जहाँ पर हम लोगों की मारपीट की थी। काफी दिन हो गये, मुझे ध्यान नहीं कि घटनास्थल के आसपास क्या है। हसीन अहमद मेरे अधिकारी हैं, मैं उनका मातहत हूँ। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान ने हमारी मारपीट न की हो। यह कहना गलत है कि मेरे मारपीट से चोटे न आई हों। यह कहना सही है कि डाक्टरी मुआयना में मेरे साथ केवल हसीन अहमद गये थे और कोई नहीं गया था। यह कहना गलत है कि मैं झूठा बयान दे रहा हूँ। ”

20- प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा तीन गवाह प्रस्तुत किये गये हैं, जो कि इस प्रकार हैं, साक्षी पी०डब्ल्यू०-1 विद्याराम, साक्षी पी०डब्ल्यू०-2 महेन्द्र सिंह, साक्षी पी०डब्ल्यू०-3 अमर सिंह । अभियुक्त पर यह आरोप है कि अभियुक्त ने वन से अनाधिकृत रूप से लकड़ी काटी एवं अभियुक्त द्वारा सरकारी कर्मचारियों के कार्य में बाधा उत्पन्न करने हेतु बल प्रयोग किया गया एवं मारपीट कर उपहति कारित की, जिसका आशय उन्हें उनके कर्त्तव्य के निर्वहन से निवारित करना था। तीनों गवाहों के बयानों के अवलोकन करने से यह ज्ञात हुआ कि तीनों गवाहों ने प्रारंभिक रूप से घटना का समर्थन किया है।

21- साक्षी पी०डब्ल्यू०-1 विद्याराम द्वारा अपने बयान में यह कहा गया है कि कासगंज से अमांपुर जाते हुए उनके द्वारा एक ट्रैक्टर रोका गया, जिसका नम्बर- यू०पी०-टी-5019 था और जो हरे आम की लकड़ी से लदा था, एवं साक्षी पी०डब्ल्यू०-1 विद्याराम द्वारा यह भी कहा गया है कि जब अभियुक्त मुकेश, जो कि उस वक्त ट्रैक्टर चला रहा था, एवं गंगाराम से जब परमिट मांगा गया तो उनके द्वारा कोई परमिट नहीं दिखाया गया।

22- इसी प्रकार साक्षी पी०डब्ल्यू०-2 महेन्द्र सिंह द्वारा भी अपने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा गया कि हरे आम की लकड़ी से भरा एक ट्रैक्टर अमांपुर की तरफ से कासगंज की तरफ आ रहा था और जब लकड़ी काटने का परमिशन के बारे में पूछा गया तो अभियुक्त द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इसी प्रकार साक्षी महेन्द्र सिंह द्वारा भी ट्रैक्टर का नंबर यू०पी०-टी-5019 बताया गया । इसी प्रकार साक्षी महेन्द्र सिंह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी कहा गया कि घटनास्थल पर खेत थे एवं मुल्जिमान के पास परमिट नहीं था।

23- इसी प्रकार पी०डब्ल्यू०-3 अमर सिंह द्वारा भी अपने बयान में कहा गया कि उन्होंने लकड़ी से भरा ट्रैक्टर देखा और मोटी-पतली आम की हरी लकड़ी थी।

24- इस प्रकार तीनों साक्षियों के साक्ष्य में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि उन्होंने अभियुक्त मुकेश को ट्रैक्टर ले जाते हुए पकड़ा, जो कि लकड़ी से भरा हुआ था और लकड़ी को काटने के सम्बन्ध में अभियुक्त के पास कोई परमिट या अनुमति का दस्तावेज नहीं था। पर तीनों में से किसी भी साक्षी ने अभियुक्त मुकेश को वन क्षेत्र से लकड़ी काटते या वन क्षेत्र से लकड़ी ले जाते हुए या लकड़ी को ट्रैक्टर में भरते हुए नहीं देखा । जब अभियुक्त मुकेश को ट्रैक्टर चलाते हुए पकड़ा गया तब वह किसी वन क्षेत्र में नहीं था बल्कि वह ट्रैक्टर रोड पर चला रहा था और यह भी संभव है कि लकड़ियां किसी और के द्वारा काटी गईं और ट्रैक्टर में भरी गईं हो, और बाद में मुकेश को चालक के रूप में रखा गया हो । अतः यह आरोप युक्ति युक्त संदेह से परे

सिद्ध नहीं हुआ कि अभियुक्त मुकेश द्वारा लकड़ियां वन क्षेत्र से काटी गईं। अतः अभियुक्त के विरुद्ध धारा 4/10 फॉरेस्ट एक्ट का अपराध युक्ति युक्त संदेह से परे सिद्ध नहीं होता।

25- अभियुक्त मुकेश के विरुद्ध दूसरा अपराध धारा 353 व 332 भारतीय दंड संहिता का है, वाद की तथ्यों का अवलोकन करने से पहले यह उचित होगा कि धारा 332 एवं धारा 353 के प्रावधानों का अवलोकन किया जावे।

26- धारा 332 भारतीय दंड संहिता में निम्न प्रावधान वर्णित है-

"332. Voluntarily causing hurt to deter public servant from his duty.—Whoever voluntarily causes hurt to any person being a public servant in the discharge of his duty as such public servant, or with intent to prevent or deter that person or any other public servant from discharging his duty as such public servant, or in consequence of anything done or attempted to be done by that person in the lawful discharge of his duty as such public servant, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

27- धारा 353 भारतीय दंड संहिता में निम्न प्रावधान वर्णित है-

"353. Assault or criminal force to deter public servant from discharge of his duty.—Whoever assaults or uses criminal force to any person being a public servant in the execution of his duty as such public servant, or with intent to prevent or deter that person from discharging his duty as such public servant, or in consequence of anything done or attempted to be done by such person in the lawful discharge of his duty as such public servant, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both".

28- भारतीय दंड संहिता की धारा 353 और 332 की प्रयोज्यता के लिए, यह आवश्यक है कि लोक सेवक अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे और उस दौरान "आपराधिक बल या हमला (धारा 353)" या "उपहति (धारा 332)" कारित की गई थी।

29- सबसे पहले इस तथ्य पर गौर करना उचित होगा कि क्या आरोपित घटना के समय विद्याराम, महेंद्र और अमर सिंह सरकारी कर्मचारी के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे, और उसी दौरान अभियुक्त मुकेश ने बल प्रयोग किया एवं उपहति कारित की।

30- साक्षी पी0 डब्ल्यू01-विद्याराम द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया गया है - "दिनांक

12.04.1888 को मैं महेन्द्र सिंह, वनरक्षक, वन दरोगा हसीन अहमद के साथ समय 5.00 बजे शाम जा रहा था। कासगंज से अमांपुर जा रहा था। जैसे ही हम लोग तीसरे कि०मी० के पास पहुंचे तो देखा कि एक ट्रैक्टर UP T 5019 जिसमें हरे आम की लकड़ी लदी थी, जो अमांपुर से कासगंज की तरफ जा रहा था। हम लोगों ने ट्रैक्टर को रोका और हरी लकड़ी देखकर कहा कि आपके पास इसका परमिट है। मुकेश जो ट्रैक्टर चला रहा था, उसने कहा कि हमारे पास परमिट नहीं है, नहीं वह परमिट दिखा सका"।

31- इसी प्रकार साक्षी पी० डब्ल्यू०-2 महेन्द्र सिंह द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया गया है - "घटना के समय मेरी तैनाती कासगंज रेंज में रेंज फारेस्ट ऑफिस कासगंज में थी। घटना की तारीख 12.04.1988 थी। हम कासगंज से अमांपुर को मैं, वन दरोगा हसीन अहमद, विद्याराम फारेस्ट गार्ड अपने कार्यालय से दो मोटरसाइकिल पर, एक साइकिल पर जा रहे थे" ।

32- साक्षी पी० डब्ल्यू०-2 महेन्द्र सिंह द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है "मैं अपने ऑफिस से करीब 4½-पौने पाँच बजे चले होंगे। मेरे साथ हसीन अहमद, विद्याराम भी थे। हम कासगंज से अमांपुर को गश्त पर जा रहे थे। हम सहावर रोड होत हुए अमांपुर रोड पर जिस जगह ट्रैक्टर पकड़ा था, उस जगह पहुंचे थे"।

33- इसी प्रकार साक्षी पी० डब्ल्यू०-3 अमर सिंह द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया गया है "दिनांक 12.08.1988 को समय 5.00 बजे शाम की घटना है। मैं कासगंज ऑफिस की तरफ से सोरों गेट की ओर जा रहा था। लकड़ी से भरा ट्रैक्टर देखा, वहाँ अपने विभाग के महेन्द्र सिंह, वन दरोगा हसीन अहमद खड़े थे। वह एक ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास करते हुए मैंने देखा और ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर को रोक नहीं रहा था।मैं वन विभाग का कर्मचारी हूँ।ट्रैक्टर को हमारे अधिकारी आफिस ले जा रहे थे, वह ले नहीं जा रहे थे, इस बात पर कहासुनी हुई। विभाग के हम लोगों के साथ बल प्रयोग किया। मेरे दाहिने हाथ के अंगूठे पर चोट लगी थी। काफी आदमी थे। मेरे लकड़ी हाथ में मारी थी। फिर हम लोग ट्रैक्टर को थाने ले गये और मुकदमा लिखाया था"।

34- प्रस्तुत मामले में अभियोजन द्वारा जो भी साक्षी परीक्षित कराये गये हैं, वह सभी वन विभाग के कर्मचारी हैं एवं घटना के चक्षुदर्शी भी हैं। जिस समय घटना कारित की गई, उस समय ये लोग अपने सरकारी कार्य का निर्वहन कर रहे थे। तीनों साक्षियों की गवाही से स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा जिस समय आरोपित अपराध कारित किया गया, उस समय वह तीनों सरकारी कर्मचारी की क्षमता में ही कार्य कर रहे थे। तीनों साक्षियों की गवाही इस सम्बन्ध में सुसंगत है और उसमें इस तथ्य को लेकर कोई भी विसंगति नहीं है। अतः यह स्पष्ट है कि धारा-332, 353 भारतीय दण्ड संहिता के लागू होने के लिए जो प्रथम आवश्यकता है कि लोक सेवक अपने कार्य का निर्वहन कर रहे हों, वह यहाँ पर पूर्ण होती है।

35- अब हमें इस तथ्य पर विचार करना होगा कि क्या अभियुक्त द्वारा कोई "बल प्रयोग या हमला (धारा-353 भा०दं०सं०)" किया गया या कोई "उपहति (धारा-332 भा०दं०सं०)" कारित की गई।

36- पी०डब्ल्यू०-1 विद्याराम द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी कहा गया कि जब अभियुक्त ने ट्रैक्टर को आरामशीन के अन्दर खड़ा किया, तब उसके के द्वारा मना करने पर अभियुक्तगण झगड़ा पर अमादा हो गये और इससे एक कर्मचारी अमर सिंह के दाहिने हाथ में चोट भी आ गई। अपनी प्रतिपरीक्षा में विद्याराम द्वारा यह

कहा गया कि अमर सिंह को चोट छीना-झपटी में आई थी, मुल्जिमान ने मारपीट नहीं की थी।

37- यद्यपि झगड़ा करना या मारपीट करना कई बार एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं पर इनके प्रयोग पर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो यह स्पष्ट है की मारपीट करना झगड़ा शुरू होने की अग्रिम अवस्था है। दोनों कथनों का अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि यह संभव है कि अभियुक्त ने अमर सिंह को मारने पीटने की दृष्टि से कोई चोट नहीं पहुंचाई हो, पर उनके द्वारा निश्चित रूप से ट्रैक्टर में रखी हुई लकड़ी पर कब्जा बनाये रखने हेतु बल प्रयोग किया गया और उसी बल प्रयोग से अमर सिंह को चोट आई। यद्यपि साक्षी विद्या राम के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में दिए गए कथन "झगड़े पर आमादा हो गए" एवं उनके द्वारा अपनी प्रति परीक्षा में दिए गए कथन "मुल्जिमान ने मारपीट नहीं की थी" में विसंगति तो है पर यह विसंगति बहुत बड़े स्तर की नहीं है।

38- इस संबंध में यह उचित होगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्णित की गई विधि व्यवस्थाओं का अवलोकन किया जावे।

39- हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *Rakesh vs The State Of Uttar Pradesh [06 July 2021, CRIMINAL APPELLATE JURISDICTION CRIMINAL APPEAL NO. 556 OF 2021]* वाद में निम्न विधि व्यवस्था पारित की गई है-

"There may be some minor contradictions, however, as held by this Court in catena of decisions, minor contradictions which do not go to the root of the matter and/or such contradictions are not material contradictions, the evidence of such witnesses cannot be brushed aside and/or disbelieved".

40- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *State Of U.P. vs M.K. Anthony [06 November, 1984 Equivalent citations: AIR 1985 SC 48]* वाद में निम्न विधि व्यवस्था पारित की गई है-

"While appreciating the evidence of a witness, the approach must be whether the evidence of the witness read as a whole appears to have a ring of truth. Once that impression is formed, it is undoubtedly necessary for the court to scrutinise the evidence more particularly keeping in view the deficiencies, draw-backs and infirmities pointed out in the evidence as a whole and evaluate them to find out whether it is against the general tenor of the evidence given by the witness and whether the earlier evaluation of the evidence is shaken as to render it unworthy of belief. Minor discrepancies on trivial matters not touching the core of the case, hyper-technical approach by taking sentences torn out of context here or there from the evidence, attaching importance to some technical error committed by the investigating officer not going to the root of the matter would not ordinarily permit rejection of the evidence as a whole".

41- इसी प्रकार से पी०डब्ल्यू०-2 महेन्द्र सिंह द्वारा भी अपनी मुख्यपरीक्षा में कहा गया है "कागज मांगने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और न कागज दिखाये। कागज न दिखाने पर वह लोग आरामशीन के अन्दर घुस गये और लकड़ी उतारने लगे। शोरगुल पर मौके पर अमर सिंह व रामबाबू आ गये जिनके सहयोग से हम लकड़ी से भरे ट्रैक्टर व मुल्जिम को लेकर थाना कासगंज पहुंचे। थाने में आकर अभियुक्तों के खिलाफ हसीन अहमद ने रिपोर्ट लिखायी। आरामशीन पर थाने पर ले जाते समय हाथापाई हुई तथा अमर सिंह को चोटें आईं।"

42- इसी प्रकार पी०डब्ल्यू०-3 अमर सिंह द्वारा भी अपनी मुख्यपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि ट्रैक्टर को उसके अधिकारी ऑफिस ले जा रहे थे और इस बात पर कहासुनी हुई और विभाग के हम लोगों के साथ बल प्रयोग किया जिससे उसके दाहिने हाथ के अंगूठे पर चोट लगी थी और लकड़ी उसके हाथ में मारी थी।

43- इन तीनों गवाहों के बयानों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अभियुक्तगण ने अमर सिंह को चोट पहुंचाई और यह भी स्पष्ट है कि उक्त अमर सिंह अभियुक्त को रोक कर अपना सरकारी कार्य कर रहे थे और इन सभी तथ्यों से साबित होता है कि अभियुक्तगण ने इस प्रकार बल प्रयोग कर अमर सिंह को चोट भी पहुंचाई और सरकारी कार्य में बांधा भी उत्पन्न की।

44- यहां पर एक तथ्य जो बचाव पक्ष की तरफ से उठाया गया है वह यह है कि अभियोजन द्वारा जो भी गवाह पेश किए गए हैं वह सभी सरकारी कर्मचारी हैं एवं कोई सामान्य नागरिक अभियोजन की तरफ से स्वतंत्र साक्षी के रूप में परीक्षित नहीं कराया गया है। एक सामान्य नागरिक की गवाही निश्चित रूप से अभियोजन पक्ष के संस्करण को बल देगी पर उसका अभाव होने पर भी अभियोजन का आरोप सिद्ध किया जा सकता है यदि सरकारी साक्षियों की गवाही सुसंगत है और अभियुक्त की संलिप्तता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है।

45- इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *Appabhai And Anr. vs State Of Gujarat on [05 February, 1988 Equivalent citations: AIR 1988 SC 696]* वाद में निम्न विधि व्यवस्था पारित की गई है-

"It is no doubt true that the prosecution has not been able to produce any independent witness to the incident that took place at the bus stand. There must have been several of such witnesses. But the prosecution case cannot be thrown out or doubted on that ground alone. Experience reminds us that civilized people are generally insensitive when a crime is committed even in their presence. They withdraw both from the victim and the vigilante. They keep themselves away from the Court unless it is inevitable. They think that crime like civil dispute is between two individuals or parties and they should not involve themselves. This kind of apathy of the general public is indeed unfortunate, but it is there everywhere whether in village life, towns or cities. One cannot ignore this handicap with which the investigating agency has to discharge its duties. The

court, therefore, instead of doubting the prosecution case for want of independent witness must consider the broad spectrum of the prosecution version and then search for the nugget of truth with due regard to probability if any, suggested by the accused”.

46- प्रस्तुत मामले में अभियुक्त मुकेश एवं गंगा सिंह ट्रैक्टर पर सवार थे और उन्हें सरकारी कर्मचारियों द्वारा रोका गया और उसके बाद उनके बीच में थोड़ी छीना झपटी भी हुई, और उसी दौरान एक सरकारी कर्मचारी अमर सिंह को चोट भी आई। अतः ऐसी स्थिति में यह संभव है कि कोई सामान्य व्यक्ति वहां ना आया हो या गवाह बनने को तैयार ना हो। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विधि व्यवस्था से यह स्पष्ट है कि यदि अभियोजन द्वारा केवल सरकारी व्यक्ति ही गवाह बनाए गए हैं, तब भी अभियोजन अपना संस्करण सिद्ध कर सकता है और केवल इस तथ्य के आधार पर अभियोजन के संस्करण को संदेह पूर्ण नहीं माना जा सकता।

47- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *State Of Himachal Pradesh vs Lekh Raj And Anr [02 November, 1999 Appeal (crl.) 1174 of 1999, AIR 1999 SUPREME COURT 3916]* वाद में निम्न विधि व्यवस्था पारित की गई है-

“The criminal trial cannot be equated with a mock scene from a stunt film. The legal trial is conducted to ascertain the guilt of innocence of the accused arraigned. In arriving at a conclusion about the truth, the Courts are required to adopt rational approach and judge the evidence by its intrinsic worth and the animus of the witnesses. The hypertechnicalities or figment of imagination should not be allowed to divest the court of its responsibility of sifting and weighing the evidence to arrive at the conclusion regarding the existence or otherwise of a particular circumstances keeping in view the peculiar facts of each case, the social position of the victim and the accused, the larger interests of the society particularly the law and order problem and degrading values of life inherent in the prevalent system. The realities of life have to be kept in mind while appreciating the evidence for arriving at the truth. The courts are not obliged to make efforts either to give latitude to the prosecution or loosely construe the law in favour of the accused. The traditional dogmatic hypertechnical approach has to be replaced by rational, realistic and genuine approach for administering justice in a criminal trial. Criminal Jurisprudence cannot be considered to be a Utopian though but have to be considered as part and parcel of the human civilisation and the realities of life. The courts cannot ignore the erosion in values of life which are a common feature of the present system. Such erosions cannot be given a bonus in favour of those who are guilty of polluting society and the

mankind".

48- अभियुक्त की दोषसिद्धि या दोषमुक्ति के संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए न्यायालय को अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को समग्रता में देखना आवश्यक है, यदि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पूरी तरह से सुसंगत हैं तो यह निश्चित रूप से अभियुक्त की दोषसिद्धि की ओर ले जाता है। और जब अभियोजन पक्ष के संस्करण में विसंगतियां होती हैं तो अदालत को यह तय करना होता है कि विसंगतियां छोटी हैं या बड़ी। यदि अभियोजन के संस्करण में बड़ी विसंगतियां हैं जो अभियोजन पक्ष के संस्करण के मूल को प्रभावित करती हैं तो यह निश्चित रूप से अभियुक्तों की दोषसिद्धि की ओर ले जाएगा। लेकिन अगर विसंगतियां छोटे स्तर की हैं जो स्मृति के प्राकृतिक क्षय, समय के प्रवाह, सामाजिक रीति-रिवाजों आदि का परिणाम हैं और जो अभियोजन पक्ष के मूल संस्करण के खिलाफ नहीं जाती हैं, तो ऐसी विसंगतियां अभियुक्त को दोषमुक्त नहीं करा सकती हैं।

49- उपर्युक्त सम्प्रेक्षण से परिवादिनी की ओर से अपने परिवाद के समर्थन में परीक्षित कराये गये साक्षीगण द्वारा दिये गये साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा -4/10 वन अधिनियम का आरोप युक्ति-युक्त संदेह से परे सिद्ध नहीं होता है, पर अभियुक्त मुकेश के विरुद्ध धारा-332 व 353 भा०दं०सं० का अपराध युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित होता है।

आदेश

50- थाना कासगंज, जिला कासगंज के दाण्डिकवाद सं०-107/2021, अपराध सं०- 207/1988 के प्रकरण में अभियुक्त मुकेश को अन्तर्गत धारा- 4/10 वन अधिनियम में दोष मुक्त किया जाता है एवं 332 व 353 भा०दं०सं० के अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये। अभियुक्त के व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभू को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पुनः प्रस्तुत हो।

दि०-17.12.2022

(अवनीश कुमार)
सिविल जज(जू०डि०)
जे०एम०/एफ०टी०सी०
कासगंज।
JO Code-UP3571

लंचोपरान्त:-

51- पत्रावली दण्ड के बिन्दु पर सुनवायी हेतु प्रस्तुत हुई। अभियोजन ने दोषसिद्ध को अधिकतम दण्ड दिये जाने की याचना की है, जिससे समाज में उचित संदेश प्रेषण हो। दोषसिद्ध के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि दोषसिद्ध अपने घर की देखभाल करने वाला अकेला व्यक्ति है तथा गरीब है। प्रस्तुत मुकदमा सन् 1989 से लम्बित है जिसमें पैरवी करते-करते दोषसिद्ध ने एक प्रकार की सजा भोग ली है। दोषसिद्ध द्वारा अधिकांशतः न्यायालय की कार्यवाही में सहयोग किया गया है। दोषसिद्ध के विरुद्ध पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उपरोक्त सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए दोषसिद्ध के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दोषसिद्ध को कम से कम दण्ड या प्रोवेशन पर छोड़े जाने की याचना की गई है।

52- उभयपक्ष को सुनने व पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दोषसिद्ध अभियुक्त पर धारा-332 व 353 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध सिद्ध हुआ है जो सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कारित किए गए हैं। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर न्यायालय के मत में दोषसिद्ध को प्रोवेशन अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित नहीं प्रतीत होता है।

53- उपरोक्त कथनों के आलोक में समस्त बिन्दुओं पर विचार करते हुए न्यायालय निम्न दण्डादेश पारित किया जाना न्यायोचित समझता है।

आदेश

54- दोषसिद्ध "मुकेश" को धारा-332 भा०द०स० के अन्तर्गत तीन माह की साधारण कारावास की सजा तथा तीन सौ रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा ना किए जाने की दशा में अभियुक्त को तीन दिवस का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

55- दोषसिद्ध "मुकेश" को धारा-353 भा०द०स० के अन्तर्गत दो माह की साधारण कारावास की सजा तथा दो सौ रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा ना किए जाने की दशा में अभियुक्त को दो दिवस का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

56- अभियुक्त उपरोक्त को विभिन्न धाराओं में कारावास से दण्डित सभी सजाएँ साथ-साथ चलेंगी। अभियुक्त की मौलिक सजा की अवधि में अभियुक्त द्वारा कारावास में बिताई गई अवधि समायोजित की जाएगी।

57- अभियुक्त को दोषसिद्ध वारण्ट बनाकर उपरोक्त दण्ड के निष्पादन हेतु जिला कारागार, कासगंज भेजा जाये। अभियुक्त को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क दी जाये।

दि०-17.12.2022

(अवनीश कुमार JO Code-UP3571)

सिविल जज(जू०डि०)

जे०एम०/एफ०टी०सी०

कासगंज।

आज यह निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित करने के उपरान्त उद्घोषित किया गया।

दि०-17.12.2022

(अवनीश कुमार JO Code-UP3571)

सिविल जज(जू०डि०)

जे०एम०/एफ०टी०सी०
कासगंज।

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०/एफ०टी०सी०, कासगंज।

उपस्थित: अवनीश कुमार (उ०प्र०न्यायिक सेवा),

JO Code-UP3571

दाण्डिक परिवाद सं०: 632/2020

कम्प्यूटर सं०-1469/2015

CNRNo-UPKR040017082014

श्रीमती शबाना बेगम पत्नी मौहम्मद नदीम, पुत्री यासीन, निवासी हाल सोरो गेट कासगंज,
थाना कासगंज जनपद कासगंज।

-परिवादिनी

बनाम

1. मौहम्मद नदीम पुत्र अब्दुल सलाम
2. अब्दुल सलाम पुत्र हफीज ठेकेदार
3. श्रीमती नगीना पत्नी अब्दुल सलाम

निवासीगण-32/188, गूजर, थाना
तोपखाना लोहामण्डी, जिला आगरा।

धारा-498 एभा०द०सं०

थाना-कासगंज, जनपद-कासगंज।

निर्णय

1- यह परिवाद, परिवादिनी श्रीमती शबाना की ओर से अभियुक्तगण मौहम्मद नदीम, अब्दुल सलाम, श्रीमती नगीना, शकील उर्फ बबलू, हाजी निजाम एवं श्रीमती बेवी के विरुद्ध थाना कासगंज, जिला कासगंज से न्यायालय को विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2- संक्षेप में परिवाद पत्र के अनुसार परिवादिनी का कथन इस प्रकार है कि परिवादिनी का निकाह अभियुक्त संख्या-एक मौहम्मद नदीम के साथ नगर कासगंज में दिनांक 03.04.2013 को सम्पन्न हुआ था। उभयपक्ष धर्म से मुस्लिम हैं तथा शादी भी मुस्लिम रीति रिवाज से ही सम्पन्न की गयी थी। शादी में परिवादिनी के माता-पिता व रिश्तेदारों ने भरपूर दान दहेज दिया था जिसकी परिवादिनी के रिश्तेदार ने बतौर याददाश्त लिस्ट तैयार की थी। दिये गये सामान में होण्डा बाइक, फ्रिज, एल०ई०डी, वाशिंग मशीन, मिक्सी, अलमारी, कूलर तथा घर गृहस्थी के उपयोग के सभी बर्तन, सिलाई मशीन आदि दिया था। परिवादिनी को एक सोने का सैट, एक चांदी की सैट, एक जरीकिन का सैट, पैरों की तोड़िया व एक सोने की अंगूठी व नथ आदि दिया गया था। निकाह होने के बाद परिवादिनी उपरोक्त सभी सामान अपनी ससुराल आगरा लेकर गयी थी। परिवादिनी से तथा शादी में दिये गये सामान से परिवादिनी के सास-ससुर, पति अभियुक्त संख्या- क्रमशः 3, 2 व 1 तथा अभियुक्त संख्या-6 व विचौलिये शकील व निजाम अभियुक्तगण संख्या-4 व 5 खुश नहीं थे। अभियुक्तगण संख्या-4 व 5 का परिवादिनी की ससुराल में अच्छा दखल है। अच्छे बुरे हर काम में शामिल रहते हैं। सभी अभियुक्तगण परिवादिनी को कम दहेज लाने का ताना देते थे तथा खाना कपड़े से परेशान रखते थे। अतिरिक्त दहेज में शहर आगरा में एक मकान अथवा फ्लैट की मांग करते थे। जिसे परिवादिनी के परिजन किसी भी परिस्थिति में पूरा नहीं कर सके। इसी कारण अभियुक्तगण संख्या एक, दो व तीन व छः ने परिवादिनी की मारपीट की तथा खाना कपड़ा से तंग व परेशान रखा। मजबूरी की हालत में परिवादिनी भविष्य की सोचकर सब सहन करती रही तथा तुरन्त ही कोई कार्यवाही नहीं की। सभी अभियुक्तगण ने परिवादिनी को दहेज की मांग में अतिरिक्त मकान या फ्लैट न मिलने के कारण माह अगस्त सन् 2013 में गर्भवती हालत में मारपीट कर घर से निकाल दिया है। परिवादिनी तभी से अपने पिता के निवास स्थान नगर कासगंज में शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित अवस्था में निवास कर रही है। परिवादिनी ने नगर कासगंज में दिनांक 17.02.2014 ई० को उर्मिला नर्सिंग होम में एक पुत्र नाम आजम को जन्म दिया, जो कि परिवादिनी के पास ही है। पुत्र के जन्म के समय व उसके बाद से आज तक अभियुक्तगण संख्या-एक, दो व तीन आजम को देखने नहीं आये हैं, कोई भी खर्चा बावत डिलीवरी नहीं दिया है। माह अगस्त सन 2013 से घर से निकाले जाने के बाद से आज तक अभियुक्त संख्या-एक के द्वारा तथा सभी अभियुक्तगण के द्वारा परिवादिनी की कोई खैर खबर नहीं ली गयी है और न ही कोई खाना खर्चा ही दिया गया है। परिवादिनी को तिरष्कृत व उपेक्षित अवस्था में मानसिक रूप से अभियुक्तगण द्वारा कारित दहेज उत्पीड़न को नगर कासगंज में सहन कर रही है। अभियुक्तगण संख्या एक, दो व तीन किसी भी परिस्थिति में परिवादिनी व उसके बच्चे को रखने को तैयार नहीं हैं तथा मोबाइल फोन के माध्यम से

परिवादिनी व उसके बच्चे को जान से मरवाने की धमकी दे रहे हैं। परिवादिनी ने अपने समस्त दहेज का सामान (सभी स्त्रीधन) अभियुक्तगण संख्या-1, 2, 3 व 6 की अभिरक्षा में सकुशल रखने व मांगे जाने पर वापस करने के आशय से बतौर अमानत प्रदान किया था। परिवादिनी का समस्त स्त्रीधन इन्हीं चारों अभियुक्तगण के संयुक्त रूप से कब्जा में है। चारों अभियुक्तगण संयुक्त रूप से एक ही निवास पर निवास करते हैं। उक्त सामान को अभियुक्तगण ने बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी वापस नहीं किया है तथा अमानत में ख्यानत की है। अभियुक्तगण संख्या 4 व 5 शादी के विचौलियाँ हैं, इन्होंने एक षडयंत्र के तहत परिवादिनी की शादी करायी है। परिवादिनी से अतिरिक्त दहेज में मकान अथवा फ्लैट की मांग की है। दहेज उत्पीड़न करने में अभियुक्तगण संख्या 4 व 5 का भी हाथ है।

3- परिवादिनी द्वारा उक्त परिवाद के समर्थन में स्वयं को धारा 200 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत एवं धारा 202 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत साक्षी पी०डब्ल्यू०-1 यासीन पी०डब्ल्यू०-2 मौहम्मद साईद को परीक्षित कराया गया है।

4- जाँचोपरान्त न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण मौहम्मद नदीम, अब्दुल सलाम एवं श्रीमती नगीना को धारा- 498 ए भा०द०सं० के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किया गया।

5- उक्त परिवाद के समर्थन में अन्तर्गत धारा 244 दं०प्र०सं० में परिवादिनी श्रीमती शबाना द्वारा स्वयं को साक्षी पी०डब्ल्यू०-1 के रूप में एवं पी०डब्ल्यू०-2 मौहम्मद साईद के रूप में परीक्षित कराया है।

6- अभियुक्तगण मौहम्मद नदीम, अब्दुल सलाम एवं श्रीमती नगीना के विरुद्ध दिनांक-06.03.2020 को आरोप अन्तर्गत धारा-498 ए भा०द०सं० विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया एवं विचारण की माँग की।

7- उक्त आरोप के समर्थन में परिवादिनी श्रीमती शबाना की ओर से अन्तर्गत धारा 246 दं०प्र०सं० में स्वयं को पी०डब्ल्यू०-1 के रूप में एवं पी०डब्ल्यू०-2 मौहम्मद जाहिद के रूप में परीक्षित कराया है।

8- उक्त साक्ष्य के उपरान्त अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने घटना को गलत बताया और सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा । बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्त नईम को साक्षी (डी डब्ल्यू -1) बना कर परीक्षित कराया गया ।

9- मैंने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन

किया।

10- अभियुक्तगण पर आरोप है कि उन्होंने दिनांक 03.04.2013 से माह अगस्त 2013 तक, समय भिन्न-भिन्न, वहद स्थान सोरों गेट, कासगंज, अन्तर्गत थानाक्षेत्र कासगंज, जनपद कासगंज में परिवादिनी श्रीमती शबाना बेगम से अतिरिक्त दहेज में एक मकान अथवा फ्लैट की मांग की और मांग न पूरा होने पर उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया।

11- पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा उभयपक्ष के तर्कों के आलोक में यह देखा जाना है कि अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप युक्ति-युक्ति संदेह से परे साबित होते हैं अथवा नहीं।

12- परिवादिनी श्रीमती शबाना ने साक्षी पी०डब्ल्यू०-1 के रूप में स्वयं को परीक्षित कराया है। उक्त साक्षी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 244 दं०प्र०सं० में परिवाद का समर्थन करते हुए कथन किया है कि "मेरी शादी (निकाह) मौहम्मद नदीम के साथ दिनांक 03.04.2013 को मेरे पिता के निवास कासगंज पर हुई थी तथा मेरे पिता व रिश्तेदारों ने अपनी हैसियत के अनुसार घर-गृहस्थी का सामान हीरो होण्डा बाइक, फ्रिज, वाशिंग मशीन, एल०ई०डी०, मिक्सी, अलमारी व घरेलू बर्तन, कपड़े दिये थे तथा मेरे लिये सोने का गले का सेट, एक चांदी का सेट, एक जरीकिन का सैट, पैरों की तोड़िया, सोने की अंगूठी आदि लेकर मैं अपनी ससुराल विदा होकर गयी। मेरे पति मौहम्मद नदीम, ससुर अब्दुल सलाम व सास श्रीमती नगीना, विचौलिया शकील हाजी, निजाम व श्रीमती बेवी दिये गये सामान से खुश नहीं थे। अभियुक्तगण संख्या-4, 5, 6 मेरी ससुराल में अच्छे बुरे काम में शामिल रहते हैं। अभियुक्तगण उपरोक्त कम दहेज लाने का ताना देते थे। खाने कपड़े से परेशान करते थे तथा मारपीट करते थे तथा अतिरिक्त दहेज में अभियुक्तगण एक मकान आगरा में अथवा एक फ्लैट आगरा में लेने की मांग करते थे। अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर अभियुक्तगण उपरोक्त ने माह अगस्त वर्ष 2013 में गर्भवती हालत में मारपीट कर घर से निकाल दिया तब से मैं अपने पिता के घर रह रही हूँ। तब से मैं शारीरिक व मानसिक प्रताड़ित अवस्था में रह रही हूँ। दिनांक 17.2.2014 को उर्मिला नर्सिंग होम कासगंज में एक बच्चे को जन्म दिया। बेटे होने की सूचना मौहम्मद नदीम, ससुर, सास को दी। ये लोग देखने नहीं आये और ना कोई खैर खबर ली और ना कोई खर्चा उठाया। दिनांक 21 जनवीर 2016 को मुल्जिमान उपरोक्त ने मेरे पापा व बाइयों व मेरे बच्चे को व मुझे धमकी दी। मेरा स्त्रीधन ससुरालीजन के पास है। मेरे बार-बार मांगने पर भी स्त्रीधन वापस नहीं किया। शकील व हाजी निजाम व बेवी ने साज करके शादी मेरी करायी। अभियुक्तगण ने मुझे दहेज व शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है। "

13- इस साक्षी से बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत धारा-244 दं०प्र०सं० में प्रतिपरीक्षा की गयी। इस साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि " मेरा दहेज के कारण उत्पीड़न आगरा में किया था। शादी में दिये गये सामान की लिस्ट बनी थी। उस लिस्ट पर नदीम के हस्ताक्षर नहीं हैं। लिस्ट को पत्रावली में दाखिल किया है। मैं अगस्त वर्ष 2013 में अंतिम बार अपनी ससुराल से आयी थी। उसके बाद मैं अपनी ससुराल नहीं गयी।"

14- साक्षी पी० डब्ल्यू०-1 श्रीमती शबाना, जो कि मामले की परिवादिनी है एवं घटना की मजरूब साक्षी है, द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा अंतर्गत धारा 246 दं० प्र० सं० (दिनांक 23.03.2021) में स्पष्ट कथन किया गया है कि " अब्दुल सलाम मेरे ससुर हैं। मुझे नहीं मालूम मेरे ससुर की उम्र कितनी है। मैंने जब दावा दायर किया था तब ससुर की उम्र 58 वर्ष लिखाई थी तथा सास की उम्र 57 वर्ष लिखवाई थी। अभियुक्त सं०-4, 5 व 6 का पता मैंने अलग-अलग परिवाद पत्र में लिखवाया था। सभी लोग आगरा में ही रहते हैं। बेवी एटा में रहती हैं। मैं माह अगस्त सन् 2013 में आखिरी बार ससुराल से आई हूँ। उसके बाद मैं अपने ससुराल नहीं गई हूँ और ना ही मुल्जिमान अगस्त सन 2013 के बाद हमारे घर पर आये हैं। जब से मैं आई हूँ, तब से मुकदमा नहीं चालाया। जब मुझे तीन तलाक मेरे पति ने दिया तब मैंने मुकदमा दायर किया। मेरे पति ने मुझे कब-कब मारा, मुझे तारीखे याद नहीं है। बाद में कहा मुझे याद नहीं है। माह अगस्त 2013 में किस तारीख को निकाला, इस समय याद नहीं है। मेरा बेटा 17.02.2014 को उर्मिला नर्सिंग होम कासगंज में पैदा हुआ। मेरे स्तारीधन सास और ननद बेवी के कब्जे में है। मेरी सास का नाम नगीना है, फिर कहा सभी ससुरालीजन के कब्जे में है। ससुर अब्दुल सलाम, पति नदीम, ननदोई शकील और पति के मामू हाजी निजाम के कब्जे में है, स्त्रीधन मेरा सारा। मेरे साथ मारपीट आगरा में की गई। मैंने आगरा में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। मारपीट के बाद मैं डाक्टर के पास नहीं गई। मैंने थाना कासगंज में 24.05.2014 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। स्वयं कहा डाक के जरिये रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। मैं 24.05.2014 को थाना कासगंज गई थी। मैं आठवी तक पढ़ी हूँ। रिपोर्ट लिखा या नहीं लिखी, मुझे नहीं पता है। मुझे इस समय ध्यान नहीं है कि मैं थाना कासगंज में रिपोर्ट कब दर्ज कराने गई। मैं थाने में शिकायत दर्ज कराने नहीं गई। मुझे नहीं मालूम थाने में रिपोर्ट दर्ज करने से किसी ने मना किया या नहीं, मेरा तो काम हो गया था, क्योंकि वह रजिस्ट्री वापस आ गयी थी। काफी समय हो चुका है। इस समय मुझे याद नहीं है, घटना की तारीख तहरीर में लिखी या नहीं। मैंने वकील साहब को घटना बतायी थी। तभी वकील साहब ने लिखा था। मेरे दहेज की लिस्ट मेरे ससुर अब्दुल सलाम के पास है। फोटो और लिस्ट पत्रावली में दाखिल किया है।

मूल सामान की लिस्ट मेरे पास नहीं है। फोटो स्टेट है, जो लगाई है, सी०डी० भी है। उस लिस्ट पर मैंने अपने ससुर और पति के हस्ताक्षर नहीं कराये थे। लिस्ट पर किसी के निशानी अंगूठा व हस्ताक्षर नहीं कराये थे, क्योंकि हमारे यहां नहीं होते हैं। मेरे मामू का नाम मौहम्मद सईद है। लिस्ट पर उनके अंगूठे निसानी नहीं लगे थे। घर खरीदने के लिए मेरे पति सास, ससुर पैसे मांगते थे। दहेज में नकद धनराशि की मांग कभी नहीं करी बल्कि घर की मांग करते थे। घर खरीदने के लिए रुपया कभी नहीं मांगा। मेरे सास ससुर के पास उनका निजी मकान है। मेरे पति बाहर नौकरी करते हैं। फिर कहा ठेकेदारी की नौकरी करते हैं। मेरे पति शादी के समय से बाहर नौकरी करते हैं। ठेकेदारी करते हैं। मेरे पति आगरा से बाहर मेरे पति ठेके दारी करते थे। कितने-कितने दिन बाद आते थे, मुझे नहीं पता फिर कहा शुरू शुरू में जल्दी-जल्दी आते थे, फिर 15-20 दिनों बाद घर आते थे। मैं अपने पति के साथ अकेले बाहर रहने की मांग नहीं की बल्कि स्त्रीधर्म का पालन करतेहुए सबके साथ रहना चाहती थी। मैं पहली बार ससुराल में तीन दिन रुकी थी। दूसरी बार 15-20 दिन रुकी थी। कुल मिलाकर मैं पांच महीने रुकी थी। एक डेढ़ महीने बाद ससुरालीजनों ने घर की मांग करने लगे। शादी के एक दो महीने सही रही थी। बाद में मांग करने लगे। ये शादी मेरी मर्जी से हुई थी। यह शादी मम्मी और भाइयों ने की थी। शादी षडयंत्र के तहत नहीं हुई थी, फिर कहा मुझे नहीं पता, षडयंत्र के तहत हुई या नहीं। मेरे मां-बाप के द्वारा शादी हुई थी। मैंने दावे में नहीं लिखवाया कि मेरी शादी षडयंत्र के तहत हुई थी, फिर सवाल दोहराने पर आगे कहा कि इस समय याद नहीं है कि मैंने ऐसा लिखवाया या नहीं। आगरा में मेरे साथ मारपीट की गई इसका कोई गवाह मेरे पास नहीं है। मेरे घर का कोई गवाह आगरा में नहीं था। सारे गवाह मुल्जिमान के घर के थे। सारी घटनाएं आगरा में हुईं। मौ० सईद मेरे सगे मामा हैं और यासीन पुत्र विसारत मेरे पापा हैं। इनके अलावा और कोई गवाह नहीं है। मैं किसी ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं बता सकती जिसके सामने घर की मांग की गई हो। फिर कहा मेरे पति के घरवालों के सामने घर की मांग करते हैं। मेरे गवाह हाजी, निजाम, बेवी व शकील नहीं हैं बल्कि इनके (पति) के गवाह हैं। मैं अपने पति के साथ जाना नहीं चाहती हूँ क्योंकि तीन तलाक हो चुका है। मेरे ससुर को लकवे की बीमारी है या नहीं, मुझे नहीं पता है। मेरी शादी के समय लकवे की बीमारी नहीं थी। शादी के बाद मुझे कोई जानकारी नहीं है। यह कहना गलत है कि मैंने मुल्जिमानों पर झूठे आरोप लगाये हैं। यह कहना भी गलत है कि मेरा पति आगरा से बाहर रहता हो और मुल्जिमानों द्वारा मुझे शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना न दी गई हो। यह कहना भी गलत है कि मैंने अपनी रिपोर्ट एस०पी० साहब कासगंज को पंजीकृत डाक से न भेजी हो। यह कहना गलत है कि आज मैं झूठा बयान दे रही हूँ। यह भी कहना गलत है कि मैं अपनी इच्छा से मायके में रह रही हूँ। यह कहना भी गलत है कि मैंने झूठा दावा दायर कर दिया हो। ”

15- साक्षी पी०डब्ल्यू०-2 सईद के रूप में अपने बयान अन्तर्गत धारा 244 दं०प्र०सं० में परिवाद का समर्थन करते हुए कथन किया है कि " शबाना मेरी सगी भांजी है। इसकी शादी दिनांक 03.04.2013 को मौ० नदीम अभियुक्त संख्या-एक के साथ हुई थी। मैं शादी में मौजूद था। शादी की सारी रस्में व विदाई मेरे सामने हुई थी। शादी के बाद शबाना को उसकी ससुरालवालों ने तंग व परेशान रखा और कहते थे कि दहेज में कम सामान लेकर आई है। आगरा में एक मकान (फ्लैट) की मांग करते थे। यह मांग पूरी नहीं कर पाये। इसी वजह से मारपीट कर घर से निकाल दिया। जब इसे निकाला गया था तब शबाना गर्भवती थी। कासगंज में आकर इसके एक लड़का पैदा हुआ। घर से निकाले जाने के बाद से शबाना अपने मां-बाप के पास कासगंज में ही रह ही है। शादी के समय दहेज की सामान की लिस्ट मैंने ही बनायी थी। पत्रावली पर उसकी कार्बन प्रति 11 अ/1 लगायत 11 अ/2 संलग्न है। इसकी असल प्रति नदीम एवं अब्दुल सलाम को दे दी गयी थी। इस लिस्ट के मुताबिक समस्त सामान अब्दुल सलाम व मौ० नदीम की कस्टडी में दे दिया गया। सोने-चाँदी की चीजें शबाना को पहनाई गयी थी। पूरी शादी की कैसेट बनी है तथा फोटोग्राफी हुई है। असल लिस्ट बनाने के बाद मैंने अपने हस्ताक्षर किये थे। जो कार्बन प्रति पर आ रहे हैं। लिस्ट मेरी हस्ताक्षरित व मेरे हाथ की बनाई हुई है जिस पर प्रदर्श क-1 डाला गया है। शबाना को उसकी ससुराल में उसका शौहर मौ० नदीम, ससुर अब्दुल सलाम, सास नगीना और मौ० शकील, हाजी निजाम व बेवी सभी अतिरिक्त दहेज की मांग करते थे तथा मांग पूरी न होने के कारण शबाना को मारते-पीटते थे तथा दहेज उत्पीड़न करते थे। इन लोगों ने आजसे करीब चार साल पहले शबाना को मारपीट कर घर से निकाल दिया था। शबाना ने मुझे बताया है कि उसके शौहर मौहम्मद नदीम ने शबाना के पास तलाक की रजिस्ट्री कर दी है। "

16- अभियुक्त गण के अधिवक्ता के उपस्थित न होने के कारण अभियुक्त का जिरह का अवसर अंतर्गत धारा 244 समाप्त किया गया'

17- वादी द्वारा साक्षी सईद को अंतर्गत धारा 246 सीआरपीसी में जिरह हेतु नहीं बुलाया गया एवं उसका कारण वादी द्वारा यह बताया गया की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के चलते वह कोर्ट में नहीं आ सकते। क्योंकि साक्षी सईद की प्रति परीक्षा का अवसर अंतर्गत धारा 246 दं० प्र० सं० अभियुक्त को प्राप्त नहीं हुआ अतः इसलिए इस निर्णय के लिए साक्षी सईद के साक्ष्य अंतर्गत धारा 244 सीआरपीसी पर विचार नहीं किया जाएगा ।

18- वादी द्वारा धारा 246 दं० प्र० सं० के साक्ष्य के स्तर पर एक नया साक्षी जाहिद, कोर्ट की अनुमति

प्राप्त कर, पेश किया गया ।

19- साक्षी पी0 डब्ल्यू0-2 मौहम्मद जाहिद, द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा अंतर्गत धारा 246 दं0 प्र0 सं0 (दिनांक 23.11.2021) में स्पष्ट कथन किया गया है कि " शबाना मेरी सगी छोटी बहन है। शबाना की शादी 03.04.2013 को मौहम्मद नदीम के साथ कासगंज में हमारे निवास स्थान पर हुई थी। हम भाई लोग व पिता व रिश्तेदारों के द्वारा शादी सम्पन्न करवाई थी। शादी में लगभग 10 लाख रुपये खर्च हुआ था। शादी में बड़ा-बड़ा सामान, फ्रिज, एल०ई०डी० टी०वी०, वाशिंग मशीन, सोफा सेट, डबल बेड, होण्डा साइन मोटरसाइकिल और पीतल तांबे के बर्तन आदि सामन दिया गया था। इसके अतिरिक्त घर का सारा सामान कपड़े इत्यादि दिया गया था और लड़की को सोने के सेट, चांदी का सेट, एक जरीकिन सेट, पैरों के तोड़े, सोने की अंगूठी, चांदी की अंगूठी एक-एक दी थी। सामान की कीमत का मुझे अंदाज नहीं है। इस सारे सामान के साथ शबाना की विदाई की गई थी तथा दहेज का सारा सामान शबाना के विदा के समय मौहम्मद नदीम के पिता व मामा आगरा ले गये थे। शादी के बाद शबाना को बहुत परेशान रखा। शबाना के लिये फ्लैट मांग रहे थे। इस मांग को हम लोग पूरी नहीं कर पाये। इनकी मांग पूरी न होने पर शारीरिक व मानसिक प्रताड़ित किया गया। शबाना को मारा-तोड़ा और परेशान रखा, खाने पीने की परेशानी रखी। शबाना अपनी ससुराल में 3-4 महीने रही थी। उसके बाद मेरे पास फोन आया। फोन शबाना का आया था कहा था फोन पर कि उसे खाने-पीने से रोकते हैं और परेशान कर रहे थे। मुझे बुलाकर ले जाओ वरना मार देंगे। फिर मैं बुलाने गया था। शबाना मुझे देखकर चिपट कर रोने लगी और कहा मुझे घर ले चलो, ये लोग मुझे बहुत परेशान रखते हैं। फिर मैं शबाना को अपने साथ बुला लाया। मैं अगस्त माह सन 2013 में मैं अपने साथ उसे बुला लाया। जब से मैं बुलाकर लाया तब से मेरे और पिता के साथ रह रही है। शबाना के बेटा उर्मिला नर्सिंग होम में मौहम्मद आजम बेटा पैदा हुआ था। शबाना के बेटे के जन्म के समय उसके घर से कोई देखने व मिलने नहीं आया। बेटे के जन्म पर हॉस्पिटल का खर्चा मौहम्मद नदीम व उसके घर वालों ने नहीं दिया। मौ० आजम इस समय आठवी साल की उम्र चल रही है। नदीम मियां के द्वारा शबाना को भेजा गया डाक रजिस्ट्री से कागज प्राप्त हुआ था। यह कागज उसके तीन तलाक का था जो नोटरी द्वारा किया गया था। इस कागज को पढ़कर शबाना डिप्रेशन में चली गयी। होश वाली हालत में नहीं थी। ऐसा बहुत समय तक रहा। इस तरह की हालत दो या तीन साल तक बनी रही। आज भी जब भी याद आती है तब भी रोती है, बैठकर। तीन तलाक के बाद शबाना का अपने विरादर का कहीं आना जाना नहीं है। शबाना को विरादर के लोग बुरी नजर से देखते हैं। शबाना कहीं भी शादी व्याह

या धार्मिक कार्यक्रमों में नहीं जाती है। तलाकशुदा होने के नाते शबाना विरादरी में नहीं जाती है। हमारे विरादर व समाज में तीन तलाक को बुरी मान्यता देते हैं और मानते हैं कि इसका तो तलाक हो गया। दहेज का सारा सामान जो दिया गया था, वह सारा सामान शबाना की ससुराल आगरा में है। जब मैं बुलाकर लाया तथा मौ० नदीम के द्वारा तीन तलाक देने के बाद मौ० नदीम उनके पिता व माता के द्वारा दहेज का कोई भी सामान शबाना को नहीं दिया। सारा सामान उन्हीं के पास है। तथा मुल्जिमान ने हड़प लिया है। आज भी शबाना अपने बेटे के साथ हमारे परिवार में रह रही है। अपने पति के बारे में कुछ नहीं बताती है। “

20- इस साक्षी से बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत धारा-246 दं०प्र०सं० में प्रतिपरीक्षा की गयी। इस साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि “ दिनांक 23.08.2013 के बाद मौहम्मद नदीम व उसके घर वाले हमारे यहां नहीं आये। माह अगस्त 2013 में किस तारीख को पति ने निकाला, यह याद नहीं है। मेरा उस समय मो० नं०-9719791065 था। आज भी यही नम्बर चलाता हूँ। बहन के पास कोई मो० नम्बर उस वक्त नहीं था। मुझे किस नम्बर से शबाना को सूचना दी थी, उसका नम्बर मुझे नहां पता। मैं अकेला शबाना को बुलाने गया था। शादी के बाद शबाना अपनी ससुराल लगभग 3-4 बार गयी थी। पहली विदा पर तीसरे दिन बुलाकर लाये। उसके बाद मेरे घर पर दो दिन रुकी। उसके बाद नदीम के घर पर एक माह रुकी। फिर आना-जाना लगा रहा। मेरी बहन ने अपने पति द्वारा दिया गया तलाक स्वीकार कर लिया, लेकिन इद्दत की मुद्दत नहीं गुजारी। मेरी बहन इस समय तलाकशुदा लड़की है। नदीम ने जो भी मांग की वो सब आगरा में की। मेरे घर पर आकर कभी नहीं मांगा। नदीम ने अपने घरवालों के सामने मांग की। मेरे घर वालों के सामने नहीं की। मैं किसी ऐसे गवाह का नाम नहीं बता सकता जिसके सामने नदीम ने दहेज की मांग की थी, क्योंकि मैं वहां मौजूद नहीं था। शबाना के घर आने पर उसके बताने पर पता चला कि उसके ससुरालवाले दहेज की मांग करते हैं और परेशान करते हैं। शबाना की बात पर यकीन हो गया कि उसे परेशानी है। शबाना ने मुझे किसी घटना की तारीख नहीं बतायी। शबाना ने ये नहीं बताया कि किस तारीख में उसे मारापीटा गया और किस तारीख में दहेज की मांग की गयी। मैं शबाना के प्रताड़ना के सम्बन्ध में उसके द्वारा बताने पर बयान दे रहा हूँ। शबाना अब तलाक के कारण अपनी ससुराल जाना नहीं चाहती। हमने दहेज की लिस्ट बनायी थी, लिस्ट पर हमने नदीम व उसके घर वालों के हस्ताक्षर नहीं करवाये थे। Original List नदीम के पिता के पास है, हमारे पास नहीं है। लिस्ट की कार्बन कॉपी हमारे पास है। यह कहना गलत है कि लिस्ट फर्जी दाखिल की हो

और यह कहना भी गलत है कि असल कापी(लिस्ट) नदीम के घर वालों के पास न हो। बहन को जो जेवर खरीदकर दिया, उसकी कोई रसीद हमारे पास नहीं है। हमने कासगंज में कोई रिपोर्ट नहीं लिखवायी बल्कि एस०पी० साहब को सीधे प्रार्थना पत्र दे दिया। सारी घटनाएं शबाना के ससुराल की हैं। ससुराल के सम्बन्धित थाने रिपोर्ट दर्ज कराने गये थे बल्कि कोई सुनवाई नहीं हुई। हम आगरा में किसी थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाने नहीं गये। बहन को निकाले जाने के कितने दिन बाद हम थाना कासगंज गये, इसका मुझे ध्यान नहीं है। नदीम बना हुआ फ्लैट मांगता था। नदीम यह चाहता था कि अलग रहने के लिए फ्लैट चाहता था क्योंकि उसके घर में रहने के लिए जगह नहीं है। नदीम के घर में इतनी जगह नहीं थी कि वह शामिलानी रह सके, इसलिए फ्लैट मांगता था और हमने इसके लिए असमर्थता जताई कि हैसियत से ज्यादा है, हम नहीं दे सकते। मौहम्मद सईद मेरे मामू हैं, जिनके पिता का नाम सिकन्दर है। मेरे दादा का नाम विसारत है और बाप का नाम यासीन है। मौ० सईद और मेरे पिता के सामने शबाना की कोई मारपीट नहीं हुई। मेरे सामने शबाना की मारपीट नहीं हुई। मैं फैसले में एकमुश्त रकम नदीम से लेना चाहता हूँ। बच्चे की परवरिश व मकान दिला दिया जाये तब फैसला हो सकता है। मकान और खर्चा दे दिया जाये तब फैसले की संभावना है। यह कहना गलत है कि हमारे व शबाना की तरफ से 10 लाख रुपये की मांग की जा रही हो। मांग पूरी न होने पर झूठा मुकदमा दायर कर दिया हो। यह कहना गलत है कि मेरे सामने कोई मारपीट की घटना की गयी हो। और यह कहना भी गलत है कि शबाना का सगा भाई होने के नाते झूठा बयान दे रहा हूँ।

21- उक्त साक्ष्य के उपरान्त अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने घटना को गलत बताया और सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा। बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्त नईम को साक्षी (डी डब्ल्यू -1) बना कर परीक्षित कराया गया।

22- बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षी डी०डब्ल्यू०-1 नदीम के रूप में अपने सफाई साक्ष्य की मुख्या परीक्षा दिनांकित 27.04.2022 में कथन किया है कि " मेरी शादी शबाना बेगम के साथ 03.04.2013 को हुई थी। मुझे शादी में जेवर, कपड़ा आदि मेरी पत्नी द्वारा नहीं मिला। मेरी पत्नी विदा होकर मेरे घर गयी थी। तब मैंने अपनी पत्नी के साथ शौहर का फर्ज अदा किया था। मैंने अपनी पत्नी व उसके घरवालों से कभी भी अतिरिक्त दहेज की मांग नहीं की। मैंने मारपीट कर अपनी पत्नी को घर से नहीं निकाला। मेरी पत्नी मुझसे कहती थी कि तुम गरीब आदमी हो। मायके में जाकर कासगंज रहो तो मैं मना करता था कि मेरे मां-बाप बुजुर्ग हैं, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। इस बात से मेरी पत्नी नाराज होकर मेरे

साथ रहने से इनकार करती थी। मेरी पत्नी मुझसे तलाक मांगती थी। एक बच्चा भी मेरी पत्नी से पैदा हुआ है, मैं पत्नी को और बच्चे को भरण-पोषण दे रहा हूँ। मेरे मां बाप मुझेसे अलग रहते हैं, आगरा में। मैं आगरा से बाहर जाकर मजदूरी करता हूँ। मेरे पिता को ब्रेन हेम्ब्रेज है, पैरालाइसिस है। मेरे पिता चल-फिर नहीं सकते हैं। मेरी माता हृदय रोगी है, शूगर भी है, चल फिर नहीं सकती। मां की उम्र 65 साल, पिता की उम्र 67 साल है। मेरी पत्नी ने मुझ पर झूठे आरोप लगाये हैं। मैंने अपनी पत्नी से दहेज में कभी प्लाट की मांग नहीं की। मैंने अपने पत्नी को एक ही समय में तीन बार तलाक नहीं दिया। मैंने अपनी पत्नी को शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान नहीं किया।"

23- इस साक्षी से परिवादिनी के अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी। इस साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि " मैंने अपनी पत्नी को एक-एक महीने बाद तीन बार तलाक दिया था। मुझे तलाक देने की तारीख याद नहीं है।" प्रीतिपरीक्षा अगली तिथि के लिए जारी रही ।

24- आगे की जिरह दिनांक 07.06.2022 में साक्षी डी०डब्ल्यू०-1 नदीम द्वारा कथन किया गया "मैं मजदूरी का काम करता हूँ। मैं विल्डिंग में लगाये जाने वाले पत्थरों का कार्य नहीं करता हूँ। जिला जौरा, मध्य प्रदेश में मैंने कार्य किया है। मैंने जोहरा से शबाना के भाइयों व वालिद के खिलाफ मुकदमा नहीं डाला था। मुझे यह नहीं पता कि उस मुकदमे का निर्णय क्या हुआ। मैंने आगरा से भी शबाना के भाइयों व वालिद के खिलाफ मुकदमा नहीं डाला था। मेरी शादी में फोटो खिचे थे या नहीं मुझे जानकारी नहीं है। कागज सं०-40 ब/2 पर मेरी बेगम शबाना का फोटो नहीं है। यह कहना गलत है कि कागज सं०-40 ब/3 मेरी शादी का दहेज का सामान दिखाया गया है। 40 ब/4 पर दिखायी गयी मोटरसाइकिल मेरी शादी पर नहीं मिली थी। कागज सं०-40 ब/5 लगायत 07 में दर्शित सामान व व्यक्ति मेरी शादी के नहीं हैं। मैं इन्हें पहचानता भी नहीं हूँ। हाजिर अदालत वादिनी शबाना मेरी बीवी है। एक-एक महीने के अन्तराल से मैंने अपनी पत्नी को 03 बार में तलाक दिया है, अपनी मर्जी से मैंने 03 बार में तलाक दिया था। वो तलाकनामा मैंने शबाना को रजिस्ट्री डाक से भेजा था। मुझे नहीं पता शबाना को मिला या नहीं। इस तहरीर के अलावा कागज सं०-20 ब लगायत 20 ब/3 है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई तलाक मैंने शबाना को नहीं दिया। यह कहना गलत है कि शबाना की मारपीट व दहेज की मांग में एक फ़ैट मेरे या मेरे घरवालों ने की हो और मांग पूरी न होने के कारण उसे घर से निकाल दिया हो।"

25- वादी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा वादी का निरंतर मानसिक एवं शारारिक उत्पीड़न किया गया और यह मानसिक उत्पीड़न एवं शारारिक उत्पीड़न एवं क्रूरता दहेज प्राप्त करने

हेतु की गई। वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि अभियुक्त गण को दोषी करार देने हेतु पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है।

26- दूसरी ओर अभियुक्त गण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि इस कि इस अदालत के पास इस मामले पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि सभी कथित अपराध अभियुक्तगणों द्वारा आगरा जिले में किए गए हैं। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि इस मामले में केवल दो साक्षी ही प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें से कि एक स्वयं वादिया है और दूसरा वादिया का सगा भाई है एवं वादिया द्वारा अपने पक्ष को सिद्ध करने हेतु कोई भी स्वतंत्र साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है अभियुक्त गण के अधिवक्ता द्वारा भी तर्क दिया गया कि कि अभियुक्तगण द्वारा किसी भी प्रकार का उत्पीड़न नहीं किया गया एवं यह दावा वादिया द्वारा अभियुक्त से पैसा लेने के लिए डाला गया है।

27- दोनों विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

28- अभियुक्त गण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि इस कि इस अदालत के पास इस मामले पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि सभी कथित अपराध अभियुक्तगणों द्वारा आगरा जिले में किए गए हैं, अतः उचित होगा कि अधिकार क्षेत्र से संबंधित विश्लेषण सर्वप्रथम किया जाए।

29- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Rupali Devi v. State of Uttar Pradesh**, [2019 (5) SCC 384] में निम्न विधि व्यवस्था पारित की गई:

“15. The provisions contained in Section 498A of the Indian Penal Code, undoubtedly, encompasses both mental as well as the physical well-being of the wife. Even the silence of the wife may have an underlying element of an emotional distress and mental agony. Her sufferings at the parental home though may be directly attributable to commission of acts of cruelty by the husband at the matrimonial home would, undoubtedly, be the consequences of the acts committed at the matrimonial home. Such consequences, by itself, would amount to distinct offences committed at the parental home where she has taken shelter. The adverse effects on the mental health in the

parental home though on account of the acts committed in the matrimonial home would, in our considered view, amount to commission of cruelty within the meaning of Section 498A at the parental home. The consequences of the cruelty committed at the matrimonial home results in repeated offences being committed at the parental home. This is the kind of offences contemplated under Section 179 Cr.P.C which would squarely be applicable to the present case as an answer to the question raised.

16. We, therefore, hold that the courts at the place where the wife takes shelter after leaving or driven away from the matrimonial home on account of acts of cruelty committed by the husband or his relatives, would, dependent on the factual situation, also have jurisdiction to entertain a complaint alleging commission of offences under Section 498A of the Indian Penal Code."

30- अतः उपरोक्त वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्णित विधि व्यवस्था से यह स्पष्ट है कि यह न्यायालय इस वाद के संबंध में अधिकार क्षेत्र रखता है, यद्यपि उत्पीड़न से जुड़ी कथित घटनाएं जिला आगरा में हुई थी क्योंकि वादिया आगरा में घटी उत्पीड़न की कथित घटनाओं के बाद कासगंज में अपने मायके में रहने आ गई थी ।

31- एक आपराधिक मामले में यह आवश्यक है कि अभियोजन पक्ष आरोपी के अपराध को उचित संदेह से परे साबित करे हालांकि यह पूर्णतः अभियोजन पक्ष के अधिकार क्षेत्र का विषय है कि कि अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए कितने गवाह या सबूत प्रस्तुत किए जावे । उपयुक्त मामलों में एक गवाह भी आरोपी के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त हो सकता है, उस उद्देश्य के लिए उस गवाह की गवाही विश्वसनीय और सुसंगत होनी चाहिए जो उचित संदेह से परे आरोपी के अपराध को सिद्ध करे ।

32- प्रस्तुत मामले में प्रथम साक्षी स्वयं वादियां शबाना है । साक्षी पी०डब्ल्यू०-1 शबाना द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा अंतर्गत धारा 244 द०प्र०सं० में अभियुक्त गण द्वारा की गई मारपीट या उत्पीड़न की घटना की तिथियों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है । शबाना द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में किसी भी अभियुक्त

गण द्वारा कारित किसी घटना विशेष का जिक्र नहीं किया गया है । शबाना ने सभी अभियुक्तगण पर सामान्य प्रवृत्ति के आरोप लगाए हैं ।

33- साक्षी शबाना ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है "अभियुक्तगण उपरोक्त कम दहेज लाने का ताना देते थे। खाने कपड़े से परेशान करते थे तथा मारपीट करते थे तथा अतिरिक्त दहेज में अभियुक्तगण एक मकान आगरा में अथवा एक फ्लैट आगरा में लेने की मांग करते थे।" यह सभी आरोप सामान्य प्रवृत्ति के हैं जो कि सभी अभियुक्तगण पर समान रूप से आरोपित किए गए हैं । साक्षी शबाना द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कहीं पर भी यह नहीं बताया गया है कि यदि उसके साथ मारपीट की गई तो वह किस प्रकार की गई और उसे खाने और कपड़े से किस प्रकार परेशान किया गया ।

34- यदि किसी स्त्री का उत्पीड़न उसके ससुराल में किया जाता है तो निश्चित रूप से वह उत्पीड़न बहुत सी घटनाओं का परिणाम होगा एवं उनमें से कुछ घटनाएं ऐसी जरूर होंगी जो पीड़िता को याद रही होंगी, पर अपनी गवाही में शबाना द्वारा ऐसी किसी भी घटना का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया, इससे निश्चित रूप से अभियोजन पक्ष कमजोर होता है ।

35- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Kahkashan Kausar @ Sonam v. State of Bihar, 2022 SCC OnLine SC 162 में निम्न विधि व्यवस्था पारित की गई:

"18. ... this court has at numerous instances expressed concern over the misuse of section 498A IPC and the increased tendency of implicating relatives of the husband in matrimonial disputes, without analysing the long term ramifications of a trial on the complainant as well as the accused. It is further manifest from the said judgments that false implication by way of general omnibus allegations made in the course of matrimonial dispute, if left unchecked would result in misuse of the process of law."

36- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त विधि व्यवस्था से यह स्पष्ट होता है कि यदि धारा 498A भारतीय दंड संहिता से संबंधित किसी वाद में पति के संबंधियों पर लगाए गए आरोप सामान्य प्रवृत्ति के हैं तो उन संबंधियों को उस वाद में तलब नहीं किया जाना चाहिए । इसी प्रकार निर्णय के स्तर पर भी यह देखा जाना जरूरी है कि अभियुक्त गण पर लगाए गए आरोप सामान्य प्रवृत्ति के हैं या उनके विरुद्ध उत्पीड़न से संबंधित कुछ घटनाएं

भी उल्लेखित की गई हैं । इस वाद में पीड़िता शबाना द्वारा अपने ससुराल में रहते हुए अपने उत्पीड़न से संबंधित किसी भी ऐसी घटना का जिक्र नहीं किया गया है जो उसके पति नदीम या सास -ससुर द्वारा कारित की गई हो और इससे अभियोजन पक्ष की सत्यवादिता प्रश्न उठता है ।

37- पीड़िता शबाना द्वारा उल्लेखित की गई एकमात्र घटना जो उत्पीड़न की श्रेणी में आती है यह है कि पीड़िता को गर्भवती अवस्था में अभियुक्त गण द्वारा मार पीट कर घर से निकाल दिया गया । पीड़िता द्वारा अपनी गवाही अंतर्गत धारा 244 में यह कथन किया गया "अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर अभियुक्तगण उपरोक्त ने माह अगस्त वर्ष 2013 में गर्भवती हालत में मारपीट कर घर से निकाल दिया" । किसी को मारपीट कर घर से निकालने के लिए एक न्यूनतम बल का प्रयोग निश्चित रूप से किया गया होगा, पर यहां पर भी पीड़िता द्वारा यह नहीं बताया गया कि यदि उसे मारा गया तो उसे किसने मारा और किस प्रकार से मारा ।

38- पीड़िता शबाना द्वारा किसी ऐसे साक्षी को भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसने अभियुक्त गण द्वारा पीड़िता को मारपीट कर घर से निकालते हुए देखा हो ।

39- पीड़िता शबाना द्वारा अपनी प्रति परीक्षा अंतर्गत धारा 246 में भी यह स्वीकार किया गया कि आगरा में उसके साथ मारपीट की गई इसका उसके पास कोई गवाह नहीं है । अपनी प्रति परीक्षा में पीड़िता शबाना द्वारा यह भी कथित किया गया "मैं किसी ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं बता सकती जिसके सामने घर की मांग की गई हो" इससे पुनः अभियोजन का पक्ष कमजोर होता है ।

40- अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत दूसरा गवाह पी0 डब्ल्यू0-2 मौहम्मद जाहिद है, जो कि पीड़िता शबाना का सगा भाई है । परंतु जाहिद द्वारा अपने साक्ष्य में कहीं भी यह कथित नहीं किया गया कि वह पीड़िता शबाना के साथ घटित किसी भी उत्पीड़न की घटना या अभियुक्तगण द्वारा दहेज हेतु की गयी मांग का चक्षुदर्शी है । अपितु मोहम्मद जाहिद द्वारा अपनी प्रति परीक्षा में यह स्वीकार किया गया कि दहेज की मांग उसके समक्ष नहीं की गई थी । अपनी प्रति परीक्षा में मोहम्मद जाहिद द्वारा कथित किया गया है "नदीम ने जो भी मांग की वो सब आगरा में की। मेरे घर पर आकर कभी नहीं मांगा। नदीम ने अपने घरवालों के सामने मांग की। मेरे घर वालों के सामने नहीं की। मैं किसी ऐसे गवाह का नाम नहीं बता सकता जिसके सामने नदीम ने दहेज की मांग की थी, क्योंकि मैं वहां मौजूद नहीं था। शबाना के घर आने पर उसके बताने पर पता चला कि उसके ससुरालवाले दहेज की मांग करते हैं और परेशान करते हैं। शबाना की बात

पर यकीन हो गया कि उसे परेशानी है।" इससे स्पष्ट होता है कि मोहम्मद जाहिद का साक्ष्य अनुश्रुत साक्ष्य की श्रेणी में आया एवं मोहम्मद जाहिद वाद में वर्णित घटनाओं के प्रत्यक्ष साक्षी नहीं है। अतः मोहम्मद जाहिद के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त गण को दोषी करार नहीं दिया जा सकता।

41- साक्षी पी0 डब्ल्यू0-1 श्रीमती शबाना एवं साक्षी पी0 डब्ल्यू0-2 मौहम्मद जाहिद के साक्ष्य का अवलोकन करने से दोनों के साक्ष्य में एक बड़ी विसंगति सामने आती है। साक्षी पी0 डब्ल्यू0-1 श्रीमती शबाना द्वारा मुख्य परीक्षा में यह कथित किया गया "अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर अभियुक्तगण उपरोक्त ने माह अगस्त वर्ष 2013 में गर्भवती हालत में मारपीट कर घर से निकाल दिया"; पर साक्षी पी0 डब्ल्यू0-2 मौहम्मद जाहिद द्वारा मुख्य परीक्षा में यह कथित किया गया "फोन शबाना का आया था कहा था फोन पर कि उसे खाने-पीने से रोकते हैं और परेशान कर रहे थे। मुझे बुलाकर ले जाओ वरना मार देंगे। फिर मैं बुलाने गया था। शबाना मुझे देखकर चिपट कर रोने लगी और कहा मुझे घर ले चलो, ये लोग मुझे बहुत परेशान रखते हैं। फिर मैं शबाना को अपने साथ बुला लाया। मैं अगस्त माह सन 2013 में मैं अपने साथ उसे बुला लाया"। साक्षी पी0 डब्ल्यू0-1 श्रीमती शबाना का कहना है कि उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया गया, पर साक्षी पी0 डब्ल्यू0-2 मौहम्मद जाहिद का कहना है कि वह शबाना को बुलाकर उसके मायके लाए थे। दोनों साक्षियों के बयान की यह विसंगति निश्चित रूप से अभियोजन के पक्ष को कमजोर करती है एवं अभियोजन पक्ष की सत्यवादिता पर गंभीर प्रश्न खड़े करती हैं।

42- उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त गण पर लगाए गए आरोप सामान्य प्रवृत्ति के हैं एवं उन आरोपों को सिद्ध करने हेतु जरूरी घटनाओं का जिक्र पीड़िता शबाना द्वारा अपने साक्ष्य में नहीं किया गया है जिससे कि उनका घटनाओं के घटित होने पर संदेह उत्पन्न होता है। यह भी स्पष्ट है कि पी0 डब्ल्यू0-2 मौहम्मद जाहिद वादिया के साथ घटित किसी भी उत्पीड़न की घटना या अभियुक्त गण के द्वारा की गई किसी भी दहेज की मांग का चक्षुदर्शी नहीं है जिससे कि उसका साक्ष्य अभियुक्त गण को दोषी करार देने हेतु उपयोग नहीं किया जा सकता। पीड़िता शबाना द्वारा उत्पीड़न की एकमात्र विशिष्ट घटना यह वर्णित की गई कि उसे मारपीट कर गर्भवती अवस्था में घर से निकाल दिया गया पर पी0 डब्ल्यू0-2 मौहम्मद जाहिद द्वारा अपने साक्ष्य में यह कथित किया गया कि वह वह पीड़िता को ससुराल से बुला कर लेकर गया था, जिससे कि पीड़िता द्वारा वर्णित इस घटना की सत्यवादिता पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं।

43- माननीय उच्चतम न्यायालय ने विजयी सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1990 एआईआर 1459, 1990 एससीआर (2) 573, में अभियोजन के सबूत के भार के सम्बन्ध में यह विधि व्यवस्था दी

है कि अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय की उक्त विधि व्यवस्था के संगत प्रस्तर निम्नवत् उद्धृत हैं-

"It will be useful to refer to some of the passages from the text books of outstanding authors on evidence and then proceed to consider the ratio laid down by the Supreme Court cases on this aspect. In Phipson on Evidence, 13th edn. page 44, a passage reads as follows:

"The burden is upon the prosecution of proving a defendant's guilt beyond reasonable doubt before he is convicted. Even where the evidential burden shifts to the defendant the burden of establishing proof beyond reasonable doubt remains upon the prosecution and never changes. If on the whole case the jury have such a doubt the defendant is entitled to be acquitted."

Another passage at page 48 reads as follows:' "In criminal cases the prosecution discharge their evidential burden by adducing sufficient evidence to raise a prima facie case against the accused. If no evidence is called for the defence the tribunal of fact must decide whether the prosecution has succeeded in discharging its persuasive burden by proving its case beyond a reasonable doubt. In the absence of any defence evidence, the chances that the prosecution has so succeeded far greater. Hence the accused may be said to be under an evidential burden if the prosecution has established a prima facie case. Discharge of the evidential burden by defence is not a pre-requisite to an acquittal. The accused is entitled to be acquitted if at the end of and on the whole of the case, there is a reasonable doubt created by the evidence given by either the prosecution or the prisonerNo matter what the charge the principle that the prosecution must prove the guilt of the prisoner is part of the common law of England and no attempt to whittle it down can be entertained."

44- उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में जो मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य दाखिल किये गये हैं, उसके आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई भी आरोप संदेह से परे साबित नहीं होता है। अतः साक्ष्य के अभाव में अभियुक्तगण 1.मौहम्मद नदीम पुत्र अब्दुल सलाम 2. अब्दुल सलाम पुत्र हफीज ठेकेदार 3.श्रीमती नगीना पत्नी अब्दुल सलाम दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं।

आदेश

45- अभियुक्तगण 1. मौहम्मद नदीम पुत्र अब्दुल सलाम 2. अब्दुल सलाम पुत्र हफीज ठेकेदार 3.श्रीमती नगीना पत्नी अब्दुल सलाम को धारा 498A भारतीय दंड संहिता के आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं, उनके व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

46- अभियुक्तगण द्वारा धारा-437 ए दं० प्र० सं० के अनुपालन में दाखिल किये गये व्यक्तिगत बंधपत्र व प्रतिभू निर्णय की तिथि से छः माह तक प्रभावी रहेंगे।

(अवनीश कुमार)

दिनांक: 14.07.2022

सिविल जज(जू०डि०)/
जे०एम०/एफ०टी०सी०,
कासगंज।

47- आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवनीश कुमार)

दिनांक: 14.07.2022

सिविल जज(जू०डि०)/
जे०एम०/एफ०टी०सी०,
कासगंज।

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०/एफ०टी०सी०, कासगंज।

उपस्थित: अवनीश कुमार (उ०प्र०न्यायिक सेवा),

JO Code-UP3571

दाण्डिक वाद सं०-128/2021

कम्प्यूटर संख्या-3113/2019

CNRNo.UPKR0400106432019

राज्य

बनाम

1- ज्ञान सिंह वर्मा पुत्र खमाई
निवासी ग्राम श्यामपुर, थाना मिरहची
जनपद एटा।

2- रघुवीर पुत्र सुख सिंह
मुहल्ला मोहन, म०नं० 82 P.B.सक्सेना,

कस्बा व थाना कासगंज, जिला एटा,

असल वसिन्दा नगला कोठी, थाना

गंजडुण्डवारा, जिला एटा।

अपराध सं०-707/1989

धारा-415, 420, 468, 120B

भा०दं०सं०

थाना-कासगंज, जनपद-कासगंज।

निर्णय

1- यह आरोप पत्र अभियुक्तगण ज्ञान सिंह एवं रघुवीर के विरुद्ध धारा -420, 467, 468, 170 भा०दं०सं०, थाना कासगंज द्वारा प्रेषित किया गया, जिसका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया गया है।

2- संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि आज से पूर्व 5 अगस्त 1989 को कासगंज मौहल्ला मोहन गली जौरा भौरा स्थित मकान मास्टर ज्ञान सिंह वर्मा के यहां माननीय भू०पूर्व मुख्यमंत्री श्री रामनरेश यादव का आगमन हुआ था, जिसमें हम प्रार्थीगण अपनी निम्न समस्याओं को लेकर आये तथा मास्टर ज्ञान सिंह वर्मा ने हमें अनुग्रहीत कर अपने निवास स्थान पर बुलाया और पूर्ण आश्वासन दिया कि मैं आपकी समस्याओं को यादव जी से सुलझाने की कोशिश करूंगा। आप लोग निराश न हों। इसके बाद हम प्रार्थीगणों को एक बराबर वाले कमरे में बैठने को कहा। हम प्रार्थीगण कमरे में बैठ गये। काफी प्रतीक्षा करने के उपरान्त श्री ज्ञान सिंह वर्मा अनपे नजदीकी साथी रघुवीर सिंह को लेकर कमरे में आये और कहने लगे कि इनसे मिलिये, आप हैं माननीय यादव जी के सचिव हैं, मगर हम प्रार्थीगण ने उक्त रघुवीर सिंह वर्मा को पहले कभी नहीं देखा था, मास्टर ज्ञान सिंह वर्मा ने हम प्रार्थीगणों से कहा कि आप अपनी समस्याएं इन्हें बतायें। यह यादव जी के बहुत नजदीक हैं, आपका कार्य यह व्यक्तिगत बात करके आपको सफलता प्राप्त करा देंगे। हम

प्रार्थीगण ने उक्त सचिव को अपनी समस्याओं से पूर्ण रूप से अवगत कराया। उक्त सचिव ने मास्टर ज्ञान सिंह वर्मा से नजरें मिलाते हुए कहा कि आज के दौर खाली प्रार्थनापत्रों से कार्य नहीं होता, मास्टर साहब इसके लिए सुविधा शुल्क भी जरूरी है। मास्टर ज्ञान सिंह ने उनके जवाब में कहा कि आप चिन्ता न करें, वो सब हो जायेगा। आप इनका काम यादव जी से कराने की कृपा करें। उक्त सचिव रघुवीर सिंह ने कहा कि मास्टर साहब उक्त प्रार्थीगणों को लेकर लखनऊ आ जायें। हम प्रार्थीगण मास्टर ज्ञान सिंह के साथ लखनऊ रवाना हो गये, जब हम प्रार्थीगण माननीय भूतपर्व मुख्यमंत्री श्री रामनरेश यादव के निवास स्थान पर पहुंचे तो उक्त सचिव रघुवीर सिंह वहाँ विराजमान थे तथा यादव जी के सुपुत्र कमलेश, उन्हीं के नजदीक बैठे थे तो उक्त सचिव ने हम प्रार्थीगणों से यादव जी के सुपुत्र से परिचय कराया। कहा कि आपका काम यही करायेंगे और मास्टर ज्ञान सिंह वर्मा को उक्त सचिव एकान्त स्थान पर ले गये और उनसे गुपचुप वारतालाप की। मास्टर ज्ञान सिंह वर्मा ने प्रार्थीगणों से कहा कि आप अपनी योग्यता के आधार पर अपना चयन करा लें, जिसका सुविधा शुल्क निम्न-2 हैं। हम प्रार्थीगणों ने आवास विकास में सुपरवाइजर के पद के लिए कहा कि तो मास्टर ज्ञान सिंह वर्मा ने 16,000-16,000 हजार रुपये देने को कहा तथा एक-दो माह का आश्वासन दिया। हम प्रार्थीगणों ने मास्टर ज्ञान सिंह वर्मा के आदेश पर उक्त सचिव रघुवीर सिंह तथा कमलेश यादव के हाथ में तीन किस्तों में पूर्ण पैसा अदा कर दिया। फिर हम प्रार्थीगण दो माह प्रतीक्षा करने के बाद मास्टर ज्ञान सिंह वर्मा से मिल कि अभी हमारा नियुक्ति पत्र नहीं आया है तो उन्होंने 15 दिन का आश्वासन देकर टाल दिया। उसके उपरान्त मुझ प्रार्थी को एक रामनरेश यादव का लेटर पेड दिया और कहा कि आप इसे लेकर मुख्य अभियन्ता, आवास विकास परिषद आगरा को दे दे, आपका कार्य हो जायेगा। यह लेटर श्री यादव जी ने ही लिखा है, जो कि फर्जी था। प्रार्थीगण आज तक दर-दर फिर रहे हैं, मगर हमें नातो पैसा ही वापिस मिला है और नहीं नौकरी मिल रही है। पैसा मांगने पर उक्त सचिव रघुवीर सिंह, कमलेश यादव व मास्टर ज्ञान सिंह द्वारा हम प्रार्थीगणों को झूठे मुकदमे में फंसाने तथा जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। श्रीमान् जी से अनुरोध है कि उक्त अपेक्षापूर्ण लोगों से हम प्रार्थीगण को न्याय दिलायें तथा पैसा दिलायें, अन्यथा हम प्रार्थीगण अनिश्चित धरना सत्तारूढ़ पार्टी व रामनरेश यादव, भू०पू० मुख्यमंत्री जी के विरोध में हमें बाध्य होना पड़ेगा तथा उक्त विपक्षीगणों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जावे तथा हमारी रिपोर्ट दर्ज की जावे। धन्यवाद।

3- उक्त तहरीर के आधार पर दिनांक-22.11.1989 को समय 19.45 बजे, सम्बन्धित थाना कासगंज पर अभियुक्तगण ज्ञान सिंह वर्मा, रघुवीर सिंह, कमलेश यादव के विरुद्ध अपराध सं० - 707/1989 अन्तर्गत धारा-161, 162, 420, 467, 468, 120B भा०दं०सं० में पंजीकृत की गयी।

4- विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त दिनांक 04.04.1990 को आरोप पत्र अभियुक्तगण ज्ञान सिंह एवं रघुवीर के विरुद्ध अन्तर्गत धारा-420, 467, 468, 170 भा०दं०सं० न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किया गया।

5- अभियुक्तगण को न्यायालय द्वारा आहूत किया गया। बाद उपस्थिति अभियुक्तगण को सभी सम्बन्धित कागजात की नकलें प्रदान की गईं एवं अभियुक्तगण ज्ञान सिंह एवं रघुवीर के विरुद्ध अन्तर्गत धारा-415, 420, 468, 120B भा०दं०सं० में आरोप दिनांक 17.12.1996 को विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने लगाये गये आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

- 6- अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथनाक को साबित करने हेतु पी०डब्लू०-1 देवेश गौतम को परीक्षित कराया गया है। अभियोजन की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य में प्रथम सूचना रिपोर्ट, नकल तहरीर, नक्शानजरी, आरोप पत्र, जी०डी० कायमी मुकदमा तथा केस डायरी प्रस्तुत किये गये हैं। बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन प्रपत्रों के निष्पादन की औपचारिकता सत्यता को स्वीकार किया गया।
- 7- अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा-313 दं० प्र० सं० लेखबद्ध किया गया। अभियुक्त ने मुकदमा झूठा बताया और सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया।
- 8- मैंने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उलपब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।
- 9- अभियुक्तगण पर आरोप है कि दिनांक 5 अगस्त 1989 को व स्थान मो० मोहन मकान ज्ञान सिंह, समय अज्ञात पर वादी देवेश गौतम से आपने नजदीकी साथी रघुवीर सिंह वर्मा को भू०पू० मुख्यमंत्री रामनरेश का सचिव बताकर, जब कि यह जानते हुए कि वह सचिव नहीं थे, आपने देवेश गौतम, राजू बाल्मिकी व सत्यभान से सुपरवाइजर के पद पर नौकरी लगवाने के बहाने धन प्राप्त करने हेतु मिथ्या प्रतिरूपण किया तथा नौकरी लगवाने का प्रलोभन देकर उनके साथ छल कारित किया एवं अभियुक्तगण ने आवास विकास मुख्य अभियन्ता के नाम फर्जी नियुक्ति पत्र कूटरचित किया गया तथा अभियुक्तगण आपराधिक षडयंत्र के अनुसरण में मिथ्या, प्रतिरूपण कर एवं कूटरचित दस्तावेज वादी देवेश व उसके भाई दिनेश, सत्यभान व राजू की नौकरी आवास विकास में सुपरवाइजर के पद पर लगाने हेतु प्रदान किये तथा उनसे अवैध रूप से उक्त धन प्राप्त किये।
- 10- अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गये साक्षी पी०डब्ल्यू० 1-देवेश गौतम पुत्र खेम चन्द्र गौतम द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया गया है कि "05.08.1989 को कासंगज मुहल्ला मोहन, गली जौहरा मौहरा में ज्ञान सिंह के यहाँ भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी रामनरेश यादव जी आये थे। मास्टर ज्ञान सिंह ने हम लोगों को अपने मकान पर बुलाया और कहा कि आप लोगों की समस्याओं को यादव जी से पूरा करवायेंगे। उस दिन मास्टर ज्ञान सिंह, रामनरेश यादव व रघुवीर सिंह जिन्हें मास्टर ज्ञान सिंह ने सचिव बताया था, उनके सामने सोफे पर सचिव की नेमप्लेट भी लगी थी, हम लोगों ने रघुवीर सिंह वर्मा को कभी नहीं देखा था। उस समय मेरे राजू, दिनेश साथ में थे। ज्ञान सिंह ने हम लोगों को आश्वासन दिलाया कि वो पूर्व मुख्यमंत्री के बहुत नजदीकी हैं। सचिव रघुवीर सिंह ने कहा कि इन लोगों को लेकर लखनऊ आओ। उस पर मैं व राजू, मास्टर ज्ञान सिंह के साथ लखनऊ गये थे। मुझसे ज्ञान सिंह व रघुवीर सिंह ने कहा था कि आवास विकास परिषद में सुपरवाइजर की नौकरी दिलवाऊंगा। इसके लिए 16,000 रुपये सुविधा शुल्क देने होंगे। उसके उपरान्त हम लोगों को भूतपूर्व मुख्यमंत्री की रामनरेश यादव की कोठी पर मुझसे 5,000/- रुपये सचिव रघुवीर सिंह वर्मा व मास्टर ज्ञान सिंह ने प्राप्त किये। उस समय मेरा भाई दिनेश भी मेरे साथ मौजूद था तथा वहां कमलेश यादव पुत्र श्री रामनरेश यादव भी मौजूद थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि तुम्हें नौकरी मिल जायेगी, उसके 8-10 दिन बाद कृष्णा लॉज लखनऊ में मास्टर ज्ञान सिंह ने मुझसे 5,000/- रुपये लेकर सचिव रघुवीर सिंह को दिये थे। फिर इसके करीब एक महीने बाद रघुवीर सिंह वर्मा मेरी दूकान रेलवे रोड पर आये तथा एक Call Letter नौकरी Join करने के लिए दिया था और कहा था कि आगरा जाकर

आवास विकास कार्यालय में जाकर अपनी नौकरी Join कर लो। इस लेटर देने के साथ मुझसे 6,000/- और लिये। यह लेटर मुझे शाम के समय मिला था, उस समय मेरा भाई दिनेश भी मौजूद था। दूसरे दिन सुबह मैं Call Letter लेकर आगरा आवास विकास कार्यालय पहुंचा तो वहां कार्यालय वालों ने कहा कि Call Letter फर्जी है। हमारे यहां कोई जगह नहीं है। तब मुझे पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि ज्ञान सिंह वर्मा, रघुवीर सिंह वर्मा तथा कमलेश यादव ने मेरे साथ धोखाधड़ी करके मुझसे 16,000/- रुपये ठग लिये हैं। मैंने घटना का प्रार्थनापत्र टाइप कराकर अपने व राजू व करन सिंह तथा सत्यभान सिंह के हस्ताक्षर कराकर थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु दी थी। गवाह ने रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की। पेपर नं०-4 अ/4 लगात 5 पर प्रदर्श क-1 डाला गया। मेरे अलावा इन लोगों ने राजू, सत्यभान व करन सिंह से धोखाधड़ी करके नौकरी लगाने के रुपये ठग लिये।

11- प्रस्तुत मामले में अभियोजन द्वारा केवल एक ही गवाह पी०डब्ल्यू०-1 देवेश गौतम को परीक्षित कराया गया है। देवेश गौतम द्वारा अपनी गवाही में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब वह रघुवीर सिंह वर्मा से मास्टर ज्ञान सिंह के माध्यम से मिले तो उनके साथ राजू व दिनेश थे, पर अभियोजन द्वारा राजू या दिनेश को गवाह के रूप में परीक्षित नहीं कराया गया है।

12- पी०डब्ल्यू०-1 देवेश गौतम द्वारा अपनी गवाही में यह भी कहा गया है कि जब वो लखनऊ गये थे, तब राजू उनके साथ था और जब भूतपर्व मुख्यमंत्री रामनरेश की कोठी पर उन्होंने 5,000/- रुपये सचिव रघुवीर सिंह वर्मा एवं मास्टर ज्ञान सिंह को दिये थे, उस समय उनका भाई दिनेश भी उनके साथ था, पर यहाँ पर भी अभियोजन द्वारा राजू या दिनेश की गवाही नहीं करायी गयी।

13- जब कथित घटना के समय कोई चक्षुदर्शी साक्षी मौजूद था तो अभियोजन की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह उन चक्षुदर्शी साक्षियों का बयान करावे, पर प्रस्तुत पत्रावली में केवल पीड़ित देवेश गौतम का ही बयान कराया गया है। पीड़ित देवेश गौतम का भाई दिनेश भी कथित घटना के समय मौजूद था, पर उसका बयान भी अभियोजन द्वारा नहीं कराया गया है। निश्चित रूप से राजू और दिनेश के बयान नहीं कराये जाने से यहाँ अभियोजन का संस्करण कमजोर होता है और उसमें समग्रता की कमी महसूस होती है।

14- पी०डब्ल्यू०-1 देवेश गौतम के द्वारा अपनी गवाही में यह भी कहा गया है कि रघुवीर सिंह वर्मा उसकी दूकान पर आये और उन्होंने एक Call Letter नौकरी Join करने के लिए दिया और कहा कि आगरा जाकर आवास विकास कार्यालय में नौकरी Join कर लीजिए और उस समय उसका भाई दिनेश भी मौजूद था। पुनः यहाँ पर यह आवश्यक था कि दिनेश की गवाही करायी जाए तथा एक और तथ्य यहाँ पर जो गौर करने योग्य है, वह यह है कि पत्रावली में अभियोजन द्वारा कहीं पर भी तथाकथित Call Letter या उसकी कोई प्रति दाखिल नहीं की गयी, जो पुनः अभियोजन संस्करण को कमजोर करता है।

15- किसी भी मामले में अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि अभियोजन का संस्करण समग्रता में मामले को दोषसिद्धि की ओर ले जाता हो और अभियोजन के संस्करण में धारा प्रवाह निरंतर हो। यह धारा प्रवाह एवं निरन्तरता लाने हेतु साक्षियों की कोई विशेष संख्या होना आवश्यक नहीं है, अपितु कई बार एक साक्षी से भी वह समग्रता एवं निरंतरता प्राप्त हो सकती है और कई बार बहुत से साक्षियों के परीक्षण के बाद भी वह समग्रता एवं निरंतरता प्राप्त नहीं हो पाती। प्रस्तुत मामले में केवल साक्षी

पी०डब्ल्यू०-1 देवेश गौतम के बयान के आधार पर वह समग्रता और निरंतरता प्राप्त नहीं होती है।

16- उपर्युक्त सम्प्रेक्षण से अभियोजन की ओर से अपने संस्करण के समर्थन में परीक्षित कराये गये साक्षी द्वारा दिये गये साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई आरोप संदेह से परे साबित नहीं होता है। अतः अभियुक्तगण साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

17- अभियुक्तगण ज्ञान सिंह वर्मा एवं रघुवीर को अन्तर्गत धारा-415, 420, 468, 120B भा०दं०सं० के आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं, उनके व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

18- अभियुक्तगण द्वारा धारा-437 ए दं० प्र० सं० के अनुपालन में दाखिल किये गये व्यक्तिगत बंधपत्र व प्रतिभू निर्णय की तिथि से छः माह तक प्रभावी रहेंगे।

(अवनीश कुमार)

दिनांक: 13.1.2023

सिविल जज(जू०डि०)/
जे०एम०/एफ०टी०सी०,
कासगंज।

19- आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवनीश कुमार)

दिनांक: 13.01.2023

सिविल जज(जू०डि०)/
जे०एम०/एफ०टी०सी०,
कासगंज।

Witness Hostile

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०/एफ०टी०सी०, कासगंज।

उपस्थित: अवनीश कुमार (उ०प्र०न्यायिक सेवा),

JO Code-UP3571

दाण्डिक वाद सं०- 830/2020

कम्प्यूटर संख्या-1687/2018

CNRNo.UPKR040052902018

राज्य	बनाम	
		1- योगेश पुत्र सौदान सिंह निवासी- ग्राम नमैनी, थाना व जनपद कासगंज धारा-452,354 भा०दं०सं० अपराध सं०-441/2018 थाना-कासगंज, जनपद-कासगंज।

निर्णय

- 1- यह आरोप पत्र अभियक्त योगेश के विरुद्ध धारा-452,354 भा०दं०सं० थाना कासगंज द्वारा प्रेषित किया गया, जिसका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया गया है।
- 2- संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थिया आशा देवी पत्नी संतोष कुमार निवासी नमैनी थाना कासगंज की रहने वाली है। प्रार्थिया के पति के पास चार वीघा जमीन है जिसके सहारे वह अपनी 21 साल की एक बेटी तथा दूसरी 14 साल की बेटी तथा दो बेटों के साथ रहकर वमुश्किल अपनी गुजर बसर कर रही है। प्रार्थिया के पति तता एक लड़का विकलांग हैं। योगेश पुत्र सौदान सिंह उम्र लगभग 26 साल हमारी गली में रहता है, योगेश 06.07.2018 की मध्य रात्रि लगभग बारह तथा साढ़े बारह बजे के करीब हमारे घर की दीवार फाँदकर घर में मेरी बेइज्जती तथा जान से मारने के इरादे से आया लेकिन योगेश मुझे और मेरे पति को धक्का देकर भागने लगा। शोर सुनकर दूसरे मकान में सो रहा मेरा लड़का जब मेरे घर में आया तब मेरे लड़के ने दरवाजे पर बदमाश को रोकने की कोशिश की लेकिन वह बदमाश मुझे और मेरे लड़के को धक्का देकर भाग गया। इसके बाद मैंने 100 नम्बर पर फोन लगाकर इत्तला दे दी।
- 3- उक्त तहरीर के आधार पर दिनांक-11.06.2018 को समय 18.57 बजे, सम्बन्धित थाना कासगंज पर अभियक्त योगेश के विरुद्ध अपराध सं०-441/2018 अन्तर्गत धारा-452,354 भा०दं०सं० में पंजीकृत की गयी।
- 4- विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त अभियक्त योगेश के विरुद्ध दिनांक 14.08.2018 को आरोप पत्र

अन्तर्गत धारा- 452,354 भा०दं०सं० न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किया गया।

5- अभियक्त को न्यायालय द्वारा आहूत किया गया। बाद उपस्थिति अभियक्त को सभी सम्बन्धित कागजात की नकलें प्रदान की गईं एवं उनके विरुद्ध आरोप दिनांक 12.03.2019 को अन्तर्गत धारा- 452,354 भा०दं०सं० में विरचित किया गया। अभियक्त ने लगाये गये आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

6- अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डब्लू०-1 श्रीमती आशा देवी एवं पी०डब्ल्यू०-2 सन्तोष को परीक्षित कराया गया है। अभियोजन की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य में प्रथम सूचना रिपोर्ट, नकल तहरीर, नक्शानजरी, आरोप पत्र, जी०डी० कायमी मुकदमा तथा केस डायरी प्रस्तुत किये गये हैं। बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन प्रपत्रों के निष्पादन की औपचारिकता सत्यता को स्वीकार किया गया।

7- अभियक्त का बयान अन्तर्गत धारा-313 दं० प्र० सं० लेखबद्ध किया गया। अभियक्त ने मुकदमा झूठा व रंजिशन चलाना बताया और सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया।

8- मैंने अभियक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उलपब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

9- अभियक्त पर आरोप है कि दिनांक 06.07.2018 को समय रात्रि लगभग 12.00 बजे तथा 12.30 बजे, वहद स्थान घर वादिनी मुकदमा आशा देवी, ग्राम नमैनी, अन्तर्गत थानाक्षेत्र कासगंज, जनपद कासगंज में आप वादिनी मुकदमा सीमा के घर में घुसकर गृह अतिचार कारित किया एवं वादिनी मुकदमा के साथ बेईज्जती करके स्त्री लज्जा भंग की।

10- अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गये साक्षी पी०डब्ल्यू० 1-श्रीमती आशा देवी द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया गया है कि "योगेश ने मेरे साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की और ना ही वो मेरे घर में घुसा। योगेश मेरे गांव का रहने वाला है। गांव वालों के कहने से पार्टीबन्दी के कारण एक सादे कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिये थे। मैं पढ़ी-लिखी नहीं हूँ, उस पर क्या लिखा गया, मुझे जानकारी नहीं है। जज साहब ने मेरे कोई बयान नहीं लिये थे। पुलिस को मैंने योगेश से सम्बन्धित कोई बात नहीं बतायी थी।"

11- अभियोजन कथानक का समर्थन न किये जाने के कारण इस साक्षी को अभियोजन पक्ष की प्रार्थना पर पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया। इस साक्षी से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि "मैं पढ़ी-लिखी नहीं हूँ। यह कहना गलत है कि मैंने योगेश के खिलाफ घर में घुसरने व छेड़खानी से सम्बन्धित शिकायतकी थी और ना ही मैंने दरोगा जी को योगेश के खिलाफ शिकायत की थी। यह कहना गलत है कि जज साहब के सामने मैंने कोई बयान दिये हों। यह कहना गलत है कि मैं योगेश को बचाने के लि सही बात न बता रही हूँ। मैं आज योगेश के साथ नहीं आई हूँ। गवाह को 161 सी-आर.पी.सी. के बयान पढ़कर सुनाये गये। गवाह ने पुनः इन्कार किया कि दरोगा जी को कोई बयान नहीं दिये थे। यह कहना गलत है कि मैं किसी डर व दबाव के कारण सही बात न बता रही हूँ। गवाह को पत्रावली में संलग्न कागज सं०-5 अ/3 पढ़कर सुनाया गया एवं दिखाया गया तो गवाह ने कहा कागज सं०-5 अ/3 पर मेरे ही हस्ताक्षर हैं। जो घटना के समय सादे कागज पर किये थे।

बाद में उसमें क्या लिखा गया, कोई जानकारी नहीं। गवाह ने केवल हस्ताक्षर की पहचान की, जिस पर प्रदर्शक-1 डाला गया। ”

12- इस साक्षी से बचावपक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि ” यह कहना सही है कि हाजिर अदालत मुल्जिम योगेश ने कोई छेड़छाड़ नहीं की थी और ना ही घर में घुसे थे। यह कहना भी सही है कि पुलिस के किसी व्यक्ति ने मेरे बयान नहीं लिये थे। जज साहब ने मेरे बयान नहीं लिये थे। यह कहना सही है कि सादे कागज पर मेरे हस्ताक्षर करवा लिये थे, क्या लिखा था, की मुझे जानकारी नहीं है। ”

13- इस प्रकार इस साक्षी द्वारा अभियोजन के कथानक का समर्थन नहीं किया गया है तथा न ही अभियोजन द्वारा इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में कोई ऐसा तथ्य आया है, जिससे अभियोजन के कथन को कोई बल मिलता हो। अतः साक्षी पी०डब्ल्यू०-1 श्रीमती आशा देवी इस स्तर पर पक्षद्रोही साबित हुआ है।

14- साक्षी पी०डब्ल्यू०-2 द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया गया है कि ”मेरी पत्नी आशा देवी के साथ योगेश, जो मेरे गांव का ही रहने वाला है, मेरी पत्नी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की और मेरे घर में नहीं घुसा था। पुलिस को मैंने कोई बयान नहीं दिया था। ”

15- अभियोजन कथानक का समर्थन न किये जाने के कारण इस साक्षी को अभियोजन पक्ष की प्रार्थना पर पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया। इस साक्षी से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि ”गवाह को 161 सी-आर.पी.सी. का बयान पढ़कर सुनाया व समझाया। गवाह ने इकार किया और कहा कि दरोगा जी को कभी मैंने ऐसी बात नहीं बताई, अगर लिख ली है तो इसकी वजह नहीं बता सकता हूँ। यह कहना गलत है कि योगेश ने मेरी पत्नी आशा देवी के साथ कोई छेड़छाड़ की हो या घर में घुसकर छेड़छाड़ का प्रयास किया हो। गांव वालों के कहने से मेरी पत्नी आशा देवी ने एक सादे कागज पर हस्ताक्षर कर दिये थे, जिस पर बाद में मैंने नहीं देखा क्या लिखा गया, मुझे व मेरी पत्नी को कोई जानकारी नहीं है। यह कहना गलत है कि मेरी पत्नी ने थाने में योगेश के खिलाफ कोई शिकायत की हो। यह कहना गलत है कि योगेश के डर व लालच के कारण मैं सही बात न बता रहा हूँ। यह कहना सही है कि मेरी पत्नी आशा देवी व योगेश के बीच समझौता हो गया है, लेकिन समझौते के कारण सही बात छुपा (Hide) नहीं रहा हूँ। ”

16- इस साक्षी से बचावपक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि ” यह कहना सही है कि हाजिर अदालत मुल्जिमान योगेश ने मेरी पत्नी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। यह मेरा सच बयान है। घर में नहीं घुसे थे। ”

17- इस प्रकार इस साक्षी द्वारा अभियोजन के कथानक का समर्थन नहीं किया गया है तथा न ही अभियोजन द्वारा इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में कोई ऐसा तथ्य आया है, जिससे अभियोजन के कथन को कोई बल मिलता हो। अतः साक्षी पी०डब्ल्यू०-2 सन्तोष इस स्तर पर पक्षद्रोही साबित हुआ है।

18- माननीय उच्चतम न्यायालय ने विजयी सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1990 एआईआर 1459, 1990 एससीआर (2) 573, में अभियोजन के सबूत के भार के सम्बन्ध में यह विधि व्यवस्था दी है कि

अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय की उक्त विधि व्यवस्था के संगत प्रस्तर निम्नवत् उद्धृत हैं—

"It will be useful to refer to some of the passages from the text books of outstanding authors on evidence and then proceed to consider the ratio laid down by the Supreme Court cases on this aspect. In Phipson on Evidence, 13th edn. page 44, a passage reads as follows:

"The burden is upon the prosecution of proving a defendant's guilt beyond reasonable doubt before he is convicted. Even where the evidential burden shifts to the defendant the burden of establishing proof beyond reasonable doubt remains upon the prosecution and never changes. If on the whole case the jury have such a doubt the defendant is entitled to be acquitted."

Another passage at page 48 reads as follows:' "In criminal cases the prosecution discharge their evidential burden by adducing sufficient evidence to raise a prima facie case against the accused. If no evidence is called for the defence the tribunal of fact must decide whether the prosecution has succeeded in discharging its persuasive burden by proving its case beyond a reasonable doubt. In the absence of any defence evidence, the chances that the prosecution has so succeeded far greater. Hence the accused may be said to be under an evidential burden if the prosecution has established a prima facie case. Discharge of the evidential burden by defence is not a pre-requisite to an acquittal. The accused is entitled to be acquitted if at the end of and on the whole of the case, there is a reasonable doubt created by the evidence given by either the prosecution or the prisoner... No matter what the charge .. the principle that the prosecution must prove the guilt of the prisoner is part of the common law of England and no attempt to whittle it down can be entertained."

19- न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति में एक गवाह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और गवाह का बयान अदालत को सच्चाई पता लगाने में मदद करता है एक गवाह अदालत में मामले के विवादित तथ्यों या प्रासंगिक तथ्यों के बारे में बयान देता है, और अगर गवाह मुकर जाता है तो यह निश्चित रूप से गवाह की सत्यता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। इस मुकदमे में पी0 डब्ल्यू0-1 श्रीमती आशा देवी एवं पी0डब्ल्यू0-2 सन्तोष दोनों को पक्ष द्रोही घोषित किया गया है एवं दोनों ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया है, जिससे अभियोजन पक्ष निश्चित रूप से कमजोर हो गया है।

20- उपर्युक्त सम्प्रेक्षण के आधार पर अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में जो मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य दाखिल किया गया है, उसके आधार पर अभियक्त के विरुद्ध कोई भी आरोप संदेह से परे साबित नहीं होता है। अतः साक्ष्य के अभाव में अभियक्त योगेश दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं।

आदेश

21- अभियक्त योगेश को धारा- 452,354 भा०दं०सं० के आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जाता है। अभियक्त जमानत पर हैं, उनके व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

22- अभियक्त द्वारा धारा-437 ए दं० प्र० सं० के अनुपालन में दाखिल किये गये व्यक्तिगत बंधपत्र व प्रतिभू निर्णय की तिथि से छः माह तक प्रभावी रहेंगे।

दिनांक: 18.07.2022

(अवनीश कुमार)
सिविल जज(जू०डि०)/
जे०एम०/एफ०टी०सी०,
कासगंज।

23- आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक: 18.07.2022

(अवनीश कुमार)
सिविल जज(जू०डि०)/
जे०एम०/एफ०टी०सी०,
कासगंज।

Judgement NI Act

**IN THE COURT OF SHRI AVNEESH KUMAR,
LD. MM (NI) ACT, DWARKA COURTS, NEW DELHI**

CC No. 5002229/16
w/o Sh Gunjan Kaushik,
R/o Flat No 102, RZ-H-812,
Gali No 14, Raj Nagar, Part II,
Palam Colony New Delhi.....Complainant

vs.

Neeraj Awasthi,
R/o WZ-126, Gali No. 3
Raj Nagar, Part II Palam Colony
New Delhi Accused

Offence complained of : U/s 138, NIA. 1881
Date on which the complaint was instituted : 30.06.2016
Plea of the Accused : Pleaded not guilty
Date of Pronouncement of judgment : 10.12. 2019

JUDGMENT

- 1) The brief facts of the case as per the complaint are that the complainant was acquainted with the accused. The complainant and the wife of the accused were in the same business of selling ladies garments. In the month of April 2015 the accused gave a loan of Rs 2 lakh to the accused as the latter was in need.
- 2) The accused issued two cheques of Rs 1 lakh each (no. 039342 dated 27.04.2016 and no 039343 dated 22.04.2016) in favour of the complainant. When the cheques were presented they got dishonoured because of “insufficient funds”.
- 3) The complainant sent a legal demand notice dated 10.05.2016. The legal demand notice was duly served and the accused sent a reply to the notice and denied his liability. Thereafter the present complaint was filled by the complainant.
- 4) Prima facie, there was a case under Section 138 of NI Act as the ingredients of 138 NI Act were fulfilled. Therefore, summons were duly issued to the accused and notice was framed accordingly.

- 5) In the notice, the accused states that he gave the cheque in question to the complainant as security and though he took the loan of Rs 2 lakh from the complainant but he has repaid the amount, one lakh in cash and 1 lakh through check bearing number 043043 drawn on the oriental bank of commerce. Though the accused admitted his signature on the cheque but denied filling the other particulars.
- 6) Thereafter, the complainant adopted his pre-summoning evidence and he was cross examined as CW1 on 16.12.2017.
- 7) The CW1 accepted in his cross that there was a discrepancy in his two affidavits as in the first affidavit (CW1/1) he has stated that he granted the loan to the accused on the same date but in the second affidavit (CW1/X) he has stated that the loan to the accused was granted on various dates.
- 8) The CW1 further states that the fact of loan on the same day was inadvertently mentioned by his counsel, and this mistake was not specifically referred to in the second affidavit. The CW1 further states that he has not taken any receipt or other document for the loan granted to the accused.
- 9) The CW1 further states that the first time he extended the loan to the accused was on 03.01.2015. The witness was not able to tell the number of installments which he extended to the accused for the loan but he stated that it was from 03.01.2015 to April 2015.
- 10) The witness at this stage was confronted with a document which is the copy of the bank passbook of the accused (Mark CW1/D1), and the CW1 states that it is true that an amount of 1 lac was transferred to his account by the accused on 09.05.2015 by way of cheque no 43047 but the said money was transferred with regard to an earlier loan. The CW1 further states that he did not mention this fact of earlier transaction in his complaint.
- 11) The statement of accused under sec 313, CrPC was recorded on 15.02.2018. In his statement the accused states that his wife was not in ladies garment business. The accused further states that he took a loan of Rs 2 lakh from the complainant but he has repaid the amount. The accused further states that Rs one lakh was repaid by way of cheque and one lakh was paid by way of installments in cash. The accused further states that he only signed the cheques and filled the amount but the name and date was not filled by him. The accused further states that the cheques were given to the complainant by way of security and the

same is misused by the complainant. The accused admitted that he received the legal demand notice.

- 12) Thereafter, the accused led DE. Mr Rudal Sah was examined as DW1 who is record clerk, OBC Bank, Mahavir Enclave, Palam Branch. The DW1 brought the account statement of the accused from 07.02.2014 to 01.06.2016 (A/c is 11032191000701) which is shown as Ex DW1/B. The DW1 stated that there was an entry in the account statement of the accused showing a transfer of Rs one lakh through cheque no 43047 to the account of complainant on 09.05.2015 (at point A on page 2 on Ex DW1/B).
- 13) Final arguments were heard from both the parties on 16.10.2019.
- 14) It is submitted by Ld. Counsel for complainant that it was a case of friendly loan and the cheque was signed by accused and therefore the presumption was in favour of the complainant and it was for the accused to bring evidence to rebut the presumption. It is further argued by the learned counsel for the complainant that the accused has accepted in his notice u/s 251 CrPC and in his statement under sec 313, CrPC that he took a loan of Rs two lakh from the complainant and hence it was for the accused to prove that he had paid the loan.
- 15) It is further argued by the learned counsel for the complainant that though the accused has claimed that he has made the whole repayment but he has not placed on record any receipt for the money which he claimed to have paid by way of cash installments.
- 16) The learned counsel for the accused has argued that there was a discrepancy in the affidavits of the complainant as in the first affidavit the complainant has stated that he has granted the money on the same day but in the second affidavit the complainant has stated that the money to the accused was granted on various dates and hence this discrepancy raised doubts on the fact of the loan itself.
- 17) It is further argued by the learned counsel for the accused that the complainant has not referred to the reply of the accused to the legal demand notice in his complainant, which was very relevant for the this complaint which again shows that the complainant has filed a false complaint.
- 18) Appreciation of Evidence: Before proceeding further, it would be better to have a look at the relevant legal provisions:

Section 138 of the Negotiable Instruments Act provides that:

“Dishonour of cheque for insufficiency, etc., of funds in the account: Where any cheque drawn by a person on an account maintained by him with a banker for payment of any amount of money to another person from out of that account for the returned by the bank unpaid, either because of the amount of money standing to the credit of that account is insufficient to honour the cheque or that it exceeds the amount arranged to be paid from that account by an agreement made with that bank, such person shall be deemed to have committed an offence and shall, without prejudice to any other provisions of this Act, be punished with imprisonment for a term which may be extended to two years, or with fine which may extend to twice the amount of the cheque, or with both: Provided that nothing contained in this section shall apply unless:

(a) the cheque has been presented to the bank within a period of six months from the date on which it is drawn or within the period of its validity, whichever is earlier;

(b) the payee or the holder in due course of the cheque, as the case may be, makes a demand for the payment of the said amount of money by giving a notice in writing, to the drawer of the cheque, within thirty days of the receipt of information by him from the bank regarding the return of the cheque as unpaid; and

(c) the drawer of such cheque fails to make the payment of the said amount of money to the payee or, as the case may be, to the holder in due course of the cheque, within fifteen days of the receipt of the said notice. Explanation: For the purposes of this section, “debt or other liability” means a legally enforceable debt or other liability.

Further, Section 139 of the Negotiable Instruments Act provides that:

“Presumption in favour of holder – it shall be presumed, unless the contrary is proved, that the holder of a cheque received the cheque of the nature referred to in section 138 for the discharge, in whole or in part, of any debt or other liability”.

19)) It is true that in a normal criminal case, the burden to prove the case prima facie is upon the prosecution or complainant but under the negotiable Instrument Act, if the requirements of duly signed cheque, its dishonor and subsequent notice have been proved, then it is for the accused to prove that the cheque was not issued for discharging any liability/debt. It is

for the accused u/s 139 NI Act to prove that the cheque was not given for the discharge of any debt or other liability, and if no further evidences are led by the accused to discharge his burden then he would be convicted.

20) Moreover, if the defence of the accused is that he has already paid the amount of the loan then he would be required to bring necessary evidences and witnesses to prove his defence.

21) In the instance case some requirements of sec 138 NI Act are fulfilled i.e. a duly signed cheque, its dishonour (as returning memo is there), and legal demand notice are duly proved.

22) The learned counsel for the accused has referred to an anomaly in the two affidavits of the complainant and raised doubts about the fact of the loan but the accused has accepted in his notice u/s 251 CrPC and in his statement under sec 313, CrPC that he took a loan of Rs two lakh from the complainant, and therefore it was for the accused to adduce evidence to support his defence that he had repaid the amount of the loan.

23) Before coming to intricacies of evidence law, it would be better to have a look at provisions Indian Evidence Act 1872 (herein after IEA). It is provided by sec 101, IEA:

101. Burden of proof- whoever desires any court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts, must prove that those facts exist. When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person.

Further, it is provided by Section 102 IEA that

102. On whom burden of proof lies- the burden of proof in a suit or proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side.

24) Section 101 Indian Evidence Act refers to the burden of proving the whole case and Section 102 refers to the different stages a particular case. The burden under Section 102 IEA constantly shifts depending on the evidence and other circumstances. 25)

25) It was observed by Hon'ble Supreme Court of India in **Anil Rishi vs. Gurbaksh Singh**, Appeal (Civil) 2412 of 2006 [Dated 02/05/2006] wherein it has been held that:

“in terms of the said provision, the burden of proving the fact rests on the party who substantially asserts the affirmative issues and not the party who denies it. The said rule may not be universal in its application and there may be exception thereto”.

26) It has been remarked by the Hon'ble Supreme Court of India in the case of **Bir Singh vs. Mukesh Kumar**, Criminal Appeal Nos.230-231 of 2019 SLP (CRL) Nos.9334-35 of 2018 [Dated 06/02/2019],

“Section 139 (Negotiable Instruments Act 1881) Introduces an exception to the general rule as to the burden of proof and shifts the onus on the accused. The presumption under Section 139 NIA is a presumption of law as distinguished from presumption of facts”.

27) Section 138 NI Act lays that when the requirement of signed cheque and its dishonor have been proved by the complainant and payment is not made by the accused after serving of legal demand notice within 15 days, then, it would be for the accused to prove that he does not owe any legal liability. If the accused is able to prove the non existence of legal liability or debt, then, the burden again come out on the complainant to prove that such a liability existed.

28) In the present case, the complainant's initial burden has been discharged as the cheque has been dishonored, for which returning memo is there. Further, the signature on the cheque as well as the factum of loan have been admitted by the accused. The burden under Section 102, IEA has shifted to the accused to disprove the liability.

29) The accused has stated in his notice u/s 251 CrPC and in his statement under sec 313, CrPC that he has repaid the whole amount of loan i.e. 2 lakh. The accused has further stated in his notice u/s 251 CrPC and in his statement under sec 313, CrPC that he has repaid one lakh through cash installments and other one lakh by means of a cheque.

30) The DW1, the record keeper has submitted the bank statement of accused which is exhibited as Ex DW1/B (colly), and in the statement there is an specific entry which shows the Rs one lakh was transferred from the account of the accused to the account of the complainant by means of cheque no 43047 on 09-05-2015. The complainant has mentioned in her first affidavit that she granted the loan to the accused in April 2015 (para 2), and in her second affidavit she has mentioned that she granted the accused a loan of 2 lakh from January 2015

to April 2015; now despite the discrepancy it is clear that the loan was granted in April 2015 or till April 2015.

- 31) As per the account statement of the accused, the accused paid an amount of Rs one lakh to the complainant by way of cheque no 43047 on 09-05-2015, which was certainly after the date of the loan (April 2015), and here the accused has discharged his onus as far as payment of one lakh by way of cheque is concerned and as per section 102 of the Indian Evidence Act, the onus is again shifted to the complainant to prove that the payment of Rs one lakh was not made by the accused for discharge of the liability in question in this case.
- 32) The complainant in his cross has stated that this payment of Rs one lakh by way of cheque was made by the accused for repayment of an earlier loan but the complainant has not mentioned this fact in his complaint. The complainant has also not placed on record some document/receipt to prove this previous loan nor has he produced any witness to this effect. Therefore, the complainant has failed to discharge his onus and the accused has proved the repayment of Rs one lakh by way of cheque no 43047.
- 33) The accused has stated in his notice u/s 251 CrPC and in his statement under sec 313, CrPC that he has repaid the remaining one lakh Rupees in cash installments, but the accused has not placed on record some document/receipt to prove this payment by way of cash installments nor has he produced any witness to this effect.
- 34) Therefore, it stands proved that the accused has repaid an amount of Rs one lakh out of the total loan amount of two lakhs of the two cheques in question, but he has not repaid the remaining amount of one lakh as per the evidence submitted.
- 35) In view of the aforesaid discussion, the accused has cast sufficient doubts on the version of the complainant and the complainant could not prove the guilt of the accused beyond reasonable doubt therefore accused Neeraj Awasthi is hereby acquitted for the offence under section 138 NI Act.

This Judgment contains 13 pages. Every Page of this Judgment has been signed by me.

Announced in the open court on this day of 10th of December, 2019.

(AVNEESH KUMAR)
MM-05 (NI ACT)/DWARKA COURT

**IN THE COURT OF SHRI AVNEESH KUMAR,
LD. MM (NI) ACT, DWARKA COURTS, NEW DELHI**

CC No. 16534-2019 M/s Arkay Finance
B-1/114, Janak Puri, Delhi-110058
Through its attorney
Sh Brajesh Pandey s/o Sh Sudershan Pandey,
R/o A-62, Chander Vihar,
Delhi-110092

Vs.

Smt Shayra Bano w/o Sh Saleem,
R/o H.No-744, Gali No 12,
Khasra No 322, Near Mazar wali gali,
Nehru Vihar Karawal
Nagar Delhi-110094

Offence complained of : U/s 138, NIA. 1881
Date on which the complaint was instituted : 30.11.2015
Plea of the Accused : Pleaded not guilty
Date of Pronouncement of judgment : 23.12.2019

JUDGMENT

- 1) The brief facts of the case as per the complaint are that the complainant is carrying the business of finance. The accused approached the complainant along with her husband Salim in October 2011 for a loan to buy a two wheeler, and the complainant granted a loan of Rs 30,000/ to the accused. With this finance the accused purchased Bajaj Discover bike. Salim was the hirer and the accused was the guarantor, and the accused executed the loan agreement and some other documents in favour of the complainant and the accused undertook to pay the loan amount in case Salim were to fail to pay the loan.

- 2) When Salim failed to pay the loan amount, the accused issued a cheque no 886916 dated 17/09/2015 for a sum of Rs 31,000/ drawn on PNB in favour of the complainant but on presentation the said cheque got dishonoured with remark “kindly contact the drawer/drawee bank”.
- 3) Thereafter the complainant sent a legal demand notice dated 06/10/2015 to the accused. Despite the notice the accused did not pay the amount of the cheque and therefore the present case was filed by the complainant.
- 4) As there was sufficient material summons were duly issued and notice was accordingly framed u/s 251 Cr PC on 28.04.2017.
- 5) It is stated by the accused that she did not receive legal demand notice. The accused admitted her signature on the cheque. The accused denied filling the other particulars on the cheque. It is further stated by the accused that she did not owe any liability to the complainant as the cheque in question was given as security and she had already made the entire payment. It is further stated by the accused that the cheque was misused by the complainant.
- 6) On 13.07.2018, the AR of the complainant Sh Brajesh Pandey adopted his presuming evidence and cross was conducted on the same date. It is stated by the AR in his cross that the complainant company has not placed any license on record to show that it is licensed to disburse the loan. It is further stated by the AR that the loan was given in October 2011 by way of cheque. The AR admitted that the complainant has not filed the undertaking taken by the accused to repay the loan.
- 7) It is further stated by the AR that in para no 5 of the complainant the name “Pradeep” is mentioned by a clerical mistake. It is further stated by the AR that the company has not filed the statement of account of the accused in this case.
- 8) The AR admitted that the complainant company issued following receipts to the complainant for repayment of installments- Receipt no 1832 dated 30-11-2011 (for Rs 2200/, Ex CW1/D1), receipt no 1957 dated 05-01-2012 (for Rs 2150/, Ex CW1/D2), receipt no 1878 dated 30-01-2012 (for Rs 2200/, Ex CW1/D3), receipt no 2323 dated 12-03-2012 (for Rs 2200/, Ex CW1/D4), receipt no 2335 dated 27-03-2012 (for Rs 2200/, Ex CW1/D5), receipt

no 2902 dated 01-07-2012 (for Rs 2100/, Ex CW1/6), receipt no 2937 dated 30-08-2012 (for Rs 2000/, Ex CW1/7), receipt no 2991 dated 12-01-2013 (for Rs 4000/, Ex CW1/D8).

- 9) It is further stated by the AR that this payment has not been mentioned in the complaint or the affidavit. It is further stated by the AR that the total liability on the accused was Rs 31,000/. It is further stated by the AR that the said liability was due on the accused after the payment of the EMIs.
- 10) The statement of the accused under sec 313, CrPC was recorded on 02.11.2018. It is stated by the accused in her statement that she never approached the complainant company for a loan but she gave the cheque to her husband and he must have given it to the company. It is further stated by the accused that she had no liabilities towards the complainant. The accused denied receiving the legal demand notice. 11.
- 11) Thereafter, no defence evidence was led by the accused despite several opportunities.
- 12) Final arguments were heard in the matter on 18-12-2019.
- 13) It is argued by the Ld counsel for the complainant that in this case the sign on the cheque are admitted, its returning memo is placed on the record and the postal receipts are also placed, therefore, the presumption is in favour of the complainant as the burden is shifted on to the accused to prove that the cheque was not given for discharge any some liability or debt.
- 14) On the other hand the learned counsel for the accused has argued that the complainant has not placed on record either the loan argument or the document which proves that the accused agreed to become a guarantor in the case. It is further argued by the learned counsel for the accused that the accused has not received the legal demand notice and therefore the case is not maintainable under sec 138 NI Act. It is further argued by the learned counsel for the accused that the complainant has not placed on record any document to prove that any loan was ever taken by the accused.
- 15) **Appreciation of Evidence:** Before proceeding further, it would be better to have a look at the relevant legal provisions. Section 138 of the Negotiable Instruments Act provides that: *“Dishonour of cheque for insufficiency, etc, of funds in the account: Where any cheque drawn by a person on an account maintained by him with a banker for payment of any amount of money to another person from out of that account for the discharge, in whole or in part, of any debt or other liability, is returned by the bank unpaid, either because of the*

amount of money standing to the credit of that account is insufficient to honour the cheque or that it exceeds the amount arranged to be paid from that account by an agreement made with that bank, such person shall be deemed to have committed an offence and shall, without prejudice to any other provisions of this Act, be punished with imprisonment for a term which may be extended to two years, or with fine which may extend to twice the amount of the cheque, or with both: Provided that nothing contained in this section shall apply unless

(a) the cheque has been presented to the bank within a period of six months from the date on which it is drawn or within the period of its validity, whichever is earlier;

(b) the payee or the holder in due course of the cheque, as the case may be, makes a demand for the payment of the said amount of money by giving a notice in writing, to the drawer of the cheque, within thirty days of the receipt of information by him from the bank regarding the return of the cheque as unpaid; and

(c) the drawer of such cheque fails to make the payment of the said amount of money to the payee or, as the case may be, to the holder in due course of the cheque, within fifteen days of the receipt of the said notice. Explanation: For the purposes of this section, “debt or other liability” means a legally enforceable debt or other liability.

Further, Section 139 of the Negotiable Instruments Act provides that:

Presumption in favour of holder – it shall be presumed, unless the contrary is proved, that the holder of a cheque received the cheque of the nature referred to in section 138 for the discharge, in whole or in part, of any debt or other liability”.

- 16) It has to be remembered that the Negotiable Instruments Act is an especial enactment where if the requirement of a duly signed cheque, its dishonour and subsequent notice are fulfilled then there would be a presumption that the cheque was given by the accused for discharging some debt or liability, and once these requirements are fulfilled then it would be for the accused to adduce evidence to prove that he does not owe any liability to the complainant.
- 17) In the instance case some requirements of sec 138 NI Act are fulfilled i.e. a duly signed cheque and its dishonour (as returning memo is there), are duly proved, but the accused has stated in her notice under sec 251, CrPC and his statement u/s 313 CrPC that she did not receive any legal demand notice.

- 18) The legislative intent behind Section 138 NI Act is that when the accused comes to know about the dishonor of the cheque, then, he must pay the amount to the complainant and the requirement of notice within 15 days is there to serve that purpose only. It is true that in a particular case, a notice might not be duly served after the dishonor of the cheque but in any case, when a complaint has been filed under Section 138 NI Act, then, summons is served upon the accused. If the intention of the accused is to fulfill his obligations then, he can be expected to pay the amount after the serving of the summons. Once the summons has been served, the dishonor has come to the knowledge of the accused.
- 19) In case no. Appeal (Crl.) 767 of 2017 CC **Alavi Hazi vs. Palapetty Muhammed and Anr.** (dated: 18.05.2017), it was observed by the Hon'ble Supreme Court of India
- “It is also to be borne in mind that the requirement of framing of notice is clear departure from the rule of criminal Law, where there is no stipulation of giving notice before filing a complaint. Any drawer who claims that he did not receive the notice sent by post, can within 15 days of receipt of summons from the court in respect of the complaint under Section 138 NI Act, make payment of the cheque amount and submit to the court that he had made payment within 15 days of receipt of summons (by receiving a copy of complaint with the summons) and therefore, the complaint is liable to be rejected. A person who does not pay within 15 days of receipt of the summons from the court along with the copy of the complaint under Section 138 NI Act, cannot obviously contend that there was no proper service of notice as required under Section 138 NI Act, by ignoring statutory presumption to the contrary under Section 27 of the G.C. Act and Section 114 of the Evidence act. In our view, any other interpretation of the proviso would defeat the very object of the legislation”.
- 20) Coming to the facts of the case, both the parties are participating in the proceedings of the present case and the accused was duly served with summons. At this stage, the accused cannot be allowed to raise a plea that a proper notice has not been served upon him.
- 21) As the summons of the court were duly served, the accused was duly served and if her intentions were bona fide regarding paying his liability, then, she must have paid the amount of the cheque within 15 days of receiving this notice which he did not do in this particular case.
- 22) It is true that in a normal criminal case, the burden to prove the case prima facie is upon the prosecution or complainant but under the negotiable Instrument Act, if the requirements of

duly signed cheque, its dishonor and subsequent notice have been proved, then it is for the accused to prove that the cheque was not issued for discharging any liability/debt. It is for the accused u/s 139 NI Act to prove that the cheque was not given for the discharge of any debt or other liability, and if no further evidences are led by the accused to discharge his burden then he/she would be convicted.

23) Before coming to intricacies of evidence law, it would be better to have a look at provisions Indian Evidence Act 1872 (herein after IEA). It is provided by Section 101 IEA:

101. Burden of proof- whoever desires any court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts, must prove that those facts exist. When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person.

Further, it is provided by Section 102 IEA that 102. On whom burden of proof lies- the burden of proof in a suit or proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side.

24) Section 101 Indian Evidence Act refers to the burden of proving the whole case and Section 102 refers to the different stages a particular case. The burden under Section 102 IEA constantly shifts depending on the evidence and other circumstances.

25) It was observed by Hon'ble Supreme Court of India in Anil Rishi vs. Gurbaksh Singh, Appeal (Civil) 2412 of 2006 [Dated 02/05/2006] wherein it has been held that

“in terms of the said provision, the burden of proving the fact rests on the party who substantially asserts the affirmative issues and not the party who denies it. The said rule may not be universal in its application and there may be exception thereto”.

26) It has been remarked by the Hon'ble Supreme Court of India in the case of Bir Singh vs. Mukesh Kumar, Criminal Appeal Nos. 230-231 of 2019 SLP (CRL) Nos. 9334-35 of 2018 [Dated 06/02/2019], “Section 139 (Negotiable Instruments Act 1881) Introduces an exception to the general rule as to the burden of proof and shifts the onus on the accused. The presumption under Section 139 NIA is a presumption of law as distinguished from presumption of facts”.

- 27) Section 138 NI Act lays that when the requirement of signed cheque and its dishonor have been proved by the complainant and payment is not made by the accused after serving of legal demand notice within 15 days, then, it would be for the accused to prove that he does not owe any legal liability. If the accused is able to prove the non existence of legal liability or debt, then, the burden would again come out on the complainant to prove that such a liability existed.
- 28) In the present case, the complainant's initial burden has been discharged as the cheque has been dishonored, for which returning memo is there. Further, the signature on the cheque has been admitted by the accused. The burden under Section 102, IEA has shifted to the accused to disprove the liability.
- 29) It was observed by the Hon'ble Supreme Court in the case of ***Sri. Sujit Biswas vs State Of Assam*** (2013) 12 SCC 406. "Suspicion, however grave it may be, cannot take the place of proof, and there is a large difference between something that 'may be' proved, and something that 'will be proved'. In a criminal trial, suspicion no matter how strong, cannot and must not be permitted to take place of proof. This is for the reason that the mental distance between 'may be' and 'must be' is quite large, and divides vague conjectures from sure conclusions. In a criminal case, the court has a duty to ensure that mere conjectures or suspicion do not take the place of legal proof. The large distance between 'may be' true and 'must be' true, must be covered by way of clear, cogent and unimpeachable evidence produced by the prosecution, before an accused is condemned as a convict, and the basic and golden rule must be applied. In such cases, while keeping in mind the distance between 'may be' true and 'must be' true, the court must maintain the vital distance between mere conjectures and sure conclusions to be arrived at, on the touchstone of dispassionate judicial scrutiny, based upon a complete and comprehensive appreciation of all features of the case, as well as the quality and credibility of the evidence brought on record. The court must ensure, that miscarriage of justice is avoided, and if the facts and circumstances of a case so demand, then the benefit of doubt must be given to the accused, keeping in mind that a reasonable doubt is not an imaginary, trivial or a merely probable doubt, but a fair doubt that is based upon reason and common sense."
- 30) In a criminal case the complainant/prosecution has to prove the guilt of the accused beyond reasonable doubt and conversely it follows that even when the burden has shifted on the accused, the accused need not to prove his defence beyond reasonable doubt but he is

merely required to create reasonable doubts on the version of the prosecution/complainant and if he is able to do it then benefit of doubt must be given to the accused as per the decision of the Hon'ble Supreme Court in Sri. Sujit Biswas vs State Of Assam (2013) 12 SCC 406.

- 31) The term reasonable doubt is very subjective, and a uniform standard cannot be laid down to define it. "Reasonable doubt" would depend upon the fact and circumstances of each case.
- 32) To get the benefit of doubt the accused has to create reasonable doubt on the version of the complainant/prosecution, and it is entirely up to the accused to create such reasonable doubts by exercising his right to cross examination or by adducing separate witnesses or by both.
- 33) In this case, the AR of the complainant has admitted that the accused has paid 8 installments i.e Receipt no 1832 dated 30-11-2011 (for Rs 2200/, Ex CW1/D1), receipt no 1957 dated 05-01-2012 (for Rs 2150/, Ex CW1/D2), receipt no 1878 dated 30-01-2012 (for Rs 2200/, Ex CW1/D3), receipt no 2323 dated 12-03-2012 (for Rs 2200/, Ex CW1/D4), receipt no 2335 dated 27-03-2012 (for Rs 2200/, Ex CW1/D5), receipt no 2902 dated 01-07-2012 (for Rs 2100/, Ex CW1/6), receipt no 2937 dated 30-08-2012 (for Rs 2000/, Ex CW1/7), receipt no 2991 dated 12-01-2013 (for Rs 4000/, Ex CW1/D8). It clearly means that the accused has made some part payments, and as per the complaint itself the complainant granted a loan of Rs 30,000/- and to repay this amount the accused issued a cheque.
- 34) The version portrayed in the complaint cannot obviously be correct as the accused has placed on record eight receipts which show that in total an amount of Rs 19,050/ was paid back by the accused and the total liability of the accused cannot be around Rs 31000/. The accused has not mentioned the fact of this repayment by way of installment in either his complaint or his affidavit. Moreover, even when question was asked from the AR of the complainant regarding these installments and the outstanding liability then no reasonable explanation was offered by the AR with regarding to the non-mention of the fact of these installments or the outstanding liability.
- 35) The accused has raised some reasonable doubts on the version of the complainant, and the version of the complainant cannot be a correct one.

36) In view of the aforesaid discussion, I hereby hold that the complainant could not duly prove and substantiate his case against the accused. Accordingly, accused Sharya Bano is hereby acquitted for the offence u/s 138 of NIA.

This judgment contains 17 pages.

Every Page of this judgment has been signed by me.

Announced in the open court on this day of 23rd of December 2019.

(AVNEESH KUMAR)

MM-05 (NI ACT)/DWARKA COURT

**IN THE COURT OF SHRI AVNEESH KUMAR,
LD. MM (NI) ACT, DWARKA COURTS, NEW DELHI**

CC No.5003954-2016
Jagdish Chander S/o Shri Nihal Chand,
R/o D-2/71, Jeewan Park, Pankha Road,
Uttam Nagar, New Delhi-110059

Vs.

Gurdass Singh S/o Sh. Aatam Prakash
R/o C-10/71, Jiwan Park,
Uttam Nagar
New Delhi-110059

Also at: 1. C-70/71, Som Bazar, Jiwan Park, New Delhi 110059
2. New Priya Darshani Apartment,
Flat No.188, Second Floor,
Plot No.19, Sector-5, Dwarka,
New Delhi-110075.

Offence complained of : U/s 138, NIA. 1881
Date on which the complaint was instituted : 06.09.2016
Plea of the Accused : Pleaded not guilty

Date of Pronouncement of judgment : 23.12.2019

JUDGMENT

- 1) The brief facts of the case as per the complaint are that the complainant was having friendly relations with the accused for past several years and they were doing construction business on collateral basis. The accused issued a full and final settlement cheque along with a signed letter dated 02.02.2016 (Iqrarnama CW1/1). The cheque number was 505362 dated 01.08.2016 for an amount Rs.3,76,000/- but on presentation the cheque was dishonoured due to the reason "Payment stopped by Drawer". The complainant sent a legal demand notice by courier and speed post but the accused did not make the payment within 15 days therefore, the present complaint has been filed by the complainant.
- 2) As there was sufficient material summons were duly issued and notice was accordingly framed u/s 251 Cr PC on 10.01.2017. It is stated by the accused that he did not receive legal demand notice. The accused admitted his signature on the cheque. The accused also admitted filling the other particulars on the cheque but stated that the signature and other details were filled by him under coercion. It is further stated by the accused that he was not doing any business with the complainant. It is further stated by the accused that the complainant has filed a case against some police officials and when he (accused) refused to be a witness in that case, this case is filed against him by the complainant. It is further stated by the accused that a relative of complainant Mahender Kumar took a flat from him and made part payment, and Mahender Kumar passed away in between and complainant asked him to return the part payment received by him (accused). It is further stated by the accused that he made the part payment but still complainant through the son of Mahender Kumar, sent him a notice and the cheque in question was issued under pressure from the complainant to settle the matter. It is further stated by the accused that he also filed a police complaint against the complainant for misusing his cheque.
- 3) The cross-examination of the complainant as CW1 took place on 03.06.2017. It is stated by CW1 that he is only 4th class pass and does not know how to read and write English. It is stated by CW1 that he is unemployed. It is again said by CW1 that he is running a shop of jewellery at Wazirabad. It is stated by CW1 that the accused is builder by profession. The CW1 admitted that a construction agreement was executed between him and the accused to construct a property bearing No. RZ-50, (100 sq. yds) Indira Park, Uttam Nagar, New Delhi which is in the name of his (complainant's) wife. It is further stated by CW1 that the above

property was constructed by the accused. It is further stated by CW1 that he did not mention the fact of loan to accused in his ITR. The CW1 admitted that he has not mentioned the fact of this loan in his complaint/affidavit. It is further stated by CW1 that he did not have any business transaction with the accused.

- 4) Further cross-examination took place on 16.09.2017. It is stated by CW1 that he gave the loan to accused on several occasions but can not remember the dates, though, he can produce proof. It is further stated by CW1 that he used to give loan to accused in cash as well as by cheque. It is further stated by CW1 that he visited the office of accused several times but not after 03.02.2016.
- 5) Further cross-examination took place on 31.10.2017. The complainant brought Ex. CW1/7(colly, OSR) which is copy of a diary having the signature and handwriting of accused. It is further stated by CW1 that the diary does not state specifically that the deponent (complainant) gave money to the accused nor is the mode of payment mentioned. It is further stated by CW1 that he is mentioned as uncleji by the accused in the diary. The CW1 admitted that his nephew Dinesh lodged an FIR (no. 802/14) with PS Dabri against some police officials. It is further stated by CW1 that the accused was an eye witness in the case. It is further stated by CW1 that the accused gave the statement to the police in his own handwriting, and he accompanied the accused to the PS for recording of his statement. The CW1 denied the suggestion that the accused gave an affidavit in that case stating that he (accused) was not an eye witness in that case.
- 6) The CW1 denied the suggestion that he gave an offer to the accused that he would help the accused in settling a matter with Hari Om (a relative of CW1). The CW1 denied the suggestion that the cheque in the present case was given by the accused after the settlement with Hari Om. The CW1 denied the suggestion that the CW1/1 (Ikrarnama) was written by the accused at his instance to settle the matter with Hari Om.
- 7) It is further stated by CW1 that the cheque in question was given by the accused to him on the promise that the accused will make the payment in cash before 01.08.2016 and in case of accused's failure to do it the CW1 can utilize the cheque. It is further stated by CW1 that he is a witness in the case between the accused and Hari Om.
- 8) The statement of the accused under sec 313, CrPC was recorded on 27.11.2017. It is stated by the accused in his statement that the Ikrarnama (CW1/1) was taken from him by the

complainant after blackmailing him as he sold a flat to one relative of the complainant whose name he cannot remember. It is stated by the accused in his statement that the cheque in question was taken from him by the complainant and his relatives after blackmailing him on the pretext of filing a false case against him. It is stated by the accused in his statement that the complainant also filed a case against him.

- 9) It is stated by the accused in his statement that when the complainant did not withdraw the complaint against him, he issued stop payment instructions to his banker. The accused denied receiving the legal demand notice. It is stated by the accused in his statement that the CW1/7 (diary) was in his handwriting only but it does not concern itself with the complainant. It is stated by the accused in his statement that the case is wrongly instituted against him.
- 10) Thereafter defence evidence was led by the accused. One Pramod Kumar, Asst. Ahlmad (then) in the court of Sh. Sidhartha Malik (Ld. MM) was examined as DW1. The DW1 brought the record of case bearing no 5002272/16 titled as Gurdass v. Jagdish Soni & Anr and the case was pending for pre-summoning evidence.
- 11) Final arguments were heard on 25.10.2019 and 28.11.2019.
- 12) It is argued by the learned counsel for the complainant that the sign on the cheque is admitted by the accused, its return memo and postal notice along with tracking report of delivery is placed on record, therefore, there is presumption against the accused that the cheque was given for discharging some loan or liability.
- 13) It is further argued by the learned counsel for the complainant that there is an Ikrarnama on record and the accused has accepted in his statement under sec 313 Cr PC that it was written by him only.
- 14) It is argued by the learned counsel for the accused that the complainant has not submitted his ITR for the relevant period which shows that the complaint of the complainant is a false one. It is further argued by the learned counsel for the accused that the complainant has not mentioned in his complaint, the relevant dates on which the accused has incurred liability which again proves that the case of the complainant is false and frivolous.
- 15) It is argued by the Ld. Counsel for the accused that the accused has not received the proper legal notice about the dishonor of the cheque and when legal notice is not properly served

then a complaint under Section 138 NI Act is not maintainable. It is further argued by the counsel for the accused that the complainant has not mentioned in his complainant that how the loan was granted to the accused, and from where the complainant acquired the amount for the loan or how the liability actually incurred.

16) Appreciation of Evidence: Before proceeding further, it would be better to have a look at the relevant legal provisions. Section 138 of the Negotiable Instruments Act provides that:

“Dishonour of cheque for insufficiency, etc., of funds in the account: Where any cheque drawn by a person on an account maintained by him with a banker for payment of any amount of money to another person from out of that account for the discharge, in whole or in part, of any debt or other liability, is returned by the bank unpaid, either because of the amount of money standing to the credit of that account is insufficient to honour the cheque or that it exceeds the amount arranged to be paid from that account by an agreement made with that bank, such person shall be deemed to have committed an offence and shall, without prejudice to any other provisions of this Act, be punished with imprisonment for a term which may be extended to two years, or with fine which may extend to twice the amount of the cheque, or with both: Provided that nothing contained in this section shall apply unless

(a) the cheque has been presented to the bank within a period of six months from the date on which it is drawn or within the period of its validity, whichever is earlier;

(b) the payee or the holder in due course of the cheque, as the case may be, makes a demand for the payment of the said amount of money by giving a notice in writing, to the drawer of the cheque, within thirty days of the receipt of information by him from the bank regarding the return of the cheque as unpaid; and

(c) the drawer of such cheque fails to make the payment of the said amount of money to the payee or, as the case may be, to the holder in due course of the cheque, within fifteen days of the receipt of the said notice.

sExplanation: For the purposes of this section, “debt or other liability” means a legally enforceable debt or other liability. Further, Section 139 of the Negotiable Instruments Act provides that: Presumption in favour of holder – it shall be

presumed, unless the contrary is proved, that the holder of a cheque received the cheque of the nature referred to in section 138 for the discharge, in whole or in part, of any debt or other liability”

- 17) It has to be remembered that the Negotiable Instruments Act is an especial enactment where if the requirement of a duly signed cheque, its dishonour and subsequent notice are fulfilled then there would be a presumption that the cheque was given by the accused for discharging some debt or liability, and once these requirements are fulfilled then it would be for the accused to adduce evidence to prove that he does not owe any liability to the complainant.
- 18) In the instance case some requirements of sec 138 NI Act are fulfilled i.e. a duly signed cheque and its dishonour (as returning memo is there), are duly proved, but the accused has stated in his notice under sec 251, CrPC and his statement u/s 313 CrPC that he did not receive any legal demand notice.
- 19) The legislative intent behind Section 138 NI Act is that when the accused comes to know about the dishonor of the cheque, then, he must pay the amount to the complainant and the requirement of notice within 15 days is there to serve that purpose only. It is true that in a particular case, a notice might not be duly served after the dishonor of the cheque but in any case, when a complaint has been filed under Section 138 NI Act, then, summons is served upon the accused. If the intention of the accused is to fulfill his obligations then, he can be expected to pay the amount after the serving of the summons. Once the summons has been served, the dishonor has come to the knowledge of the accused.
- 20) In case no.Appeal (Crl.) 767 of 2017 CC **Alavi Hazi vs. Palapetty Muhammed and Anr.** (dated: 18.05.2017), it was observed by the Hon'ble Supreme Court of India

“It is also to be borne in mind that the requirement of framing of notice is clear departure from the rule of criminal Law, where there is no stipulation of giving notice before filing a complaint. Any drawer who claims that he did not receive the notice sent by post, can within 15 days of receipt of summons from the court in respect of the complaint under Section 138 NI Act, make payment of the cheque amount and submit to the court that he had made payment within 15 days of receipt of summons (by receiving a copy of complaint with the summons) and therefore, the complaint is liable to be rejected. A person who does not pay within 15 days of receipt of the summons from the court along with the copy of the complaint under

Section 138 NI Act, cannot obviously contend that there was no proper service of notice as required under Section 138 NI Act, by ignoring statutory presumption to the contrary under Section 27 of the G.C.Act and Section 114 of the Evidence act. In our view, any other interpretation of the proviso would defeat the very object of the legislation”.

- 21).Coming to the facts of the case, both the parties are participating in the proceedings of the present case and the accused was duly served with summons. At this stage, the accused cannot be allowed to raise a plea that a proper notice has not been served upon him.
- 22) As the summons of the court were duly served, the accused was duly served and if his intentions were bona fide regarding paying his liability, then, he must have paid the amount of the cheque within 15 days of receiving this notice which he did not do in this particular case.
- 23) It is true that in a normal criminal case, the burden to prove the case prima facie is upon the prosecution or complainant but under the negotiable Instrument Act, if the requirements of duly signed cheque, its dishonor and subsequent notice have been proved, then it is for the accused to prove that the cheque was not issued for discharging any liability/debt. It is for the accused u/s 139 NI Act to prove that the cheque was not given for the discharge of any debt or other liability, and if no further evidences are led by the accused to discharge his burden then he would be convicted.
- 24) Before coming to intricacies of evidence law, it would be better to have a look at provisions Indian Evidence Act 1872 (herein after IEA). It is provided by Section 101 IEA:

101.Burden of proof -whoever desires any court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts, must prove that those facts exist When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person.

Further, it is provided by Section 102 IEA that

102. On whom burden of proof lies-the burden of proof in a suit or proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side.

25) Section 101 Indian Evidence Act refers to the burden of proving the whole case and Section 102 refers to the different stages a particular case. The burden under Section 102 IEA constantly shifts depending on the evidence and other circumstances.

26) It was observed by Hon'ble Supreme Court of India in **Anil Rishi vs. Gurbaksh Singh**, Appeal (Civil) 2412 of 2006 [Dated 02/05/2006] wherein it has been held that

“in terms of the said provision, the burden of proving the fact rests on the party who substantially asserts the affirmative issues and not the party who denies it. The said rule may not be universal in its application and there may be exception thereto”.

27) 27. It has been remarked by the Hon'ble Supreme Court of India in the case of **Bir Singh vs. Mukesh Kumar**, Criminal Appeal Nos.230-231 of 2019 SLP (CRL) Nos.9334-35 of 2018 [Dated 06/02/2019],

“Section 139 (Negotiable Instruments Act 1881) Introduces an exception to the general rule as to the burden of proof and shifts the onus on the accused. The presumption under Section 139 NIA is a presumption of law as distinguished from presumption of facts”.

28) Section 138 NI Act lays that when the requirement of signed cheque and its dishonor have been proved by the complainant and payment is not made by the accused after serving of legal demand notice within 15 days, then, it would be for the accused to prove that he does not owe any legal liability. If the accused is able to prove the non existence of legal liability or debt, then, the burden would again come out on the complainant to prove that such a liability existed.

29) In the present case, the complainant's initial burden has been discharged as the cheque has been dishonored, for which returning memo is there. Further, the signature on the cheque has been admitted by the accused. The burden under Section 102, IEA has shifted to the accused to disprove the liability. 30.

30) It was observed by the Hon'ble Supreme Court in the case of **Sri. Sujit Biswas vs State Of Assam** (2013) 12 SCC 406.

“Suspicion, however grave it may be, cannot take the place of proof, and there is a large difference between something that `may be' proved, and something that `will

be proved'. In a criminal trial, suspicion no matter how strong, cannot and must not be permitted to take place of proof. This is for the reason that the mental distance between 'may be' and 'must be' is quite large, and divides vague conjectures from sure conclusions. In a criminal case, the court has a duty to ensure that mere conjectures or suspicion do not take the place of legal proof. The large distance between 'may be' true and 'must be' true, must be covered by way of clear, cogent and unimpeachable evidence produced by the prosecution, before an accused is condemned as a convict, and the basic and golden rule must be applied. In such cases, while keeping in mind the distance between 'may be' true and 'must be' true, the court must maintain the vital distance between mere conjectures and sure conclusions to be arrived at, on the touchstone of dispassionate judicial scrutiny, based upon a complete and comprehensive appreciation of all features of the case, as well as the quality and credibility of the evidence brought on record. The court must ensure, that miscarriage of justice is avoided, and if the facts and circumstances of a case so demand, then the benefit of doubt must be given to the accused, keeping in mind that a reasonable doubt is not an imaginary, trivial or a merely probable doubt, but a fair doubt that is based upon reason and common sense."

- 31) In a criminal case the complainant/prosecution has to prove the guilt of the accused beyond reasonable doubt and conversely it follows that even when the burden has shifted on the accused, the accused need not to prove his defence beyond reasonable doubt but he is merely required to create reasonable doubts on the version of the prosecution/complainant and if he is able to do it then benefit of doubt must be given to the accused as per the decision of the Hon'ble Supreme Court in **Sri. Sujit Biswas vs State Of Assam** (2013) 12 SCC 406.
- 32) The term reasonable doubt is very subjective, and a uniform standard cannot be laid down to define it. "Reasonable doubt" would depend upon the fact and circumstances of each case.
- 33) To get the benefit of doubt the accused has to create reasonable doubt on the version of the complainant/prosecution, and it is entirely up to the accused to create such reasonable doubts by exercising his right to cross examination or by adducing separate witnesses or by both.

- 34) It is stated by the accused in his notice under sec 251, CrPC that the case was filed by the complainant against him because he refused to depose as a witness in case which was filed by the complainant against some police official. But in his statement under sec 313, CrPC, it was stated by the accused that the complainant has acquired the Iqarnama regarding admission of his liability (CW1/1) and the cheque after blackmailing him on the threat of filing a false case. This is certainly an inconsistency in the defence.
- 35) Once the sign is admitted on the cheque by the accused, it would be presumed that the accused signed on the cheque with his own free will; similarly, once the Ikrarnama is admitted by the accused then it would be presumed that the accused executed it with his free consent. The burden to prove any coercion or other irregularity would be upon the accused, and the accused would be required to bring relevant witnesses and/or document to discharge this burden.
- 36) In this case the accused has produced DW1 (Asst. Ahlmad) along with the record of a case which has been filed by the accused against the complainant, but the mere fact that a case was filed against the complainant by the accused does not prove that the case filed by the complainant against the accused under section 138, NI Act is a false one. Moreover, the accused has not adduced any evidence to prove any coercion or other illegitimate influence from the complainant in obtaining the cheque in question or the Ikrarnama.
- 37) In view of the aforesaid discussion, I hereby hold that the complainant has duly proved and substantiated his case against the accused and all the ingredients of sec 138 NIA stand proved against the accused. Accordingly, accused Gurdass Singh is hereby convicted for the offence u/s 138 of NIA.

This judgment contains 21 pages.

Every Page of this judgment has been signed by me.

Copy of this judgment be given to the convict free of cost.

Announced in the open court on this day of 23rd of December 2019.

Discharge Order

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०/एफ०टी०सी०, कासगंज।

परिवाद सं०-38/2020

श्रीमती विमलेश

बनाम्

मयंक यादव।

धारा-498 ए, 323, 504,

406, 506 आई०पी०सी०।

व 3/4 डी०पी० एक्ट।

थाना कासगंज जिला कासगंज।

दिनांक-16.12.2022

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। अभियुक्त उपस्थित है।
परिवादी के अधिवक्ता उपस्थित है।

प्रस्तुत मामले में अभियुक्त मयंक यादव द्वारा एक प्रार्थनापत्र "18
ब" अंतर्गत धारा 245(2) दंड प्रक्रिया संहिता (सी-आर.पी.सी.) के अन्तर्गत
दिया गया है, जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उन्मोचन हेतु यह प्रार्थना की गई है-

"उपरोक्त केस की परिवादिनी द्वारा माननीय न्यायालय में झूठे एवं
मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर परिवाद पत्र प्रस्तुत किया जिसमें हितवद्ध से झूठी

गवाही दिलवाकर प्रार्थी के विरुद्ध दिनांक 06.02.2019 को तलबी आदेश पारित करा लिया है।

परिवादिनी द्वारा परिवाद पत्र में लगाये गये आरोप कतई गलत है प्रार्थी द्वारा परिवादिनी के साथ कोई भी क्रूर व्यवहार नहीं किया गया और न ही अतिरिक्त दहेज की बावत मानसिक व शरीरिक उत्पीड़न किया गया है और न ही मारपीट कर घर से निकाला गया है और न ही कोई अमानत में ख्यानत की गयी है बल्कि प्रार्थी का पैत्रिक जेबर हड़पने की नियत से तथा पढी लिखी माडर्न महिला होने के कारण प्रार्थी के साथ जानबूझकर रहना नहीं चाहती है, के कारण झूठे एवं मनगढ़न्त तथ्यों पर दावा दायर किया है।

परिवादिनी द्वारा लगाये गये आरोप कतई झूठे एवं मनगढ़न्त है क्योंकि इस केस की परिवादिनी का माननीय न्यायालय में अन्तर्गत धारा-244 सी-आर.पी.सी. का व्यान दिनांक-20.09.2021 को अंकित किया गया जिसमें प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी जिरह के दौरान यह बात आई कि पत्रावली पर कागज सं0-7 अ को देखकर परिवादिनी ने कहा कि यह रजिस्ट्री दिनांक-24.09.2018 को समय 18:31 पर की गयी किन्तु यह बात भी सही है कि दूसरे दिन मैंने दिनांक-25.09.2018 को माननीय न्यायालय में परिवाद पत्र दाखिल कर दिया था इससे स्पष्ट होता है कि रजिस्ट्री करने के उपरान्त उपरोक्त तथ्यों पर सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक अथवा थानाध्यक्ष महोदय को जांच करने का कोई मौका नहीं मिला, क्योंकि रजिस्ट्री की सर्विस रजिस्ट्री एक्ट के तहत 7 दिन मानी गयी है अर्थात् पुलिस अधीक्षक कासगंज पर उपरोक्त रजिस्ट्री का प्रार्थना पत्र पहुंचने से पूर्व ही परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया जो एक सोची समझी योजना थी। यह भी बात व्यान में आई कि मैं एक पढी लिखी महिला हूँ भूगोल से एम.ए. हूँ बी.एड. हूँ राजस्थान टी.ई.टी. की परीक्षा उत्तीर्ण की है, के अलावा परिवादिनी राजस्थान में संचालित राधा कृष्ण यदुवंशी कन्सट्रक्शन कम्पनी की रजिस्टर्ड प्रोपराईटर है, के प्रपत्र संलग्न है से स्पष्ट होता है कि परिवादिनी पढी लिखी महिला होने के कारण उसने एक षड़यन्त्र के तहत एक झूठे तथ्यों के आधार पर प्रार्थना

पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें जानबूझकर जांच होने से पूर्व ही माननीय न्यायालय में दावा दायर किया है।

पी0 डब्लू0-2 के रूप में दिनांक-21.04.2022 को अन्तर्गत धारा 244 सी.आर.पी.सी. के तहत गवाह अजीत सिंह का व्यान माननीय न्यायालय में अंकित किया गया है जिसमें दौरान जिरह यह बात आई कि मैं अज्ञात लोगों के नाम पता पहले से नहीं बता सकता। मैं किसी पक्ष के लोगों को मैं नहीं जानता हूँ। इन दोनों की शादी में मैं शामिल नहीं हुआ। इसलिए मैं इन दोनों की शादी के बारे में कुछ नहीं बता सकता। मालगोदाम रोड़ से मेरा घर डेढ़ किलोमीटरदूर है। मैं द्वितीय पक्ष को नहीं जानता, के अलावा दिनांक-23.08.2022 को साक्षी रिन्कू कुमार के अन्तर्गत धारा-244 सी-आर.पी. सी. व्यान अंकित किये गये जिसमें प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी तो गवाह ने कहा कि शादी का दिन, महीना मुझे याद नहीं है। शादी फर्रुखाबाद में हुई थी, कासगंज राजस्थान कोई लेना देना नहीं है। मैं शादी में शामिल नहीं हुआ था इसलिए मुझे जानकारी नहीं है। कासगंज में विमलेश किराये के मकान में रह रही है मुझे नहीं मालूम। विमलेश किस गांव की रहने वाली है मैं नहीं जानता। शादी में क्या दान दहेज दिया गया था इसकी मुझे जानकारी नहीं है। शादी के बाद अतिरिक्त दहेज में क्या मांग की गयी मुझे नहीं पता। विमलेश ग्राम पचौरा की रहने वाली है मुझे नहीं पता। मैं शादी में शामिल हुआ था या नहीं हुआ था। इस कारण मैं आज न्यायालय में झूठा व्यान दे रहा हूँ। यह कहना गलत है।

पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य एवं व्यान के आधार पर प्रार्थी के विरुद्ध परिवादिनी द्वारा अपने परिवाद पत्र में लगाये गये झूठे एवं मनगढन्त तथ्यों पर आधारित आरोप को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी के विरुद्ध अन्तर्गताधारा - 498 ए, 406 आई.पी.सी. व 3 / 4 डी. पी. एक्ट का कोई अपराध नहीं बनता है। ऐसी सूरत में प्रार्थी को उपरोक्त अपराध से उन्मोचित किया जाना न्यायहित में है"।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया कि इन सब तथ्यों को ध्यान में रखकर अभियुक्त को इसी स्तर पर उन्मोचित किया जाना चाहिए और दूसरी तरफ वादी के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि पत्रावली पर अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है और उनके विरुद्ध आरोप विचरित किया जाना चाहिए।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने पर यह तथ्य न्यायालय के संज्ञान में आया है कि प्रार्थना पत्र में बार-बार इस तथ्य पर बल दिया गया है कि वादी एक पढ़ी-लिखी महिला है अतः वह जानबूझकर अभियुक्त के साथ नहीं रहना चाहती थी और इसी कारण उसके द्वारा षड्यंत्र के तहत झूठे तथ्यों पर मुकदमा दायर किया गया है। हमें यह समझना होगा कि आज हम एक प्रगतिशील समाज में रहते हैं और यह मान लेना सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी कि चूंकि एक महिला अच्छी तरह से शिक्षित है इसलिए वह अपने पति के साथ रहने को तैयार नहीं होगी या वह पढ़े लिखे होने की वजह से अपने पति के विरुद्ध एक झूठा वाद दायर करना चाहेगी। प्रस्तुत मामले में वादी द्वारा अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि उसने भूगोल में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है, बी.एड. किया है और उसने राजस्थान टी.ई.टी. की परीक्षा उत्तीर्ण की है। भूगोल जैसे कठिन विषय में मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए बहुत अध्ययन करना पड़ता है, और उसके बाद परिवादिनी द्वारा ना केवल बी.एड. किया गया है बल्कि उसने राजस्थान टी.ई.टी. की परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। विशेषतः महिलाओं को स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने के लिए या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए कई बार अपने घर वालों से भी संघर्ष करना पड़ता है। परिवादी की यह सब उपलब्धियां दर्शाती है कि वह अपने अध्ययन के प्रति समर्पित रही है और इस दिशा में उसने बहुत मेहनत की है। यह तथ्य कि वादी एक शिक्षित महिला है, जिसकी शिक्षा के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हैं, किसी भी प्रकार से इस धारणा को उत्पन्न नहीं कर सकता है कि शिक्षित होने की वजह से वो अपने रिश्तों को तोड़ना चाहती होगी, अपितु यह मानना उचित होगा कि शिक्षा के प्रभाव के कारण एक शिक्षित महिला अपने रिश्तों, विशेषकर ससुरालजनों, को लेकर और भी संवेदनशील होगी।

दूसरा तथ्य जिस पर की प्रार्थना पत्र में बल दिया गया है यह है कि वादी द्वारा अपनी प्रति परीक्षा अंतर्गत धारा 244 में यह स्वीकार किया गया है कि उसके द्वारा रजिस्ट्री दिनांक 24.09.2018 को की गई और अगले ही दिन अर्थात् दिनांक 25.09.2018 को परिवार पत्र दाखिल किया गया और रजिस्ट्री करने के उपरान्त उपरोक्त तथ्यों पर सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक अथवा थानाध्यक्ष महोदय को जांच करने का कोई मौका नहीं मिला, क्योंकि रजिस्ट्री की सर्विस रजिस्ट्री एक्ट के तहत 7 दिन मानी गयी है अर्थात् पुलिस अधीक्षक कासगंज पर उपरोक्त रजिस्ट्री का प्रार्थना पत्र पहुंचने से पूर्व ही परिवार पत्र प्रस्तुत किया गया। परिवार पत्र में दिए गए इस तथ्य का विश्लेषण करने से पूर्व उचित होगा कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 190 का अवलोकन किया जावे क्योंकि धारा 190 के तहत ही मजिस्ट्रेट के द्वारा अपराध का संज्ञान लिया जाता है।

धारा 190: मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान

(1) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और उपधारा (2) के अधीन विशेषतया सशक्त किया गया कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, किसी भी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित दशाओं में कर सकता है—

(क) उन तथ्यों का, जिनसे ऐसा अपराध बनता है परिवार प्राप्त होने पर;

(ख) ऐसे तथ्यों के बारे में पुलिस रिपोर्ट पर,

(ग) पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त इस इत्तिला पर या स्वयं अपनी इस जानकारी पर कि ऐसा अपराध किया गया है.

धारा 190 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि जब धारा 190 के तहत एक मजिस्ट्रेट के द्वारा परिवार पत्र प्राप्त होने पर किसी अपराध का संज्ञान लिया जाता है तो उसके लिए यह आवश्यक नहीं है की उस परिवार से संबंधित तथ्यों की जांच किसी पुलिस अधिकारी द्वारा की गई हो। एक पीड़ित व्यक्ति बिना थाने जाये, या बिना पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखे भी सीधे न्यायालय में जाकर

परिवाद दायर कर सकता है। परिवाद दायर करने के लिए किसी भी प्रकार से यह आवश्यक नहीं है कि वह व्यक्ति पहले थाने जाए या पुलिस अधीक्षक को रजिस्ट्री करें। इस मामले में यदि परिवादी द्वारा रजिस्ट्री करने के केवल एक दिन बाद भी परिवाद दायर किया गया तो यह परिवाद के गुण दोष पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा क्योंकि परिवाद में गुण दोष के आधार पर एक तलबी आदेश दिनांकित 06.02.2019 को पारित किया गया है।

इसके अलावा प्रार्थना पत्र में पी डब्ल्यू 2 की प्रति परीक्षा में दिए गए कुछ कथनों पर बल दिया गया है जो इस प्रकार हैं "मैं अज्ञात लोगों के नाम पता पहले से नहीं बता सकता। मैं किसी पक्ष के लोगों को मैं नहीं जानता हूँ। इन दोनों की शादी में मैं शामिल नहीं हुआ। इसलिए मैं इन दोनों की शादी के बारे में कुछ नहीं बता सकता। मालगोदाम रोड़ से मेरा घर डेढ़ किलोमीटर दूर है। मैं द्वितीय पक्ष को नहीं जानता"।

यह विधि का एक स्थापित सिद्धांत है कि साक्ष्य को टुकड़ों में ना पढ़कर समग्रता के साथ पढ़ा जाना चाहिए। साक्षी पी डब्ल्यू 2 द्वारा उपरोक्त दिए गए कथन के पश्चात यह कथन भी दिया गया है "मैं द्वितीय पक्ष को नहीं जानता हूँ फिर कहा मैं घटना से पहले नहीं जानता था" और इस पूरे साक्ष्य को समग्रता से पढ़ने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि साक्षी पी डब्ल्यू 2 दोनों पक्षों को घटना से पहले नहीं जानते थे पर यह संभव है कि एक व्यक्ति जो किसी मारपीट का चक्षुदर्शी हो, और वह दोनों पक्षों में से किसी को भी पूर्व में ना जानता हो और फिर भी वह मारपीट करने वाले पक्ष की पहचान करने में सक्षम हो। यहाँ पर इस तथ्य पर भी गौर करना उचित होगा कि अपनी मुख्य परीक्षा में पी डब्ल्यू 2 द्वारा खुद को घटना का चक्षुदर्शी बताया गया है अतः पी डब्ल्यू 2 के द्वारा दिए गए उपरोक्त कथन से प्रार्थी के उन्मोचन प्रार्थना पत्र को बल नहीं मिलता है।

प्रार्थना पत्र में साक्षी रिकू कुमार (पी डब्ल्यू 3) के द्वारा प्रति परीक्षा में दिए गए कुछ कथनों पर भी बल दिया गया है जो इस प्रकार हैं—

"शादी का दिन, महीना मुझे याद नहीं है। शादी फर्रुखाबाद में हुई थी, कासगंज राजस्थान कोई लेना देना नहीं है। मैं शादी में शामिल नहीं हुआ था इसलिए मुझे जानकारी नहीं है। कासगंज में विमलेश किराये के मकान में रह रही है मुझे नहीं मालूम। विमलेश किस गांव की रहने वाली है मैं नहीं जनता। शादी में क्या दान दहेज दिया गया था इसकी मुझे जानकारी नहीं है। शादी के बाद अतिरिक्त दहेज में क्या मांग की गयी मुझे नहीं पता। विमलेश ग्राम पचौरा की रहने वाली है मुझे नहीं पता। मैं शादी में शामिल हुआ था या नहीं हुआ था "

पुनः विधि के स्थापित सिद्धांत के अनुसार हमें साक्षी के साक्ष्य को समग्र रूप से पढ़ना होगा। साक्षी पी डब्ल्यू 3 रिकू के द्वारा अपनी गवाही पीड़िता के साथ हुई कथित मारपीट के संबंध में दी गई है। साक्षी रिकू के द्वारा खुद को दिनांक 24.08.2018 को परिवादी के साथ हुई कथित मारपीट का चक्षुदर्शी बताया गया है पर उस घटना से पहले हुई किसी घटना के विषय में उनके द्वारा कोई कथन अपनी मुख्य परीक्षा में भी नहीं दिया गया है। साक्षी रिकू केवल दिनांक 24.08.2018 को हुई कथित घटना के साक्षी हैं एवं उससे पूर्व हुई किसी घटना जैसे की शादी या शादी में दिए गए दान दहेज के विषय में अनभिज्ञता किसी भी प्रकार से उनके दिनांक 24.08.2018 की कथित घटना के सम्बन्ध में दिए गए साक्ष्य को कमजोर नहीं करती है। अतः साक्षी रिकू द्वारा अपनी प्रति परीक्षा में दिए गए उपरोक्त कथन प्रार्थी के उन्मोचन प्रार्थना पत्र को किसी प्रकार से बल नहीं देते हैं।

अतः प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा उन्मोचन हेतु दिया गया प्रार्थना पत्र "18 ब" किसी भी प्रकार से स्वीकार करने योग्य नहीं है ।

आदेश

अभियुक्त द्वारा उन्मोचन हेतु दिया गया प्रार्थना पत्र " 18 ब" अंतर्गत धारा 245(2) दंड प्रक्रिया संहिता निरस्त किया जाता है।

दिनांक 16.12.2022

(अवनीश कुमार JO Code-UP3571)
सिविल जज (जूडिं)/,
जे०एम०/एफ०टी०सी
कासगंज।

CIVIL COURT (JD)/JM-FTC (Crime Against Women)

Sony v. Mukesh etc.

Complaint No. 759-2020

CNR.NO.UPKR040000482018

Application under sec 245 CrPC

Date- 16.03.2023

- 1) An application for discharge under section 245 of Code of Criminal Procedure (hereinafter CrPC), 1973 dated 04.06.2022 is pending in the file on behalf of the Accused Mamta and Ravikant, who are respectively sister in law (nanad) and husband of sister in law (nandoi) of the complainant.

- 2) The applicants/accused Mamta and Ravikant are present. The Ld. Counsel for the complainant is present.
- 3) It is submitted in the application that the applicants are sister in law (Nanad) and husband of sister in law (Nandoi) of the complainant, and therefore on the basis of this relationship the applicants are falsely named in the case. It is further submitted in the application that the complainant has stated in her evidence that on 23.05.2017, at 3:00 pm these all (accused) left her (the complainant) at her parents' house, and on 29.12.2017, at 2:00 pm all these (accused) came to her parental home at Gangdundwara and repeated the demands (for dowry), and she was given the threat that if the demands were not met then she would be killed, and further the accused refused to return her stridhan too. It is further submitted in the application that the applicant Ravikant is working as X Ray Technician with Chief Medical Officer P. Deendayal Upadhyay Joint Hospital, and on the mentioned dates i.e. 23.05.2017 and 29.12.2017 the applicant Ravikant was present at his work, and his wife was at home. It is further submitted in the application that the copy of the certificate of the applicant Ravikant's attendance (No. CMS/DDU/2018/890 dated 21.07.2018) is also submitted along with the application. It is further submitted in the application that by all this it is clear that the complainant has trapped applicants out of family grudge, and the applicants have never demanded dowry from the complainant and her parents, and she has never been harassed by them. It is further submitted in the application that keeping in mind the abovementioned facts it is imperative in the interests of justice that the applicants be discharged.
- 4) The Ld. counsel of both the parties have argued on the application. The learned counsel for the complainant (respondent in the application) submits that there is enough evidence against applicants/accused Ravikant and Mamta (applicants), and therefore the application must be rejected. It is further argued by the learned counsel of the complainant that there is no practice of discharge in the district courts of Uttar Pradesh, and hence the application must be rejected.
- 5) The learned counsel for the applicants/accused argues that sufficient evidence is not there for framing of the charge against the the applicants/accused Mamta and

Ravikant. It is further submitted by the counsel for the accused that in appropriate cases the court has power to discharge the accused, and this case is suitable for discharge.

- 6) Arguments heard and file duly perused.
- 7) It is a well established principle of law that at the stage of charge-framing, the accused cannot be allowed to tender evidence. In complaint cases it would only be after recording of statement under sec 246, CrPC that the accused would be given the opportunity of adducing evidence. Therefore the evidence which has been submitted by the applicant/accused Mamta and Ravikant (i.e. the certificate of attendance) cannot be considered at this stage.
- 8) **The first issue for consideration** before the court is that whether there is sufficient material on record which can justify the framing of the charge against the accused? The court has to ensure on the basis of prosecution evidence under section 244, CrPC whether there is enough material which can justify the framing of charge. It has to be understood that the stage of charge framing is a very important stage, and it is not a mere formality. Just because summons have been issued against a person, it does not follow that a charge would also be invariably framed against that person. The charge must be framed after considering all the material and testimony on record, and it must be framed only in those cases where a prima facie cases is established against the accused persons.
- 9) It was observed by the Hon'ble Supreme Court in the case of **Vinay Tyagi v. Irshad Ali @ Deepak & Ors** [Decided on 13 December, 2012; citation(2013) 5 SCC 762]:

“Framing of charge is certainly a matter of earnestness. It is not merely a formal step in the process of criminal inquiry and trial. On the contrary, it is a serious step as it is determinative to some extent, in the sense that either the accused is acquitted giving right to challenge to the complainant party, or the State itself, and if the charge is framed, the accused is called upon to face the complete trial which may prove prejudicial to him, if finally acquitted”.

10) Keeping in mind the above observations of the apex court, the evidence presented by the complainant at the stage of sec 244, CrPC has to be evaluated. At the stage of sec 244 only the complainant has got herself examined as PW 1, and no other witness was produced.

11) The testimony of PW 1 is as follows-

“My marriage got solemnised with Mukesh Kumar on 11/11/16 in the town Gangdudwara. Mukesh was given the custody of jewellery, clothes, gold bracelets weighing two tolas, necklace of gold of one tola, vund of gold of one tola, and all the items of household in the marriage. After marriage, I went to my in-laws at Gangiri, Distt: Aligarh. From the time of marriage itself the attitude of my husband Mukesh Kumar, mother in law Somwati (saas), elder brother in law Manoj (jeth), wife of elder brother in law Sugandha (jethani), sister in law Mamta (nand) and the husband of sister in law Ravikant (nandoi) became bad for me and they were not happy with the items given (in marriage). All the above persons started demanding a motor-cycle and two lakh rupees in additional dowry. They used to beat and deprive (me) from food and clothes. When I talked to my family members, they used to have suspicion on me. On date 23/05/2017, at 03:00 pm one incident happened. All these above persons took me into a car and came to my parents in Gangdudwara and left me there demanding for dowry. On 29/12/2017 at 2:00 pm an incident happened. All the above named persons came to my parents in Gangdudwara and repeated their demand of one motor-cycle bullet and two lakh ruppees. On the refusal by me and my mother, they gave a threat that if Sony came to their home without fulfilling the demands then they would kill her. They even refused to return all my stridhan, and abused. The witnesses of incidents are me, my mother, my brother Brij Kishore, sister Bharti, and many person of nearby locality. On 29/12/2017, at 05:00 pm I went to the police station Ganjdudwara, but the report was not registered. On next day I dispatched the report through registry to the police suprientendent.

[When the document no. 4A/3 was shown to the witness, the witness identified it to be the complaint filed by her in the court, and which contains her photo and signature. The witness identified her photo and signature. When document no. 6A was shown to the witness, the witness stated that it was the same registry slip which was sent to the superintendent of police by her. When document no. 7A was shown to the witness then the witness stated that it was the photocopy of the report sent by her to the superintendent of police]”.

- 12) This testimony is the sole material on which the court has to charge or discharge the applicants/accused. In the whole testimony all the accusations have been levelled against all the accused generally. There is not even a single act which has been specifically attributed to accused Mamta or Ravikant (applicants). In the cases of harassment of the married women, it is generally not possible that all the persons from the in-laws side equally harass the victim. Generally speaking the husband and parents in laws have a greater role in the life of a newly wedded daughter in law. The role of brother in law and sister in law would be less dominant. Further if the sister in law has already got married then her role becomes even less significant and generally speaking there are fewer chances that she would be able to harass the newly wedded sister in law as she has already become part of another family (her husbands family).
- 13) At this stage we have to keep in mind that the provisions of Section 498A Indian Penal Code (hereinafter IPC), 1860 have been widely misused and a large number of cases have been filed which have turned out to be false ultimately. Even the apex court has expressed its concern regarding this and many guidelines have been issued by the Honorable Court which are to be kept in mind by the trial court when dealing with the cases of sec 498A, IPC.
- 14) The Hon'ble Supreme Court made the following observation in the case of **Arnesh Kumar v. State Of Bihar & Anr** [Decided on 2 July, 2014; citation (2014) 8 SCC 273]:

“There is phenomenal increase in matrimonial disputes in recent years. The institution of marriage is greatly revered in this country. Section 498-A of the

IPC was introduced with avowed object to combat the menace of harassment to a woman at the hands of her husband and his relatives. The fact that Section 498-A is a cognizable and non-bailable offence has lent it a dubious place of pride amongst the provisions that are used as weapons rather than shield by disgruntled wives. The simplest way to harass is to get the husband and his relatives arrested under this provision. In a quite number of cases, bed-ridden grand-fathers and grand-mothers of the husbands, their sisters living abroad for decades are arrested. "Crime in India 2012 Statistics" published by National Crime Records Bureau, Ministry of Home Affairs shows arrest of 1,97,762 persons all over India during the year 2012 for offence under Section 498-A of the IPC, 9.4% more than the year 2011. Nearly a quarter of those arrested under this provision in 2012 were women i.e. 47,951 which depicts that mothers and sisters of the husbands were liberally included in their arrest net. Its share is 6% out of the total persons arrested under the crimes committed under Indian Penal Code. It accounts for 4.5% of total crimes committed under different sections of penal code, more than any other crimes excepting theft and hurt. The rate of charge-sheeting in cases under Section 498A, IPC is as high as 93.6%, while the conviction rate is only 15%, which is lowest across all heads. As many as 3,72,706 cases are pending trial of which on current estimate, nearly 3,17,000 are likely to result in acquittal"

15) In the case of ***Geeta Mehrotra & Anr v. State Of U.P. & Anr*** [Decided on 17 October, 2012; citation (2012) 10 SCC 741] it was observed by the apex court:

"22. In the instant matter, when the complainant and her husband are divorced as the complainant-wife secured an ex-parte decree of divorce, the same could have weighed with the High Court to consider whether proceeding initiated prior to the divorce decree was fit to be pursued in spite of absence of specific allegations at least against the brother and sister of the complainant's husband and whether continuing with this proceeding could not have amounted to abuse of the process of the court.

23.in the instant matter the factual position remains that the complaint as it stands lacks ingredients constituting the offence under Section 498A and Section 3/4 Dowry Prohibition Act against the appellants who are sister and brother of the complainant's husband and their involvement in the whole incident appears only by way of a casual inclusion of their names. Hence, it cannot be overlooked that it would be total abuse of the process of law if we were to remand the matter to the High Court to consider whether there were still any material to hold that the trial should proceed against them in spite of absence of prima facie material constituting the offence alleged against them.

24. However, we deem it appropriate to add by way of caution that we may not be misunderstood so as to infer that even if there are allegation of overt act indicating the complicity of the members of the family named in the FIR in a given case, cognizance would be unjustified but what we wish to emphasize by highlighting is that, if the FIR as it stands does not disclose specific allegation against accused more so against the co-accused specially in a matter arising out of matrimonial bickering, it would be clear abuse of the legal and judicial process to mechanically send the named accused in the FIR to undergo the trial unless of course the FIR discloses specific allegations which would persuade the court to take cognisance of the offence alleged against the relatives of the main accused who are prima facie not found to have indulged in physical and mental torture of the complainant-wife.”

16) In the recent case of **Kahkashan Kausar @ Sonam v. The State Of Bihar** [Decided on 8 February, 2022; citation 2022 SCC OnLine SC 162], it was observed by the Hon'ble Supreme Court:

“this court has at numerous instances expressed concern over the misuse of section 498A IPC and the increased tendency of implicating relatives of the husband in matrimonial disputes, without analysing the long term ramifications of a trial on the complainant as well as the accused. It is further manifest from the said judgments that false implication by way of general omnibus allegations made in the course of matrimonial dispute, if left

unchecked would result in misuse of the process of law. Therefore, this court by way of its judgments has warned the courts from proceeding against the relatives and in-laws of the husband when no prima facie case is made out against them”.

17) The crux of the all these above mentioned judgments is that in matrimonial cases the trial court must not proceed to conduct the trial against the relatives of husband when there are no specific allegations made against them. When the allegations are made against all the accused (the husband and the relatives) generally, then the court would not be justified in proceeding against the relatives of the accused because such allegations do not show even a prima facie case against the relatives of the husband who have been made accused in the case.

18) **The second issue for consideration** is that if there is demand for dowry then who would be benefitted if that dowry is given? Even if the family of the bride gives the dowry then that dowry would go to the husband and probably also to the parents in law. There are bleak chances that the dowry would be utilised by the brother in law (devar or jeth) or the wife of brother in law (devrani or jethani); and further there are even more bleak chances that the dowry will be used by the married sister in law (nand) or her husband (nandoi).

19) At this stage it would appropriate to have a look at the sec 114 of the Indian Evidence Act (hereinafter IEA), 1872:

“114 Court may presume existence of certain facts. —The Court may presume the existence of any fact which it thinks likely to have happened, regard being had to the common course of natural events, human conduct and public and private business, in their relation to the facts of the particular case.”

20) It is clear from the contents of sec 114, IEA, that the court can take into account the traditions of particular society, the prevalent conduct of people, and other relevant factors and presume some things. As per the traditions of Indian society, after marriage a woman becomes part of another family in which she gets married (the husband’s family). Keeping in mind sec 114, IEA, it is hard to believe that an already

married sister in law (nand) and her husband (nandoi) would be demanding dowry from the newly wedded bride because even if the dowry is given it would go to the husband and parents in law of the bride, and not to them (nand-nandoi). Generally speaking, if at all the husband of the sister in law (nandoi) is desirous of demanding dowry then he would demand the dowry from the parental family of his wife, and not from the family of the wife of his brother in law. The chances of such an instance are very bleak where the married sister in law (nanad) and her husband (nandoi) would ask for dowry from newly wedded bride's family and such accusations must be specifically stated and proved. In the instant case, no such specific allegations have been made.

- 21) **Third Issue for consideration** is that the applicant/accused Mamta was already married to applicant/accused Ravikant, and they were already settled in Aligarh city, Distt: Aligarh and after the marriage the complainant started to reside along with her husband Mukesh at Gangiri town, Distt: Aligarh, therefore the applicants/accused Mamta and Ravikant were living in a different city, from the city in which the complainant was living (Gangiri) and a natural question arises that howcome the applicants/accused Mamta and Ravikant harassed the complainant while living in a different city? When the complainant lives with her husband and his relatives under the same roof in the same house, then it may be readily believed that she was routinely harassed by the accused persons, because when living under the safe roof there is continuous interaction between the complainant and the accused and there are ample opportunities to harass the complainant/victim. On the other hand when the accused are living in another town then it cannot be readily believed that the accused harassed the complainant/victim, because there is so much of distance between them and there is no daily interaction between them. Though, rarely, there may be instances when the accused living in different city may also harass the complainant, but then the manner of committing such harassment and means employed to commit such harassment must be specifically proved by the complainant.

22) In the instance cases there is absolutely no mention by the complainant of either the manner of committing the harassment or the means of committing harassment by the applicants/accused Mamta and Ravikant, who were living in different city.

23) **Fourth Issue for consideration** is whether the requirements of discharge prescribed under sec 245, CrPC are fulfilled? At this stage it would be proper to have a look at sec 245 CrPC, which talks about discharge and prescribes the essential conditions required for discharge:

“245. When accused shall be discharged.

(1) If, upon taking all the evidence referred to in section 244, the Magistrate considers, for reasons to be recorded, that no case against the accused has been made out which, if unrebutted, would warrant his conviction, the Magistrate shall discharge him.

(2) Nothing in this section shall be deemed to prevent a Magistrate from discharging the accused at any previous stage of the case if, for reasons to be recorded by such Magistrate, he considers the charge to be groundless”.

24) Simultaneously, it would be appropriate to look at sec 239, CrPC which talks about discharge in cases instituted on police report:

“239. When accused shall be discharged.

If, upon considering the police report and the documents sent with it under section 173 and making such examination, if any, of the accused as the Magistrate thinks necessary and after giving the prosecution and the accused an opportunity of being heard, the Magistrate considers the charge against the accused to be groundless, he shall discharge the accused, and record his reasons for so doing”.

25) In a complaint case under sec 245, CrPC the magistrate shall discharge the accused “when no case against the accused has been made out which, if unrebutted, would warrant his conviction”, but on the other hand in a police case the magistrate shall

discharge the accused when “the charge against the accused to be groundless”. It is clear from the difference in the language of these two sections, that in a complaint case the magistrate can more readily discharge the accused. It is implied in the provision of sec 245, CrPC that the discharge application must be rejected only when the evidence produced by the complainant under sec 244, CrPC is of such a nature that if it remains unrebutted then it would lead to the conviction of the accused.

26) In the instant case the complainant has neither explained the exact role of the applicant/accused Mamta and Ravi, nor has she attributed even a single specific act to either of them. All the allegations of harassment and beating are made generally against all the accused. All the incidents described in the complaint are alleged to be committed by all the accused, and there too no specific roles have been assigned to any of the accused. Therefore there is not even a prima facie case existing against the applicant/accused Mamta and Ravikant. Even if the evidence of the complainant remains unrebutted still it cannot warrant the conviction of the applicant/accused Mamta and Ravikant, and therefore the requirements of discharge under sec 245 CrPC are fulfilled in respect of the applicant/accused Mamta and Ravikant.

27) **The fifth issue for consideration** is whether there are independent witnesses to support the testimony of the complainant? The complainant has stated in her chief examination under sec 244 CrPC as follows “On 29/12/2017 at 2:00 pm an incident happened. All the above named persons came to my parents in Gangdundwara and repeated their demand of one motor-cycle bullet and two lakh rupees. On the refusal by me and my mother, they gave a threat that if Sony came to their home without fulfilling the demands then they would kill her. They even refused to return all my stridhan, and abused. The witnesses of incidents are me, my mother, my brother Brij Kishore, sister Bharti, and many person of nearby locality”. Therefore, as per the complainant’s own testimony there were many persons who witnessed the incident dated 29/12/2017 and yet no independent witness has been produced by the complainant to support her case. The complainant has not even produced her mother or brother or sister as witness in the case, despite her statement that they were present at the spot on 29/12/2017.

28) **The sixth issue for consideration** is that the complainant has alleged that her stridhan had not been returned, so is it probable that the applicants/accused Mamta and Ravikant have the stridhan of the complainant? In Indian society it is a tradition that presents and jewellery are given to the bride from the side of her parents and other relatives, and many times those presents and jewellery are kept in the custody of the husband. Keeping in mind the provisions of sec 114, IEA, the presents/jewellery given in the marriage would be used by the husband and the parents in law of the bride. If the family is a joint family, then the brother in law or unmarried sister in law of the bride may also use them. And, there are extremely bleak chances that a married sister would either use the presents given in the marriage of her brother or keep them in custody. Though, in marriages, there may be some items which may be given to married sister in law (nanad) or her husband (nandoi) out of customary practices but they would then be in the nature of gifts and they cannot be counted as stridhan. As far as stridhan is concerned, generally, it would neither be used by the sister in law (nanad) or her husband (nandoi), nor it would be in their custody as the married sister in law does not live in her parents' home rather she lives with her husband. It would be a very rare situation when the sister in law (nand) or her husband (nandoi) either use the stridhan of the newly wedded wife or keep it under their custody, and in such situations this fact must be specifically stated by the complainant in her evidence along with the peculiar circumstances which make it possible. In the instant case, the complainant has not made any such specific statements indicating that the sister in law (nand) or her husband (nandoi) either used her stridhan or kept it under their custody. Therefore, it is clear that in this respect of the custody of stridhan and breach of entrustment too, no prima facie case is made out against the applicant/accused Mamta and Ravikant.

29) Last but not the least the learned advocate of the complainant remarks in the arguments that a practice of discharge is not followed in the district courts of Uttar Pradesh. Factually, it may be true, but the court has to be guided by the considerations of Law and Justice, and when the law is clear on a particular point then there is no need to resort to any contradictory practice. When the evidence under sec 244 CrPC has been recorded and no prima facie case is made out against some or

all of the accused then it is not just the power of the court to discharge the accused but it is also the duty of the court to discharge the accused. When there is no prima facie case made out against an accused and still the court frames charge against that accused and the trial goes on till acquittal, then it would certainly result in gross injustice and it also amounts to abuse of the process of law. The trial may itself be a punishment for an innocent person, and the longer the trial goes on, the longer the suffering of such person persists. There is clear provision of law (i.e. sec 245, CrPC), which not just gives power to the court to discharge the accused but obligates the court to discharge (as “shall” word is used in sec 245, CrPC) the accused when the requisite condition mentioned thereunder are fulfilled.

- 30) On the basis of the above-mentioned discussion there is no case made out against the applicant/accused Mamta and Ravikant on the basis of the evidence tendered under sec 244, CrPC, which can warrant their conviction, and therefore the application of the accused Mamta and Ravikant is worthy of being accepted under sec 245 CrPC.

Order

31) The application of the applicants/accused Mamta and Ravikant (indexed as 23B) under sec 245, CrPC dated 04.06.2022 is accepted, and applicants/accused Mamta and Ravikant are hereby discharged from the proceedings of this case.

Date 16.03.2023

AVNEESH KUMAR,
CIVIL JUDGE (JD)/JM-FTC
(CRIME AGAINST WOMEN)
DISTRICT COURT, KASGANJ, UP

Applications under 156(3)

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/त्वरित न्यायालय, कासगंज।

प्रकीर्ण वाद संख्या-09/2022

नत्थो देवी बनाम् सत्यवीर आदि।

CNR No.UPKR040109882021

दिनांक-16.02.2023

प्रकीर्ण पत्रावली पेश हुई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थिया द्वारा अंतर्गत धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता 1973, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली आज बहस एवं आदेश हेतु नियत

है। प्रार्थिया की ओर से थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने हेतु प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं० प्र० सं०, संक्षेप में इस कथन के साथ, प्रस्तुत किया गया है कि-

- 1) प्रार्थिया नत्थों देवी पत्नी मूलचन्द्र निवासी सेमरा मोर्चा थाना सिद्धपुरा जनपद कासगंज की सीधी सादी 60 वर्षीय घरेलू अनपढ़ महिला है।
- 2) प्रार्थिया की भूमि सं०-165 स्थिति ग्राम सेमरा मोर्चा परगना सिद्धपुरा तहसील सहावर को लगभग 22 वर्ष से जोत बो रही उक्त खेत प्रार्थिया ने श्यामवीर पुत्र रामसिंह से नम्बरों के साथ क्रय किया था। क्रय करने के उपरान्त श्यामवीर ने अन्य सह-खातेदारों द्वारा प्रार्थिया को सबसे कमजोर खेत भूमि सं० - 165 दे दिया।
- 3) प्रार्थिया द्वारा उसे अपनी मेहनत से उपजाऊ बनाया और उसे 21 वर्ष जोत व बो रही है। इस समय प्रार्थिया के उक्त खेत में बाजरा की फसल थी। जिसे गाँव के सत्यवीर पुत्र रघुराज, सुनील पुत्र बलवीर, दुलारे पुत्र बहोरी, उमेश पुत्र रामसिंह, निक्की पुत्र उमेश जबरन अपनी गुण्डई के बल पर फसल को काटकर ले जा रहे थे तथा प्रार्थिया को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे।
- 4) जिस पर प्रार्थिया ने माननीय सिविल जज (जू०डि०) द्वितीय कासगंज के यहाँ मूलवाद सं०-210/2021 नत्थो देवी बनाम् सत्यपाल आदि बाबत् स्थाई व्यादेश प्रस्तुत किया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण सत्यपाल आदि को नोटिस जारी किया तथा मौके की यथास्थिति की जानकारी हेतु कमीशन बनाम् अमीन द्वारा जारी किया न्यायालय में उपस्थित अमीन महोदय द्वारा मौके की स्थिति माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की तथा वादिया नत्थों देवी को मौके पर काबिज दर्शाया गया है तथा प्रतिवादीगणों को उक्त मुकद्दमा की जानकारी दी गयी उसके बाबजूद भी जानकारी होते हुये कि न्यायालय में मुकद्दमा विचाराधीन है।
- 5) दिनांक 10.10.2021 को समय करीब 12:00 बजे दिन में सत्यवीर पुत्र रघुराज उमेश पुत्र रामसिंह, दुलारे पुत्र बहारी, मनोज पुत्र यदुनाथ सिंह, निक्की पुत्र उमेश, सन्तोष पुत्र राजेन्द्र, सचिन पुत्र रामकुमार, अंकित पुत्र सत्यवीर, सुनील पुत्र बलवीर, वोवी पुत्र बन्दू व अन्य लोगों को लेकर एकराय मशवरा होकर प्रार्थिया के खेत में खड़ी बाजरा की फसल को जबरन अपनी गुण्डई के बल पर ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी करके उसमें भरने लगे जानकारी होने पर प्रार्थिया अपने पुत्र ग्रीशचन्द्र व जीतू को लेकर खेत पर गयी और उन्हें फसल बाजरा को ले जाने से रोकने का प्रयास किया तो उपरोक्त लोगों ने प्रार्थिया व उसके पुत्र ग्रीश चन्द्र व जीतू को मारापीटा गंदी गंदी गालियाँ दी व जान से मारने की धमकियाँ दीं निक्की व मुकेश ने नाजायज तमंचा मेरे लड़कों की कनपटी पर रखकर जान से मारने की नीयत से फायर किया जो मिस हो गया। जिससे मेरे पुत्रगण ग्रीश व जीतू बाल बाल बच गये।

6) मैं अपने पुत्रों सहित जान बचाकर घर की तरफ भाग आये। उपरोक्त सभी लोग प्रार्थिया की फसल को लूटकर ले गये। जिससे प्रार्थिया को करीब 30 हजार रुपये की क्षति हुई है। सारी घटना को अनिल व अन्य काफी लोगों ने देखा। उनके भय की वजह से उनके सामने गवाही देने को कोई तैयार नहीं है।

7) प्रार्थिया अपने पुत्रों के साथ थाना सिद्धपुरा गयी, तहरीर दी, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई।

8) मजबूर होंकर प्रार्थिया ने एक प्रार्थनापत्र श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय कासगंज वजरिये रजिस्ट्रीडांक से प्रेषित किया परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है उपरोक्त लोग प्रार्थिया को खुलेआम धमकियाँ दे रहे हैं। मजबूर होकर प्रार्थिया श्रीमान् जी के न्यायालय में अपना प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर रही है।

9) अभियुक्त गण द्वारा गंभीर एवं संज्ञेय प्रकृति का आपराधिक कृत्य किया है जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराया जाकर विवेचना कराया जाना आवश्यक है ।

थाने की आख्या रिपोर्ट इस प्रकार है कि आवेदिका श्रीमती नत्थो देवी पत्नी मूलचंद्र निवासी सेमरा मौर्चा थाना सिद्धपुरा जनपद कासगंज की जांच मुझ उप निरीक्षक द्वारा की गई तो बाबत इस प्रकार पाये आवेदिका श्रीमती नत्थो देवी उपरोक्त का खाता सं० 45,135,165,166 की सह खातेदार है जिसमें आवेदिका द्वारा भारतीय स्टेट बैंक से 2,30,000/- ऋण लिया गया है। आवेदिका खाता सं० 165 में सभी खातों का खेत चाहती है। इस संबंध में आवेदिका की तरफ से वादी प्रदीप s/o श्री रामशंकर की तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 97/21 धारा 147/148/323/452/504/506 ipc बनाम मनोज भदौरिया आदि 19 नफट दिनांक 09.05.2021 को पंजीकृत हैं विवेचना क्रम में गुणदोष के आधार पर आरोप पत्र सं 97/21 दिनांक 04.08.2021 को माननीय न्यायालय को प्राप्ति किया जा चुका है। तथा विपक्षी पक्ष की तरफ से वादीया श्रीमती सुनीता कुमारी w/o मनोज कुमार मु०अ० सं० 100/21 Act 147/148/323/504/506/452 ipc बनाम प्रदीप कुमार पुत्र रामशंकर आदि 10 नफट दिनांक 11.05.2021 को पंजीकृत है विवेचना क्रम में गुणदोष के आधार पर आरोप पत्र सं० 132/21 दिनांक 22-09-2021 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। तथा आवेदिका की तरफ से माननीय सिविल जज जू०डि० ॥ कासगंज में वाद सं० 210/21 विचाराधीन है । दोनो पक्षों में जमीन बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। इस संबंध में दोनो पक्षों के विरुद्ध दिनांक 20.10.2021 को धारा 107/116 crpc की कार्यवाही की जा चुकी हैं उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

प्रार्थना पत्र पर प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने। प्रार्थिया के अधिवक्ता द्वारा सुनवाई के दौरान यह तर्क दिया गया कि प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में वर्णित घटनाएं संज्ञेय प्रकृति की हैं। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

प्रस्तावित अभियुक्तगण एवं वादिया कुछ खेतों में सह खातेदार हैं अतः यह मानना थोड़ा मुश्किल है कि प्रस्तावित अभियुक्तगण का प्रभाव सामाजिक या आर्थिक रूप से इतना ज्यादा है कि उनके भय की वजह से कोई प्रार्थिया द्वारा वर्णित घटनाओं का साक्षी बनने को तैयार नहीं है। प्रार्थिया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तावित अभियुक्तगण का कोई ऐसा आपराधिक इतिहास भी नहीं दर्शाया गया है कि जिससे कि यह माना जा सके कि प्रस्तावित अभियुक्तगण का प्रभाव क्षेत्र में इतना ज्यादा है कि कोई प्रस्तावित अभियुक्तगण के विरुद्ध गवाही नहीं देना चाहता।

प्रार्थिया द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में कथन किया है कि दिनांक 10.10.2021 को प्रस्तावित अभियुक्तगण प्रार्थिया के खेत में आये और बाजरा की फसल को जबरन अपनी गुण्डई के बल पर ट्रैक्टर ट्राली खड़ी कर उसमें भरने लगे और रोके जाने पर प्रस्तावित अभियुक्तगण ने प्रार्थिया व उसके पुत्रगण ग्रीशचन्द्र एवं जीतू को मारापीटा एवं गन्दी गन्दी गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी और प्रस्तावित अभियुक्त निक्की व मुकेश ने नाजायज तमंचे से फायर किये। ऐसी घटना जहां पर मारपीट हुई और नाजायज असलहे से गोली भी चलायी गयी, निश्चित रूप से एक गंभीर घटना है और ऐसी घटना होने पर यह स्वाभाविक है कि पीड़ित पक्ष उसी समय पुलिस को काल करेगा, अपितु यदि पीड़ित पक्ष पुलिस को काल न भी कर पाये तो ऐसी दशा में सामान्य रूप से आस-पड़ोस के लोग गोली चलने पर पुलिस को काल करते हैं। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में कहीं पर भी प्रार्थिया द्वारा यह विवरण नहीं दिया कि वहां पर पुलिस आयी या प्रार्थिया ने पुलिस को काल किया। प्रार्थनापत्र की यह चूक निश्चित रूप से प्रार्थिया के संस्करण पर गंभीर संदेह उत्पन्न करती है।

दिनांक 10.10.2021 की घटना के सम्बन्ध में प्रार्थिया द्वारा कोई भी चिकित्सीय प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। एक घटना जहां पर मारपीट हो एवं असलहे से गोली भी चलायी जाये, वहां सामान्य रूप से पीड़ित पक्ष को कुछ चोटें जरूर आयेंगी, पर प्रार्थनापत्र में ना तो किसी चोट का कोई विवरण दिया गया है और ना ही किसी चोट के सम्बन्ध में कोई चिकित्सीय दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। अपितु प्रार्थनापत्र में यह भी नहीं बताया गया है कि चोट लगने के पश्चात पीड़ित पक्ष द्वारा कहां पर इलाज कराया गया या किस डाक्टर से दवाई ली गयी, जिससे पुनः प्रार्थिया के संस्करण पर प्रश्न खड़ा होता है।

प्रार्थिया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह बताया गया है कि प्रार्थिया ने एक सिविल वाद (मूलवाद संख्या-210/21) प्रस्तावित अभियुक्तगण के विरुद्ध दायर किया है, पर प्रार्थिया द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में कहीं पर भी दोनों पक्षों के मध्य एक-दूसरे के विरुद्ध की गयी एफ.आई.आर. और चार्जशीट का कोई जिक्र नहीं किया गया है। पुलिस आख्या में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के विरुद्ध एफ.आई.आर. की और दोनों ही मामलों में पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। इससे पुनः पता चलता है कि प्रार्थिया न्यायालय के समक्ष सम्पूर्ण विवरण नहीं रखना चाहती।

पुलिस द्वारा अपनी आख्या में यह भी बताया गया है कि दोनों पक्षों के विरुद्ध पुलिस द्वारा धारा 107/116 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत कार्यवाही की गई है जिससे पता चलता है कि दोनों पक्षों के मध्य तनाव है और उनके मध्य लड़ाई झगड़ा होने की प्रबल संभावना है। और इससे पुनः प्रार्थिया के इस संस्करण पर संदेश उत्पन्न होता है कि मामले में वह केवल एक पीड़ित पक्ष है और दूसरा पक्ष उसे प्रताड़ित कर रहा है। अपितु यह प्रतीत होता है की दोनों ही पक्ष उग्र स्वाभाव के हैं, जिनमे आपस में रंजिश बनी रहती है।

मामले के सभी तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रतीत होता है कि दोनों पक्षों के मध्य में जमीन को लेकर विवाद है और उसी विवाद को सुलटाने हेतु एवं दूसरे पक्ष पर दबाव बनाने हेतु यह प्रार्थनापत्र प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

प्रार्थिया का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-156(3) सी-आर.पी.सी. निरस्त किया जाता है।

दिनांक 16-02-2023

सिविल जज(जू०डि०)/

जे०एम०-एफ०टी०सी०,

कासगंज।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/त्वरित न्यायालय, कासगंज।

प्रकीर्ण वाद संख्या-07/2022

सुनील कुमार बनाम अतर सिंह

CNR No. UPKR040124392021

दिनांक-29.07.2022

प्रकीर्ण पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है।

प्रार्थिया की ओर से थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने हेतु प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0 प्र0 सं0 संक्षेप में इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी की पत्नी ममता पुत्री श्री अतर सिंह निवासी नरायन नगला थाना गंजडुण्डवारा की महिला पुलिस चौकी थाना गंजडुण्डवारा में प्रार्थी का फैसला हुआ था कि वह प्रार्थी की दी गयी मोटर साईकिल तथा प्रार्थी बच्ची को अपने साथ लेकर अपने पति के साथ आयेगी। दिनांक - 15.11.2021 को प्रार्थी अपनी पत्नी को उसके पीहर बुलाने गया तो प्रार्थी की पत्नी अपने पीहर से प्रार्थी को दी गयी मोटर साईकिल, प्रार्थी की बच्ची तथा प्रार्थी के द्वारा चढाये हुये जेबर नहीं लायी। वह अकेली आयी। प्रार्थी के साथ कुछ दिन तक तो ठीकठाक रही। दिनांक 23.11.2021 को समय करीब 04:00 बजे दिन प्रार्थी की माँ ओमवती ने प्रार्थी की पत्नी से कहा कि तुम कुछ काम नहीं करती हो, तुम पर अपने कमरे में झाडू भी नहीं लगता। इसी बात पर प्रार्थी की पत्नी ममता प्रार्थी की माँ को गाली गलौज करने लगे और अपने पीहर फोन कर दिया। उसके पीहर से प्रार्थी की पत्नी के पिता अतर सिंह पुत्र नामालूम व भाई पंकज व मोनू उर्फ बिजेन्द्र व अमित उर्फ गुड्डू निवासी नरायन नगला थाना गंजडुण्डवारा जिला कासगंज प्रार्थी के पीछे प्रार्थी के घर पर चढकर आये। प्रार्थी की पत्नी ममता तथा मुल्जिमान उपरोक्त ने एकराय मशवरा होकर प्रार्थी की माँ ओमवती प्रार्थी की बहिन रेशमा व एकता को बुरी तरह घर में घुसकरके मारापीटा, शोर पर प्रार्थी का भाई विकास तथा सचिन आदि लोग आ गये जिन्होंने प्रार्थी की माँ व बहिनों बचाया तो मुल्जिमानों ने जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थी की पत्नी ने उल्टा ही पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस मौके पर आ गयी और प्रार्थी की पत्नी की बात झूठ निकली उसके बाद प्रार्थी की पत्नी ममता थाने से ही मुल्जिमान उपरोक्त के साथ चली गयी। तब प्रार्थी की माँ ने प्रार्थी को सारी बात बताई तब प्रार्थी ने थाने में प्रार्थनापत्र दिया तो उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की। तब प्रार्थी ने समस्त घटना के बाबत पुलिस अधीक्षक महोदय, कासगंज को वजरिये रजिस्ट्री डाक प्रार्थनापत्र प्रेषित किया परन्तु कोई कार्यवाही अमल में नहीं लायी गयी। तब मजबूरन प्रार्थी यह प्रार्थनापत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। अतः थाने में रिपोर्ट दर्ज कराये जाने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

प्रस्तुत मामले में प्रार्थी के द्वारा अभियुक्तगण पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने प्रार्थी की बहन रेशमा व एकता को बुरी तरह घर में घुसकर के मारापीटा। यदि किसी को बुरी तरह मारा पीटा जाएगा तब यह निश्चित है कि उस व्यक्ति को कई तरह की चोटें आएंगी, प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ ऐसा कोई चिकित्सीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो गे हो सके की प्रार्थी की बहनों को तथाकथित मारपीट से कोई चोट आई थी। अपितु प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कहीं पर भी उसकी बहनों को आई किसी भी चोट का कोई विशिष्ट विवरण नहीं दिया गया है जिससे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथाकथित घटनाओं की सत्यता पर निश्चित रूप से संदेह उत्पन्न होता है।

इसके अतिरिक्त इस तथ्य पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है कि एक लड़की के भाई उसके ससुराल जाकर उस लड़की की ननंद के साथ मारपीट करेंगे। ऐसी घटनाओं का घटित होना असंभव तो नहीं है पर निश्चित रूप से भारतीय समाज के स्वरूप को देखते हुए इसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि लड़की को अपने ससुराल में आगे भी रहना होगा और लड़की के भाई लड़की के लिए निश्चित रूप से इस बात को लेकर चिंतित रहेंगे।

प्रार्थना पत्र में यह भी स्वीकार किया गया है कि तथाकथित अभियुक्त ममता ने ही पुलिस को कॉल किया था, पर यदि प्रार्थी की बहनों के साथ अभियुक्तगण द्वारा मारपीट की गई तब प्रार्थी और उसकी बहनों के द्वारा पुलिस को फोन क्यों नहीं किया गया इस बात का कोई स्पष्टीकरण प्रार्थना पत्र में नहीं दिया गया है जिससे पुनः प्रार्थना पत्र में वर्णित घटना की सत्यता पर संदेह उत्पन्न होता है।

प्रार्थना पत्र में यह भी बताया गया है कि प्रार्थी एवं अभियुक्त ममता के मध्य समझौता हुआ था, जिसके अनुसार प्रार्थी ममता को प्रार्थी द्वारा दी गई मोटरसाइकिल को लेकर प्रार्थी के घर आना था पर अभियुक्त ममता जब अपने पति सुनील के घर वापस आई तब वह मोटरसाइकिल एवं प्रार्थी के चढ़ाए हुए जेवर लेकर नहीं आई। यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अभियुक्त ममता से मोटरसाइकिल एवं गहने वापस लेने हेतु दबाव डालने के लिए डाला गया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा विपक्षी पर अनुचित दबाव बनाने एवं अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः उपरोक्त विस्तृत विवेचन व मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जाना सर्वथा उचित है कि प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं०प्र०सं० निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3)दं०प्र०सं० तदनुसार निरस्त किया जाता है। प्रकीर्ण पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दि०-29.07.2022

(अवनीश कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट/त्वरित न्यायालय,
कासगंज।

JO Code-UP3571

CIVIL COURT (JD)/JM-FTC (Crime Against Women)

Nazeem v. Rukhsaar etc.

(Criminal Miscellaneous) Case No.11/2022

CNR.NO.UPKR040050132022

Application under sec 156(3)

14.02.2023

The applicant has approached this court by way of submitting an application under section 156(3), Code of Criminal Procedure (hereinafter CrPC) 1973 against eight proposed accused, namely 1. Rukhsaar, 2. Rahat Miya, 3. Chahat Miya, 4. Chand Miya, 5. Asraar Miya, 6. Bahar Miya 7. Urvesh and 8. Mohammad Miya.

The applicant has submitted in his application the following facts-

- 1) The applicant was married to proposed accused no. 1 Rukhsaar on 11-02-2014 without any dowry or donation.
- 2) One son and one daughter were born to proposed accused no. 1 Rukhsaar while she was living well with the applicant.
- 3) Proposed accused no. 1 Rukhsaar has a stubborn and playful nature, who has never been concerned about the future of the children. And, she did not provide food to the applicant after labour, nor she let him had it. The applicant was insulted by Rukhsaar by use of slaps and kicks. On any reply by the applicant, Rukhsaar used to give him threats of spoiling his career. And, without informing, she keeps going to her parental house and coming to applicant's house. On being inquired, she started to quarrel.

- 4) On 30.7.2020, she took “costly jewellery and clothes” and went to her parents, along with the two children. After getting informed of that, the applicant went to his in-laws to ask his wife Rukhsar to come with him, where the brothers of his wife namely Rahat Miya, Chahat Miya, Chand Miya, Asraar Miya, Bahar Miya and relatives Mohammad Miya and Urvesh beat him up. The applicant suffered quite an injury to his backbone, and he was kept confined in a room for three hours, and then only he was allowed to come home.
- 5) On 04.07.2020, all the above named proposed accused beat Arbaaz who is the husband of the sister of applicant. On getting informed the son of applicant’s sister Uruz Alam and applicant reached there, then they were also beaten up, and a case (crime no. 145 of 2020) was registered by Uruz Alam regarding that, u/s 147, 149, 427, 188, 504, 506 and 51 of Indian Penal Code 1860, and the case is still under consideration.
- 6) On 25-02-2022, abovementioned Rahat Miya, Chahat Miya, Chand Miya, Arar Miya, Bahar Miya, and relatives Mohammad Miya and Urvesh, etc surrounded the applicant at Bamba, and they threatened the applicant in case the applicant does not keep his wife Rukhsar, and he was also beaten up. From the side of the town Navi Alam, Abhay etc reached at the spot. The applicant could be saved with the help of passersby, otherwise they would have committed some serious misdemeanor. There is consistent danger on the life and possessions of applicant. The police has been informed regarding this, and on the inaction of police, a registered post was sent to the Superintendent of Police, Kasganj. As police has not taken any action, therefore this application is being submitted.
- 7) The proposed accused are people of an inherent rogue and cunning nature, and they are a lot in number. It is very much required to take action against them. The proposed accused have committed an offence of cognizable nature.

A report has been called from the concerned police station (PS-Ganjdundwara, District Kasganj) regarding the application. The report submitted by the

police states that the proposed accused no. 1 Rukhsar and applicant Nazeem are husband and wife, and Rukhsar has filed two cases against the applicant Nazeem previously. The first case filed by Rukhsar against the applicant Nazeem is a case (no 333/2020) u/s 125, CrPC; and the second case (crime no. 162/2020) has been filed by proposed accused no. 1 Rukhsar against applicant Nazeem u/s 323, 120B of IPC and u/s 4 Muslim Women Marriage Act. The report further states that the pending cases against the applicant are the reason for the present application by the applicant.

The learned counsel on behalf of the applicant has vehemently argued that it is a fit case for registration of an FIR. Arguments heard and file thoroughly perused.

It is alleged by the applicant that he was beaten up on 30.07.2020, by the proposed accused no. 2 to accused no. 7, and he got quite an injury to his backbone. To inflict an injury to the backbone, the applicant must have been beaten up grievously by the accused persons, because just by “slaps or kicks” a person would generally not get an injury to his backbone. But, the applicant has not submitted any medical documents to prove the injury to his backbone or any other injury. As per the version of the applicant, he was beaten up by seven persons, and he suffered an injury to his backbone, then in such a scenario he must have suffered some other injuries too, but there is no mention of any other injury inflicted on the applicant by the beating of the proposed accused. There is no mention in the application, of any hospital, where the applicant was treated or any doctor who prescribed treatment to the accused for any injuries (including the injury to the backbone). This omission certainly raises serious doubts on the veracity of facts stated in the application.

All the allegations of threats and beating have been made against the proposed accused no. 2 to proposed accused no. 7, and there is no allegation against the proposed accused no. 1 Rukhsar, and therefore there was no logic to make her a proposed accused. The only faint allegation, which can be inferred against Rukhsar in the application is that she went to her parents along with valuable jewellery and clothing from her in-laws, but the application nowhere states that those jewellery and clothes belonged to someone else. A woman would naturally have *stridhan* (which would

definitely involve jewellery) and at least some costly clothes. From the language used in the application, it seems that the proposed accused no. 1 Rukhsar took her own jewellery and clothes (stridhan) when she went to her parents, because if she had taken the jewellery or clothes of someone else then the applicant would have mentioned this fact in the application in clear words. Therefore, on the facts of the application Rukhsar has not committed any ostensible offence, and yet Rukhsar is made the first proposed accused in the application, and it gives an impression that the applicant had some issues with his wife and hence it proceeded to make her an accused. It certainly creates doubts on the veracity of facts stated in the application.

The applicant mentions in the third paragraph of the application that Rukhsar (proposed accused no. 1) is a stubborn and playful woman, who does not concern herself with the children's future nor she provides food to the applicant, and this again fortifies the reasoning that the real dispute between the parties is matrimonial, and applicant has tried to seek vengeance by filing this application.

From the report of the police also it is clear that proposed accused no. 1 Rukhsar had filed two cases against the applicant, and it also gives an impression that out of grudge the applicant has filed this application to settle the score with his wife by making her proposed accused no. 1, and making her brothers as other proposed accused.

Further, the applicant has not made any disclosure in his application about these two cases mentioned in the police report, which have been filed against him by the proposed accused no. 1 Rukhsar, though he has mentioned about the case which has been filed by his sister's son against the proposed accused. This makes it clear that the applicant did not want to disclose all the material facts, and this again creates doubts on the veracity of facts stated in his application.

Considering the totality of the circumstances and the facts stated in the application, the application does not have merit to be accepted.

Order

The application under sec 156(3), CrPC is hereby rejected.

Date- 14.02.2023

AVNEESH KUMAR,
CIVIL JUDGE (JD)/JM-FTC
(CRIME AGAINST WOMEN)
DISTRICT COURT,
KASGANJ, UP

Protest Petition Disposal

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/त्वरित न्यायालय, कासगंज।

प्रकीर्ण वाद संख्या-173/2020

श्री सोरन सिंह बनाम देव मोनू उर्फ रमन आदि।

मु०अ०सं०-94/18

धारा-498 ए, 323, 316 भा०दं०स०

धारा- 3/4 डी०पी०एक्ट।

थाना सहावर व जनपद कासगंज

22.07.2022

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आदेश हेतु नियत है। वादी मुकदमा द्वारा अपराध संख्या- 94/18, अन्तर्गत धारा- 498 ए, 323, 316 भा०दं०स० व 3/4 डी०पी०एक्ट, थाना सहावर, जिला कासगंज के मामले में प्रेषित अंतिम आख्या के विरुद्ध प्रोटेस्ट पिटीशन प्रस्तुत किया गया है।

सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

वादिनी द्वारा प्रस्तुत प्रोटेस्ट पिटीशन प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि यह कि प्रार्थी सोरन सिंह पुत्र श्री छविराम सिंह निवासी ग्राम बढारी खुर्द, थाना सहावर, जिला कासगंज का रहने वाला है तथा उक्त मुकदमा का वादी एवं पीड़िता का पिता है एवं मुकदमा के तथ्यों से भली भांति परिचित है। प्रार्थी ने अपनी पुत्री कु० संध्या (सरस्वती) की शादी देव (मोनू) उर्फ रमन पुत्र श्री नरेश सिंह निवासी नन्दगांव थाना कोतवाली देहात एटा जिला एटा के साथ दिनांक 27.4.2016 को भांवेरे पढ़कर की थी। मैंने अपनी पुत्री की शादी में करीब 6 लाख रूपया खर्च किया था लेकिन मेरी पुत्री के ससुरालीजन पति देव (मोनू) उर्फ रमन पुत्र नरेश सिंह व नरेश सिंह पुत्र रक्षपाल सिंह (ससुर), शान्ती देवी पत्नी नरेश सिंह (सास), अरुण कुमार पुत्र नरेश सिंह (जेठ) व खुशबू पत्नी अरुण (जेठानी) सचिन पुत्र नरेश सिंह (देवर) रानी पुत्री नरेश सिंह (ननद) निवासीगण नन्दगांव थाना कोतवाली देहात एटा जिला एटा दान दहेज से संतुष्ट नहीं थे और अतिरिक्त दहेज में शादी के बाद से ही एक मोटरसाइकिल व एक लाख रूपया अतिरिक्त दहेज की मांग करते चले आ रहे हैं प्रार्थी ने काफी समझाया लेकिन उपरोक्त लोग मेरी पुत्री को बिना अतिरिक्त दहेज के रखने को

तैयार नहीं है और दिनांक 06.01.2018 को मारपीट कर घर से निकाल दिया तथा उपरोक्त सभी लोगो ने एकराय मशवरा होकर मेरी पुत्री के गर्भ को मारपीट कर पेट में लात मारकर गिरवा दिया मैंने अपनी पुत्री की ससुरालवालों को गवाहान सरनाम सिंह पुत्र ऐवज सिंह निवासी गुडगुडी व शीलेन्द्र पुत्र वीरेन्द्र निवासी बढारी खुर्द थाना सहावर जिला कासगंज को लेकर समझाया बुझाया लेकिन वह किसी कीमत पर मेरी पुत्री को रखने को तैयार नहीं है। प्रार्थी द्वारा इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक -13.03.2018 को मु०अ०सं०-94/2018 अन्तर्गत धारा-498 ए, 323, 316 आई०पी०सी० व 3/4 डी०पी० एक्ट में थाना सहावर पर पंजीकृत करायी गयी। तत्पश्चात् मुकदमा में विवेचना प्रचलित हुई। उपरोक्त प्रकरण में पत्रावली सुलह हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुलह समझौता परामर्श केन्द्र कासगंज में चला जिसमें विपक्षीगण योजनावत् एवं षड्यन्त्र के तहत समझौता के आधार पर प्रार्थी / वादी की पुत्री / पीड़िता को साथ बुलाकर ले गये और विपक्षीगण द्वारा सम्बन्धित विवेचक को आर्थिक लाभ देकर अपने पक्ष में लेते हुए प्रार्थी / वादी एवं पीड़िता को विश्वास में लेकर अपने पक्ष में साक्ष्य कराते हुए मुकदमा उपरोक्त में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करा ली। तत्पश्चात् उक्त मुकदमा में विवेचक महोदय द्वारा "अब तक की तमामी विवेचना, बयान वादी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटनास्थल, समाही साक्ष्य अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं है। दोनों पक्षों में परिवार परामर्श केन्द्र पर आपसी सहमति हो गयी है। अतः मुकदमा उपरोक्त की विवेचना द्वारा अन्तिम रिपोर्ट संख्या-38/18 आज दिनांक 06.06.18 को समाप्त की जाती है" अंकित कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गयी है। विपक्षी देव मोनू उर्फ रमन मथुरा में हलवाईगिरी का ठेकेदारी पर कार्य करता है तथा विपक्षी देव मोनू उर्फ रमन पीड़िता को अपने घर ले जाने के दो दिन पश्चात् ही मथुरा चला गया तथा विपक्षी देव मोनू उर्फ रमन पीड़िता को यह झूठा आश्वासन देता रहा कि मेरा मथुरा में प्लाट है और उस पर मकान बनवाने के पश्चात् मैं तुम्हे भी अपने साथ ले चलूंगा, कि लगभग दो वर्ष पश्चात् प्रार्थी/वादी की पुत्री / पीड़िता को ज्ञात हुआ विपक्षी देव मोनू उर्फ रमन ने पीड़िता के जीवित रहते हुए एवं पीड़िता को तलाक दिए बिना नेहा नामक महिला से दूसरा विवाह कर लिया है जिससे संसर्ग से एक पुत्र भी है एवं पुत्र के जन्म होने के पश्चात् विपक्षीगण ने प्रार्थी /वादी की पुत्री/पीड़िता का समस्त स्त्रीधन छीनकर मात्र पहने हुए कपड़ों में घर से निकाल दिया और विपक्षीगण ने कहा कि हम तुझे षड्यन्त्र के तहत मुकदमे को समाप्त कराने की योजना से साथ लेकर आये थे अब आने मुकदमा समाप्त हो चुका है अब तेरा यहा कोई काम नहीं है तथा पुनः पर अथवा कोई कार्यवाही करने पर जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थी/वादी की पुत्री/पीड़िता ने विपक्षी देव मोनू उर्फ रमन के विरुद्ध भरण पोषण का वाद अन्तर्गत धारा- 125 सी - आर०पी०सी० का वाद संख्या-32/2022 श्रीमती संध्या उर्फ सरस्वती बनाम देव मोनू उर्फ रमन, माननीय प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय कासगंज में प्रस्तुत की गयी जिसकी जानकारी विपक्षी देव मोनू उर्फ रमन को गयी, जिसमें विपक्षी देव मोनू उर्फ रमन जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ और मुकदमे की पैरवी बाला - बाला तरीके से करता रहा, जिसमें माननीय प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय कासगंज द्वारा एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया गया है। प्रार्थी/वादी की पुत्री/पीड़िता के साथ अभियुक्तगण द्वारा गम्भीर कृत्य कारित किया गया है एवं प्रार्थी/वादी अभियुक्तगण को दण्डित कराना चाहता है। उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट न्यायहित में खारिज होने योग्य है, जिससे प्रार्थी/वादी एवं पीड़िता को न्याय मिल सके। प्रथमदृष्टया अभियुक्तगण द्वारा कथित घटना से सम्बन्धित अपराध का कारित किया जाना पाया

जाता है। ऐसी स्थिति में उक्त केस के विवेचक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट संख्या - 38 / 2018 को निरस्त कर अभियुक्तगण को धारा -190 (1) (B) के तहत तलब किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया। इस मामले में प्रार्थी द्वारा अभियुक्तगण पर यह आरोप लगाया गया है उनके द्वारा दहेज हेतु प्रार्थी की पुत्री का उत्पीड़न किया गया। प्रार्थी द्वारा अभियुक्तगण पर यह आरोप भी लगाया गया कि अभियुक्तगण द्वारा मारपीट कर प्रार्थी की पुत्री के गर्भ को पेट में लात मारकर गिरवा दिया गया परंतु गर्भपात की इस घटना को प्रमाणित करने हेतु प्रार्थी द्वारा कोई चिकित्सीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अलावा प्रार्थी द्वारा अभियुक्तगण पर सभी आरोप सामान्य रूप से लगाए गए परंतु उन आरोपों को सिद्ध करने हेतु अभियुक्तगण द्वारा कारित विशिष्ट घटनाओं का कोई जिक्र नहीं किया गया है जिस से प्रार्थी द्वारा आरोपित आरोपों की सत्यता पर निश्चित रूप से संदेह उत्पन्न होता है।

इस मामले में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले विवेचक द्वारा कुछ विवेचना की गई थी जिसमें कि कुछ गवाहों के बयान भी शामिल थे। दिनांक 13/03/2018 को विवेचक द्वारा पप्पू पुत्र छेदालाल निवासी ग्राम नंद गांव, थाना- कोतवाली देहात ऐटा का बयान अंकित किया गया जिसमें कि साक्षी द्वारा बताया गया कि मोनू एवं संध्या के बीच में प्रेम विवाह हुआ था पर अब पता नहीं क्या बात हो गई है कि दोनों में झगड़ा होता रहता है तथा कुछ दिन पहले झगड़ा होने के बाद लड़की अपने मायके चली गई है।

दिनांक 13/03/2018 को ही विवेचक द्वारा ओमपाल पुत्र सरदार सिंह का बयान भी अंकित किया गया जिसमें किसी द्वारा बताया गया कि दोनों लोग यह कहते थे कि वह पूर्व जन्म के प्रेमी हैं और घर वालों ने दोनों की शादी करा दी अब पता नहीं क्यों दोनों में झगड़ा रहता है।

इन दोनों साक्षियों के बयान पता चलता है कि देव मोनू उर्फ रमन (अभियुक्त संख्या-1) एवं संध्या (प्रार्थी की पुत्री) के मध्य में विवाह उनके आपसी प्रेम संबंध की वजह से हुआ था, जिसके चलते उनके घर वालों ने उनकी शादी कराई थी। प्रेम संबंध के चलते किए गए विवाह में दहेज लोभ की संभावना, माता-पिता द्वारा तय किए गए विवाह की तुलना में कम रहती है। अतः इससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी की पुत्री एवं उसके पति के मध्य में जो विवाद था, वह दहेज से सम्बन्धित नहीं था, अपितु उनके मध्य झगड़ा अन्य कारणों की वजह से होता था। समस्त तथ्यों को ध्यान में रखने के पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस प्रोटेस्ट पिटीशन में ऐसे तथ्य नहीं दर्शाये गये हैं, जो इसे स्वीकृत करने योग्य बनाता हो।

आदेश

प्रकीर्णवाद उपरोक्त में अन्तिम आख्या के विरुद्ध प्रार्थी सोरन सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रोटेस्ट पिटीशन, दिनांकित 20.06.2022 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 22.07.2022

(अवनीश कुमार)

न्यायिक मजिस्ट्रेट/त्वरित न्यायालय,
कासगंज।

JO Code-UP3571

Protest Petitions

CIVIL COURT (JD)/JM-FTC (Crime Against Women)

Sunita v. Pradeep Pathak etc.

Complaint No.

CNR.NO.

Protest Petition

Date- 23.03.2023

File present. The petitioner present along with her Ld. Advocate. This protest petition has been submitted by petitioner Sunita with the prayer that the final/closure report dated 16.09.2018 must be cancelled and the proposed accused must be summoned. The contents of the protest petition are as follows:

- 1) The final/closure report has been submitted by the Investigating Officer (IO) on the basis of baseless and imaginary facts, which must be cancelled in every condition.

- 2) On the date 12.03.2018 at 4:00 pm, the accused Pradeep Pathak came to the petitioner, and told the petitioner to carry 5 cups of tea to his room, and he went to his room. After 12 min., the petitioner went to the room of Pradeep Pathak, and as she entered in his room, Bhuvnesh, Saurav, Ajaypal were already sitting there, and all those caught her with bad intention and started doing obscene activities with her. On protest, her clothes were torn with the intention of outraging her modesty, and the petitioner became half nude due to that. All of them beat her, and due to the beating the hipbone of the petitioner got broken.
- 3) The accused being the guards of the district jail, Kasganj, the report of the petitioner was not registered at the police station, Soron. Then the petitioner got the order of the court under sec 156(3), CrPC from the court, and then the matter got registered (as an FIR).
- 4) The IO of the case has presented the final/closure report by recording the statement by twisting the facts of the case with the intention of saving the accused who are constables of the police department.
- 5) The IO has recorded the statement of the petitioner in a fabricated manner under 161. The petitioner has not made any such statement.
- 6) The statement recorded about the petitioner filing the report under the deception of Gram Panchayat's pradhan Nathu Singh is totally baseless. The IO of the case has not taken any statement from the petitioner ever.
- 7) The statement of the petitioner under sec 164 has been recorded in the court, and in that the petitioner has supported the incident. Opposite to the statement of the petitioner under section 164, CrPC, the police has presented the final/closure report by showing the statement of the petitioner (under sec 161, CrPC), and the final/closure report must be cancelled.
- 8) On the date of the above mentioned incident, there was no case registered against the petitioner. During the investigation, the case no. 305/2018 is totally wrongly shown.

- 9) On the basis of that evidence collected by the IO during investigation, there is enough evidence to summon the accused.
- 10) IO of the case has not conducted independent and unbiased investigation, but he conducted interest based investigation and presented the final/closure report with the intention of saving the accused, and it has deprived the petitioner from getting justice.

The arguments of the Ld. Advocate on behalf of the petitioner heard and file perused.

In the statement of petitioner under sec 161, Code of Criminal Procedure, 1973, it is recorded by the investigative officer that the petitioner stated (G.D. Entry No. 19A/12) as follows “It was a mistake. I filed the case in the court on the behest of Nathu Pradhan. I did not go to give the tea, but these proceedings had to be started under the deception of Nathu Pradhan as the constables of the jail have registered cases against Nathu Pradhan and Me; and Nathu Pradhan said that unless you filed cases against the constables there would not be any settlement, and Me and you would be punished. Therefore, the proceedings by court had to be started.

On the other hand, the petitioner has stated in her statement under sec 164, CrPC as follows- “I have a tea shop in front of Jail.... On 12.03.2018, at 4:00pm Pradeep Pathak came to take tea. I know him because he comes to have tea at my shop. He ordered a cup of tea at his home. I went there with it, Sanjeev, Bhuvnesh and Ajaypal were also there. They all live in jail. Pradeep caught me by hand, and Bhuvnesh caught me from behind, I came out shouting and fell, and got hurt. Noone reached there on the shouting, on the gate I met two persons who were grass cutters, whom I told all the details. I dont know their names. I told the details to Nathu Pradhan, and he made the complaint and sent it to the police station”.

It is clear that the petitioner has supported her allegations against the proposed accused persons in her statement under sec 164, CrPC, though it is recorded in her statements under sec 161 by the IO, that she stated that she filed the cases on behest of Nathu Pradhan. The statement recorded under sec 164, CrPC is certainly much more reliable as the statement is recorded by a judicial officer. As the statement recorded under section

161, CrPC is contradictory to the statement recorded under sec 164, CrPC, it cannot be ruled out that the IO may have put some pressure on the petitioner or the IO may have recorded that statement in a twisted way or the petitioner may have given the statement under fear as the proposed accused are also police personnel. On the other hand the version presented by the petitioner in her protest petition also does not seem to be very strong as the IO has recorded the statement of many persons who have denied the incident. Though these witnesses are from jail staff, but it is natural because in a jail, outside persons are not present. But, still the petitioner must be given a chance to present her evidence in a complaint case.

On the basis of the above discussion, it seems proper in the interest of justice that the final/closure report filed by the IO be rejected and the protest petition of the petitioner be registered as a complaint.

Order

The final/closure report filed by the IO is hereby rejected and the protest petition of the petitioner be registered as a complaint. The petitioner/proposed complainant is directed to appear on the next date and present the list of witnesses (if any) for recording of evidence in her support and get her statement recorded under sec 200, CrPC.

Date 23.03.2023

AVNEESH KUMAR,
CIVIL JUDGE (JD)/JM-FTC
(CRIME AGAINST WOMEN)
DISTRICT COURT, KASGANJ, UP

File Abated Order

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०/एफ०टी०सी०, कासगंज।

दाण्डिक वाद संख्या-110/21,

CNR No.UPKR040101602019

राज्य बनाम रामवीर।

अ०सं०-154/1989,

धारा-380 भा०दं०सं०

थाना-कासगंज, जिला-कासगंज।

दिनांक-17.11.2022

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं। अभियुक्त रामवीर ठाकुर पुत्र सुल्तान सिंह ठाकुर, निवासी ग्राम लुहरा, थाना हरदुआगंज, जिला अलीगढ़, हाल निवासी ग्राम नगला मोती, थाना सोरो, जनपद कासगंज के सम्बन्ध में इस आशय की आख्या प्राप्त हुई है कि अभियुक्त रामवीर पुत्र सुल्तान सिंह निवासी ग्राम नगला मोती उर्फ हरनाथपुर, थाना सोरो जनपद कासगंज ग्राम नगला मोती के निवासी नहीं है, यह ग्राम लुहरा थाना हरदुआगंज के निवासी हैं, इनकी मृत्यु करीब 10 वर्ष पूर्व हो चुकी है। आख्या सम्बन्धित थानाध्यक्ष द्वारा अग्रसारित है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित पैरोकार का बयान भी कराया जा चुका है। चूंकि अभियुक्त रामवीर ठाकुर की मृत्यु हो चुकी है। अतः अभियुक्त रामवीर ठाकुर के विरुद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है। मामले में अन्य कोई अभियुक्त नहीं है। अतः पत्रावली को लम्बित रखने का कोई औचित्य नहीं है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(अवनीश कुमार)

सिविल जज (जू०डि०)

जे०एम०/एफ०टी०सी०,
कासगंज।

न्यायालय न्यायिक सिविल जज(जूंडि०)/जे०एम०/एफ०टी०सी०, कासगंज।

परिवाद संख्या	1727/22
Computer no.	1727/2020
CNR NO. UPKR040052282016	

परवीन बानो

बनाम

अहमद अली आदि।

धारा-498 ए, 120 बी भा०दं०सं०।

थाना-सोरो, जिला-कासगंज।

दिनांक-20.01.2023

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं। अभियुक्तगण अहमद अली, मौहम्मद इसहाक, श्रीमती कल्लो एवं मुख्तयार के सम्बन्ध में इस आशय की आख्या प्राप्त हुई है कि अभियुक्तगण अहमद अली, मौहम्मद इसहाक, श्रीमती कल्लो एवं मुख्तयार की मृत्यु हो चुकी है। (59 ब) आख्या सम्बन्धित थानाध्यक्ष द्वारा अग्रसारित है। साथ ही मकान स्वामी की लिखित तहरीर इस आशय की प्राप्त है कि उपरोक्त अभियुक्तगण मेरे मकान में लगभग 50 वर्ष पूर्व से मकान में किराये पर रहते थे, उपरोक्त सभी की मृत्यु हो चुकी है। तामीला के सम्बन्ध में द्वितीयक साक्षी हैड कांस्टेबल रामप्रताप सिंह का साक्ष्य अंकित किया गया। मामले में अन्य कोई अभियुक्त नहीं है। पत्रावली को लम्बित रखने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अभियुक्तगण अहमद अली, मौहम्मद इसहाक, श्रीमती कल्लो एवं मुख्तयार के विरुद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

परिवाद संख्या-1727/2020, परवीन बानो बनाम अहमद अली आदि, अन्तर्गत धारा-498 ए, 120 बी भा०दं०सं०, थाना सोरो के मामले में दौरान वाद अभियुक्तगण अहमद अली, मौहम्मद इसहाक, श्रीमती कल्लो एवं मुख्तयार की मृत्यु हो जाने के कारण उनके विरुद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(अवनीश कुमार)

सिविल जज(जूंडि०)

जे०एम०/एफ०टी०सी०,

कासगंज।

Commital Order

न्यायालय: सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०/एफ०टी०सी०, कासगंज।

उपस्थित: अवनीश कुमार, उ०प्र० न्यायिक सेवा।

दाण्डिक वाद संख्या-326/2020

राज्य

बनाम्

हिमांशु आदि।

अ०सं०-09/2010

धारा-498 ए, 316, 323, 506 भा०दं०सं०

व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम।

महिला थाना-कासगंज, जिला-कासगंज।

सत्र सुपुर्दगी आदेश

महिला थाना कासगंज की पुलिस द्वारा मु०अ०सं०-09/2010, धारा-498 ए, 316, 323, 506 भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में अभियुक्तगण हिमांशु पाराशर, जगदम्बा प्रसाद पाराशर, धनवती देवी एवं संजीव पाराशर के विरुद्ध परीक्षण हेतु एक किता आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण जगदम्बा प्रसाद पाराशर, धनवती देवी एवं संजीव पाराशर की पत्रावली दिनांक 07.09.2010 को पृथक की गई।

अभियुक्त हिमांशु पाराशर जेरे जमानत न्यायालय में उपस्थित आया। अभियुक्त को धारा 207 द०प्र०सं० के अधीन सभी आवश्यक प्रपत्रों की प्रतियाँ प्रदान की जा चुकी हैं। धारा-207 द०प्र०सं० के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

चूँकि मामला धारा-316 भा०दं०सं० से सम्बन्धित है जो कि अनन्यतः माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः उक्त सम्पूर्ण मामले को विचारण हेतु माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष सुपुर्द किया जाना चाहिए। प्रस्तुत मुकदमा अनन्यतः रूप से माननीय सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अतः उक्त सम्पूर्ण मामले को माननीय सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया जाता है।

अभियुक्त हिमांशु पाराशर जमानत पर है। वह दौरान विचारण माननीय सत्र न्यायालय के अग्रिम आदेश तक इसी जमानत पर उपस्थित आता रहेगा।

विद्वान लोक अभियोजक(दाण्डिक) को पत्रावली के सुपुर्द होने की सूचना दी जाये। पत्रावली का चिह्नी एवं कलेन्डर तैयार करके पत्रावली माननीय सत्र न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित किया जाये तथा अभियुक्त 1-हिमांशु पाराशर नियत दिनांक 11.01.2023 को माननीय सत्र न्यायालय में उपस्थित हो।

दिनांक: 29.11.2022

(अवनीश कुमार)
सिविल जज(जूंडिं)
जे०एम०/एफ०टी०सी०
कासगंज।
JO Code-UP3571

Proceedings under sec 299

न्यायालय सिविल जज(जूंडिं)/जे०एम०/एफ०टी०सी०, कासगंज।

दाण्डिक वाद सं०-127/2021

अपराध सं०-412/1990

राज्य बनाम रामवीर

दिनांक-28.08.2022

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार पर अभियुक्त अनुपस्थित। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त रामवीर के विरुद्ध अजमानतीय वारण्ट, धारा 82 दं०प्र०सं० की आदेशिका एवं धारा 83 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत सम्पत्ति की कुर्की की कार्यवाही हेतु आदेशिका (15 ब) जारी की जा चुकी है और उसकी रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त की उपस्थिति न्यायालय में सुनिश्चित कराये जाने हेतु कई बार सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आदेशित किया जा चुका है। अभियुक्त रामवीर पुत्र तेज सिंह जाटव, निवासी ग्राम हसनपुर, थाना सोरों जिला कासगंज की उपस्थिति सुनिश्चित कराये जाने हेतु जारी आवश्यक बाध्यकारी आदेशिकाओं पर सम्बन्धित थाने की संलग्न आख्याओं से स्पष्ट है कि अथक प्रयास के बावजूद भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है और निकट भविष्य में भी उसकी गिरफ्तारी की कोई सम्भावना नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर ऐसी परिस्थितियों में अभियुक्त रामवीर को फरार घोषित करते हुए प्रस्तुत मामले में धारा 299 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत कार्यवाही प्रचालित किया जाना उचित एवं न्यायसंगत होगा।

आदेश

दाण्डिक वाद सं०-127/21, राज्य बनाम रामवीर, मु०अ०सं०-412/1990 अन्तर्गत धारा-25 आयुध अधिनियम, थाना कासगंज के प्रकरण में अभियुक्त रामवीर के विरुद्ध धारा 299 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत कार्यवाही अग्रसारित की जाती है। अभियुक्त उक्त को फरार घोषित किया जाता है। पत्रावली दिनांक 12.09.2022 को अभियोजन साक्ष्य हेतु पेश हो। अभियोजन साक्षीगण जरिये दिनांक 12.09.2022 को जरिये बी०डब्ल्यू० तलब हों।

(अवनीश कुमार)

सिविल जज(जूंडिं),

जे०एम०/एफ०टी०सी०
कासगंज
(JO Code-UP3571)

न्यायालय सिविल जज(जू०डि०)/जे०एम०/एफ०टी०सी०, कासगंज।

दाण्डिक वाद सं०-275/2020

अपराध सं०-421/1990

राज्य बनाम घनश्याम आदि

दिनांक-05.09.2022

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार पर अभियुक्तगण अनुपस्थित। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण घनश्याम, राधेश्याम व गोपाल के विरुद्ध अजमानतीय वारण्ट, धारा 82 दं०प्र०सं० की आदेशिकाएं एवं धारा 83 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत सम्पत्ति की कुर्की की कार्यवाही हेतु आदेशिकाएं जारी की जा चुकी हैं और उनकी रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण की उपस्थिति न्यायालय में सुनिश्चित कराये जाने हेतु कई बार सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आदेशित किया जा चुका है। अभियुक्तगण घनश्याम, राधेश्याम व गोपाल पुत्रगण हनुमान प्रसाद, निवासीगण मौहल्ला जय-जय राम सोरों गेट, थाना कासगंज, जिला कासगंज की उपस्थिति सुनिश्चित कराये जाने हेतु जारी आवश्यक बाध्यकारी आदेशिकाओं पर सम्बन्धित थाने की संलग्न आख्याओं से स्पष्ट है कि अथक प्रयास के बावजूद भी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है और निकट भविष्य में भी उसकी गिरफ्तारी की कोई सम्भावना नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर ऐसी परिस्थितियों में अभियुक्तगण घनश्याम, राधेश्याम व गोपाल को फरार घोषित करते हुए प्रस्तुत मामले में धारा 299 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत कार्यवाही प्रचलित किया जाना उचित एवं न्यायसंगत होगा।

आदेश

दाण्डिक वाद सं०-275/20, राज्य बनाम घनश्याम आदि, मु०अ०सं०-421/1990 अन्तर्गत धारा-498 ए, 494, 354, 323, 504, 506 आई०पी०सी०, थाना कासगंज के प्रकरण में अभियुक्तगण घनश्याम, राधेश्याम व गोपाल के विरुद्ध धारा 299 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत कार्यवाही अग्रसारित की जाती है। अभियुक्तगण उक्त को फरार घोषित किया जाता है। पत्रावली दिनांक 20.09.2022 को अभियोजन साक्ष्य हेतु पेश हो। अभियोजन साक्षीगण जरिये दिनांक 20.09.2022 को जरिये बी०डब्ल्यू० तलब हों।

(अवनीश कुमार)
सिविल जज(जूंडिं),
जे०एम०/एफ०टी०सी०
कासगंज
(JO Code-UP3571)

sec 299 Final Disposal Order

न्यायालय सिविल जज(जूंडिं)/जे०एम०/एफ०टी०सी०, कासगंज।

परिवाद सं०	17/2022
Computer no.	2762/2019
CNR NO.	UPKR040102202019

राज्य

बनाम

उस्मान।

मु०अ०सं०-449/90

धारा-279,304 ए भा०दं०सं०।

थाना-कासगंज, जनपद कासगंज।

दिनांक- 18.01.2023

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त उस्मान उपस्थित नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त **उस्मान** की अनुपस्थिति में साक्ष्य हेतु धारा -299 सी-आर०पी०सी० के अन्तर्गत कार्यवाही दिनांक 10.01.2023 को योजित की जा चुकी है और अभियुक्त उस्मान को फरार घोषित किया जा चुका है, निकट भविष्य में अभियुक्त के मिलने की कोई संभावना नहीं है। पुलिस अभियुक्त को गिरफ्तार करने में पूर्णतया विफल रही है। आदेशिकाएं संलग्न हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से फर्द साक्षियों में से किसी भी साक्षीगण को नियत तिथि तक न्यायालय के समक्ष अंतिम अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं आये। पत्रावली सन् 1990 से न्यायालय में विचाराधीन है, साक्षीगण को साक्ष्य हेतु और अवसर प्रदान किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। तदोपरान्त दिनांक 30.11.2022 को साक्षी पी०डब्ल्यू०-1 श्यामवीर एवं द्वितीयक साक्षी पी०डब्ल्यू०-2 हैड कांस्टेबल वीरी सिंह की न्यायालय के समक्ष मुख्यपरीक्षा दर्ज की गयी और अन्य कोई साक्षी अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रस्तुत पत्रावली प्राचीनतम वादों की श्रेणी में आती है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्राचीनतम पत्रावली को शीघ्र निस्तारण हेतु दिशा-निर्देश दिये

गये हैं। अभियोजन का साक्ष्य का अवसर समाप्त किया जाता है। अतः न्यायहित में उक्त पत्रावली निम्न शर्तों के अन्तर्गत निस्तारण कर अभिलेखागार प्रेषित की जाती है कि-

1. अभियुक्त **उस्मान** के विरुद्ध स्थाई गैर जमानतीय वारण्ट निर्गत किये जाएं तथा उसकी एक-एक प्रति पुलिस अधीक्षक तथा सम्बन्धित थाने को प्रेषित की जाये।
2. सम्बन्धित थानाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्तगण को यथाशीघ्र गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना सुनिश्चित करें।
3. "पत्रावली के बाह्य आवरण पर मोटे लाल अक्षरों में यह अंकित किया जाए कि यह पत्रावली विनिष्ट किये जाने योग्य नहीं है।"
4. अभियुक्त के गिरफ्तार होकर न्यायालय में उपस्थित होने की दशा में पत्रावली अभिलेखागार से तलब की जाए तथा विधिअनुसार अभियुक्त का विचारण करके प्रस्तुत प्रकरण का निस्तारण किया जायेगा।

(अवनीश कुमार)
सिविल जज(जू०डि०),
जे०एम०/एफ०टी०सी०
कासगंज
(JO Code-UP3571)

न्यायालय सिविल जज(जू०डि०)/जे०एम०/एफ०टी०सी०, कासगंज।

परिवाद सं०	272/2020
Computer no.	1507/2019
CNR NO.	UPKR040106652019

सोमवती बनाम शकुन्तला आदि।
धारा-494 भा०द०सं०।
थाना-कासगंज, जनपद कासगंज।

दिनांक- 28.02.2023

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण उपस्थित नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्तगण अभियुक्तगण श्रीमती शकुन्तला, राम सिंह एवं रामश्री की अनुपस्थिति में साक्ष्य हेतु धारा -299 सी-आर०पी०सी० के अन्तर्गत कार्यवाही दिनांक 01.02.2023 को योजित की जा चुकी है और अभियुक्तगण श्रीमती शकुन्तला, राम सिंह एवं रामश्री को फरार घोषित किया जा चुका है, निकट भविष्य में अभियुक्तगण के मिलने की कोई संभावना नहीं है। पुलिस अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने में पूर्णतया विफल रही है। आदेशिकाएं संलग्न हैं। परिवादिनी की ओर से दाखिल सूची साक्षीगण में से मात्र दो साक्षी पी०डब्ल्यू०-1 सोमवती एवं पी०डब्ल्यू०-2 बाबूराम उपस्थित आये, जिनकी मुख्यपरीक्षा अंकित की गयी। इसके अतिरिक्त कोई भी साक्षी नियत तिथि तक न्यायालय के समक्ष कई बार अंतिम अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं आये। प्रस्तुत पत्रावली प्राचीनतम-35 वादों की श्रेणी में आती है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्राचीनतम पत्रावली को शीघ्र निस्तारण हेतु दिशा-निर्देश दिये गये हैं। परिवादनी का साक्ष्य का अवसर समाप्त किया जाता है। अतः न्यायहित में उक्त पत्रावली निम्न शर्तों के अन्तर्गत निस्तारण कर अभिलेखागार प्रेषित की जाती है कि-

1. अभियुक्तगण श्रीमती शकुन्तला, राम सिंह एवं रामश्री के विरुद्ध स्थाई गैर जमानतीय वारण्ट निर्गत किये जाएं तथा उसकी एक-एक प्रति पुलिस अधीक्षक तथा सम्बन्धित थाने को प्रेषित की जाये।
2. सम्बन्धित थानाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्तगण को यथाशीघ्र गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना सुनिश्चित करें।
3. "पत्रावली के बाह्य आवरण पर मोटे लाल अक्षरों में यह अंकित किया जाए कि यह पत्रावली विनिष्ट किये जाने योग्य नहीं है।"
4. अभियुक्तगण के गिरफ्तार होकर न्यायालय में उपस्थित होने की दशा में पत्रावली अभिलेखागार से तलब की जाए तथा विधिअनुसार अभियुक्त का विचारण करके प्रस्तुत

प्रकरण का निस्तारण किया जायेगा।

(अवनीश कुमार)
सिविल जज(जू०डि०),
जे०एम०/एफ०टी०सी०
कासगंज
(JO Code-UP3571)

Bail Orders

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०-एफ०टी०सी०,
कासगंज।

परिवाद संख्या-644/2020

CNRNo-UPKRO40134922023

श्रीमती पारूल बनाम किशोर कुमार आदि

दिनांक 03.03.2023

प्रार्थी/अभियुक्तगण किशोर कुमार एवं खोखन बोस, परिवाद संख्या-644/20, अन्तर्गत धारा-498 ए, 323, 504, 506 भा०दं०सं० व 3/4 डी०पी० एक्ट, थाना कासगंज व जनपद कासगंज के मामले में जरिए अधिवक्ता द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है।

प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण सदर प्रकरण में पूर्णतः निर्दोष हैं और उन्हें नितान्त असत्य आधारों पर संस्थित परिवाद पत्र में झूठा फंसाया गया है। दिनांक 01.03.2023 को प्रार्थीगण वारण्ट निरस्त कराने हेतु न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण का वारण्ट निरस्त करने हेतु प्रार्थनापत्र को निरस्त कर जेल भेजा गया। प्रार्थी/अभियुक्तगण का यह द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थी/अभियुक्तगण अपनी उचित जमानत देने को तैयार हैं एवं दौरान विचारण अपनी जमानत का दुरुपयोग नहीं करेंगे।

जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना एवं अवलोकन किया।

अभियुक्तगण दिनांक 01.03.2023 से जिला कारागार में निरूद्ध हैं। आज परिवादिनी की तरफ से एक नये अधिवक्ता प्रदीप कुमार सकसैना नियुक्त हुए हैं और परिवादिनी की तरफ से एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें जमानत प्रार्थनापत्र पर बहस करने हेतु अन्य तिथि दिये जाने की प्रार्थना की गयी। अभियुक्तगण 02 दिन से जिला कारागार में निरूद्ध हैं और जमानत प्रार्थनापत्र सीधे-सीधे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को प्रभावित करता है। अतः प्रार्थनापत्र को अन्य तिथि के लिए लम्बित करना उचित नहीं होगा।

प्रस्तुत वाद में दिनांक 16.09.2021 को अभियुक्त किशोर कुमार बोस न्यायालय में उपस्थित थे एवं दिनांक 29.09.2021 को अभियुक्त खोखन बोस न्यायालय में उपस्थित थे, पर दोनों के द्वारा इन तिथियों तक कोई जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था, जो कि विधिसंगत नहीं था। दिनांक 11.10.2021 को न्यायालय के द्वारा अभियुक्तगण के अधिवक्ता से पूछा गया कि अभी तक अभियुक्तगण ने कोई प्रार्थनापत्र प्रस्तुत क्यों नहीं किया है, तब अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने यह जवाब दिया कि अभियुक्तगण के द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा तलबी आदेश को चैलेन्ज किया गया है और इसके बाद अभियुक्तगण के अधिवक्ता यह कहकर न्यायालय छोड़कर चले गये कि यदि उन्हें इस

न्यायालय से रिलीफ नहीं मिलता तो वह अन्य न्यायालय में जायेंगे। पत्रावली के आदेश पत्रक में यह सब चीजें अंकित की गयी हैं। न्यायहित में दिनांक 11.10.2021 को अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई उत्पीड़नात्मक कार्यवाही न्यायालय द्वारा नहीं की गयी। अपितु न्यायालय द्वारा आदेश पत्रक में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया कि अभियुक्तगण जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करें और यदि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्टे को बढ़ाया गया है तो इस सम्बन्ध में न्यायालय को सूचित करें। अगली तिथि दिनांक 29.10.2021 को भी अभियुक्तगण द्वारा कोई प्रार्थनापत्र जमानत हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। यह निश्चित रूप से न्यायालय के आदेश की जानबूझकर की गयी अवहेलना थी। क्योंकि यदि अभियुक्तगण न्यायालय में प्रथम बार उपस्थित हो रहे हैं तो वह यह बचाव अपने पक्ष में ले सकते हैं कि उन्हें वाद के विषय में कोई जानकारी नहीं थी, पर प्रस्तुत वाद में अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित हुए थे और उनके अधिवक्ता न्यायालय में लगातार उपस्थित हो रहे थे। अतः अभियुक्तगण को वाद की कार्यावाही की पूरी जानकारी थी, पर उसके बाद भी उनके द्वारा कोई जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। दिनांक 29.10.2021 को न्यायालय द्वारा गैर जमानतीय अधिपत्र अभियुक्तगण के विरुद्ध जारी किये गये और उसके 7 तिथियों के उपरान्त दिनांक 08.07.2022 को अभियुक्तगण किशोर कुमार एवं खोखन बोस को पुलिस द्वारा गैर जमानतीय अधिपत्र पर गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और दिनांक 11.07.2022 को अभियुक्तगण किशोर कुमार एवं खोखन बोस को जमानत प्रदान की गयी। उसके बाद दिनांक 06.12.2022 को अभियुक्तगण अनुपस्थित थे। अतः उनके विरुद्ध न्यायालय द्वारा गैर जमानतीय अधिपत्र जारी किये गये और उसके उपरान्त कुछ तिथियों के बाद दिनांक 01.03.2023 को अभियुक्तगण किशोर कुमार एवं खोखन बोस द्वारा एक प्रार्थनापत्र गैर जमानतीय अधिपत्र निरस्त करने हेतु डाला गया, जो न्यायालय द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। दिनांक 02.03.2023 को न्यायालय में अभियुक्तगण द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया और न्यायालय द्वारा उस जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्तगण किशोर कुमार एवं खोखन बोस का आपराधिक इतिहास मंगवाया गया। दिनांक 02.03.2023 को शाम के समय अभियुक्तगण के अधिवक्ता बिजेन्द्र सिंह यादव द्वारा पीठासीन अधिकारी के साथ अभद्रता की गयी और कहा गया कि वो पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध शिकायत करेंगे और अभी जाकर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय से शिकायत करेंगे।

प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण द्वारा दो बार न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गयी। प्रथम बार जब वाद की जानकारी होने के बाद भी अभियुक्तगण द्वारा बहुत समय तक जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया गया और द्वितीय बार जब जमानत का दुरुपयोग किया गया है। यद्यपि अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास है, पर उसमें केवल धारा-147, 323, 504, 506 भा०द०सं० में ही संलिप्तता है, जो गंभीर अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं। अभियुक्तगण के पूर्व एवं नए दोनों अधिवक्ताओं द्वारा भी पीठासीन अधिकारी के साथ अभद्रता की गयी परन्तु यह ध्यान रखते हुए कि मामला पारिवारिक प्रवृत्ति का है एवं अभियुक्तगण के अधिवक्ता की अभद्रता की वजह से

अभियुक्तगण को किसी प्रकार से दण्डित करना उचित नहीं होगा और यह भी ध्यान में रखते हुए कि अभियुक्तगण 02 दिन से जेल में हैं अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थनापत्र इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि वे नियमित रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे और वाद की कार्यवाही में न्यायालय का सहयोग करेंगे एवं उनके द्वारा 20,000-20,000/-रुपये का नवीन व्यक्तिगत बंध पत्र एवं इसी धनराशि के दो प्रतिभूगण दाखिल किये जावेंगे।

(अवनीश कुमार)
सिविल जज (जू०डि०)/
जे०एम०/एफ०टी०सी०
कासगंज।

05.03.2022

परिवाद संख्या-229/20, धारा-354, 323, 504, 506 भा० द० सं० थाना कासगंज जिला कासगंज में अभियुक्त अरविन्द पुत्र राजेश कुमार की ओर से जरिये अधिवक्ता गैर जमानतीय अधिपत्र निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थी उक्त मामले में अभियुक्त है। प्रार्थी को बुखा से पीड़ित होने के कारण हाजिर अदालत नहीं आ सका और ना ही अपने अधिवक्ता को सूचना दे सका जिस कारण प्रार्थी के विरुद्ध दिनांक 05.01.2022 को एन०बी०डब्ल्यू० जारी हो गये। प्रार्थी द्वारा जानबूझकर कोई गलती नहीं की गई है। ऐसी दशा में प्रार्थी के विरुद्ध जारी एन०बी०डब्ल्यू० निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है तथा अन्य कथन करते हुए गैर जमानतीय अधिपत्र निरस्त किये जाने की याचना किया है।

गैर जमानतीय अधिपत्र प्रार्थना पत्र पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त अभियुक्त का गैर जमानतीय अधिपत्र निरस्त किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

प्रस्तुत मामले में अभियुक्त अरविन्द द्वारा मु०-20,000/-रुपये का अतिरिक्त व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं रूपये 200/- का हर्जे की धनराशि अदा करने तथा न्यायालय में प्रत्येक नियत तिथि पर उपस्थित रहने का अंडरटेकिंग दाखिल करने पर गैर जमानतीय अधिपत्र निरस्त किया जाता है।

सिविल जज (जूंडिं)/
जे०एम०/एफ०टी०सी०
कांसगज।

05.05.2022

अपराध संख्या-46/2018, धारा-452, 354 भा०द०सं०, थाना अमांपुर. जिला कासगंज में अभियुक्त अय्यूब अली पुत्र ऐजाद खां की ओर से जरिये अधिवक्ता गैर जमानतीय अधिपत्र निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थी उपरोक्त वाद में अभियुक्त/प्रार्थी की दिनांक 20.03.2022 हाजिरी की तारीख नियत थी। अभियुक्त/प्रार्थी तारीख भूल जाने के कारण न्यायालय हाजिर नहीं हो सका था। इस कारण अभियुक्त/प्रार्थी के एन०बी०डब्ल्यू० हो गये थे। अभियुक्त/प्रार्थी आज न्यायालय आया है और अभियुक्त/प्रार्थी एन०बी०डब्ल्यू० निरस्त कराने का प्रार्थनापत्र दे रहा है तथा अन्य कथन करते हुए गैर जमानतीय अधिपत्र निरस्त किये जाने की याचना किया है।

गैर-जमानतीय अधिपत्र प्रार्थना पत्र पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त अभियुक्त का जमानतीय अधिपत्र निरस्त किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

प्रस्तुत मामले में अभियुक्त अय्यूब अली द्वारा मु०-20,000/-रूपये का अतिरिक्त व्यक्तिगत बन्धपत्र दाखिल करने तथा न्यायालय में प्रत्येक नियत तिथि पर उपस्थित रहने का अंडरटेकिंग दाखिल करने पर गैर जमानतीय अधिपत्र निरस्त किया जाता है।

(जू०डि०)/

प्रभारी सिविल जज

जे०एम०/एफ०टी०सी०

कांसगज।

High Court Quashed Order

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०/एफ०टी०सी०, कासगंज।

प्रमोद वर्मा

बनाम्

सचिन वर्मा आदि।

दाण्डिक परिवाद संख्या-582/2020,

अंधारा-498 ए भा० दं० सं०

व धारा-3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम।

थाना-कासगंज, जनपद-कासगंज।

दिनांक:- 03.03.2022

पत्रावली पेश हुई। आवेदक दिनेशचन्द्र वर्मा पुत्र हरदयाल वर्मा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-482 सं०-16009/2010 सचिन वर्मा व अन्य बनाम् स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 22.09.2015 की प्रमाणित प्रति जो कि कम्प्यूटर अनुभाग के सिस्टम ऑफिसर की आख्या के साथ प्रस्तुत किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश का ससम्मान अवलोकन किया। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 22.09.2015 में यह आदेश पारित किया है कि - Considering the settlement between husband and wife and the report of the Mediation Centre dated 18.12.2010, it appears that the matter was relating to matrimonial dispute and both husband and wife have settled their disputes amicably. Thus, in view of the judgement of the Apex Court reported in 2003(4) SCC 675 (B.S. Joshi Vs. State of Haryana) as well as the judgement of the Apex Court reported in JT2008(9) SC 192 (Nikhil Merchant Vs Central Bureau of Investigation and another) and also a decision Gian Singh Vs. State of Punjab and another reported in 2012 (10) Supreme Court Cases 303, the proceedings of the aforesaid case quashed. उक्त आदेश में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत वाद की कार्यवाही (Quashed) समाप्त किये जाने का आदेश पारित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय का उक्त आदेश पत्रावली पर रखा जावे। तदुसार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रस्तुत वाद की कार्यवाही समाप्त (Quashed) की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

सिविल जज (जू०डि०)

जे०एम०/एफ०टी०सी०,

कासगंज।

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०/एफ०टी०सी०, कासगंज।

भगवान सिंह

बनाम्

संजय सिंह आदि।

दाण्डिक परिवाद संख्या-689/2020,

अंधारा-498 ए भा0 दं0 सं0

व धारा-3/4 दहेज प्रतिषेध

अधिनियम।

थाना-पटियाली, जनपद-कासगंज।

दिनांक:-24.03.2022

पत्रावली पेश हुई। आवेदक संजय सिंह पुत्र राम सिंह की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-482 सं0-35065/2012 संजय सिंह व अन्य बनाम् स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 07.04.2014 की प्रमाणित प्रति जो कि कम्प्यूटर अनुभाग के सिस्टम ऑफिसर की आख्या के साथ प्रस्तुत किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश का ससम्मान् अवलोकन किया। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 07.04.2014 में यह आदेश पारित किया है कि- Thus, the ratio laid down by the Hon'ble Supreme Court in **B.S. Joshi's Case (Supra)** is fully applicable to the facts and circumstances of this case. Further more, the complainant (O.P. No. 2) does not want to prosecute the applicants and since the daughter of the O.P. No. 2 is living at her matrimonial home with her husband and living a happy marital life, therefore, now the O.P. No. 2 is not willing to adduce any evidence against the applicants. In the circumstances, apparently, there are no chances of conviction of the applicants. Thus, to continue the case against the applicants would be a futile exercise. Therefore, the application under Section 482 of the Code deserves to be allowed. The application under Section 482 of the Code, accordingly, allowed. The entire proceeding in the Complaint Case No. 1071 of 2011 under Sections 498-A, I.P.C. and 3/4 of D.P. Act., pending in the court of learned Chief Judicial Magistrate, Kanshi Ram Nagar is quashed. उक्त आदेश में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत वाद की कार्यवाही (**Quashed**) समाप्त किये जाने का आदेश पारित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय का उक्त आदेश पत्रावली पर रखा जावे। तदुसार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रस्तुत वाद की कार्यवाही समाप्त (**Quashed**) की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

सिविल जज (जूंडि)
जे०एम०/एफ०टी०सी०,
कासगंज।

Dismissed under sec 244

न्यायालय सिविल जज (जूंडि)/जे०एम०/एफ०टी०सी०, कासगंज।

दाण्डिक परिवाद सं०-1067/2020

श्रीमती अफसाना उर्फ गुड़िया बनाम इरफान आदि

CNR NO.UPKR040071572016

JO Code-UP3571

दिनांक-25.03.2022

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। कोई उपस्थित नहीं है। बार-बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी परिवादिनी उपस्थित नहीं आ रही है और न ही उसके द्वारा कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। परिवादिनी द्वारा धारा 200 दं० प्र० सं० के अन्तर्गत स्वयं को भी परीक्षित नहीं कराया गया है तथा उसकी ओर से अब तक कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। बार-बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी परिवादिनी उपस्थित नहीं आ रही है, जिससे ऐसा परिलक्षित होता है कि परिवादिनी अपना परिवाद नहीं चलाना चाहती है। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए परिवाद को लम्बित रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। उक्त परिस्थितियों में परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद संख्या-1067/20 परिवादिनी की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सिविल जज(जूंडि)/
जे०एम०/एफ०टी०सी०

कासगंज।

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०/एफ०टी०सी०, कासगंज।

दाण्डिक परिवाद सं०-1041/2020

रीना उर्फ डिम्पल बनाम दीनबन्धु उर्फ रजत आदि

CNR NO.UPKR040085082020

JO Code-UP3571

दिनांक-25.02.2022

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। कोई उपस्थित नहीं है। बार-बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी परिवादिनी उपस्थित नहीं आ रही है और न ही उसके द्वारा कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। परिवादिनी द्वारा दिनांक-05.12.2019 को स्वयं को धारा 200 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत परीक्षित कराया गया है, किन्तु परिवादिनी द्वारा किसी स्वतन्त्र साक्षी धारा 202 दं०प्र०सं०के अन्तर्गत परीक्षित नहीं कराया गया है। अतः पत्रावली पर किसी स्वतन्त्र साक्षी का साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। मात्र परिवादिनी के अपुष्ट बयान अन्तर्गत धारा 200 दं०प्र०सं० के आधार पर विपक्षीगण को तलब किया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विपक्षीगण को तलब किये जाने का आधार नहीं है। उक्त परिस्थितियों में परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद सं०-1041/20 धारा 203 दं०प्र०सं०के अन्तर्गत निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सिविल जज

(जू०डि०)/

जे०एम०/एफ०टी०सी०

कासगंज।

High Court stay compliance

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०/एफ०टी०सी०, कासगंज।

लनामिका

बनाम्

अमित कुमार चौधरी आदि।

दाण्डिक परिवाद संख्या-468/2020,

अंधारा-498 ए, 323, 504

भा० दं० सं०

व धारा-3/4 दहेज प्रतिषेध

अधिनियम।

थाना-कासगंज, जनपद-कासगंज।

07.04.2022

आवेदक अमित कुमार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा क्रि०मि० एप्लीकेशन अंतर्गत धारा-482 नं०-19546/2021 अमित कुमार व 3 अन्य बनाम् स्टेट ऑफ यू० पी० में पारित आदेश दिनांकित 22.02.2022 की प्रमाणित प्रति जो कि कम्प्यूटर अनुभाग के सिस्टम ऑफीसर की आख्या के साथ प्रस्तुत किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश का ससम्मान् अवलोकन किया।

माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 22.02.2022 में यह आदेश पारित किया है कि-Subject to the applicant depositing the amount of Rs. 15,000/- as directed above, till the next date of listing, further proceedigs againgst the applicants in the aforesaid case shall be kept in abeyance " अतः कार्यालय को आदेशित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश ससम्मान् पत्रावली पर रखा जाये। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पत्रावली की कार्यवाही स्थगित की जाती है। कार्यालय को आदेशित किया जाता है कि प्रस्तुत मामले में यदि कोई आवेदकगण के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्यवाही के बाबत आदेशिकार्यें जारी की गयी हैं, तो उन्हें अविलम्ब अदम तामीला वापस मँगाया जावे। इस आदेश की एक प्रति माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश की प्रति के साथ सम्बन्धित थाने को अविलम्ब अनुपालनार्थ भेजा जावे। पत्रावली अग्रिम आदेश हेतु दिनांक 11.05.2022 को पेश हो।

प्रभारी सिविल जज (जूंडि)
जे०एम०/एफ०टी०सी०,
कासगंज।

न्यायालय सिविल जज (जूंडि)/जे०एम०/एफ०टी०सी०, कासगंज।

जगमोहन बनाम् गौरव कुमार आदि।

दाण्डिक परिवाद संख्या-883/2020,
अंधारा-498 ए, 323, 506

भा० दं० सं०

व धारा-3/4 दहेज प्रतिषेध

अधिनियम।

थाना-सोरों, जनपद-कासगंज।

07.05.2022

आवेदक/पैरोकार पन्नालाल पुत्र भोले की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा क्रि०मि० एप्लीकेशन अंतर्गत धारा-482 नं०-6513/2013 गौरव कुमार व अन्य बनाम् स्टेट ऑफ यू० पी० में पारित आदेश दिनांकित 23.03.2022 की प्रमाणित प्रति जो कि कम्प्यूटर अनुभाग के सिस्टम ऑफीसर की आख्या के साथ प्रस्तुत किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश का ससम्मान् अवलोकन किया।

माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 23.03.2022 में यह आदेश पारित किया है कि- "List in the month of July 2022. Untill further order, the interim order granted earlier shall continue. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का उक्त आदेश ससम्मान् पत्रावली पर रखा जावे। कार्यालय को आदेशित किया जाता है कि प्रस्तुत मामले में यदि कोई आवेदकगण के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्यवाही के बाबत आदेशिकायें जारी की गयी हैं, तो उन्हें अविलम्ब अदम तामीला वापस मँगाया जावे। इस आदेश की एक प्रति माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश की प्रति के साथ सम्बन्धित थाने को अविलम्ब अनुपालनार्थ भेजा जावे। पत्रावली अग्रिम आदेश हेतु दिनांक 13.05.2022 को पेश हो।

प्रभारी सिविल जज (जू०डि)
जे०एम०/एफ०टी०सी०,
कासगंज।

Orders under section 258

न्यायालय-सिविल जज, (जू० डि०)/जे० एम०-एफ० टी० सी०, कासगंज।

उपस्थित: अवनीश कुमार, उ० प्र० न्यायिक सेवा।

JO Code-UP3571

वाद संख्या- 279/2020

दिनांक: 08.02.2023

पत्रावली पेश हुई। पुकार लगायी गयी। पुकार पर अभियुक्तागण मीना, मुन्नी, एवं रेनू अनुपस्थित।

पत्रावली आज वास्ते हाजिरी अभियुक्तागण हेतु नियत है।

प्रस्तुत प्रकरण समन श्रेणी का है। प्रस्तुत वाद न्यायालय के 35 प्राचीनतम वादों में से एक है। पत्रावली सन 1994 से अभियुक्तागण की हाजिरी हेतु लम्बित है।

न्यायालय द्वारा अभियुक्तागण की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु बहुत सी बार आदेशिकाएँ जारी की गई, अपितु बहुत सी बार गैर जमानती वारंट भी जारी किये गए, पर अभी तक ना तो अभियुक्तागण की उपस्थिति सुनिश्चित हो सकी है और ना ही उनके वर्तमान पते के विषय में कोई जानकारी मिल पायी है। ऐसा प्रतीत होता है कि भविष्य में भी अभियुक्त गण के उपस्थित होने की कोई संभावना नहीं है।

इस संबंध में उचित होगा कि माननीय न्यायालयों द्वारा पारित की गई विधि व्यवस्थाओं का अवलोकन किया जाए-

माननीय उच्च न्यायालय बॉम्बे द्वारा *Mulchand Motilal Raka v. State of Maharashtra* [citation- 1996(2) Crimes 177 : 1996(1) BCR 316] वाद में

निम्न विधि व्यवस्था पारित की गयी है-

“Section 258 of the Code which empowers to stop the proceedings in certain cases is intended to meet with certain situations, where the presence of accused persons cannot be secured or presence of any important witness cannot be secured by the prosecution, which is necessary for the trial of the case. Therefore, where the Magistrate does not find it possible to dispose of the matter by adopting normal procedure contemplated by the Code for one reason or other as hereinabove stated, in such situation it would be open to the Magistrate to stop further proceedings of the case. Section 258 of the Code can be resorted to where the special or un-usual circumstances exist, such as non-appearance of the accused before the Court for considerable time or of the important witness of the prosecution, which make it difficult or impossible for the Magistrate to proceed with the case in normal way”.

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *Renuka vs State Of Karnataka*, [CRIMINAL APPEAL NO. 329 OF 2009, Arising out of S.L.P. (Criminal) No. 6824 of 2008] वाद में निम्न विधि व्यवस्था प्रतिपादित की गई है-

“Section 258 of the Code reads thus :

"258. Power to stop proceedings in certain cases. – In any summons-case instituted otherwise than upon complaint, a Magistrate of the first class or, with the previous sanction of the Chief Judicial Magistrate, any other Judicial Magistrate, may, for reasons to be recorded by him, stop the proceedings at any stage without pronouncing any judgment and where such stoppage of proceedings is made after the evidence of the principal witnesses has been

recorded, pronounce a judgment of acquittal, and in any other case, release the accused, and such release shall have the effect of discharge.

Section 258 of the Code corresponds to Section 249 of the Code of Criminal Procedure, 1898 with minor changes. Section 249 of the Code of Criminal Procedure, 1898 reads as under :

"249. In any case instituted otherwise than upon complaint, a Presidency Magistrate, a Magistrate of the first class, or, with the previous sanction of the District Magistrate, any other Magistrate, may, for reasons to be recorded by him, stop the proceedings at any stage without pronouncing any judgment either of acquittal or conviction, and may thereupon release the accused."

In the new Section, the word "summons" has been added and the words "a Presidency Magistrate" after "complaint" have been omitted. The words 'District Magistrate, any other Magistrate' have been substituted by the words 'Chief Judicial Magistrate, any other Judicial Magistrate'. The words 'either of acquittal or conviction and may thereupon release the accused' have been substituted by the words "and where such stoppage of proceedings is made after the evidence of the principal witnesses has been recorded, pronounce a judgment of acquittal, and in any other case, release the accused, and such release shall have the effect of discharge.

In this case, no order for release of the accused was passed. No order of releasing the accused was necessary to be passed as the appellant was not before the court. She had not even been arrested. Non-bailable warrant of arrest issued against her had not been executed"

अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विधि व्यवस्था से स्पष्ट है कि यदि धारा 258, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अभियुक्त की निरंतर अनुपस्थिति की स्थिति में वाद की कार्यवाही रोकी जाती है, तब उसे उन्मोचन नहीं माना जा सकता है। और यदि अभियुक्त को अभियोजन द्वारा भविष्य में प्रस्तुत किया जाता है तो अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही पुनः प्रारंभ की जा सकती है।

इस संबंध में उचित होगा कि धारा 300(5) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में वर्णित प्रावधान का भी अवलोकन किया जावे-

“300(5) A person discharged under section 258 shall not be tried again for the same offence except with the consent of the Court by which he was discharged or of any other Court to which the first-mentioned Court is subordinate”.

अतः धारा 300(5), दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से भी स्पष्ट है कि जिन मामलों में धारा 258 के अंतर्गत कार्यवाही रोकी गई है, यदि उन मामलों में भविष्य में अभियोजन द्वारा अभियुक्त को प्रस्तुत किया जाता है तो न्यायालय की संस्तुति लेकर उस वाद की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ की जा सकती है।

अतः धारा के प्रावधानों एवं माननीय न्यायालयों द्वारा पारित की गई विधि व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए इस वाद को अभियुक्त गण की उपस्थिति हेतु लंबित रखना उचित नहीं होगा। मामला धारा 258 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों का उपयोग करने हेतु उपयुक्त है। अतः प्रस्तुत वाद की कार्रवाई धारा 258 के अंतर्गत इस शर्त के साथ रोकी जाती है कि यदि भविष्य में अभियोजन द्वारा अभियुक्तागण को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो वाद की कार्यवाही पुनः प्रारंभ की जावेगी। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक: 08.02.2023

(अवनीश कुमार)
सिविल जज, (जू0 डि0)/
जे0 एम 0-एफ 0 टी0 सी0
कासागंज।

न्यायालय-सिविल जज, (जू० डि०)/जे० एम०-एफ० टी० सी०, कासगंज।

उपस्थित: अवनीश कुमार, उ० प्र० न्यायिक सेवा।

JO Code-UP3571

राज्य बनाम मुन्ना आदि।

वाद संख्या- 1380/2020

CNRNO-UPKR040000772006

दिनांक: 09.02.2023

पत्रावली पेश हुई। पुकार लगायी गयी। पुकार पर अभियुक्तागण मुन्ना एवं काजल अनुपस्थित।

पत्रावली आज वास्ते हाजिरी अभियुक्तागण हेतु नियत है।

प्रस्तुत प्रकरण समन श्रेणी का है। प्रस्तुत वाद न्यायालय के प्राचीनतम वादों में से एक है। पत्रावली सन 2006 से अभियुक्तागण की हाजिरी हेतु लम्बित है।

न्यायालय द्वारा अभियुक्तागण की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु बहुत सी बार आदेशिकाएँ जारी की गईं, अपितु बहुत सी बार गैर जमानती वारंट भी जारी किये गए, पर अभी तक ना तो अभियुक्तागण की उपस्थिति सुनिश्चित हो सकी है और ना ही उनके वर्तमान पते के विषय में कोई जानकारी मिल पायी है। ऐसा प्रतीत होता है कि भविष्य में भी अभियुक्त गण के उपस्थित होने की कोई संभावना नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि क्या धारा 258 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत इस वाद की कार्यवाही को रोका जाना उचित होगा?

इस संबंध में उचित होगा कि माननीय न्यायालयों द्वारा पारित की गई विधि व्यवस्थाओं का अवलोकन किया जाए-

माननीय उच्च न्यायालय बॉम्बे द्वारा *Mulchand Motilal Raka v. State of Maharashtra* [citation- 1996(2) Crimes 177 : 1996(1) BCR 316] वाद में निम्न विधि व्यवस्था पारित की गयी है-

“Section 258 of the Code which empowers to stop the proceedings in

certain cases is intended to meet with certain situations, where the presence of accused persons cannot be secured or presence of any important witness cannot be secured by the prosecution, which is necessary for the trial of the case. Therefore, where the Magistrate does not find it possible to dispose of the matter by adopting normal procedure contemplated by the Code for one reason or other as hereinabove stated, in such situation it would be open to the Magistrate to stop further proceedings of the case. Section 258 of the Code can be resorted to where the special or un-usual circumstances exist, such as non-appearance of the accused before the Court for considerable time or of the important witness of the prosecution, which make it difficult or impossible for the Magistrate to proceed with the case in normal way”.

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *Renuka vs State Of Karnataka*, [CRIMINAL APPEAL NO. 329 OF 2009, Arising out of S.L.P. (Criminal) No. 6824 of 2008] वाद में निम्न विधि व्यवस्था प्रतिपादित की गई है-

“Section 258 of the Code reads thus :

"258. Power to stop proceedings in certain cases. – In any summons-case instituted otherwise than upon complaint, a Magistrate of the first class or, with the previous sanction of the Chief Judicial Magistrate, any other Judicial Magistrate, may, for reasons to be recorded by him, stop the proceedings at any stage without pronouncing any judgment and where such stoppage of proceedings is made after the evidence of the principal witnesses has been recorded, pronounce a judgment of acquittal, and in any other case, release the accused, and such release shall have the effect of

discharge.

Section 258 of the Code corresponds to Section 249 of the Code of Criminal Procedure, 1898 with minor changes. Section 249 of the Code of Criminal Procedure, 1898 reads as under :

"249. In any case instituted otherwise than upon complaint, a Presidency Magistrate, a Magistrate of the first class, or, with the previous sanction of the District Magistrate, any other Magistrate, may, for reasons to be recorded by him, stop the proceedings at any stage without pronouncing any judgment either of acquittal or conviction, and may thereupon release the accused."

In the new Section, the word "summons" has been added and the words "a Presidency Magistrate" after "complaint" have been omitted. The words 'District Magistrate, any other Magistrate' have been substituted by the words 'Chief Judicial Magistrate, any other Judicial Magistrate'. The words 'either of acquittal or conviction and may thereupon release the accused' have been substituted by the words "and where such stoppage of proceedings is made after the evidence of the principal witnesses has been recorded, pronounce a judgment of acquittal, and in any other case, release the accused, and such release shall have the effect of discharge.

In this case, no order for release of the accused was passed. No order of releasing the accused was necessary to be passed as the appellant was not before the court. She had not even been arrested. Non-bailable warrant of arrest issued against her had not been executed"

अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विधि व्यवस्था में

अप्रत्यक्ष रूप से न्यायालय ने यह माना कि अभियुक्त के निरंतर अनुपस्थित होने की स्थिति में धारा 258 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में वाद की कार्यवाही रोकी जा सकती है, और ऐसा आदेश विधि संगत होगा। उपरोक्त विधि व्यवस्था से यह भी स्पष्ट है कि यदि धारा 258 में अभियुक्त की निरंतर अनुपस्थिति की स्थिति में वाद की कार्यवाही रोकी जाती है, तब उसे उन्मोचन नहीं माना जा सकता है। और यदि अभियुक्त को अभियोजन द्वारा भविष्य में प्रस्तुत किया जाता है तो अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही पुनः प्रारंभ की जा सकती है।

इस संबंध में उचित होगा कि धारा 300(5) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में वर्णित प्रावधान का भी अवलोकन किया जावे-

“300(5) A person discharged under section 258 shall not be tried again for the same offence except with the consent of the Court by which he was discharged or of any other Court to which the first-mentioned Court is subordinate”.

अतः धारा 300(5), दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से भी स्पष्ट है कि जिन मामलों में धारा 258 के अंतर्गत कार्यवाही रोकी गई है, यदि उन मामलों में भविष्य में अभियोजन द्वारा अभियुक्त को प्रस्तुत किया जाता है तो न्यायालय की संस्तुति लेकर उस वाद की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ की जा सकती है।

अतः धारा 258 के प्रावधानों एवं माननीय न्यायालयों द्वारा पारित की गई विधि व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए इस वाद को अभियुक्तगण की उपस्थिति हेतु लंबित रखना उचित नहीं होगा। मामला धारा 258 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों का उपयोग करने हेतु उपयुक्त है। अतः प्रस्तुत वाद की कार्रवाई धारा 258 के अंतर्गत इस शर्त के साथ रोकी जाती है कि यदि भविष्य में अभियोजन द्वारा अभियुक्तागण को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो वाद की कार्यवाही पुनः प्रारंभ की जावेगी। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक: 09.02.2023

(अवनीश कुमार)

सिविल जज, (जू० डि०)/
जे० एम०-एफ० टी० सी०
कासगंज।